स्वतंत्र भारत, खण्ड 16, अंक 46, गुरूवार, 23 अप्रैल, 1981/3 वैशाख, 1903 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)



(खण्ड 16 में अंक 41 से 50 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc No. 51 (20)
Dt. 29. 12. 81.

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 46, गुरूवार, 23 अप्रैल, 1981/3 वैशाख, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या 908, 910 से 913 और 916	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—136
तारांकित प्रश्न संख्या 909, 914, 915 और 917, से 927	
अतारांकित प्रश्न संख्या 8385 से 8481 और 8483 से 8531	
स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में	136—139
सभा पटल पर रखे गये पत्र	139—140
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	140
19वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश तथा 12वां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	140—160
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित न किया जाना	
श्री राम विलास पासवान	
श्री आर० वेंकटरामन	
श्री चित्त बसु	
श्रीमती गीता मुखर्जी	
श्री ज्योतिर्मय बसु	
श्रीनगर में कतिपय स्थानों पर तलाशी लेने और कागजातों आदि को जब्त करने के कार्य में लगे आयकर अधिकारियों पर हुए हमले के बारे में वक्तव्य	160—161
श्री आर० वेंकटरामन	
विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय)	161—175
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	
पुरःस्थापित किये जाने के लिए प्रस्ताव	

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह* इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री जैलसिंह
श्री ज्योतिर्मय बसु
श्री विक्रम महाजन
श्री बापू साहिब परुलेकर

नियम 377 के अधीन मामले 175—181

(एक) कोटा, राजस्थान औद्योगिक नगर में वायु और जल प्रदूषण
श्री कृष्ण कुमार गोयल

(दो) नेपाल के निकट पिछड़े तराई क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिये उपाय
श्री रणवीर सिंह

(तीन) दिल्ली केन्द्रीय आयुध डिपो में हवलदार मानिकनन्द नायरकी मृत्यु के बारे में जाँच की मांग
प्रो० पी० जे० कुरियन

(चार) पश्चिम बंगाल को अपर्याप्त मात्रा में वैगनों का आवंटन
श्री मुकुन्द मण्डल

(पांच) बिहार के सिंहभूम जिले में किरीबुरु क्वार्टजाइट की खानों में तालाबन्दी के कारण आदिवासी खनिकों में भुखमरी
श्री रामावतार शास्त्री

(छः) गोवा की गावडा, कुम्बी, वेल्पी और ढांगर समुदायों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की आवश्यकता
श्री एड्आर्डो फैलीरो

(सात) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में खाद क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता
श्री रशीद मसूद

(आठ) फसल की कटाई के मौसम में हरियाणा और पंजाब जाने वाले बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूमिहीन मजदूरों को पर्याप्त रेलगाड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग
श्री जगपाल सिंह

(नौ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा इण्टरमीजिएट परीक्षा के लिए दिल्ली केन्द्र का रद्द किया जाना
श्री माधव राव सिंधिया

(दस) गोरखपुर से सहायक इन्जीनियर (डाक-तार) के मुख्यालय का स्थानान्तरण न किए जाने की मांग
श्री महावीर प्रसाद

वित्त विधेयक, 1981 181—216

विचार के लिए प्रस्ताव

श्री ज्योतिर्मय वसु

श्री अजित सिंह दाभी

श्री मती कृष्णा साही

श्री जगपाल सिंह

श्री के० पी० कौसलराम

श्री दिलीप सिंह भूरिया

श्री बालासाहिब वी० पाटिल

श्री काली चरण शर्मा

देश की अखडप्ता के विरूद्ध कथित षड्यन्त्र से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा 217—238

श्री मनीराम बागड़ी

श्री जैनुल बशर

श्री रशीद मसूद

श्री अमरीन्द्र सिंह

श्री सी०टी० दण्डपाणि

लोक सभा

गुरुवार, 23 अप्रैल, 1981/3 वैशाख, 1903 (शक)

लोक सभा 11 बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दुर्गा चाक के समीप हाल्ट स्टेशन

*908 श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हल्दिया (पश्चिम बंगाल) के निकट तेजी से विकसित हो रहे दुर्गा चाक कस्बे के लोग लम्बे समय से इस बात की मांग करते रहे कि दुर्गा चाक लेविल क्रासिंग के समीप एक हाल्ट स्टेशन बनाया जाए,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया है,

(ग) यदि हाँ, तो किस आधार पर,

(घ) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपने 4 मार्च, 1981 के पत्र में उन पर इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए जोर दिया है, और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : शिल्पा प्रदेश में एक यात्री हाल्ट स्टेशन शीघ्र ही खोला जायेगा। यह हाल्ट दुर्गा चाक और हल्दिया के केच दुर्गाचाक समपार से 3 कि० मी० से भी कम दूरी पर स्थित होगा। शिल्पा प्रदेश में हाल्ट के स्थान निर्धारण का विनिश्चय बिभिन्न स्थानों का सर्वेक्षण करने के बाद किया गया था क्योंकि इसे दुर्गाचाक और हल्दिया स्टेशनों के बीच सभी क्षेत्रों को सेवित करने के लिए अत्यधिक सुविधा जनक पाया गया। इस स्टेशन में एक हाल्ट स्टेशन खोल दिये जाने से, इतनी निकटता में दूसरा हाल्ट स्टेशन खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

(घ जी हाँ।

(ङ) दक्षिण पूर्व रेलवे से प्रस्तावित "शिल्पा प्रदेश" हाल्ट को दुर्गाचाक समपार में बदलने के प्रस्ताव की जांच करने कहा गया है जैसा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने सुझाव दिया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि उत्तर मेरे युवा मित्र श्री मल्लिकार्जुन ने दिया है। क्या उन्हें पता है कि पिछले 33 वर्षों में यद्यपि जनसंख्या में जन-गणना आंकड़ों के अनुसार 75 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है तथापि भारतीय रेलों में वृद्धि 11.8 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई है जिससे लोगों को भारी कठिनाई हो रही है ? रेलवे यातायात का सबसे सस्ता साधन है और इसमें बिजली की खपत सबसे कम होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे उत प्रस्तावों को कितना महत्व देते हैं जिन्हें किसी राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं विचार करने के बाद भेजता है और इस सम्बन्ध में रेल मंत्री को लिखता है। मुख्यमंत्री द्वारा लगाये गये अनुमान पर विचार करने के लिये अधीनस्थ अधिकारियों को मामला क्यों सौंप दिया जाता है। इस अनुरोध को तुरन्त स्वीकार क्यों नहीं किया गया। और ऐसे मामलों में जब किसी राज्य का मुख्य मत्री स्वयं नये स्टेशन, नई लाइनें और नये हाल्ट स्टेशन बनाने के लिये लिखता है तो वास्तव में ऐसे मामलों में रेल मंत्रालय की क्या नीति है।

श्री मल्लिकार्जुन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने के लिये उत्सुक हूं। जब कोई मुख्यमंत्री हाल्ट स्टेशन अथवा नई लाइने बनाने के लिये लिखता है तो रेल मंत्रालय की सामान्य नीति उसे उचित महत्व देने की है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। जहां तक इस विशेष हाल्ट स्टेशन का सम्बन्ध है पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने रेलवे को लिखा है कि सिल्पा प्रदेश हाल्ट स्टेशन की बजाय, हाल्ट स्टेशन दुर्गाचाक फाटक पर बनाया जाना चाहिये। जैसा कि विवरण में बताया गया है कि इस मामले पर विचार हो रहा है। हम इस मामले को उचित महत्व देंगे। और शीघ्र ही इस पर विचार करने की कोशिश करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने पहले प्रश्न का स्पटीकरण चाहता हूं। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने 4 मार्च को लिखा था और आज। महीना और 20 दिन बीत गये हैं। शिष्टाचार का तकाजा है कि रेल मंत्रालय को तुरन्त निर्णय करना चाहिये था और मुख्य मंत्री के अनुमान पर विश्वास करके उनके अनुरोध को तुरन्त स्वीकार करना चाहिये और यह आदेश देने चाहिये कि दुर्गाचाक पर स्टेशन बनाया जायेगा। यह अभी तक क्यों नहीं किया गया।

श्री मल्लिकार्जुन : रेलवे मंत्रालय के पास जो पत्र आता है उस पर हम तुरन्त आदेश नहीं दे सकते। हमें समुचित प्रशासनिक प्रणाली का पालन करना होता है। परन्तु हम मुख्यमंत्री की सिफारिशों को उचित महत्व देते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि आपको एक वाणिज्यिक और तकनीकी सर्वेक्षण करना चाहिये था। आपको यह देखना चाहिये था कि क्या वहां पर हाल्ट

स्टेशन बनाना ठीक है। तकनीकी सर्वेक्षण के अन्तर्गत आपको यह देखना होगा कि हाल्ट स्टेशन को अन्तिम रूप से किस स्थान पर बनाया जाये और इसके लिये क्या लागत को बढ़ाना भी जरूर होगा। दुर्गाचाक में बहुत से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय, बैंक और गैर-सरकारी कारखान हैं और वहां पर 5,000 से अधिक लोग रहते है और वहाँ 4.000 से अधिक लोग काम करते हैं। वाणिज्यिक सर्वेक्षण के अनुसार दुर्गाचाक की बजाय सिल्पा प्रदेश पर स्टेशन बनाना उचि त था। इससे पता चलता है कि आपने वाणिज्यिक सर्वक्षण ध्यान पूर्वक नहीं किया। क्या इसका कारण यह था कि वहाँ के वसों के मालिकों ने कुछ धन इकट्ठा करके वाणिज्यिक सर्वेक्षण करने वाले लोगों को खरीद लिया और इस प्रकार उन्होंने स्टेशन को दुर्गाचाक की बजाय सिल्पा प्रदेश पर बनवाने के लिये फैसला करा लिया।

श्री मल्लिकार्जुन : श्रीमन यह आरोप गलत है। यह एकदम असंगत है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि दुर्गाचाक और हल्दिया स्टेशनों के बीच 3 हाल्ट स्टेशन बनाने का प्रस्ताव था। परन्तु सर्वेक्षण के बाद यह महसूस किया गया कि सिल्पा प्रदेश जो दुर्गाचाक से केवल 3 किलोमीटर दूर है, स्टेशन के लिये अधिक उपयुक्त स्थान होगा। रेलवे मंत्रालय ने यह प्रस्ताव आर्थिक सक्षमता को देखकर दिया था। चूंकि मुख्य मंत्री ने स्वयं हमें एक मतपत्र लिखकर इस मामले में रूचि दिखाई है इसलिये हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि मुख्य मंत्री का अनुरोध स्वीकार कर लिया जायेगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : मैं नहीं जानता कि उन्हें इतना सन्देह क्यों है। वहां पर हाल्ट स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है। प्रश्न है यह है कि स्टेशन कहां बनाया जाये। एक स्थान तो रेल मंत्रालय ने बताया है और दूसरा मुख्य मंत्री ने। हमें वाणिज्यिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी इस मामले पर विचार करना होगा। वे इस मामले के विशेव है। सभी मामलों पर विचार किया जा रहा है और हम शीघ्र ही निर्णय लेंगे।

श्री चतुर्भुज : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आवागमन के बहुत कम साधन हैं। पहले से जितने स्टेशन्स बने हुए हैं उनके अनुपात में देश की आबादी 50 प्रतिशत बढ़ चुकी है। लोकल ट्रेन्स पसेंजर गाड़ियां जो हैं उनके स्टेशन्स 15-20 किलोमीटर की दूरी बने हुए हैं। दूसरे कोई आवागमन के साधन नहीं हैं। जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी हैं वे 20-20 किलोमीटर चल कर रेल पकड़ते हैं। गाड़ियों में भीड़ का यह हाल है कि आपने भी देखा होगा गाड़ियों की छत्तों पर चढ़कर लोग सफर करने लगे हैं।

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आया इन स्टेशनों के बीच में काफी दूरी है आदिवासी क्षेत्रों में जहां कि हाल्ट स्टेशन 10-15 किलोमीटर के बीच में नहीं है। इस सम्बन्ध में क्या आप पुनः सव कराकर हाल्ट स्टेशन कायम करने का प्रयत्न करेगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। आदिवासियों

के लिये सहूलियत देना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। यदि माननीय सदस्य ऐसी स्पैस्फिक केस चाहते हैं, तो वे हमें लिखकर दें, हम उसकी जांच करेंगे।

पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय, सोनपुर

*910 **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सच है कि मंत्रालय का विचार पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय सोनपुर (बिहार) को अपने अधिकार में लेने का है,

(ख) यदि नहीं, तो क्या रेलवे प्रशासन का विचार इस महाविद्यालय की भूमि, इमारत और अन्य उपकरणों को बिहार विश्वविद्यालय को सौंपने का है बशर्ते कि बिहार विश्वविद्यालय इस महाविद्यालय को अपने अधिकार में ले,

(ग) यदि हां, तो उनका मंत्रालय इसे कब तक अपने अधिकार में लेगा,

(घ) क्या पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय, सोनपुर के मंत्री ने इस सम्बन्ध में मंत्रालय को कोई ज्ञापन दिया है, और

(ङ) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में (श्री मल्लिकार्जुन : (क) जी नहीं।

(ख) इस मंत्रालय में जब और ज्योंहीं ऐसा अनुरोध प्राप्त होगा उस पर विचार किया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सचिव पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय, सोनपुर से मंत्रालय द्वारा कालेज को अपने अधिकार में लेने के सम्बन्ध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। लेकिन, इस अनुरोध को स्वीकार करना व्यावहरिक नहीं है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : उपाध्यक्ष जी, यह महाविद्यालय ऐसा है, जिसको स्थापना रेल कर्मचारियों और जनता से की है। इसमें पढ़ने वाले 90 परसेंट लोग कर्मचारियों के लड़के-लड़कियां हैं। इस विद्यालय की स्थापना और शिलान्यास 16.7.78 को पूर्वोत्तर रेलवे के महा प्रबन्धक ने किया था और 1978 में फिर रेलवे मंत्री ने विधिवत उद्घाटन किया था।

वहां पर कुल 375 छात्र हैं और जिनमें से 50 लड़कियां हैं, वहां तमाम लड़के-लड़कियां रेल कर्मचारियों के हैं। जनता की इच्छा भी है और सांसदों तथा विधायकों ने भी आपको लिखा है तो ऐसी कौन सी वजह है, जिस वजह से आप उस संस्थान को लेने से इन्कार कर रहे हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, यह पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय सोनपुर में है। इसमें 353 स्टूडेंटस हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि इसका उदघाटन 1978 में किया गया था, भूतपूर्व

रेलवे मन्त्री के द्वारा । यहां कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं, जो कि 169 हैं । जहां तक रेलवेज के लेने की समस्या है, इसको रेलवे नहीं ले सकती है । जब यूनिवर्सिटी इसको एफिलिएट कर लेगी और अगर यूनिवर्सिटी वाले कोई चीज रेलवे मंत्रालय को लिखेंगे, उस वक्त हम उसकी जांच करायेंगे । इसमें प्रश्न यह है कि वे बिल्डिंग और कुछ लैंड चाहते हैं, इस सम्बन्ध में हमारे पास ऐसी कोई प्रार्थना नहीं आई है। यूनिवर्सिटी के पत्र से जब वह आयेगी, हम इसकी जांच करावायेंगे ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को जानकारी है कि बिहार विश्वविद्यालय ने उस कालेज को मान्यता दे दी है और आपने कहा है कि यूनिवर्सिटी की मान्यता के बाद विचार करेंगे, ऐसी स्थिति में आप इसको कितने दिनों तक एग्जामिन करके लेना जा रहे हैं, जबकि मकान और बिल्डिंग सब उसको रेलवे ने दिया ?

रेल मंत्रालय में राज्य में मंत्री (श्री सी० के० जफर शरीफ) : आप जानते हैं कि शिक्षा राज्य का विषय है । रेलवे मन्त्रालय अन्य कार्यों में नहीं लग सकता । (व्यवधान)

श्री आर० पी० यादव : यह समवर्ती सूची में है । कृपया इसे ठीक से समझ लीजिये । (व्यवधान)

श्री सी० के० जफर शरीफ : कृपया मेरी बात सुनिये (व्यवधान) । मैंने अपनी बात पूरी नहीं कहीं है । (व्यवधान) प्रश्न केवल प्राप्त करने का नहीं है । मेरे मित्र ने कहा है कि रेलवे मंत्रालय ने कोई मांग नहीं की है । जब यह हमारे पास आयेगा तो हम इस पर विचार करेंगे

उपाध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि रेलवे मत्रालय के पास कुछ भी नहीं भेजा गया है ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : रिप्रेंस है, हमारे पास प्रमाण है, कहें तो मैं भेज दूंगा ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मंत्री महोदय ने अभी कहा था कि शिक्षा राज्य की सूची में है, लेकिन बाद में उन्होंने सुधार कर लिया कि कानकरेन्ट लिस्ट में है । क्या उनको जानकारी है कि देश में बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिनको रेलवे चलाती है, मैनज करती है ? यदि ऐसा है तो उसका क्या आधार है ?

अभी आप ने उत्तर देते हुए बतलाया कि रिक्वेस्ट नहीं आई है, रिक्वेस्ट आने पर विचार करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा कि वहां के मन्त्री ने रिक्वेस्ट भेजी है । जब आप यह मानते हैं कि उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है और आपको यह जानकारी भी दे दी गई है कि यूनीवर्सिटी ने मान्यता दे दी है, तब इन बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या आप फिर से पुनर्विचार करेंगे तथा यह भी बतलायें कि इस को लेने के बारे में आपका क्या इरादा है ?

मल्लिकार्जुन : यदि यूनीवर्सिटी अपनी तरफ से इस चीज को जरूर रेफर करेगी । इस वक्त यह महाविद्यालय प्राइवेटली मैनेज्ड है, वहां के सचिव जी ने हमको पत्र भेजा है, लेकिन यूनीवर्सिटी की तरफ से पत्र आयेगा तो हम जरूर जांच करेंगे ।

श्री रामअवतार शास्त्री : क्या आप ने यह नीति निर्धारित कर ली है कि आगे से रेल्वे अपने प्रशासन की तरफ से कोई विद्यालय नहीं खोलेगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, यह प्रश्न बड़ा विचित्र है···

श्री रामअवतार शास्त्री : विचित्र तो है ही ।

श्री मल्लिकार्जुन: रेल्वे भविष्य में विद्यालय खोलेगा या नहीं खोलेगा यह कई फैक्टर्स पर आधारित है । इस वक्त मैं नहीं बतला सकता हूं कि खोलेंगे या नहीं खोलेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : खोलने की नीति है या नहीं ; मैंने स्पष्ट पूछा है ।

श्री सी० के० जफर शरीफ : कर्मचारियों के लिए शिक्षा संस्थायें चलाना एक सामाजिक उद्देश्य है । हम सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कह रहे हैं और करते रहेंगे । हम ये शिक्षा सुविधायें उच्चतर माध्यमिक स्तर तक प्रदान करते हैं । हम कालेज स्तर तक ये सुविधायें प्रदान नहीं कर सकते । हमारी मूल जिम्मेदारी यात्रियों और भाड़े को लाने ले जाने की है ।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, अभी हमारे साथी ने जो पूछा था, यदि आप के पास मैट्रिक के बाद या हायर सैकण्ड्री के बाद कोई योजना नहीं है तो बिलकुल सही है, हम प्रेस नहीं करना चाहते हैं । लेकिन मेरा प्रश्न यह है—यदि हायरसैकण्ड्री के बाद इस तरह का इंस्टीचूशन चलाने का विचार रखते हैं तो क्या इस महाविद्यालय को अपने अधीन लेने पर बिचार करेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : आज यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है, जब आयेगा तब देखेंगे ।

पाकिस्तान तथा पश्चिमी एशिया में भारत विरोधी टेप का परिचालन

* 911 **श्री रामविलास पासवान** :

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान तथा पश्चिम ऐशिया में सरकारी तौर से प्रायोजित एक ऐसे प्रचार-टेप-रिकार्डिंग की जानकारी मिली है जिसमें भारत तथा के भारत प्रधान मंत्री की छवि को बिगाड़ा गया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्तमन्त्री श्री आर० वेंकटरामन : (क) : जी, हां ।

(ख) : सरकार को इन कैसेट रिकार्डिंगों की जानकारी है । इनमें बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में उपहासात्मक विवरण प्रस्तुत किए गए हैं । उसमें भारत के सम्बन्ध में भद्दे मजाक और ऐसे फिल्मी गीत भी शामिल हैं जिनमें हमारी

प्रधानमन्त्री और भारत पर व्यंग्य किया गया है। 4 अप्रैल, 1981 को इस्लामाबाद स्थित हमारे राजदूतावास ने इन कैसेटों के तैयार किए जाने पर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय से औपचारिक रूप से विरोध प्रकट किया। विदेश मंत्रालय ने 2 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी राजदूतावास से अपना विरोध प्रकट किया था। पाकिस्तान की सरकार को यह बता दिया गया है कि इस प्रकार के टेपों का निर्माण एक खेदजनक घटना है और यह दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसियों के सम्बन्धों के अनुरूप नहीं है पाकिस्तान के प्राधिकारियों से भी इस प्रकार के टेपों का भविष्य में निर्माण, रिकार्डिंग, विक्रय और निर्यात न करने का अनुरोध किया गया है।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि एक्सटरनल एफेयर्स मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान एम्बेसी को इस सम्बन्ध में प्रोटेस्ट किया है। मैं कहना चाहता हूं कि नाराजगी व्यक्त करने के बहुत से तरीके होते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने नाराजगी व्यक्त करने का कौन-सा तरीका अख्तियार किया है। यहां पर पाकिस्तान के राजदूत हैं, क्या उनको बुलाकर बातचीत की है, उनको समन किया गया है और उन के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और प्रोटेस्ट किया है और पाकिस्तान की सरकार पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई जवाब दिया है और क्या आपके आग्रह पर विचार किया है ?

श्री आर० वेंकटरामन : कौंसलर को कार्यालय में बुलवाया गया और मौखिक रूप से विरोध प्रकट किया। कौंसलर ने कहा कि वे इसे पाकिस्तान सरकार के पास भेज देंगे। विरोध समान्यतया ऐसे ही प्रकट किया जाता है।

श्री रामविलास पासवान : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो आपने जवाब दिया है और जो बात अखबारों में निकल रही है, उससे ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्ध बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और खासकर जबसे यह सरकार आई है, तब से ज्यादा बिगड़े हैं और ढाई साल तक जब हम लोगों की सरकार थी, तो सम्बन्ध बिल्कुल अच्छे थे।··· (व्यवधान)···हमारे ढाई साल में अच्छे रिलेशन्स और विगत लगभग डेढ़ वर्षों में बिल्कुल सम्बन्ध बिगड़ जाने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार ने कभी इन कारणों की खोज की है और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये रिलेशन्स बिगड़े नहीं और तनावपूर्ण स्थिति न हो बल्कि ये रिलेशन्स आपस मे सुधरें, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं वक्तव्य से सहमत नहीं हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हुए हैं। परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई है जिनकी वजह से संबंधों में कुछ तनाव आ गया है जैसे कि अफगान की स्थिति जिसमें हमने दो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण अपनाये हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मेरी राय में यह एक बड़ा गंभीर मामला है और सरकार इस पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है और केवल यह कह रही है कि यह उपहासात्मक विवरण

अथवा भद्दे मजाक है। उनका यह उत्तर है। मेरे विचार में न तो किसी मन्त्री और न ही मंत्रि-मंडल के किसी सदस्यों ने उनके टेपों को सुना है। टेप इस देश में परिचालित किये जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दो बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि संयोजक ने आरोप लगाया है कि श्रीमती गांधी ने भूतपूर्व इस्राइली रक्षा मंत्री मोशे डायन के सम्मान में नई दिल्ली में हाल ही में एक भोज का आयोजन किया था। इस बात का प्रचार अरब देशों में और हमारे देश में भी किया जा रहा है। इससे हो सकता है कि अरब देशों के साथ हमारे सबध बिगड़ जाये। दूसरी बात बड़ी हास्यास्पद है कि इस विचार के द्वारा वे हमारी प्रधान मंत्री और हमारे देश की छबि को बदनाम कर रहे हैं। मैंने एक टेप को सुना है उसमें से एक उद्धरण में प्रस्तुत करता हूं :—

> "1980 की विजय के बाद श्रीमती गांधी ने संयोजक से एक लोकप्रिय गाना "शराफत छोड़ दी मैंने," "मौहब्बत छोड़ दी मैंने" (मैंने शराफ छोड़ दी है क्योंकि आजकल इसका कोई लाभ नहीं है) बजाने के लिए कहा।"

टेप में यही दिया हुआ है और हम केवल एक विरोधपत्र भेजकर अपनी तसल्ली कर रहे हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव क्या है। मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सच है कि टेप पर यह कथन सुनाया जा रहा है और वह भी पाकिस्तान में जहां इसका सरकार सेंसर करती है। यह अरब देशों में और हमारे देश में भी परिचालित किया जा रहा है। आपने कहा कि 2 अप्रैल को हमने एक विरोध पत्र भेजा था। उसका उत्तर क्या है। क्या इस प्रकचार भारत में भी किया जा रहा है क्या आप इसके लिए आगे कार्यवाही कर रहे हैं या एक विरोध पत्र भेजकर ही आपकी तसल्ली हो गई है।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे प्रसन्नता है कि विपक्ष में इस संबंध में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। यह होना भी चाहिए क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सम्मान अर्न्तग्रस्त है। टेप में यह कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने मोशे डायन के सम्मान में भोज दिया है। यह एकदम गलत है।

पाकिस्तान सरकार का ध्यान यहां और इस्लामाबाद में भी दिलाया गया। हमारे राजदूत ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि यह एकदम गलत कथन है और हमने इसका विरोध किया है। हमने पाकिस्तानी राजदूत को अपने यहाँ बुलाया था और अपना बड़ा विरोध प्रकट किया। यदि लोग अश्लीलता पर उतारू होते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इन मामलों को राजनीतिक ढंग दे लेंगे।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मैंने टेपों के भारत में परिचालन के बारे में पूछा है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह टेप आबू धाबी, दुबई और कुवैत में परिचालित किया है और वहां भाषा की दिक्कत के कारण इसका बहुत कम प्रभाव हुआ है। ये टेप उर्दू में हैं और वहां लोग अरबी भाषा मानते हैं। हमने इसका पता लगा लिया है कि बहुत कम लोगों को इनका पता चला है। (**व्यवधान**)। जब हमारे लोगों ने जब पाकिस्तान में पूछताछ की तो इस्लामाबाद में भी लोगों को इसका पता नहीं था।

यह टेप केवल करांची में ही बिका था इसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ और मेरे विचार में भद्र पुरुष इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे ।

श्री संतोष मोहन देव : श्री पासवान ने अपने प्रश्न में कहा था कि उनके समय में संबंध बहुत अच्छे थे । हमने कल श्री चरण सिंह और श्री मोरारजी देसाई के वक्तव्यों में देखा कि उस समय मंत्रालय किस प्रकार काम कर रहा था । क्या माननीय मंत्री को पता है कि एक समाचार पत्र में कहा गया है कि इस सभा के एक माननीय सदस्य पाकिस्तान से कुछ टेप लाये हैं और उन्हें दिल्ली में और देश के अन्य भागों में बजाया है और यदि हां तो माननीय मंत्री इस के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं ? यह समाचार कुछ समाचार पत्रों में छपा है और वे हाल ही में पाकिस्तान गये थे ।

श्री आर० वेंकटरामन : जो लोग इस टेप को इस देश में बजायेंगे उनके खिलाफ हम कड़ी कार्यवाही करेंगे । यदि यह बात हमारे ध्यान मे लायी गई तो हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे । यह प्रश्न विदेशों में जो हो रहा है उससे संबंधित है ।

श्री जगदीश टाइटलर : आपने अभी कहा कि आपने पाकिस्तानी को विरोधपत्र भेजा है और आपने राजदूत को बुलाया है । मुझे उन लोगों से पता चला है जो अभी पाकिस्तान की यात्रा पर गये थे कि ये टेप पाकिस्तान में सीमा-शुल्क की चोकी पर बिक रहे हैं । उन अरब देशों में भी ये टेप बिक रहे हैं । यदि आप यह कहते हैं कि पाकिस्तान को इसका पता नहीं है तो हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि यह टेप पाकिस्तानी अधिकारियों की मिलीभगत से बिक रहे हैं । इसलिये राजदूत को बुलाना और यह कहना कि यह नहीं होना चाहिये तथा आप इसकी जांच करेंगे, पर्याप्त नहीं होगा । मेरे विचार में और अधिक कड़ा विरोधपत्र भेजा जाना चाहिए और अन्य राजनयिक तरीके से भी इस मामले से निपटाना चाहिए । यह एक गंभीर मामला है । हम देखते हैं कि पाकिस्तान सरकार इससे कैसे इंकार करती है । इस तथ्य से कि यह टेप पाकिस्तान की सरकारी दुकानों में बिक रहे हैं, मेरे विचार में पाकिस्तानी अधिकारी इसको स्वयं प्रोत्साहित कर रहे हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने यह नहीं कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को इसका पता नहीं है । बल्कि पाकिस्तान में तो कड़ी सेंसरशिप है और यह टेप राज्यों की कम्पनियों द्वारा बेचे जा रहे हैं और हमने यह बात पाकिस्तान सरकार को दिये गए अपने विरोधपत्र में स्पष्ट कर दी है । अत: यह कहना ठीक नहीं है कि उन्हें इसका पता नहीं है । उन्हें इसका पता है और हमने यह बात उनके ध्यान में ला दी है ।

श्री जनार्दन पुजारी : भारत सरकार द्वारा भड़काने की कार्यवाही किए जाने के स्पष्ट संकेत मिले हैं । माननीय मत्री ने ठीक ही कहा है कि पाकिस्तान में सभी प्रकाशनों, टेप आदि का सेंसर होता है । अभी यह कहा गया था कि पाकिस्तान भारतीय इम्पायर की शरारत के कारण क्रिकेट का मैच हार गया । आपको पता है कि यह मैच पाकिस्तान बम्बई में हारा था तो इस प्रकार का प्रचार हो रहा है । क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान ने भारतीय अन्तरिक्ष में आक्रमण किया है । कुछ क्षेत्रों में हाल ही में गोलाबारी भी हुई है । क्या सरकार ने इन घटनाओं

की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया है और यदि हां तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है और अभी तक भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री आर० वेंकटरामन : प्रचार कितनी सीमा तक किया जा सकता है। यह इस वक्तव्य से ही स्पष्ट है कि किसी इम्पायर ने टैस्ट मैच का निर्णय पाकिस्तान के खिलाफ दे दिया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान किस स्तर पर हमारे विरुद्ध प्रचार कर रहा है। बाकी बातों के लिए जैसे गोलियां चली हैं आदि के लिए मैं नोटिस चाहूंगा।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान आज के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस न्यूज-आइटम की तरफ गया है जहां बताया गया है कि पाकिस्तान के श्री आगाशाही ने कुछ दिन पहले अपने एक वक्तव्य में कहा है—

"श्री शाही·····ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आदर्श स्थिति यह होगी कि अमरीका उनके देश की सभी हमलों से रक्षा करे और उन्होंने भारत से सम्भावित खतरे का स्पष्ट उल्लेख किया था।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनका ध्यान इस न्यूज-आइटम की ओर आकर्षित हुआ है तो उनका इस संदर्भ में क्या रीएक्शन है ?

श्री आर० वेंकटरामन : पाकिस्तान का रवैया भारत को बहाना बनाकर अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करना है। अभी उन्होंने 2.5 बिलियन डालरों के ऋण के लिए बातचीत की है। वे कह रहे हैं कि उन्हें अपनी राष्ट्रीय अखण्डता के लिए सैनिक सहायता चाहिए। और इस प्रकार वे ज्यादा से ज्यादा सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री जी ने ठीक ही इसकी निंदा की है। साथ ही इन्होंने कहा है कि इसका पाकिस्तान या अरब देशों की जनसंख्या पर कोई विपरीत प्रभाव न होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अरब देशों को कोई जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तान ऐसे घटिया प्रचार में लगा है।

श्री आर० वेंकटरामन : वास्तव में हम इसे उछालना नहीं बल्कि दबाना चाहते हैं। हम दूसरे देशों से इस बारे में बात नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। हमारी जानकारी है कि उन देशों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैंने आबूधाभी, दुबाई तथा अन्य देशों का उल्लेख किया है। अत: हमने इससे अधिक कुछ और करना जरूरी नहीं समझा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह है तथ्य कि यदि भारत-पाक युद्ध छिड़ जाता है तो सबसे अधिक खुशी पश्चिम के उन पूंजीवादी देशों जैसे अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी आदि को होगी जो शस्त्र बेचते हैं। इसीलिए मारग्रेट थेचर, कैरिंगटन और चालर्स की यात्राएं हो रही हैं। अचानक ही उनका हमारे से प्रेम जागा है। उन्होंने देश का बंटवारा किया और अब वही बातें

फिर कर रहे हैं। क्या मंत्री जी को जानकारी है कि मुरादाबाद दंगों के तुरन्त बाद दूरदर्शन के एक कैमरामैन को दिल्ली से मुरादाबाद ले जाया गया। उन्होंने मुरादाबाद में खराब स्थानों के जमकर चित्र लिए और उस फिल्म को चोरी से पाकिस्तान ले जाया गया। उसे लोगों को दिखाया जाता रहा। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विवरण क्या है ताकि छिपे तौर पर ऐसी शरारत न हो सके।

श्री आर० वेंकटरामन : खेद है, इस विषय पर मेरे पास जानकारी नहीं है। मुझे सूचना चाहिये।

श्री बीजू पटनायक : मुझे सन्देह है कि ब्रिटेन की प्रधान मंत्री ने जब बम्बई से प्रस्थान किया तो उस समय उन्होंने जो टिप्पणी की उस पर मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हथियार ले सकता है तो भारत भी ऐसा कर रहा है और वे अधिक हथियार क्यों नही लेते। ब्रिटिश सरकार ने नेपोलियन के कथनानुसार कि वह तो दुकानदारों और व्यापारियों की कौम है से स्पष्ट है कि वे यहां पर हथियारों की दौड़ चाहते हैं। मुझे सन्देह है कि मन्त्री जी सभा को आश्वासन देंगे कि हम इस प्रकार की दौड़ में शामिल होकर अपनी वित्तीय स्थिति खराब नहीं करेंगे।

श्री आर. वेंकटरामन : प्रधान मन्त्री जी ने बार-बार कहा है कि भारत अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करेगा और देश की रक्षा के लिए कोई भी अधिक व्यय नहीं समझा जाएगा। और अपनी रक्षा तैयारिसां सम्पूर्ण रखेंगे लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम शस्त्रों की अन्धी दौड़ में नहीं लगेंगे।

रेलवे विद्युतीकरण हेतु निगम

*912. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल पथों के विद्युतीकरण हेतु एक पृथक निगम की स्थापित करने पर विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो इसको कब स्थापित किये जाने की संभावना है, और

(ग) क्या आगामी पांच वर्षों के दौरान विद्युतीकरण के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसमें वित्तीय व्यय कितना होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। भारतीय रेलों पर विद्युतीकरण कार्यों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 450 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है।

श्री जगदीश टाईटलर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

मेरा प्रश्न यह था :

"(क) क्या सरकार रेल लाइनों के विद्युतिकरण के लिए अलग निगम बनाने पर विचार कर रही है ?"

प्रश्न का उत्तर यह है कि "जी; नहीं।"

यह गलत उत्तर है। मुझे पूरी जानकारी है कि सरकार इस कार्य के लिए एक अलग निगम बनाने पर विचार कर रही है। मुझे पता नहीं कि किसके प्रभाव में अलग निगम बनाने का कार्य रोक दिया गया है। मैंने इस आधार पर ही अनुपूरक उत्तर तैयार किए हैं। मैं अब एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह कहा गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में भारतीय रेलों के विद्युतिकरण के लिए 450 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है। इस समय अब देश में रेय की विद्युतिकरण की गई लाइनों पर कुल संख्या 26 प्रतिशत संभाल रहे हैं। क्या मन्त्री जो चार महानगरों अर्थात दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बीच बड़ी रेल लाईन के विद्युतिकरण को प्राथमिकता देंगे। इससे हम रेल की विद्युतिकरण की गई लाईनों पर 65 से 75 प्रतिशत यातायात को संभाल पायेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : मुझे निगम के बारे में मुझे पुनः कहने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके लिए हमारी कोई योजना नहीं है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है कि क्या छठी योजना में महानगरों के बीच रेल लाईनों का विद्युतिकरण किया जाएगा। मै सभा को सूचित कर देता हूं कि छठी योजना में हम 12 मार्ग चलायेंगे और उन 12 में से 6 का काम हो रहा है और अन्य 6 को 1981-82 की योजना में शामिल किया गया। सभा के लाभ के लिए मैं उन मार्गों के नाम पढ़ देता हूं जो लगभग 2800 किलोमीटर हैं। छठी योजना में लगभग 2800 किलोमीटर मार्ग का विद्युतिकरण किया जाएगा।

जिन मार्गों पर कार्य हो रहा है वे हैं :

1. वाल्टेयर-जगदलपुर
2. दिल्ली-मथुरा-झांसी
3. बदोदरा-रतलाम एवं गोदरा-आनन्द और अहमदाबाद-साबरमती
4. त्रिवेल्युर-आरकोणम
5. मथुरा-गंगापुरसिटी और
6. पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के चन्द्रपुर कम्पलेक्स क्षेत्र में कोयला और इस्पात वाले क्षेत्र

1981-82 में इन कार्यों की मंजूरी दी गई है :

1. सीतारामपुर-दानापुर-मुगल सराय
2. विजयवाडा-बेलमपल्ली-बलहर्शा
3. झांसी-बीना-इटारसी

4. गंगापुरसिटी-रतलाम

5. बभूसावल-नागपुर

6 आरकोणम-जोलारपेताई एवं मद्रास और आरकोणम के बीच माल और यात्री गाड़ी लाईनों को विद्युतिकरण और

7 आरकोणम-रेनीगुंटा-गुंटूर

यह लाईनों हैं जिनका एक भाग 2800 किलोमीटर का विद्युतिकरण किया जायेगा और छठी योजना में उसके लिये 450 करोड़ रूपये रखे गये हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है मुझे उसमें रुचि नहीं है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल लाइनों का विद्युतिकरण को प्राथमिकता दी जायेगा। मंत्री जी ने तो कहा है कि 2800 किलोमीटर का मार्ग लिया जायेगी लेकिन सर्वेक्षण के अनुसार पांच वर्षों में पांच हजार से दस हजार रेल लाइनों का विद्युतिकरण किया जायेगा। पता नहीं मेरे आंकड़े गलत हैं या मन्त्री जी ने गलत आंकड़े दिये हैं लेकिन मुझे निश्चित पता है कि 65-70 प्रतिशत माल और यात्री गाड़ियों की लाइनों का विद्युतिकरण होगा यदि चार महानगरीय नगरों को प्राथमिकता दी जाती है। मेरे विचार से प्राथमिकता अत्यन्त आवश्यक चीज है। यदि प्राथमिकता दी जाये तो 70 प्रतिशत यातायात को इन लाईनों से ले जा सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : मन्त्री जी के पास जो भी निश्चित जानकारी है वह सही है। योजनावधि में कुल 700 किलोमीटर रेल लाईनों का विद्युतिकरण किया जायेगा। पांच वर्षों में यह 5,000 से 10,000 किलोमीटर हो जायेगा। यह गलत अनुमान नहीं है। पेट्रोलियम और कोल उत्पादों आदि का उपभोग कम करने के लिये रेल लाईनों का विद्युतिकरण करने की बड़ी योजना है। हमारे पास मास्टर प्लान है और 1990 के अन्त तक आशा है कि लभभग 9,000 किलोमीटर लाइनों का विद्युतिकरण हो जायेगा लेकिन यह सब वित्तीय स्थिति पर निर्भर है। इस कारण हम और अधिक लाइनों का विद्युतिकरण नहीं कर सकते।

श्री जेवियर अराकल : में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन रेल लाईनों को किस आधार पर चुना गया है। आशा है और प्रार्थना है कि यह पूरी सूची नही होगी। क्या यह फालतू की बिजली है या इन लाइनों का विद्युतिकरण किस आधार पर किया जा रहा है। शायद मुझे इस बारे में अधिक पता नहीं है। केरल में विद्युत फालतू है। हम रेलवे से अनुरोध करते आ रहे हैं कि कोचीन से त्रिवेन्द्रम तक की लाइन का विद्युतिकरण किया जाये। यह आर्थिक दृष्टि से भी उपयुक्त है। क्या सरकार ने हमारे अनुरोध पर विचार किया हैं? इन लाइनों को किस आधार पर चुना गया? क्या छठी योजना में ली जाने वाली लाइनों की यह पूरी सूची है?

श्री मल्लिकार्जुन : पहले ट्रंक लाइनों को इस कार्य के लिए चुना गया है। मैंने जिन लाइनों का उल्लेख किया है, वे ट्रंक मार्ग पर है। केरल के सम्बन्ध में सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, देश के विभिन्न भागों में रेलों के विद्युतिकरण के

मामले में असंतुलन है पूर्वोत्तर रेलवे पर यह कार्य बिल्कुल भी नहीं किया गया। उसकी अवहेलना हुई है। मन्त्री जी और आप लोगों को पता है कि पूर्वोत्तर रेलवे में सारा उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल और सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र आ जाता है।

इस पावन सभा में मन्त्रियों तथा अन्य सदस्यों ने प्रायः कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र महत्व पूर्ण क्षेत्र है लेकिन। कि० मी० का भी विद्युतिकरण नहीं किया गया है।

छठी योजना में इन 2800 कि० मी० का भी 1 कि० मी का विद्युतिकरण नहीं किया गया।

क्या मन्त्री जी विभिन्न रेलवे में असंतुलन दूर करने हेतु एक अलग समिति बनाने पर सहमत होंगे। दूसरे क्या छठी योजना में पूर्वोत्तर सीमा रेल क्षेत्र में कम से कम कुछ कि० मी० लाइन के विद्युतिकरण कर फिर से विचार किया जायेगा।

रेल मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : जोर इस बात पर है कि अधिक रेल लाइनों का विद्युतिकरण किया जाये। यातायात के घनत्व को देखकर लाइनें चुनी गई हैं किसी क्षेत्रीय आधार पर नही। फालतू बिजली की उपलब्धता इसका आधार नहीं है जैसा कि पहले माननीय सदस्य ने कहा है।···व्यवधान···

यह क्षेत्रीय आधार नहीं हो सकता। जैसा मैंने कहा यह संसाधनों का प्रश्न है। हमारी नीति ईन्धन की बचत करना और रेलों को अधिक कार्य कुशल बनाना है।

यदि संसाधन उपलब्ध होंगे तो हम सभी राज्यों में खुशी से यह कार्य करेंगे। यह सब समय पर निर्भर है। मेरा यही कहना है।

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जन संख्या काफी बढ़ चुकी है, बसों की भी बहुत कमी है, मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में रिंग रेलें जो चलाई जा रही हैं, उनका विद्युतिकरण कब तक हो जायेगा जिससे जनता को सुविधा मिल सके ?

श्री मल्लिकार्जुन : रिंग रेलवे के विद्युतीकरण की जो बात है, रिंग रेलवे ने अभी कोई स्वरूप में तो लिया नहीं है, लिहाजा कोई चीज बताई नहीं जा सकती।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : गाँधी नगर गुजरात की राजधानी है ओर वह विकसित होता हुआ शहर है। सरकारी कर्मचारी ज्यादातर अहमदाबाद में रहते हैं, अहमदाबाद और गाँधीनर का फासला सिर्फ 30 किलोमीटर है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच की लाइन का विद्युतीकरण किया जायेगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : इस समय हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है जो कि गाँधीनगर से अहमदाबाद की लाईन का विद्युतीकरण कर सके।

श्रीमती कृष्णा साही : मन्त्री महोदय ने बताया है कि 2,000 किलोमीटर रेल लाइन के विद्युतीकरण की योजना में। मैं जानना चाहती हूं कि जो राशि आवंटित की गई है इसके लिये क्या उसमें रेल लाइन बिछाने का खर्च ही शामिल किया गया है या उसके साथ नई बोगी लगाने के काम को भी शामिल किया गया है ? दोनों पर कितना कितना खर्च होगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : 450 करोड़ रुपये रेल लाइन के विद्युतीकरण के लिये ईअर-मार्क किया गया है, इसमे कोचेज या दूसरी और कोई चीज आती नहीं है।

श्री प्रताप भानू शर्मा : अभी रेल मन्त्री जी ने कहा है कि विद्युतीकरण सम्बन्धी रेलवे की एक बड़ी योजना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना में रेल लाइनों के विद्युतीकरण सम्बन्धी बिजली की जरूरतों का अनुमान लगाया है। यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है और इस जरुरत को कैसे पूरा किया जायेगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक छठी योजना का प्रश्न है योजना आयोग ने सुपर बिजली घर लगाने के लिए भी ऊर्जा मंत्रालय को पर्याप्त राशि दी है। लेकिन इन लाइनों के विद्युतीकरण के लिए बिजली की कोई कमी नहीं होगी। योजनावधि में भी बिजली की कोई कमी नहीं होगी।

नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में सड़कों के लिए धनराशि का आवंटन

9।3 **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि .

(क) नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में, अलग अलग सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है,

(ख) क्या दिल्ली की सड़कों पर यातायात का भार नई दिल्ली की सड़कों की तुलना में अधिक है,

(ग) गत दस वर्षों के दौरान अलग-अलग दोनों क्षेत्रों के लिए सड़कों के विस्तार, मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है,

(घ) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र पर अधिकारियों द्वारा अधिक ध्यान दिया जाता है जबकि दिल्ली की इस बारे में प्रायः उपेक्षा की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका 1191 किलोमीटर) एक लेन की चौड़ाई की सड़कें
दिल्ली नगर निगम 12204 किलोमीटर)

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के अधिकार-क्षेत्र की अलग-अलग सड़कों पर यातायात की मात्रा अलग होती है।

(ग) पिछले 10 वर्षों में दी गई धनराशि इस प्रकार है :—

वर्ष	नई दिल्ली नगर पालिका	दिल्ली नगर निगम
	(लाख रूपये)	
1971-72	87	308
1972-73	143	370
1973-74	174	339
1974-75	181	368
1975-76	185	445
1976-77	253	555
1977-78	300	706
1978-79	234	886
1979-80	233	1090
1980-81	282	1293
कुल	2071	6360*

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं ने जो प्रश्न किया है बहरहाल उस का जो जवाब मुझे मिला है उस के सन्दर्भ में मैं कुछ कहना चाहूंगा। यह नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम जो हैं, आप को याद होगा, पुरानी दिल्ली में कभी इन्द्रप्रस्थ था, आज पुरानी दिल्ली में तो वह इन्द्रप्रस्थ खत्म हो गया और नई दिल्ली में इन्द्रपुरी या कोई और पुरी, इन्दिरा पुरी बन गई। नई दिल्ली की स्थिति और पुरानी दिल्ली की सड़कों की हालत आप देखेंगे तो बड़ा अजब सा दिखाई देगा। माननीय मंत्री जी थे कहा कि एनडी एम सी में 1991 किलोमीटर सड़क है। जो 12 फुट वाइड बतायी है और म्युनिसिपल कारपोरेशन आफ दिल्ली में 12204 किलोमीटर है। आगे आप कह रहे हैं कि

"नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र की अलग अलग सड़कों पर यातायात की मात्रा अलग अलग होती है। मैं ने इन से यह पूछा था कि दोनों की तुलना में किस पर अधिक भार है तो आप ने एक जवाब दे दिया कि सड़कों-सड़कों में भिन्नता है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि इन दोनों की तुलना में नई दिल्ली की सड़कों पर अधिक भार है, या दिल्ली की सड़कों पर भार है ? यह बात तो साफ होनी चाहिए।

* इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम के अधिकार-क्षेत्र में स्थित अन्य सड़कों के लिए दिल्ली प्रशासन ने 1971-72 से केन्द्रीय सड़क निधि, राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न अन्य सड़क निधियों से क्रमशः लगभग 666.60 लाख रुपये, 1106.45 लाख और 1862.59 लाख रुपये खर्च किए हैं।

दूसरे, आप ने जो एमाउन्ट दर्शाया है उस में यह कहा है—मैं टोटल बता रहा हूं—कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी को 207। लाख दिए हैं और म्युनिसिपल कारपोरेशन को 6360 लाख दिए हैं। इन की लम्बाई आपने खुद बता दी है कि 12204 किलोमीटर दिल्ली कारपोरेशन की सड़कों की लम्बाई है। तो औसतन कितना पड़ता है यह भी आप देख लें। एक जगह 12 हजार किलोमीटर और एक जगह 1 हजार किलोमीटर 1 हजार किलो मीटर पर आप 2 हजार लाख दे रहे हैं और 22 हजार किलोमीटर पर 6 लाख दे रहे है। तो दोनों की तुलना अलग है। आप ने एक जगह कहा है कि 1971-72 से सेन्ट्रल रोड फंड से नेशनल हाईवे की और सड़कें जो उस के जूरिस्डिक्शन में लोकेटेड हैं उन पर खर्च किया है, इसके बारे में आप न कहते तो ही अच्छा होता क्यों वह तो आप को मेन्टेन करना ही पड़ेगा, लेकिन दिल्ली की सड़कों की हालत इतनी भयानक और खराब है, ऐसी स्थिति में उस के लोड को देखते हुए क्या मंत्री महोदय विचार करेंगे कि इस एमाउन्ट को बढ़ाया जाय और सड़कों के रख रखाव को ठीक किया जाय? साथ ही इस के लोड को कम करने की कोई तजवीज खोजेंगे ?

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि जो मैं ने जवाब दिया है वह बिलकुल सही नहीं है और सारा ही मेरे ही जवाब से पढ़ कर उन्होंने साबित किया कि जो मैं ने जवाब दिया वह बिलकुल दुरुस्त है। आप ने पूछा है कि अधिक भार कारपोरेशन की सड़कों पर है या नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी की सड़कों पर है ? ये दोनों जो हिस्से महानगर के नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी हो या कारपोरेशन हो ये अलग अलग नहीं रहते हैं। ट्रैफिक कारपोरेशन की सड़कों पर भी बहुत होता है और वही ट्रैफिक जब ट्रैवेल कर के नई दिल्ली में आ जाता है तो वहां की सड़कों पर बहुत भार होता है। आपस में दोनों का इटर-डिपेंडेंस है। कारपोरेशन का ट्रैफिक जो है वह नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी में आता है क्योंकि सारे सरकारी दफ्तर सारे कार्मशियल सेंटर, सारे प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के आफिसेज नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी में हैं, इसलिए यह सोचना कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी का ट्रैफिक अलग है और कारपोरेशन का ट्रैफिक अलग है यह दुरुस्त नहीं होगा। भार दोनों ही सड़कों पर अधिक होता है।

आप ने इस का मुकाबिला कर के बताने की कशिश की कि जो एलोकेशन है वह कारपोरेशन की सड़कों पर कम है, तो जैसा यह लिखित स्टेटमेंट में दिया गया है नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी की सड़कों पर 2071 लाख रुपये और कारपोरेशन की सड़कों पर 6396 लाख रुपए दिये गए हैं और उस में यह जोड़ेंगे जैसा यह नीचे दिया गया है तो 3636 लाख उसमें और जुड़ जाते हैं।

तो कुल मिलाकर आपस में जो तुलना है, जो रेशियो है, जो किलोमीटर-लेंथ है वह 1:10 है। धन के आवंटन का अनुपात 1:6 होता है। छठी पंच वर्षीय योजना में यह 1:7 बैठता है।

अतः तुलनात्मक रूप में यह बढ़ रहा है। निगम की सड़कों का कार्य धन की मंजूरी के कारण बिलकुल नहीं रुक रहा। लेकिन नई दिल्ली क्षेत्र और नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र

में कार्य बढ़ रहा है। क्योंकि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कार्यालय इसी क्षेत्र में हैं। अत जन संख्या बढ़ने और दिल्ली क्षेत्र में अधिक केन्द्र खुलने से कार्य बढ़ रहा है। इसलिए सड़क विकास के लिए मंजूरी देते समय निगम और नगरपालिका दोनों की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक—यह छोटा हो तब उत्तर भी छोटा होगा।

श्री राकेश कुमार सिंह : मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न के भाग (घ) में पूछा था कि नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र पर अधिकारियों द्वारा अधिक ध्यान दिया जाता है जबकि दिल्ली की इस बारे में प्राय: उपेक्षा की गई है, जिसका मतलब यही है कि आपने इतना एमाउन्ट भी दिया उसके बाद भी रख रखाव अच्छा नहीं है, यह आप भी मानते हैं तो क्या आप ऐसी कोई जांच करवायेंगे जिससे वास्तविक स्थिति का पता लग सके और वहां की हालत सुधर सके ?

श्री बूटा सिंह : जी हां।

श्री जगदीश टाइटलर : मेरे विचार से दिल्ली में सभी विभाग भ्रष्ट हैं और यह बार बार सिद्ध होता है। किन्तु सम्पूर्ण देश में सर्वाधिक भ्रष्ट होने का श्रेय निगम को जाता है।

क्या यह सत्य नहीं है कि मन्त्री जी ने जिस धन का अभी उल्लेख किया है जो सड़कों पर व्यय हुआ है, वह उन लोगों की जेबों में गया है जो सड़क-निर्माण कार्य में लगे हैं, वे ठेकेदार से मिलकर कुछ लोगों को ठेके देते हैं। मुझे दिल्ली में एक विशेष सड़क का पक्का पता है जिसके लिए 3 वर्षों से टेन्डर मंगाये जा रहे हैं। हर वर्ष टेंडर की राशि बढ़ जाती हैं और दे दी जाती है लेकिन सड़क की मरम्मत अभी तक नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें किसी ऐसे मामले की जानकारी है या निगम इस बात के लिए कोई जांच की है कि क्या सड़क निर्माण के लिए रखी गई राशि का दुरुपयोग हुआ है और समान गैर-सरकार लोगों के हाथ में चला गया है।

श्री बूटा सिंह : हमारे मंत्रालय का उद्देश्य सीमित है। हम केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों की जाँच-पड़ताल करते हैं। सड़कों के निर्माण का कार्य तीन ऐजेंसियों अर्थात नई दिल्ली नगर पालिका, नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। माननीय सदस्य ने एक सड़क का जिक्र किया है। मैं इस मामले को देखूंगा और यदि कोई गलती पायी गई तो हम निश्चय ही कार्यवाही करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के प्रधानी···

अगला प्रश्न : श्री अशोक गहलोत···

अगला प्रश्न : श्री रामावतार शास्त्री

विभागीय खान-पान व्यवस्था

* 916. **श्री रामअवतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति विभागीय खान-पान व्यवस्था का धीरे-धीरे विस्तार करने की रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विद्यमान नियमों में ढील देते हुए खान-पान सम्बन्धी गैरसरकारी व्यवस्था शुरू करने के लिए कोई निर्णय लिया है,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो मुजफ्फरपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रैस और कुछ अन्य गाड़ियों में विभागीय खान-पान व्यवस्था को ठेकेदारों की गैरसरकारी खान-पान व्यवस्था में बदल दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

रेलों पर खान-पान सेवाएं विभागीय रूप में तथा ठेकेदारों द्वारा, दोनों प्रकार से प्रदान की जाती है । यद्यपि सरकार की नीति यह है कि विभागीय खान-पान सेवा के साथ-साथ ठेका प्रणाली की खान-पान सेवा में परस्पर सहयोग रहे और वे एक-दूसरे की पूरक बनें, फिर भी अधिकतर खान-पान सेवाएं ठेकेदारों द्वारा प्रदान की जाती हैं । विभागीय खान-पान सेवाए केवल कुछ विशेष चुने हुए स्टेशनों और गाड़ियों में ही चलायी जाती है ।

यदि कोई खान-पान स्थापना घाटे पर चलती है, तो पहले हानि में कमी लाने के प्रयास किये जाते हैं । यदि इन प्रयासों के बावजूद स्थापना की स्थिति में सुधार नहीं होता, तो विभागीय खान-पान सेवा को ठेकेदार द्वारा चलायी जाने वाली खान-पान सेवा मे बदल दिया जाता है । हानियों को कम करने के उद्देश्य से जयन्ती जनता एक्सप्रैस में चलती-फिरती खान-पान सेवा को प्राइवेट खान-पान सेवा में बदल दिया गया था ।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या सरकार ने खान-पान की विभागीय व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त करने का निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो पिछले दो वर्षों का विभागीय और ठेकेदारों की खान-पान की यूनिटों का ब्यौरा क्या है ? मैंने यह इसलिए पूछा है कि इसी से पता चल जायेगा कि धीरे धीरे आप इसको समाप्त कर रहे हैं या नहीं ।

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, जिस ढंग से माननीय सदस्य की कल्पना है, उस तरीके के सरकार का विचार नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मान्यवर, एक व्यक्ति को कितने लाइसेंस देने को सरकार की नीति है और क्या कटिहार के किसी अग्रवाल परिवार को विभिन्न नामों से 20 से भी अधिक लाइसेंस दिए गए हैं, क्या सरकार इसकी जांच करवाने को तैयार है ? जयन्ती जनत

एक्सप्रेस में, यह झूठ कहा गया है, कि घाटा होता है, बल्कि इसके नाम पर किसी चहेते को दिया गया है।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : महोदय, सरकार की नीति यह है कि यथा सम्भव सम्पूर्ण प्रणाली का विभागीयकरण किया जाये। जहाँ सम्भव न हो वहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं प्रश्न का उत्तर दूसरी सभा में दे चुका हूं यदि कोई··· (व्यवधान)।

श्री रामावतार शास्त्री : आपकी नीति क्या है ? कितने लोगों को दिया जायेगा ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ: यदि यह रुग्ण एकक है तो हम उसे अकेले व्यक्ति को देंगे। हमने इसे रोजगारोन्मुख योजना का रूप दिया है। विभाग के हितों के विरुद्ध जाने का प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजधानी में चल रही मिनी बसें

* 909 **श्री एन० ई० होरो** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को यह पता है कि राजधानी में मिनी बस के चालक बहुत अंधाधुंध बस चलाते हैं और खतरनाक ढंग से ओवरटेक करते हैं तथा असामान्य भोंपूओं का प्रयोग करते हैं, क्षमता से दुगुने यात्रियों को और कभी कभी इनसे भी अधिक यात्रियों को बस में चढ़ा लेते हैं जबकि बस के मालिक या चालक और संवाहक की सांठ-गांठ से पेशेवर जेबकतरे इन बसों में अपना काम करते हैं,

(ख) क्या सरकार को पता है कि अंधाधुंध बस चलाने से और खतरनाक ओवरटेकिंग से दिल्ली में हुई दुर्घटनाओं में से 80 प्रतिशत दुर्घटनाओं में मिनी बसें अन्तर्ग्रस्त होती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में मिनी बसों के कुछ परिचालकों की इस कदाचार में सांठ-गांठ पाई गई है।

(ख) चूंकि कुछ मिनी बसों की दुर्घटनाएं लापरवाही से ड्राइविंग करने और खतरनाक ढंग से ओवरटेक करने के कारण होती हैं, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि दिल्ली में 80 प्रतिशत दुर्घटनाएं मिनी बसों की होती हैं।

(ग) इसलिए कि दुर्घटनाएं न हो :-

(1) विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के लिए अलग अलग सड़कों पर अधिकतम गति सीमा यातायात की मात्रा के अनुरूप निर्दिष्ट की गई है।

(2) यातायात नियमों का प्रवर्तन तेज कर दिया गया है।

(3) ड्राईवरों, स्कूली बच्चों, पैदल चलने वालों को सड़क सुरक्षा शिक्षा, प्रदर्शनी, बैनरों, व्याख्यानों, इश्तहार काटने आदि के जरिए दी जाती है।

(4) पेशेवर कन्डक्टरों/ड्राईवरों को दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(5) दिल्ली में सभी मिनी बसों से स्पीड-गवर्नर लगाए गए हैं और निरीक्षण बोर्ड द्वारा दुरुस्ती प्रमाण-पत्र देते समय इनकी जांच की जाती है।

(6) 1980 में 15 मिनी बसों के, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र रद्द कर दिये गए थे।

(7) जहां तक मिनी बसों में चलने वाले जेबकतरों का प्रश्न है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस पर कड़ी निगाह रख रही है और अचानक छापे मार कर उनके विरुद्ध नियमित कार्रवाई कर रही है।

अधिकतम संख्या में बिना टिकट के यात्रियों वाले जोनों सम्बन्धी सर्वेक्षण

*914 **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे रेलवे जोनों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है जिनमें देश में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या सबसे अधिक है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या बिना टिकट के यात्रियों को पकड़ने के लिये कुछ जोनों में बिना टिकट यात्रा तथा खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चलाया गया है, और

(घ) यदि हां, तो गत दो महीनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने यात्री पकड़े गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : 1976-77 में की गयी नमूना जांच के आधार पर किये गये सर्वेक्षण से यह पता चला था कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर बिना टिकट यात्रियों की सख्या अधिकतम थी, तत्पश्चात पूर्वोत्तर और पूर्व रेलवे का स्थान आता है।

(ग) जी हाँ। सभी क्षेत्रीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा और खतरे की जंजीर खींचने के विरुद्ध अभियान गहन किया गया है।

(घ) फरवरी और मार्च, 1981 के महीनों के दौरान 4, 32, 696 व्यक्तियों को बिना टिकट यात्रियों के रूप में अथवा गलत टिकटों पर यात्रा करते हुए गिरफ्तार किया गया था।

जोधपुर रेलवे वर्कशाप

*915 **श्री अशोक कुमार गहलोत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे में जोधपुर में रेलवे वर्कशाप का विस्तार करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्कशाप का विस्तार करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है,

(ग) यदि हां, तो इस वर्कशाप में किन-किन वस्तुओं का निर्माण करने का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्तर रेलवे की मीटर आमान प्रणाली में वर्तमान क्षमता रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और इस प्रकार इसका विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिलासपुर कटनी सेक्शन पर अतिरिक्त रेलगाड़ियां

*917 **श्री दलबीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर-कटनी सेक्शन पर कुछ अतिरिक्त रेल गाड़ियां चलाने का विचार है ताकि इस सेक्शन पर बिलासपुर के मजदूरों की भारी भीड़ की आवश्यकता पूरी की जा सके, और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) जी नहीं। बिलासपुर-कटनी खन्ड पर कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस खन्ड से प्रारम्भिक यातायात की वर्तमान मात्रा की आवश्यकताएं पर्याप्त ढंग से पूरी हो जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हृदय रोगों की रोकथाम के बारे में सम्मेलन की सिफारिश

*918 **श्रीमती प्रमिला दन्डवते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थोरासिक और कार्डियो वेस्कुलर सर्जनों के पांचवें एशियाई सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्तर्राष्ट्रीय हृदय रोग विशेषज्ञों के दल के अनुसार दिल के दौरे की बढ़ती हुई घटनाओं का एक मात्र कारण हृदय रोगों के प्रति "ए जेनेटिक प्रिडिस्पोजीशन" है न कि केवल मद्यपान सिगरेट पीना अथवा अधिक चिकनाई की मात्रा वाले आहार; और

(ख) यदि हां, तो हृदय रोगों की रोकथाम के बारे में सम्मेलन की सिफारिशें क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्मेलन में कुछेक तकनीकी लेख प्रस्तुत किये गये थे और उन पर चर्चा की गई थी। कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

कुष्ठरोग निवारक कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भाग लिया जाना

*919 **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार की नीति कुष्ठ रोग स्वयंसेवी सर्वेक्षण, शिक्षण तथा उपचार केन्द्र सहायता अनुदान योजना में उपयुक्त स्वयं-सेवी संगठनों को भागीदार को प्रोत्साहित करने की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के पूर्णकालिका एवम् पूरी तरह प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं को आरम्भ में तथा 10 वर्ष कार्य करने के बाद सरकारी वेतनमानों की तुलना में किस दर पर मासिक परिलब्धियां मिलती है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई विषमतायें हैं तो सरकार का विचार उन्हें कब दूर करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री : (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2413/81]

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित ये वेतनमान भी वे वेतनमान ही है जो उन राज्यों में अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समान स्तर, अर्हताओं और अनुभवों वाले पदों के वेतनमान है। स्वेच्छिक कार्यकर्त्ताओं की सेवा शर्तें सरकारी कार्यकर्त्ताओं की सेवा शर्तों के समान नहीं है; इसलिए उनकी सीधी तुलना करना सम्भव नहीं है।

रेलगाड़ियों में खान-पान सेवा

*920 **श्री सुभाष यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा चार अत्यन्त महत्वपूर्ण गाड़ियों की पैंट्री कारों का निरीक्षण किये जाने पर रेलगाड़ियों में असन्तोषजनक खान-पान सेवा की कटु आलोचना की गई थी,

(ख) यदि हां, तो उसने किन-किन गाड़ियों का निरीक्षण किया तथा उसे किन दोषों का पता लगा, और

(ग) उसमें सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) चल यूनिटों सहित खान-पान वेंडिंग स्थापनाओं का आवधिक निरीक्षण किया जाता है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी शामिल है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी त्रुटियों को ठीक कर दिया जाता है और उन पर समुचित कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

हथकरघा कपड़े की 118 गांठों की चोरी का उत्तरदायित्व

*921 **श्री राम पियारे पनिका** : क्या रेल मंत्री रेलवे प्रशासन के विरुद्ध दावों के बारे में 11 अप्रैल, 1978 के अतरांकित प्रश्न संख्या 6419 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा कपड़े के आठ बंडलों के बारे में अनुशासन और अपील नियमों के अधीन की गई जांच ने तत्कालीन मुख्य पार्सल क्लर्क, नई दिल्ली और अन्य सम्बन्ध कर्मचारियों को जिम्मेदार पाया था और उन्हें उनकी चोरी के लिये उत्तरदायी ठहराया,

(ख) क्या पार्सल गोदाम से गुम पाई गई हथकरघा कपड़े की 126 गांठों, पीतल के परेषणों अथवा अन्य विभिन्न वस्तुओं का कुल मूल्य 8,04,256 रुपये था,

(ग) क्या शेष 118 हथकरघा कपड़ों की गांठों तथा पीतल के परेषणों और अन्य विविध वस्तुओं के बारे में अनुशासन और अपील नियमों के अधीन की गई जांच से तत्कालीन मुख्य पार्सल क्लर्क, नई दिल्ली तथा अन्य सम्बन्ध पार्सल कर्मचारियों को जिम्मेदार पाया गया था।

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) हथकरघा कपड़े की 118 गांठों और पीतल के परेषणों की चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराए गये तत्कालीन मुख्य पार्सल क्लर्क, नई दिल्ली तथा अन्य सम्बन्ध पार्सल कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदी कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (ङ) जी नहीं। इस मामले की छानबीन की जा रही है।

कोरुक्कापेट में कोयले के लिए प्लांट का आवंटन

*922 **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु ब्रिक एन्ड टाइल्स मैन्युफैक्चर्स इन्डस्ट्रियल सर्विस कोआपोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मद्रास की ओर से, कोयले का भन्डार करने के लिये कोरुक्कापेट गुड्सशेड मद्रास में एक प्लाट के आवटन हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था,

(ख) यदि हां तो उक्त अभ्यावेदन कब दिया गया था, और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। जनवरी, 1975 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) तमिलनाडु ब्रिक एन्ड टाइल्स मैन्युफैक्चर्स इण्डस्ट्रियल सर्विस को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मद्रास को कोयले के चट्टे लगाने के लिए माल गोदाम क्षेत्र के निकट 7500 वर्ग फुट भूमि देने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन, सोसायटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दवाएं खरीदने के लिए धनराशि की कमी

*923 **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के पास पर्याप्त मात्रा में दवाएं खरीदने के लिए धनराशि की कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो संस्थान में दवाओं की कमी की समस्या हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री : (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

धनबाद-सिन्दरी लाईन पर चल रही माल गाड़ियां

*924 **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1981 में धनबाद-सिन्दरी लाईन पर दोनों पाथरडीह और प्रधान खूंटा होकर प्रतिदिन औसतन चलने वाली मालगाड़ियों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पूरे महीने में कितना माल ढोया गया,

(ख) क्या यह सच है कि धनबाद-गोमो लाईन की माल वाहन क्षमता को देखते हुए यह बहुत कम है,

(ग) यदि हां, तो जनवरी, 1981 के लिये के लिये तुलनात्मक आंकड़ों समेत तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार का विचार धनबाद-सिन्दरी लाइन की अप्रयुक्त लाईन क्षमता का वहाँ कुछ पैसेंजर रेल गाड़ियाँ चलाकर इस्तेमाल करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनवरी 1981 में धनबाद-प्रधानखंटा-सिन्दरी खंड पर अप ओर डाउन दोनों दिशाओं में प्रतिदिन चलने वाली मालगाड़ियों की संख्या प्रत्येक ओर 6—6 गाड़ियां थी। धनबाद-लौडा-पाथरडीह खन्ड पर दोनों दिशाओं में तीन कोल पाइलेट चलते हैं और शंटिंग आदि के कारण ये काफी समय तक इस खंड को घेरे रहते है। पहले खंड पर दोनों दिशाओं में प्रतिदिन लगभग 390 माल डिब्बे तथा दूसरे खन्ड पर लगभग 180 माल डिब्बों ढुलाई की गयी थी।

(ख) धनबाद-गोमो लाईन की क्षमता न तो प्रधान खंटा के रास्ते और न ही पाथरडीह के रास्ते धनबाद सिन्दरी खंड पर माल गाड़ियों के चालन के उपयुक्त है क्योंकि पहला खंड ग्रांड फोर्ड पर स्थित है जबकि सिन्दरी शाखा लाइन पर स्थित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सिन्दरी तक पेसेंजर गाड़ियों चलाने के लिए धनबाद-पाथरडीह पेसेंजर रेलपथ को सिन्दरी तक बढ़ाना पड़ेगा जिसके लिए भारी निवेश करना आवश्यक होगा। इस पेसेंजर लाईन को गुड्स शेड से विलग तथा अलग-अलग रखना पड़ेगा ताकि पाथरडीह विन्यास यार्ड, जहां भारी मात्रा में कोयला यातायात सम्हाला जाता है, के कार्य संचालन पर दुष्प्रभाव न पड़े। इसके अलावा, सिन्दरी में पेसेंजर रेकों की सफाई-धुलाई और अनुरक्षण की सभी सुविधाओं सहित एक नये टर्मिनल का विकास करने के अलावा प्लेट फार्मो तथा यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरा मार्ग अर्थात धनबाद-प्रधान खंटा-सिन्दरी मार्ग फिलहाल केवल माल गाड़ियों के चालन के लिए ही उपयुक्त है और यात्री गाड़ियां चलाने के लिए न केवल पूंजी और आवर्ती व्यय निहित है, अपितु, अच्छी सड़क सेवाएं, जो महत्वपूर्ण स्थानों को परस्पर मिलती हैं, उपलब्ध होने के कारण जिनकी वजह से इस खन्ड के अलाभप्रद सिद्ध होने की सम्भावना है, यात्री गाड़ियों के लोकप्रिय होने की सम्भावना नहीं है।

विभिन्न जोनों में बिना टिकट यात्रा

*925 **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में 31 मार्च, 1981 तक वर्षवार विभिन्न रेलवे जोनों में (जोनवार) कुल कितने व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते पाये गये,

(ख) प्रत्येक वर्ष में (जोनवार) उनसे कुल कितनी राशि जुमाने के रूप में वसूल की गई,

(ग) क्या यह सच है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है,

(घ) उसके मुख्य कारण क्या हैं, और

(ङ) निरीक्षण कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)

(क) बिना टिकिट या गलत टिकिट पर यात्रा करते हुए पाए गए यात्रियों की संख्या

रेलवे	1978-79	1979-80	1980-81
मध्य	3,11,496	3,04,009	3,39,298
पूर्व	4,16,572	4,42,319	5,08,037
उत्तर	2,33,831	2,41,401	3,40,319
पूर्वोत्तर	1,03,703	1,09,471	1'09,691
पूर्वोत्तर सीमा	72,172	62,821	64.0ग2
दक्षिण	1,43,167	1,55,454	1,64.412
दक्षिण मध्य	1,32,106	1,35,992	1,57,705
दक्षिण पूर्व	2,72,423	2,80,323	2,97,665
पश्चिम	4,17,513	4,10,789	4,77,976
जोड़	21,02,983	21,42,579	24,59,168

(ख) 1- वसुल की गई अतिरिक्त प्रभार की राशि

	(रु०)	(रु०)	(रु०)
मध्य	28,93,716	27.51,179	32,36,984
पूर्व	26,26,178	29,41,825	36,12,130
उत्तर	22,22,104	23,30,219	34,38,893
पूर्वोत्तर	9,26,643	9,47,331	9,35,222
पूर्वोत्तर सीमा	5,86,347	5,23,970	5,61,482
दक्षिण	14,42,509	15,80,237	16,75,405
दक्षिण मध्य	11,84,296	12,40,883	14,68,211

रेलवे	1978-79 (रु०)	1979-80 (रु०)	1080-81 (रु०)
दक्षिण पूर्व	18.38,420	19,02,704	20,24,570
पश्चिम	36,14,163	37,38,153	44,14,619
जोड़	1,73.34,376	1,79,56,501	2,13,70,525
(2) वसूल किया गया अदालती जुर्माना :			
मध्य	1,27,636	1,92,094	2,86,553
पूर्व	5,13,122	6,10,730	7,25,166
उत्तर	3,18,351	4,94,702	8,54,053
पूर्वोत्तर	3,47,198	6,81,775	9,42,934
पूर्वोत्तर सीमा	(4,753	61,189	58,394
दक्षिण	32,470	50,874	44,515
दक्षिण मध्य	28,422	25,436	34,340
दक्षिण पूर्व	44,936	69,243	54,435
पश्चिम	1,89,622	1,30,942	2,56,926
जोड़	16,66,510	23,16,985	29,57,316

(ग) और (घ) : पूर्ववर्ती 1975-76 और 1976-77 के वर्षों की तुलना में 1977-78 और उससे आगे के वर्षों के दौरान देश में अनुसंधान में आम गिरावट के कारण बिना टिकिट यात्रा में वृद्धि हुई है।

(ङ.) टिकिट जांच में कड़ाई बरती गई है और इसे युक्तियुक्त किया गया है। इसके फलस्वरूप, 1980-81 में खास तौर से फरवरी और मार्च, 1981 के दौरान कीर्तिमान संख्या में बिना टिकिट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ा गया। इसमें सुधार जारी है।

काण्डला पत्तन पर नमक के लदान की सुविधाएं

956. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काण्डला में बड़े पैमाने पर नमक के लदान की सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण, कच्छ क्षेत्र अच्छी किस्म के नमक का निर्यात करने में असमर्थ हैं,

(ख) क्या सरकार का विचार कांडला पत्तन पर लदान की दर बढ़ाने तथा मैकेनिकल लोडिंग में वृद्धि करने का है जिससे कि बड़ी मात्रा में नमक का निर्यात किया जा सके, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) कांडला पत्तन पर परपरागत साधनों से नमक का लदान करने की प्रतिदिन का का औसत दर लगभग 1500 टन है जो जहाजों में ढुलाई के लिए इस समय दी जा रही नमक की मात्रा को देखते हुए पर्याप्त समझी गई है। कांडला पत्तन पर मशीनों द्वारा नमक का बदान करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की स्थापना करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

दरभंगा-समस्तीपुर लाइन का बदला जाना

927. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री दरभंगा-समस्तीपुर लाइन को बदले जाने के बारे में 26 मार्च, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 5740 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा-समस्तीपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलन के लिये मंजूर की गई 60 लाख रूपयों की राशि को खर्च कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान इस परिवर्तन के लिए क्या विशिष्ट कार्य किये जाने हैं और इसके लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है,

(घ) सकरी-हसनपुर लाइन के लिये कौन सी भूमि अधिग्रहत कर ली गई है और इसके लिये बिहार सरकार ने कितनी राशि का योगदान दिया हैं,

(ङ) क्या कोसी नदी पर रेल एवं सड़क के पुल के लिये कभी कोई सर्वेक्षण किया है, और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) 1981-82 के दौरान समस्तीपुर-दरभंगा लाइन के परिवर्तन पर 20 लाख रूपये का परिव्यय है और वर्ष के दौरान रेलवे इसी सीमा तक खर्च कर सकती हैं। 60 लाख रूपये का एक तात्कालिनता प्रमाण-पत्र स्वीकार किया गया था ताकि विस्तृत अनुमान की स्वीकृति मिलने तक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

(ख) इस निर्माण कार्य के लिए 1981-82 के दौरान 10.00 लाख रूपये आवंटित किये गए थे। 31. 3. 81 तक लगभग 14 लाख रु० खर्च किया जा चुका है। यह खर्च औजार और

संयंत्रों की खरीद, फील्ड कर्मचारियों के लिये कार्यालय की स्थापना और अन्य आवश्यक सामग्रियों की खरीद करने और अन्तिम स्थान सर्वेक्षण पूरा करने के लिए तैनात कर्मचारियों पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में किया गया।

(ग) मिट्टी के काम, पुलों और पुलियों, सीमेंट और अन्य सामग्रियों के लिये गोदामों के निर्माण 1981-82 के दौरान किये जायेंगे। इस प्रयोजन के लिए 20.00 लाख रूपये परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) अन्तिम स्थान सर्वेक्षण कार्य पूरे किये जा चुके है और बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहण के लिए भूमि के नक्शों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है जिन्हें वह निःशुल्क उपलब्ध करायेंगे। भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली अंशदान की राशि मालूम हो सकेगी।

(ङ) और (च) : कोसी नदी पर पुल का निर्माण करने के लिए पहले ही 1972 और 1977 के दौरान दो सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। परियोजना रिपोर्ट से मालूम होता है कि यह योजना अर्थक्षम नहीं है, इसलिए इस पर आगे कोई कार्यवाई नहीं की गई।

चिकित्सा भंडार संगठन में रिक्त पद

8385. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा भण्डार संगठन में श्रेणी– 1, 2, 3, 4, की उन पदों का डिपो-वार ब्योरा क्या है जो अभी भी खाली पड़े हैं और ये कब से खाली पड़े हैं;

(ख) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनमें से कितने पद आरक्षित हैं ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद अब भी खाली पड़े हैं? और

(घ) यदि हां, तो कब से और समय पर कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं तथा इन रिक्त पदों को कब भरा जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) से (घ) : चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन में वर्ग-एक (समूह 'क') और वर्ग-दो (समूह 'ख') के जो पद अब तक खाली पड़े हैं, उनकी डिपोवार सूचना नीचे दी गई है:—

डिपो का नाम	रिक्त पदों का ब्यौरा और ये पद कब से खाली पड़े हैं। श्रेणी-एक श्रेणी-दो (समूह क'समूह'ख'	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या	वर्तमान स्थिति
करनाल	डिपो प्रबन्धक (1.1.81)	अनुसूचित जन- —	मार्च, 1981 में संघ लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजागया है
मद्रास	फैक्ट्री प्रबन्धक –	—	इस पद के पदधारी को हैदराबाद में उपसहायक महानिदेशक के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है। कोई भी विभागीय उम्मीदवार इस पद पर पदोन्नति का पात्र नहीं है। स्पष्ट रिक्ति न होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग को मांगपत्र नहीं भेजा जा सका।
बम्बई	— वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (4.9.79)	अनुसूचित जन- जाति	संघ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जनजाति का कोई भी उम्मीदवार साक्षात्कार में नहीं आया। मई 1981 में संघ लोक सेवा आयोग को एक नया मांगपत्र मेजा जायेगा।
यह पद तदर्थ आधार पर भरा जा रहा हैं।			
गोहाटी	– वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (19.9.79)	—	यह पद पदोन्नति देकर भरा जा रहा है।
	सहायक डिपो प्रबन्धक (1.4.81)	—	यह पद भरने के लिये स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।
	लेखा अधिकारी (1.8.80) प्रतियुक्त पद	—	इस पद को कई बार परिपत्रित करने पर केवल एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक समूह 'ग, और 'घ' पदों का सम्बन्ध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता से कुछ दूर लकेश्वर के डूब जाने में निहित षड्यंत्र

8386. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, मशीनीकृत जलपोत 'लंकेश्वर' के 29 अप्रैल, 1979 को कलकत्ता से कुछ दूर सन्देहप्रद परिस्थितियों में डूब जाने में उक्त पोत के मालिकों द्वारा सरकार तथा बीमा कंपनी को धोखा दिये जाने के षड्यंत्र के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) **और (ख)** : बीमा कंपनी से दावे का रुपया वसूल करने के लिए यन्त्रीकरण जलपोत 'लंकेश्वर' के 29 अप्रैल, 1979 को रहस्यमयी परिस्थितियों में डूब जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार से संबंधित बीमा कंपनी से मामले को उठाया है। बीमा कंम्पनी द्वारा नियुक्त किए सर्वेक्षण द्वारा अभी जांच पूरी नहीं की गई है। जल परिवहन विभाग कलकत्ता के प्रधाना अधिकारी द्वारा पोत के डूबने के बारे में प्रारंभिक जांच की गई थी जिससे यह पता चलता है कि जहाज समुद्र की राही स्थितियों में रवाना हुआ तथा सम्भवत: जोड़ों के खुलने से पानी के जहाज के ढांचे में घुस जाने के कारण डूब गया।

तापीय बिजली केन्द्रों के लिए कोयला

8287. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मार्च में तापीय बिजली केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिए और अधिक वैगन उपलब्ध कराने का निर्णय किया था,

(ख) यदि हां, तो मार्च तथा अप्रैल, 1981 में तापीय बिजली केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिए कितने वैगन दिए गए थे, और

(ग) इस से स्थिति में कितना सुधार हुआ है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : मार्च, 1981 में प्रतिदिन कोयले के 3831 माल डिब्बों का लदान किया गया था। अप्रैल में इसकी ढुलाई का यही स्तर बनाये रखने की सम्भावना है। मार्च, 81 से पहले के 6 महीनों के दौरान इनकी ढुलाई का स्तर प्रतिदिन 3348 माल डिब्बे था।

गुर्दा रोग में वृद्धि तथा गुर्दा प्रतिरोपण केन्द्र

8388. **श्री जयराम वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुर्दा रोग की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रोगी के जीवन को बचाने के लिए केवल दो विकल्प ही रह जाते हैं अर्थात डायलेसिस अथवा गुर्दे का प्रतिरोपण जो दोनों ही बहुत कीमती विकल्प हैं ;

(ग) प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त होते हैं ; और ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है जहां पर गुर्दे के प्रतिरोपण की सुविधाएं हैं और उनमें से कितने केन्द्रों को केन्द्र-सरकार द्वारा

चलाया जाता है अथवा उनके लिए वित्त दिया जाता है और वे कहां पर स्थित हैं ;

(घ) इन केन्द्रों में एक वर्ष में गुर्दा प्रतिरोपण संबंधी कितने आपरेशन किये गये ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में मृत्यु के पश्चात गुर्दे को दान करने की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कानून बनाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) गुर्दे के रोग अधिसूच्य रोग नहीं है। इसलिए इस रोग के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) गुर्दे के तरह-तरह के रोगों, जैसे तीव्र वृक्कशोथ, अन्य प्रकार के वृक्कशोथ और अपवृक्कता तथा गुर्दे के विविध (संक्रामक रोगों का राज्यों के भिन्न-भिन्न अस्पतालों में उपचार किया जाता है। डायलेसिस अथवा गुर्दे के प्रतिरोपण की तो बहुत ही गंभीर मामलों में जरूरत होती है। ऐसे उपचार में बहुत अधिक खर्च आता है।

(ग) चूंकि गुर्दे के रोग अधिसूच्य रोग नहीं हैं इसलिए प्रतिवर्ष इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या के निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार गुर्दे के प्रतिरोपण की सुविधाएं निम्नलिखित संस्थाओं में उपलब्ध है :

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (वित्त व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है)

(2) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ (वित्त व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है)

(3) क्रिश्चियन मेडिकल कालेज अस्पताल, वेलोर (प्राइवेट)

(4) बम्बई अस्पताल, बम्बई (प्राइवेट)

(5) जसलोक अस्पताल, बम्बई (प्राइवेट)

(घ) अधिप्रमाणित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कैंसर के नये अस्पतालों का खोला जाना

8389. **श्री बाबा साहिब बिखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में कैंसर के नये अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो कैंसर का इलाज करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य प्रभावी उपाय करने का विचार है ; और

(ग) प्राइवेट संस्थानों तथा सरकारी विभागों में कैंसर के कितने अस्पताल चल रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर):

(क) जी, नहीं।

(ख) कैंसर का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने 1975 में एक कार्यक्रम चलाया था जो कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। प्लान के अन्तर्गत धन उपलब्ध होने तथा सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर भारत सरकार निम्नलिखित को वित्तीय सहायता देती है :

1. वर्तमान कैंसर संस्थानों का विकास करके उन्हें क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्र बनाने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए पहले ही चुन लिया गया है :—

1. चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता	1975
2. कैंसर संस्थान, मद्रास	1975
3. रोटरी कैंसर अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	1975
4. कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	1980
5. गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	1980
6. कैंसर विंग, मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम	1980
7. एम० सी० बी० मेडिकल कालेज अस्पताल, कटक	1980
8. डा० बी० कैंसर संस्थान गोहाटी	1980
9. किदवई मेमोरियल इनस्टीट्यूट आफ आनकालोजी, बंगलौर	1980

2. राज्यों-संस्थाओं को, निर्धारित शर्तें पूरी करने पर रोटेटिंग हेड और कोलीनेशन सुविधाओं वाले कोबाल थेरापी यूनिट लगाने के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। अब तक 13 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 16 यूनिट खोलने के लिए सहायता दी जा चुकी है।

3. जो राज्य/संघ शासित क्षेत्र/संस्थाएं निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर उपकरण मंगवाने के लिए 'कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले केन्द्र'' खोलने की इच्छुक होती हैं, उन्हें प्रत्येक केन्द्र के लिए 50 हजार रुपये तक सहायता दी जाती है। इस योजना में यह भी व्यवस्था है कि बड़े-बड़े राज्य तो ऐसे तीन-तीन केन्द्र, मध्यम आकार वाले राज्य तो ऐसे दो-दो केन्द्र और छोटे राज्य ऐसा एक-एक केन्द्र खोल सकते हैं। अब तक पांच राज्यों में ऐसे 8 केन्द्र खोले जा चुके हैं।

4. देश के विभिन्न क्षेत्रों में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के समग्र नियन्त्रण में 3-4 कैंसर रजिस्ट्रियां खोली जाएंगी।

5. कैंसर के उपचार हेतु परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के अनुसंधान कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 142 संस्थाओं में कैंसर के रोगियों के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

रेलवे गोदामों में तापीय विद्युत उपकरण

8390. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोड़ रुपए मूल्य के तापीय विद्युत उपकरण रेलवे के गोदामों में पड़े हैं और राजस्थान सरकार सितम्बर, 1980 से इन उपकरणों के न छोड़ जाने के कारण 5000 रु० प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों का ब्यौरा क्या है तथा आज तक इस माल की सुपुर्दगी न लेने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा विलम्ब शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : केबुल ड्रम, पाइप और मशीनों के पुर्जों के 20 परेषण 2.10.80 और 13.2.81 के बीच माल डिब्बों से उतारे गए और कोटा स्टेशन पर बिना सुपुर्दगी के पड़े हुए हैं, जिन पर स्थान शुल्क लग रहा है। बिजली के सामान, ट्रांसफार्मर और मशीनों के पुर्जों के 13 पोषण 22.10.80 और 3.2.81 के बीच माल डिब्बों से उतारे गये और कोटा मंडल के गुलां स्टेशन में बिना सुपुर्दगी के पड़े हुए हैं जिन पर स्थान शुल्क लगरहा है।

सिविल इन्जीनियरिंग विभाग के कर्मचारी

8391. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 से 20 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बावजूद भी सिविल इंजीनियरिंग विभाग में अनेक रेल कर्मचारियों को अभी भी स्थायी किया जाना है,

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 19 सितम्बर, 1975 को एक संकल्प सं० एस० आर० बी०-1075 एक्स जारी की है जिसमें कहा गया है कि सेवा में स्थायीकरण का लाभ स्थाई पदों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने एक पद अथवा किसी संवर्ग के पदों पर तीन वर्ष से अधिक निरन्तर सेवावधि पूरी कर ली है सम्पूर्ण पेंशन लाभों सहित अन्य प्रयोजनों के लिए स्थाई समझा जाना चाहिए, और

(ग) क्या मंत्रालय का प्रस्ताव इस आशय के आदेश जारी करने का है कि सेवा में स्थाई करण स्थाई पदो की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रखनी चाहिए तथा किसी संवर्ग पद अथवा पदों पर तीन एर्ष की निरन्तर सेवा पूरी करन वाले रेल कर्मचारियों को पूरे पेंशन लाभ दिये जाने चाहिएं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। किन्तु ऐसा आमतौर पर प्रभारित्त पदों के मामले में होता है, जहां कार्य केवल सीजन में ही होता है, इसलिए इन पदों को स्थाई पदों में नहीं बदला जा सकता।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तें केन्द्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों से भिन्न होती हैं, इसलिए इस सम्बन्ध में एकरूपता नहीं लाई जा सकती।

सहायक महानिदेशालय, खाद्य अपमिश्रण

8392. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सहायक महानिदेशालय, खाद्य अपमिश्रण (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशलय) कब से इस पद पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) उन्होंने इस विभाग में कार्यभार कब सम्भाला और क्या यह सच है कि वह तब से वहां ही काम कर रहे हैं;

(ग) क्या उनका क्रम से स्थानान्तरण किया जाना अपेक्षित हैं, यदि हां, तो पिछली बार उनका क्रम से कब स्थानान्तरण किया गया था और यदि नहीं किया गया तो उनको उस ही शाखा में लगातार काम करते रहने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनके विरूद्ध सतर्कता संबंधी कोई मामले विचाराधीन पड़े हैं यदि हां, तो उनका मुख्य ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या यह पद अत्यधिक 'सवेदनशील, है जिसमें जनता के साथ व्यवहार शामिल है, यदि हां, तो उनके वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर कब भेजा जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) वर्तमान सहायक महानिदेशक, खाद्य अपमिश्रण (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) 25 अप्रैल 1975 से इस पद पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) उन्होंने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सहायक सचिव (खाद्य अपमिश्रण निवारण के रूप में 14 अप्रैल, 1964 को कार्यभार सम्भाला था। तत्पश्चात उन्हें क्रमश: 6.1,1972 से उपसहायक महानिदेशक (खाद्य अपमिश्रण निवारण) के पद पर नियुक्त किया गया था।

भर्ती नियमों के अनुसार सहायक महानिदेशक का पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर वर्तमान पदधारी को इस पद पर 4 मार्च, 1976 से नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने 3.3 1978 को दो वर्ष की परिविक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली थी।

(ग) सहायक महानिदेशक (खाद्य अपमिश्रण निवारण) का पद एक इक्का-दुक्का पद है, इसलिए इस पदधारी का क्रम से स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।

(घ) चूंकि इस मामले की जांच की जा रही है, इसलिए इसके बारे में कोइ ब्यौरा बतलाना जनहित में नहीं होगा।

(ड.) सहायक महानिदेशक (खाद्य अपमिश्रण निवारण) का कार्य खाद्य मानकों का अनुरक्षण रखना और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को लागू करना है और इस प्रकार इसमें कुछ हद तक··· जनता के साथ व्यवहार भी करना पड़ता है। वर्तमान सहायक महानिदेशक (खाद्य अपमिश्रण निवारण) को किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है।

अधीक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

8393. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन ने रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में। जनवरी, 1979 और। जून, 1979 से दिसम्बर 1979 में आदेश जारी करके अधीक्षक के पदों का दर्जा बढ़ाकर 700-900 कर दिया और मुरादाबाद डिवीजन में इन्जीनियरिंग वर्क्स शाखा के लिए एक कार्यालय, अधीक्षक का पद नियत किया,

(ख) यदि हां, तो क्या डी० एम० एस० कार्यालय, मुरादाबाद में कार्यालय अधीक्षक का पद वस्तुतः वर्क्स ब्रांच के कर्मचारियों के अधीक्षकों में से नहीं भरा गया था,

(ग) यदि हां, तो उसके क्य कारण हैं, और

(घ) मामले को ठीक करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) चूंकि पैनल में शामिल किये गये सभी सहायक अधीक्षक (निर्माण) पहले से ही अपनी शाखाओं में पदोउन्नत किये जा चुके हैं, इसलिए शेष पदों, जिसमें कार्यालय अधीक्षक मुरादाबाद का पद भी शामिल है, को भरने के लिए पैनल पर अब और कोई उपलब्ध नहीं है।

(घ) यह पद मंडल की यांत्रिक शाखा के एक अधीक्षक की तैनाती करके काम चलाऊ तौर पर भर लिया गया है और इसके स्थान पर सिविल इन्जीनियरिंग विभाग से कोई पात्र कर्मचारी उपलब्ध होने पर नियुक्त कर दिया जायेगा।

भारतीय दूतावासों में सांस्कृतिक केन्द्र

8394. **श्री एम० बी० सिदनाल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों ने भारत सरकार को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय दूतावासों में सांस्कृतिक केन्द्र, पुस्तकालय तथा समाज-सदन खोले जायें और वहां प्रवासियों को अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने एवम् नौकरियां पाने के अवसर बढ़ाने हेतु भारतीय विश्वविद्यालयों के पत्राचार पाठ्यक्रमों की सुविधायें दी जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

वित्तमन्त्री (श्री आर० वेंकटामन) : (क) जी, हां।

(ख) यह एक अच्छा सुझाव है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया रचनात्मक है। चूंकि यह ज्ञापन विदेश मन्त्रालय में अभी हाल ही में मिला है और इस प्रस्ताव के वित्तीय तथा प्रशासनिक पहलुओं पर अभी विचार किया जा रहा है।

"रानी पद्मिनी" के समुद्र में परीक्षण के दौरान विलम्ब तथा व्यवधान

8395. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री एस० एस० कृष्ण : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन के शिपयार्ड में बना देश का सबसे बड़ा जहाज 75,000 डीमटी पनामा टाईप प्रेन्टर "रानी पदमनी" को 28 मार्च, 1981 की रात्रि को समुद्र में परीक्षण के दौरान 'ईन्धन रिसने' तथा 'आपूर्व दुष्ट कारणों से विलम्ब तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ा था, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) और (ख) : परीक्षण के तौर पर जहाज के परिचालन के दौरान यह देखा गया कि फ्यूल लाइन से मामूली सा कुल तेल टपकता है। इस त्रुटि को जहाज पर तत्कालीन कर्मीदल द्वारा दूर कर दिया गया। परीक्षण के तौर पर जहाज के परिचालन के दौरान अप्रत्याशित अड़चन या देरी नहीं हुई। परीक्षण के दौरान जो छोटी-मोटी त्रुटियां पाई गई उन्हें दूर कर दिया गया और यह जहाज हालांकि इसकी खानगी निश्चित समय से कुछ देर बाद हुई, निश्चित कार्यक्रम के अनुसार 29 मार्च, 1981 को वापस लौटा गया।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को पुरस्कार

8396. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए लोगों को कभी-कभी उनकी जान की जोखिम पर पुरस्कार देता है,

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम, पते क्या हैं जिन्होंने गत तीस वर्षों के दौरान, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में वर्षवार जोनवार रेल दुर्घटनाएं रोकी हैं,

(ग) पुरस्कार किसी तरह के और कितने मूल्य के होते हैं और क्या ऐसे पुरस्कार विजेताओं में से रोजगार के लिए उपयुक्त बहादुर युवक/युवतियों को रोजगार भी दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार रेलवे के प्रत्येक जोन में इस कारण से रोजगार के लिए चुने गये युवक-युवतियों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां।

(ख) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वी रेलवे में गाड़ियों का देर से चलना

8397, **डा० सरदीश राय** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत 14 डाउन, 330 डाउन, 328 डाउन और 352 डाउन और गाड़ियां हावड़ा, सियालदह और बर्दवान स्टेशनों पर गत दिसम्बर से कितने दिन सही समय पर आई,

(ख) इन गाड़ियों के देर से चलने क्या कारण हैं, और

(ग) इनके आने के समय को सामान्य बनाने के लिए क्या उपाय किए गए और उनके क्या परिणाम रहे ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) 1-12-80 से 31-3-81 तक की अवधि के दौरान 14 डाउन 45 दिन सही समय पर सियालदह पहुंची, 330 डाउन 6 दिन सही समय पर हावड़ा पहुंची, 328 डाउन किसी भी दिन सही समय पर हावड़ा नहीं पहुंची और 352 डाउन 21 दिन सही समय पर बर्दवान पहुंची।

(ख) इन गाड़ियों के समय पालन पर मुख्यतया अधिक संख्या में खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं तथा बदमाशों द्वारा होस पाइप हटाने तथा क्लेपेट वाल्व आपरेशन के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(ग) गाड़ियों के चालन पर कड़ी निगरानी रख कर इन गाड़ियों के चालन के सम्बन्ध में समय पालन में सुधार करने के लिए सभी व्यवहारिक प्रयास किये जा रहे हैं। खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से महिलाओं तथा रेलवे डाक सेवा के सवारी डिब्बों को छोड़कर सभी सवारी डिब्बों में से खतरे की जंजीर खींचने के उपकरण हटा दिये गये हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों का भी ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

ग्रीष्म कालीन विशेष रेल गाड़ियां

8398. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गर्मी के चालू मौसम के दौरान कुछ ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों के सम्बन्ध में अपनी योजना की हाल ही में घोषणा की है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ रियायतों की भी घोषणा की गई है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे के सरकारी क्षेत्र के एकक

8399. श्री के० मालन्ना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979- 0 के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न सरकारी क्षेत्र एककों को लाभ-वार और उत्पादन-वार कार्य-निष्पादन क्या क्या था, और

(ग) पिछले वर्ष के परिणामों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय के अधीन इण्डियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन कम्पनी (इरकान) और रेल इण्डिया टैक्नीकल एंड इकोनामिक्श सर्विसज लि० (राइटस) नाम की दो सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का लाभ-वार कार्य निष्पादन 1979-80 के दौरान इससे पिछले वर्ष की तुलना में इस प्रकार है :—

लाभ

	1978-79	1979-80
इरकान	3.85 लाख रुपये	15.46 लाख रुपये
राइट्स	55 लाख रुपये	246 लाख रुपये

राइट्स में उत्पादन नहीं होता। 1979-80 के दौरान 1978-79 की तुलना में इरकान में जितना उत्पादन हुआ, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1978-79	1979-80
उत्पादन	224 लाख रुपए	498 लाख रुपए

अंधेरी रेलवे स्टेशन

श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में, पश्चिमी रेलवे के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर, प्रति वर्ष 125 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री होती है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान विशेषत: अन्धेरी ईस्ट पर टिकट खरीदने के लिए खड़े यात्रियों की लम्बी-लम्बी कतारों की ओर दिलाया गया है,

(ग) क्या उक्त रेलवे स्टेशन पर कतारों में खड़े यात्रियों को राहत देने के लिए पर्याप्त संख्या में पंखे लगाये गये हैं, और

(घ) यात्रियों को कुछ राहत देने के लिए निकटतम भविष्य में और अधिक खिड़कियां काउन्टर खोलने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, व्यस्त अवधि के दौरान।

(ग) इस समय पूर्व की तरफ स्थाई बुकिंग खिड़कियों पर पंखों की व्यवस्था की गई है।

(घ) 18 स्थाई बुकिंग खिड़कियों के अलावा 7 अस्थाई बुकिंग खिड़कियां भी खोल दी गयी हैं।

छात्रों के कान, नाक और गले की जांच

8401 **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ऐसे प्रबन्ध किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है कि दिल्ली में और देश के अन्य बड़े नगरों में स्कुलों में पढ़ने वाले छात्रों के कान, नाक और गले की स्कूल में ही जांच की जाये;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम किन-किन स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ग) जांच के दौरान दिल्ली के स्कूलों के कितने बच्चे कान, नाक और गले की बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) बड़े नगरों के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये स्कूलों में ही स्वास्थ्य की जांच (कान, नाक और गले की जांच सहित) करने के बारे में भारत सरकार की कोई योजनाएं का प्रस्ताव नहीं हैं। यह विषय सम्बन्धित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है। दिल्ली प्रशासन से मालूम हुआ है कि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका जैसे स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे सभी प्राथमिक स्कूलों में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इनके अलावा दिल्ली प्रशासन ने शाहदरा क्षेत्र के सरकारी सहायता प्राप्त सीनियर सेकेन्डरी, सेकेन्डरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की एक योजना शुरू की है।

(ग) दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र के 7,650 बच्चों की जाँच करने पर उनमें से 495 बच्चे कान, नाक और गले की बीमारियों से पीड़ित पाये गये।

एशियाई खेलों के दौरान रेल यातायात

8402 **श्री चिंगवांग कोनयाक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के दौरान रेल यातायात पर पड़ने वाले संभावित दबाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त समारोह के लिए किस प्रकार की सेवाओं तथा अन्य नई व्यवस्थाओं का प्रावधान करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन: (क) और (ख) जी हां। आशा की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में रेलों को प्रतिदिन लगभग 50,000 दैनिक यात्रियों की आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी। यातायात की इस मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बिजली गाड़ियां चलाने के लिए दिल्ली उपनगरी रिंग रेलवे का विद्युतीकरण किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिदिन लगभग 3 लाख यात्री रेल से यात्रा कर सकेंगे। बाहरी स्टेशनों से आने वाले यातायात को सम्हालने के लिए वर्तमान गाड़ियों के डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने के उपयुक्त प्रयास किये जायेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो विशेष रेल गाड़ियां भी चलायी जायेंगी।

कोचीन में मूवमेंटकंट्रोल यूनिट

8403 **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन स्थित मूवमेंट कंट्रोल यूनिट के पास के० के० एक्सप्रेस में कोई कोटा नहीं है जिसके फलस्वरूप कोचीन स्थित रक्षा कर्मचारियों को कठिनाइयां हो रही हैं,

(ख) यदि हां, तो उक्त यूनिट को, इस सैनिक बेस के आकार को देखते हुए, के० के० एक्सप्रेस में पर्याप्त संख्या में सीटों का कोटा न दिये जाने के क्या कारण है, और

(ग) क्या रक्षा सेनाओं के तीनों अंगों में हुए भारी विस्तार को देखते हुए मूवमेंट कंट्रोल यूनिट के वर्तमान कोटे की समीक्षा करके उसमें वृद्धि की जायेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रक्षा कर्मचारियों के उपयोग के लिए यात्री गाड़ियों में कोटा रक्षा मंत्रालय के परामर्श से आवंटित किया जाता है।

रेलों के विस्तार के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

8404 **श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हुए रेलों के जाल के विस्तार के लिए योजना आयोग द्वारा धनराशि के नियतन के अलावा, सरकार ने इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक से तथा विदेशों की अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहायता की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यक है और इसकी पूर्ति कहां से की जानी है, और

(ग) यदि नहीं, तो धनराशि की कमी के कारण अनेक महत्वपूर्ण विकास तथा प्रमुख विस्तार परियोजनाओं पर, खासतौर पर रेल लाईनें बिछाने, इंजन डिब्बे आदि की खरीद, रेल लाइनों का विद्युतीकरण, नए रेलवे स्टेशन (भवन) बनाए जाने, कर्मचारियों की बेहतर सेवा स्थितियों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विश्व बैंक कोई सहायता नहीं देता। ऋण भी तब तक नहीं दिया जाता जब तक कोई परियोजना योजना आयोग द्वारा अनुमोदन योजना का भाग न हो। इस प्रकार, विश्व बैंक का ऋण योजना नियतन का एक भाग होता है, उससे अलग नहीं होता।

(ख) योजना नियतन से अलग कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं मांगी जा रही है।

(ग) योजना आयोग द्वारा किये गये 5,100 करोड़ रुपये के नियतन के भीतर विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की जायेगी कुछ कठिनाई अपेरिहार्य है।

वित्तीय प्रणाली में परिवर्तन

8405 **प्रो० मधु दन्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केवल सरकार के सामान्य राजस्व में से ही विभिन्न रेल लाइन परियोजनाओं के लिए पूंजी उधार लेने की मौजूदा वित्तीय प्रणाली को बदलने की संभावनाओं का पता लगाएगी इस प्रयोजन के लिए सार्वजनिक ऋण लेगी, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह के कदम से खासतौर पर पिछड़े क्षेत्रों की रेल लाइनों की आवश्यकता पूरी करने में सहायता मिलेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री : (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल लाइन परियोजनाओं के लिए सरकार के सामान्य राजस्व से ऋण लेने की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रायागडा में रेलवे की भूमि

8416 **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्राधिकारियों द्वारा रायागडा कस्बे में किन-किन गैर-सरकारी संस्थाओं और सरकारी विभागों को रेलवे की जमीन दी गई है और इस जमीन के लिए कितना किराया निर्धारित किया गया है और उसके पट्टे की अवधि क्या होगी,

(ख) रायागडा कस्बे में रेलवे की कुल जमीन में से कितना क्षेत्र खाली पड़ा है तथा

गैर-सरकारी संस्थाओं, सरकारी विभागों को और होटल, पान की दुकान तथा अन्य प्रयोजनों हेतु अस्थायी निर्माण के लिए कितनी-कितनी जमीन पट्टे पर दी गई है, और

(ग) रेलवे द्वारा पट्टाधारियों से प्रति वर्ष , करार के अनुसार कितना-कितना किराया वसूल किया जाता है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) सेवा समाज को रायगाडा टाउन में 5 वर्ष की अवधि के लिए 100 रुपये प्रति वर्ष की नाममात्र लाइसेंस शुल्क की अदायगी पर रेलवे की 4.42 एकड़ भूमि लाइसेंस पर दी गयी है ।

(ख) खाली पड़ा क्षेत्र—172.50 एकड़ ।

जो क्षेत्र लाइसेंस के आधार पर दिये गये हैं, इस प्रकार है :—

(1) सेवा समाज	4.42 एकड़
(2) होटलों, पान की दुकानों तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्राइवेट पार्टियों को	16,600 वर्ग फुट
(3) अधिक अन्न उपजाओं प्रयोजनों के लिए	217,24 एकड़

(ग) लाइसेंसधारियों से वसूल की जाने वाली कुल लाइसेंस शुल्क 80,325.40 रुपये प्रतिवर्ष है ।

भोपाल को मिलाने वाली जयपुर-कोटा झालावाड़ सड़क का विकास

8407 श्री चतुर्भुज : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल को मिलाने वाली जयपुर-कोटा झालबाड़ सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित कर दिया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो 1981-82 मे इस सड़क के विकास पर कुल कितना व्यय किया जाएगा, और

(ग) विकास कार्य कब आरम्भ किया जाएगा तथा यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय मंत्री में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क)जी, हाँ ।

(ख) और (ग) हाल ही में 17-2-1981 को इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस बात का सर्वेक्षण करे कि इस सड़क में क्या-क्या कमियाँ है ताकि उसमें अपेक्षित सुधार-कार्य और उस पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाया जा सके । प्रस्ताव है कि छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के अधीन अन्य कार्यों की प्राथमिकता को ध्यान

में रखते हुए, एक व्यापक कार्यक्रम बनाकर इस राष्ट्रीय राजमार्ग का सुधार एवं विकास किया जाए।

अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के समीप यमुना पुल

8408 **श्री हरीश चन्द्र लिस रावत** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के यमुना नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण किया जाएगा,

(ख) यदि हां, तो क्या इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, और यदि हाँ, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और काम कब तक शुरू हो जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह एक बड़ी परियोजना है जिस पर खर्च करने के लिए लगभग 23 करोड़ रुपये की जरूरत है और इसके योजना आयोग की स्वीकृति भी जरुरी है। इसके लिए योजना में भारी राशि आवंटित करनी पड़ेगी। अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि परियोजना का काम कब शुरु होगा।

अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के वेंडिंग कन्ट्रेक्ट देना

8409 **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री हाफ यूनिट वेंडिंग कन्ट्रेक्ट के बारे में 26 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5138 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित वेंडिंग कन्ट्रक्टों के कोटे का उनको आवंटन करने के लिये अधिकारियों के पास कोई आवेदन पत्र लम्बित है, और

(ख) यदि हा, तो इस मामले में क्या कार्रवाही की गई है। की जा रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री : (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 28 आवेदन पत्र बकाया है। इन पर वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाही की जा रही है।

गोआ में डाक्टर और रोगियों तथा नर्स और रोगियों की संख्या में अनुपात

8410. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय डाक्टर और रोगियों तथा नर्सें और रोगियों की संख्या में क्या क्या अनुपात है ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उपचारात्मक सुविधाओं के विस्तार से संबंधित सरकार की क्या योजनाएं हैं ; और

(ग) छठी पचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार सर्जन लास्कर) : (क) गोआ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के डाक्टरों एवं रोगियों तथा नर्सों और रोगियों के अनुपातों की अलग अलग सूचना उपलब्ध नहीं है। वैसे नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार गोआ संघ शासित क्षेत्र में नर्स एवं रोगियों तथा डाक्टर एवं आबादी के अनुपात क्रमशः 1:6 और 1:1243 हैं।

(ख) छठी योजनावधि (1980-85) में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है :—

(1) 2.2 लाख अतिरिक्त जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(2) प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्रशिक्षित दाई होगी।

(3) 40,000 अतिरिक्त उप-केन्द्र खोले जायेंगे जिनमें एक-एक महिला और एक एक पुरुष बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता होगा।

(4) 174 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें तीस-तीस पलंगों वाले ग्रामीण अस्पताल बनाया जायेगा।

(5) 600 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

(6) 1000 ग्रामीण औषधालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें सहायता-स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जायेगा।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देख-रेख के विस्तार हेतु चिकित्सा शिक्षा अनुकूल योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मेडिकल कालेज के साथ तीन–तीन ब्लाक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को लगाने का विचार है। जिस जिले में वह कालेज होगा। जब तक वह सारा जिला कवर नहीं हो जाता तब तक व कालेज चरणबद्ध रूप से चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करता चला जायेगा।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं को लागू करने के लिए छठी योजनावधि में राज्य और केन्द्रीय दोनों क्षेत्रों के लिए कुल 585 45 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

दैनिक मजूरी पर काम करने वाले टाइपिस्ट

8411. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे, एन० डी० सी० आर० दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर 1975 से आज तक दैनिक मजूरी पर कितने नैमित्तिक टाइपिस्टों की नियुक्त की गई,

(ख) दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कितने नैमित्यिक टाइपिस्टों की सेवायें समाप्त की गई ;

(ग) ऐसे टाइपिस्टों में से कितने टाइपिष्टों को उपरोक्त अवधि में चयन बोर्ड द्वारा विना चुन गये तदर्थ आधार पर विनियमित किया गया है,

(घ) क्या यह सच है कि कुछ नैमित्तिक टाइपिस्टों को, जिन्होंने लगातार 120 दिन से अधिक दिनों के लिए काम किया था और जो तदर्थ आधार पर नियमित नियुक्ति के लिए पात्र हैं, नियुक्त नहीं किया गया, और

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे टाइपिस्टों की संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 70

(ख) 6

(ग) 2 को मासिक वेतन की दरों पर लगाया गया था।

(घ) और (ङ) नई दिल्ली और दिल्ली स्टेशनों पर टैंककों को दैनिक दरों पर गर्मियों की भीड़-भाड़ का सामना करने के लिए रखा गया था और बाद में उनके स्थान पर रेल सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गए उम्मीदवारों को लगाना था या गर्मियों की भीड़ खतम होने के बाद अस्थाई अनुमोदक समाप्त होने पर उनकी सेवाओं को समाप्त किया जाना था। इनमें से 25 टककों ने 120 दिनों से अधिक की सेवा पूरी कर ली है। फिर भी ; इससे वे नियमित नियुक्ति के हकदार नहीं होते।

'ट्रेन लाइटिंग सेक्शन' का दर्जा बढ़ाया जाना

8412. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के बम्बई डिवीजन में विद्युत विभाग के गाड़ी बिजली अनुभाग (ट्रेन लाइटिंग स्पेशन) का दर्जा बढ़ाने के लिए 'ट्रेड' परीक्षण किये गये थे,

(ख) यदि हाँ तो क्या इन 'ट्रेड' परीक्षणों में गंभीर तथा अत्यधिक अनियमिततायें पाई गई थीं, और

(ग) यदि हां, तो इन परीक्षणों को सक्षम अधिकारी द्वारा रद्द कर दिये जाने का निर्णय लिए जाने के बाद भी फिर नियमित 'ट्रेड' परीक्षण करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। परन्तु, नीति सम्बन्धी कुछ अधिनियमितताएं ध्यान में आयी थी जिन्हें श्रमिक संगठनों के परामर्श से ठीक कर दिया गया है और ट्रेड टैस्ट को रद्द नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रेन-एग्जामिनरों की भर्ती

8413. **श्री सूरज भान:** क्या रेल मन्त्री ट्रेन एग्जामिनरों के प्रशिक्षण के बारे में 5 मार्च 11981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2306 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रेन एग्जामिनरों के शेष बचे 40 प्रतिशत पदों के लिए किस स्रोत से भर्ती की गई है,

(ख) उक्त प्रकार की भर्ती के लिए कितनी अवधि का प्रशिक्षण निश्चिय किया गया है,

(ग) इन व्यक्तियों की भर्ती सम्बन्धी शर्तें क्या हैं,

(घ) क्या उपरोक्त उल्लिखित प्रशिक्षण ट्रेन एग्जामिनरों को नियमित करने के लिए आवश्यक समझा गया है, और

(ङ) यदि नहीं तो किन परिस्थितियों में ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अति कुशल ग्रेड । और 2 मिस्त्रियों को कोटि के कारीगर कर्मचारियों में से या अगर अति कुशल ग्रेड । और 2 के कर्मचारी उपलब्ध न हों तो सवारी तथा माल डिब्बा विभाग के कुशल कारीगर कर्मचारियों में से ।

(ख) एक वर्ष ।

(ग) इस पद के लिए चयन अति कुशल ग्रेड 1 तथा 11 कारीगर तथा मिस्त्रियों में से किया जाता है । अगर इनमें पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तो सवारी तथा माल डिब्बा विभाग के अन्य कुशल कर्मचारियों के बारे में भी, जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों, विचार किया जाता है :—

1. आठवीं पास योग्यता सहित कुशल ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा वाले ।
2. मैट्रिक सहित कुशल ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा वाले ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

गोल्डन राक रेलवे वर्कशाप

8414. **श्री एस० सिगरावाडीवेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वैगनों की मरम्मत और निर्माण के लिये दक्षिण रेलवे के गोल्डन राक के रेलवे वर्कशाप का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले को तत्काल उठाने का है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण

रेलवे का गोल्डन राक कारखाना पहले ही 960 माल डिब्बा प्रति वर्ष की दर से निर्माण-कार्य कर रहा है। इस क्षमता को बढ़ाने या माल डिब्बों की मरम्मत के लिए क्षमता स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) गोल्डन राक भारतीय रेलों पर अत्यधिक विविध-कार्य कारखाना है। इसके कार्य-क्षेत्र में बड़ी लाइन के डीजल, मीटर लाइन के डीजल, तथा मीटर लाइन के भाप इंजनों की पूरी तरह से मरम्मत करना, बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन के सवारी डिब्बों की मरम्मत, भाप क्रेनों की मरम्मत, इस्पात-बाड़ी वाले संक्षरण से प्रभावित सवारी डिब्बों की मरम्मत, माल डिब्बों का निर्माण, डीजल इंजनों को दोबारा बनाना, सिलिंडर लाइनरों की क्रोम प्लेटिंग करना सवारी डिब्बों में दोबारा तारें लगाना आदि आता है। कारखाने में माल डिब्बा मरम्मत की गतिविधि को चालू करके इसमें और विविधता लाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। किसी भी हालत में दक्षिणी क्षेत्र में माल डिब्बा मरम्मत क्षमता का पहले ही उपयोग किया जा रहा है और गोल्डन राक में इस क्षमता का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे की कर्मिक शाखा

8415. **श्री ए० जो० सुब्बुरण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की कार्मिक शाखा के कर्मचारियों ने मुदैरे में हुए अखिल भारतीय सम्मेलन में उनकी सेवा की शर्तों में सुधार के लिए पास किये गये अपने संकल्पों को भेज दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार किसी भी माध्यम से प्राप्त कर्मचारियों की शिकायतों पर यथावत विचार किया जाता है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। मार्च, 1981 में मदुरै में आयोजित आल इण्डिया पर्सोनल स्टाफ एसोसिएशन के सम्मेलन में पास किये गए प्रस्तावों को भी इसी नीति की परिसीमा में निपटाया गया है।

बीकानेर परीक्षा केन्द्र के माध्यम से रेलवे में सेवा

8416. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल सेवा आयोग इलाहाबाद के माध्यम से रेलवे में सेवाओं के लिए उत्तर रेलवे के बीकानेर परीक्षा केन्द्र के बाद इस केन्द्र में कितने उम्मीदवार परीक्षा में बैठे : और

(ख) अब तक ली गई प्रत्येक परीक्षा में इस केन्द्र के कितने उम्मीदवार चुने गये ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा बीकानेर केन्द्र में आयोजित प्रवरण में बैठे उम्मीदवारों की संख्या और चुने गये उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	प्रवरण में बैठे उम्मीदवारों की संख्या	चुने गये उम्मीदवारों की संख्या
1970-71	800	—
1971-72	503	1
1972-73	200	2
1973-74	199	4
1974-75	325	2
1975-76	756	133
1976-77	391	—
1977-78	440	4
1978-79	1137	2
1979-80	1635 (प्रवरण को अन्तिम रूप नहीं दिया गया)	
1980-81	3364	

चूंकि पिछला रिकार्ड नष्ट किया जा चुका है, इसलिए इससे पूर्व के वर्षों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

खड़गपुर डिवीजन में रेल कर्मचारियों के बच्चे

8417. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़गपुर (रेलवे वर्कशाप तथा खड़गपुर डिविजन) में कितने अधिक तथा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इन प्रतिष्ठानों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार की जाती है :

(ग) उक्त प्रतिष्ठानों में रेल कर्मचारियों के कितने बच्चे नियुक्त किए गए हैं और कार्य कर रहे हैं और वहां ऐसे रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके एक से अधिक पुत्र इन प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे हैं : और

(घ) रेलवे कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों (सेवानिवृत्त अथवा सेवारत) के कितनेपुत्रों को, खेल-कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों, मानवीय आधार पर तथा वफादारी सम्बन्धी कोटे के अन्तर्गत श्रेणी-तीन तथा श्रेणी चार के पदों पर नियुक्तियों की पेशकश की गई है और वहां बिना जारी नियुक्तियों के लिए कितना कोटा है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

परियोजनाओं में कार्य कर रहे नैमित्तिक श्रमिक

8418. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में जाखापुरा-बांसपानी जैसी एक कोटी परियोजना में 900 से अधिक नैमित्तिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं जबकि कटक-पारादीप जैसी एक बड़ी परियोजना में कम संख्या में नैमित्तिक श्रमिक कार्य पर लगे हुए थे जिससे पहली परियोजना अलाभकारी हो गई है :

(ख) क्या वास्तविक भूतपूर्व नैमित्तिक श्रमिकों के अलावा बड़ी सख्या में नये बाहर के श्रमिकों को नकली कार्डों के साथ नैमित्तिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया है ; और

(ग) यदि हां तो, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जाखापुरा बांसपानी परियोजना की जाखापुरा-दंतारी रेल लाइन पर (चरण 1) लगभग 1300 नैमित्तिक श्रमिक नियोजित थे। जब कटक-पारादीप रेल लाइन में पूरे जोरों से काम हो रहा था, तब उस परियोजना में लगभग 4,500 श्रमिक नियोजित थे।

(ख) झूठे कार्डों वाले बाहरी व्यक्तियों को नियोजित करने का तथाकथित कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'ट्रेड एप्रेंटिसीज'

8419. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा सितम्बर, 1979 में ट्रेसर्स (मेक) की लिखित परीक्षा में बैठने के लिए वर्कशापों में प्रशिक्षण ले रहे 'ट्रेड एप्रैंटिशों' में आवेदनपत्र मांगे गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि 20 जुलाई, 1980 को लिखित परीक्षा ली गई थी और क्या यह भी सच है कि परिणाम को रोक लिया गया है ; और

(ग) यदि हां तो किस आधार पर तथा कब तक परिणाम घोषित किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) यह परीक्षा 20-7-80 और 31-8-80 को हुई थी लेकिन परिणाम घोषित नहीं किये गए।

(ग) प्रशिक्षणधीन ट्रेड प्रशिक्षुओं से ही आवेदन पत्र आमंत्रित करने से उन वर्तमान कुशल कर्मचारियों और ट्रेड प्रशिक्षुओं के दावे की अनदेखी हो जायेगी जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्षों में परीक्षा पास कर ली थी। रेल प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

रोहा-दासा गांव लाइन

8420. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 48 कि० मी० लम्बी रोहा-दासागांव लाइन के निर्माण के लिए जो 900 कि० मी० लम्बी आप्टा-मंगलौर लाइन का भाग है, इस वर्ष उनके मंत्रालय द्वारा अनुपूरक प्रावधान करना पड़ेगा ।

(ख) यदि हां, तो क्या जिन परियोजनाओं की महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री द्वारा मांग की गई थी उनको स्वीकार कर लिया गया है :

(ग) क्या आप्टा-रोहा लिंक के सितम्बर 1981 तक पूरे होने की आशा है : और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य के लिए धनराशि देने को सहमत हो गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) 62 कि० मी० लम्बी आप्ता रोहा रेल लाइन को दिसम्बर, 1981 तक पूरा किया जाना है और इस लाइन के लिए बजट में अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है ।

मद्रास विशाखापत्तनम् तथा परादीप पत्तनों में समुद्री-कटाव

8421. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास विशाखापत्तनम् और परादीप पत्तनों को मानसून के समय से समुद्र द्वारा तट के कटाव का खतरा पैदा हो रहा है और दक्षिण से उत्तर तक के तट के साथ-साथ लगभग 10 लाख टन रेत के बहने के समाचार है, और

(ख) यदि हां, तो तट के साथ-साथ ऐसे व्यवधानों को रोकने के लिए क्या तरीके निकाले गए है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां । सिर्फ परादीप पत्तन में ही कटाव हो रहा है । जहां तक तट के साथ-साथ रेत के चलने का सवाल है जिसे तटवर्ती बहाव कहते हैं, प्रक्रिया सारे तट पर जारी है ।

(ख) (1) **मद्रास** : जहां तक मद्रास पत्तन का प्रश्न है, मानसून में मछली पकड़ने के बंदरगाह के ठीक उत्तरी भाग में और पत्तन क्षेत्र के बाहरी हिस्से में तट का कटाव देखा गया है । तट के कटाव को रोकने के लिए, तमिलनाडु सरकार समुद्रतट के बचाव सम्बन्धी कार्य कर रही है ।

(2) **विशाखापत्तनम्** : कटाव रोकने के लिए और समुद्र-तट को पोषण देने के

लिए बंदरगाह के दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग में रेत पहुंचाने के लिए कारगर व्यवस्था मौजूद है।

(3) परादीप : मानसून में परादीप पत्तन के उत्तरी किनारे में कटाव होता है। इस कटाव के रोकने के लिए, उत्तरी किनारे पर एक समुद्री-दीवार का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, समुद्री किनारे को समुचित पोषण देने के लिए पत्तन के दक्षिणी किनारे से उत्तरी-किनारे में रेत भिजवाने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं।

जल सीमा और पूर्ण आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाया जाना

8422. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल सीमा उसे 12 मील तक और पूर्ण आर्थिक क्षेत्र की सीमा 200 नोटीकल मील तक बढ़ा दी गई है ;

(ख) ये विस्तार कानून द्वारा कब किया गया ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों का उल्लंघन किए जाने पर दण्ड देने के लिए किसी आनुषंगिक कानून के बनाए जाने का विस्तार किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सोचा गया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हाँ। भारत की समुद्री सीमा उपयुक्त अधार रेखाओं से 12 समुद्री मील और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा 200 समुद्री मील है।

(ख) राष्ट्रपति ने 30 सितम्बर 1967 को एक उद्घोषणा जारी की जिसमें भारत की समुद्री सीमा 12 मील निर्धारित की है। राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1979 की धारा 3 (2) में इसे दोहराया गया है और उसमें शामिल किया गया है। इस अधिनियम की अनन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित धारा 7 को, 15 जनवरी, 1977 को जारी की गई एक राजपत्र अधिसूचना द्वारा लागू किया गया।

(ग) 1976 के समुद्री क्षेत्र अधिनियम की धारा 11 में इस अधिनियम के अन्तर्गत, अपराध के लिए तीन वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों की व्यवस्था है। इसके अलावा यह अधिनियम चूंकि एक व्यापक कानून जैसा है इसलिए भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों से, जो प्रशासनिक दृष्टि से समुद्र के भिन्न-भिन्न उपयोगों से संबंधित हैं, यह आशा की जाती है कि वे जहां आवश्यक हो समुद्र के विभिन्न उपयोगो से संबंधित विशिष्ठ कानून और/अथवा नियम बनाएं। उदाहरण के लिए कृषि और सहकारिता विभाग भारतीय समुद्र में विदेशियों द्वारा मछली पकड़ने को विनियमित करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रहा है। विदेशियों द्वारा मछलियां पकड़ने से संबंधित प्रस्तावित कानून में इसके अधीन अपराधों के लिए दंड की अपनी ही व्यवस्थायें होंगी।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गुड़ और खंडसारी में अपमिश्रण की रोकथाम

8423. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुड़ और खंडसारी में अपमिश्रण की रोकथाम करने के लिए ऐसे क्या उपाय किए हैं, जैसे कि दूध, दही और हल्दी के मामले में किये गए हैं; और

(ख) क्या गुड़ और खंडसारी में से लांछड़ी आदि का अपमिश्रण करने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) : सूचना राज्यों से एकत्र की जा रही है और सभी उत्तर प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

भारतीय आप्रवास अधिनियम में संशोधन

8424. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोगों को भर्ती करने की एजेंसियों की गतिविधियों पर रोकथाम लगाने की दृष्टि से भारतीय आप्रवास अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव वर्तमान में किस चरण में है, ताकि श्रमिकों, खासकर, अशिक्षित मजदूरों के इस प्रकार के शोषण को रोका जा सके ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन)

उत्प्रवासन सम्बन्धी नये कानून का प्रस्ताव विचार के अन्तिम चरण में है । प्रस्तावित कानून 1922 के उत्प्रवासन अधिनियम का स्थान लेगा और इससे सरकार भर्ती एजेंसियों की गतिविधियों को विनियमित कर सकेगी ताकि कामगारों के शोषण पर रोक लगा सके ।

छुटपुट चोरियां और भ्रष्टाचार के मामले

8425. **श्री रामजी भाई मावाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 मार्च, 1980 से 31 मार्च, 1981 के दौरान विभिन्न रेलों में रेल कर्मचारियों तथा रेल अधिकारियों द्वारा छुटपुट चोरियों, गैर-कानूनी गतिविधियों, रिश्वत-खोरी, भ्रष्टाचार, आरक्षण, घोटाले आदि के कई मामले पता लगे थे अथवा प्रकाश में आए थे : और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे तथा दक्षिण मध्य रेलवे के गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के अधीन आने वाले ऐसे रेल कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) 1 मार्च, 1980 और 31 मार्च, 1981 की अवधि के बीच गुजरात और महाराष्ट्र

राज्यों में पड़ने वाली पश्चिम मध्य और दक्षिण-मध्य रेलों के भागों के 82 रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध चोरी तथा उठाईगीरी के मामलों में पाया गया था। इनमें से 42 पर मुकदमा चलाया गया था और 6 के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई की गई थी तथा अन्य 34 कर्मचारियों से पूछ-ताछ की जा रही है। जहां तक गुजरात और महाराष्ट्र में पड़ने वाली दक्षिण-मध्य, मध्य और पश्चिम रेलों के कर्मचारियों का रिश्वत, भ्रष्टाचार और आरक्षण घोटाले के मामले से सम्बन्ध होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

(1) दक्षिण मध्य रेलवे—कोई नहीं।

(2) मध्य रेलवे —राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है। मध्य रेलवे पर 453 कर्मचारियों को दण्ड दिया गया था।

(3) पश्चिम रेलवे—आरक्षण में अनियमितताएं-कुल 70 मामले-दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

भ्रष्टाचार तथा रिश्वत सम्बन्धी अन्य मामले —10

एक मामले में कार्रवाई जारी है। 7 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई जारी है और दो मामलों में इस्तगासा विचाराधीन है।

रेल संग्रहालय

8426. **श्री इरा अनवारासु** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित रेल संग्रालय का प्रशासन उत्तर रेलवे के प्रशासन को सौंपा जाना है : और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। परन्तु मार्च, 1980 के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण एवं नगरीय लोगों को सहायता के लिए व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम

8427. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी ग्रामीण एवं नगरीय लोगों को उपचार, दवाईयों और भोजन के साथ सहायता देने के लिए कोई व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) "ईस्वी सन् 2000 तक स्वास्थ्य सबके लिए" के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण और नगरीय लोगों की मदद करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा चुका

है और छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दस्तावेज में शामिल किया जा चुका है।

(ख) नई स्वास्थ्य परिचर्या नीति की विशेषता स्वास्थ्य परिचर्या को ग्रामीण निर्धनों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, हरिजनों तथा आदिवासियों और समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों तथा नगरीय और अर्ध नगरीय जनता तक समन्वित ढंग से सुलभ करना होगा। रोग रोगी, स्वास्थ्य वर्क तथा भागीदारी स्वास्थ्य परिचर्या पर अधिक बल दिया जाएगा और जिन्हें रोग-नाशी सुविधाओं का सहयोग भी रहेगा। रोगरोधी, स्वास्थ्य वर्धक, रोगनाशी तथा भागीदारी परिचर्या सम्बन्धी मिली जुली सेवाओं पर आधारित स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति तैयार की जाएगी जो गांवों को आधार बनाकर शुरू होगी।

ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या के लिए बुनियादी ढांचे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में 30,000 अथवा 20,000 लोगों और प्रत्येक उप-केन्द्र पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में 5000 अथवा 3000 लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं देगा। एक गांव अथवा एक हजार की आबादी एक बेस यूनिट होगा जहां पर जनता द्वारा चुना गया एक प्रशिक्षित स्वयं सेवक (जन स्वास्थ्य रक्षक) काम करेगा। विशेषज्ञ उपचार की सुविधाएं जन स्वास्थ्य केन्द्रों में एक लाख लोगों को ब्लाक स्तर पर सुलभ की जाएंगी और रोगियों को इस केन्द्र से जिला अस्पताल/मेडिकल कालेज अस्पताल में रैफर करने की पद्धति शुरू की जाएंगी।

असंतुलन में अपेक्षित सुधार लाया जाएगा। जिला/उपमन्डलीय अस्पतालों में कमियों को दूर करके रेफरल सेवाओं और विकास किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में आम बीमारियों के लिए विशेषज्ञ उपचार की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण में पर्याप्त सुधार किया जाएगा। संचारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रमों को तेज किया जाएगा।

जनसंख्या को स्थाई रखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महिला और के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाया जाएगा और महिलाओं के इस अधिकार को उचित मान्यता दी जाएगी कि वह अपने बच्चों के जन्म की योजना स्वयं बना सकती हैं।

शहरी अस्पतालों का विकास क्षेत्र की जरुरतों को देखकर किया जाएगा। अस्पतालों के सुप्रबन्ध के लिए उपाय किए जाएंगे। इसके लिए वर्तमान सुविधाओं, दवाओं की सप्लाई, उपकरणों का उचित रख-रखाव में सुधार के साथ-साथ अस्पतालों के आस-पास स्वास्थ्य लाभ गृह, पोलक्लिनिक तथा धर्मशालाएं खोलने तथा अस्पतालों पलंगों पर भीड़-भाड़ को कम करने सम्बन्धी प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाएगा। पीने के साफ पानी की सप्लाई, पर्यावरणिक सफाई तथा स्वास्थ्य विज्ञान, खाद्य और पोषण उपचार दवाओं, शिक्षा, परिवार नियोजन तथा प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य जैसे परस्पर सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों के बीच चहुमुखी तालमेल स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे।

विद्युत कर्षण हेतु बिजली

8428. **श्रीमती माधुरी सिंह :**

श्री बी. वी. देसाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम की खपत कम करने के लिए विद्युत कर्षण शुरू करने हेतु रेलवे को कितनी मात्रा में अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पूरी की जाएगी अथवा उनके मंत्रालय का स्वयं अपने ही रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) छठी योजना के अन्त तक विद्युतीकरण के अधीन लाये जाने वाले सम्भावित खन्डों के लिए 1984-85 के अन्त तक 1,19.4 करोड़ कि० वा० प्रति घन्टा/प्रति वर्ष की अतिरिक्त विद्युत-शक्ति की आवश्यकता होगी।

(ख) और (ग) ऊर्जा मंत्रालय को आश्वासन दिया है कि छठी योजना के दौरान विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित अतिरिक्त विद्युत-शक्ति उपलब्ध कर दी जायेगी। रेलें ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से कुछ छोटे बिजलीघर स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

असम के बदरपुर उप-मंडल चलने वाले सवारी डिब्बे

8429. **श्री अजय बिश्वास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में बदरपुर उप-मंडल में चलने वाले अधिकतर सवारी डिब्बे दोषपूर्ण होते हैं और उनमें भारी पैमाने पर मरम्मत अथवा उनके बदले जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दोषपूर्ण सवारी डिब्बों की मरम्मत अथवा उनके बदलने के लिए तत्पर्य कदम उठायेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री : (श्री मल्लिकार्जुन): (क) भारतीय रेलों में डिब्बों के अनुरक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें सभी डिब्बों की आवधिक जांच की जाती है और जिनकी निर्धारित आवरहाल और मरम्मत या अन्य अनुसूचित मरम्मत की जानी होती है उन्हें हटा लिया जाता है और उन पर समुचित ध्यान देने के लिए उन्हें कारखानों और मरम्मत लाइनों में भेज दिया जाता है। बदरपुर उपमंडल में चल रहे यानों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जा रही है। हाल ही में, 6 डिब्बे कारखानों में आवधिक ओवरहाल के लिए और 16 डिब्बे मरम्मत लाइनों में मरम्मत के लिए भेजे गये और इनके स्थान पर अच्छे डिब्बे लगाये गये। बदरपुर उपमडल में इस समय चल रहे ये डिब्बे सन्तोषजनक हालत में हैं।

(ख) वर्तमान अनुरक्षण प्रक्रिया के अनुसार आगे भी कार्रवाई की जाती रहेगी और आवधिक निरीक्षण के दौरान जिन डिब्बों को मरम्मत के योग्य पाया जायेगा उन्हें हटा लिया जायेगा और

उनके बदले कारखानों/मरम्मत लाईनों से मरम्मत के बाद उपयुक्त हालत में प्राप्त माल डिब्बों का उपयोग किया जायेगा।

खुर्जा और दिल्ली के बीच एक एन० एच० के० शटल का देर से चलना

8430. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खुर्जा और दिल्ली के बीच एक एन० एच० के० शटल प्रायः रोजना देर से चल रही है जिसके परिणामस्वरूप हजारों दैनिक यात्रियों की सुविधा होती है;

(ख) क्या यह सच है कि इस गाड़ी का रोजाना देर से चलना इस तथ्य के कारण है कि इस गाड़ी को केवल लोको इंजिन किया गया है।

(ग) यदि हां, तो क्या भारी संख्या में दैनिक यात्रियों को दिल्ली में कार्यालय में समय पर उपस्थित होने में समर्थ बनाने की दृष्टि में सरकार का इस गाड़ी में डीजल इन्जन लगाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री : (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। प्रसंगवश, । एन० एच० के० इस समय निजामुद्दीन और हापुड़ के बीच चल रही है उसका अब न० 1 एन० डी० एच० कर दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल गाड़ियों से पानी ले जाया जाना

8431. **श्री एन० सेलवारजू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बतूर और पोथानूर रेलवे जंक्शनों और रेलवे कालोनियों की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पानी सेतुपलयन से रेल गाड़ी द्वारा ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना वार्षिक व्यय होता है; और

(ग) इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए जा रहे है।

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री : (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां

(ख) लगभग 12 लाख रुपये का वार्षिक व्यय किया गया है।

(ग) कोयम्बत्तूर और पोदनूर जंकशन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तमिलनाडु जल प्रदाय और जल निकास बोर्ड की सिरुवनी योजना से 5 लाख मेगैलन प्रति दिन जल लेने का प्रस्ताव है।

अजमेर में रेल कर्मचारियों के लिये मिडल स्कूल

8432. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर में कुल कितने रेल कर्मचारी हैं ;

(ख) उनके बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी जरूरतें पूरी करने के लिये वहां कितने मिडल स्कूल हैं ;

(ग) क्या वहां रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक मिडल स्कूल खोलने का कोई औचित्य है ;

(घ) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(च) क्या यह सच है कि इस बारे में रेल कर्मचारी निरन्तर मांग करते आ रहे है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) 2445

(ख) अजमेर में राज्य सरकार और स्थानीय निकायों/निजी संस्थापनों द्वारा चलाये जा रहे 26 मिडल स्कूल हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) जी नहीं ।

झाड़ग्राम पुरुलिया लाईन

8433 **श्रीमती लाल हसदा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के अधीन झाड़ग्राम और पुरुलिया को छोड़ने वाली एक नई रेलवे लाईन बिछाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि उक्त क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है, जहां 80 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त न होने के कारण रेल मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है ।

टनभार क्षमता बढ़ाने के लिए जलपोतों का अधिग्रहण करने सम्बन्धी प्रस्ताव

8434 **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान टनभार क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में जलपोतों का अधिग्रहण करने का है,

(ख) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से उधार लेकर एक वित्तीय संरक्षण की व्यवस्था करने का है, और

(ग) यदि हां, तो कितने जलपोतों का अधिग्रहण करने का विचार है और विदेशों से विदेशी सहायता के लिए सरकार को क्या प्रत्युत्तर मिला है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री : (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) छठी पंच वर्षीय योजना में देश के मौजूद नौवहन टनभार में 2.5 मिलियन जी० आर०टी० की निवल वृद्धि करने का प्रस्ताव है। जहाजों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उपरोक्त 2.5 मिलियन जी० आर० टी० के भीतर प्राप्त किए जाने वाले जहाजों का आकार क्या है। जहाज देशी शिपयार्डों से और विदेशों से खरीदे जा सकते हैं। जहाजी कंपनियां जहाज खरीदन के लिए नौवहन विकास निधि समिति की सहायता, यदि कोई हो, तो उसके अलावा धनराशि की व्यवस्था प्राय: स्वयं साऊथ कोरिया, जापान, सिंगापुर और हांग-कांग को मेरे दौरे के दौरान शिपयार्ड प्रबंध और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकरों के साथ सरकारी स्तर पर सामान्य विचार-विमर्श हुआ था ताकि भारत द्वारा जहाज प्राप्त करने के लिए पूंजी लगाने की आकर्षक व्यवस्था करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। इन देशो का प्रत्युत्तर आगे विस्तृत विचार-विमर्श पर निर्भर करेगा।

ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन

8435. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललितपुर-सिंगरौली लाइन का वरास्ता खजराहो, सतना, रीवा और सीधी निर्माण करने हेतु पर्वेक्षण किया गया है।

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब आरम्भ किया गया था और इसको कब तक पूरा किया जाना है।

(ग) इस प्रस्तावित लाइन का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा : और

(ख) उस पर कितने व्यय की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) खजुराहों, सतना, रीवा, मिधि के रास्ते ललितपुर से सिंगरौली तक एक नई लाइन के लिए फरवरी 1980 में एक प्रारम्भिक इन्जिनियर-एव यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दी जा चुकी हैं और सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस वर्ष सितम्बर तक इसके पूरा हो जाने की आशा है। रेल मंत्रालय में इसकी तकनीकी व्यवहारिकता और वित्तीय अर्थक्षमता सम्बन्धी सर्वेक्षण रिपोर्ट की गहराई से जाँच कर लेने के बाद अगली कार्यवाई करना सम्भव होगा। इस परियोजना के लिए योजना आयोग की स्वीकृति भी आवश्यक होगी।

पाली स्टेशन का आधुनिकीकरण

8436. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाली स्टेशन पर आने-जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद इस स्टेशन का आधुनिकीकरण नहीं किया गया हैं :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इसका आधुनिकीकरण कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पाली नाम के दो स्टेशन हैं एक पाली और दूसरा पाली मारवाड़। पाली स्टेशन पश्चिम रेलवे पर स्थित है जबकि पाली मारवाड़ उत्तर रेलवे में है।

पाली मारवाड़ स्टेशन पर छतदार प्लेटफार्म प्रतिक्षालय ऊंचे तल वाले प्लेटफार्म' परिचालन क्षेत्र, पार्किंग सुविधाए और सार्वजनिक शौचालय आदि जैसी पर्याप्त यात्रि सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए इसके आधुनिकीकरण का कोई प्रश्न नहीं उठता : जहां तक पाली स्टेशन का सम्बन्ध है यह एक छोटा स्टेशन है जो पश्चिम रेलवे के फुलेरा रिवाड़ी खण्ड में (रींगस के रास्ते) स्थित है। वर्तमान स्टेशज के आधुनिकीकरण की कोई आवश्यता नहीं है।

बम्बई में इसरायली वाणिज्यिक दूतावास को दिए गए विशेशधिकार और सुविधाएं

8437. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में इसरायली वाणिज्यिक दूतावास को दिए गए विशेषाधिकार और सुविधाओं का ब्यौरा और उसे दी गई मान्यता का स्वरूप क्या है ?

वित्तमंत्री श्री आर०वेंकटरामन : बम्बई स्थित इजरायली कोंसलावास की उसी आधार पर विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो कोंसली सम्बन्धों पर 1963 के वियना अभिसमय के अन्तर्गत किसी अन्य मिशन को प्राप्त है। भारत सरकार भी इस अभिसमय का एक पक्षकार है। भारत के राजपत्र के भाग 1, खन्ड 2 में प्रकाशित एक अधिसूचना में इस कोंसलावास का अधिकार क्षेत्र केवल महाराष्ट्र राज्य तक ही निर्धारित है।

अलवर रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे उपरि पुल का निर्माण

8438. **रामसिंह यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता लगा है कि अलवर में रेल गाड़ियों के बार-बार आने-जाने से सड़क के उस सामान्य यातायात में विलम्ब होते हैं, जिसे अलवर रेलवे स्टेशन के समीप रेल-पथ पर से होकर पार जाना होता है :

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि अलवर का औद्योगिक क्षेत्र और अनाज मंडी रेल पथ के पूर्व की दिशा में स्थित है, जबकि अलवर नगर रेल पथ के पश्चिम दिशा में बना हुआ है और रेल पथ पार करने वाला सड़क यातायात काफी घना होता है :

(ग) क्या सड़क यातायात के द्रुत निकास के लिए अलवर रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे के उपरि पुल का निर्माण करने का कोई विचार है : और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) वर्तमान समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क के पुलों के निर्माण का काम, राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से तथा अपने-अपने हिस्से की लागत का भार वहन करने के आधार पर किया जाता है, जिनके द्वारा इस कार्य के लिए निश्चित प्रस्ताव प्रायोजित किया जाना अपेक्षित होता है और उन्हें (राज्य सरकार-सड़क प्राधिकरण को) वर्तमान नियमों के अनुसार लागत का लगभग 50 प्रतिशत भाग वहन करने का वचन देना होता है। अलवर के समीप किसी भी समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए अभी तक राज्य सरकार-सड़क प्राधिकरण द्वारा कोई निश्चित प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है।

परादीप पत्तन का विस्तार करना

8439. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को छठी योजना में परादीप पत्तन के विस्तार के लिए 48.11 करोड़ रुपये की एक योजना पेश की गई है, और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने यह योजना अनुमोदित कर दी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री : (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : परदीप पत्तन के विकास के लिए छठी योजना (1980-85) में योजना आयोग की स्वीकृति से 45.31 करोड़ रूपये का परिव्यय शामिल किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

8440. **डा० बसन्त कुमार पण्डित : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन के लिए एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना भेजी गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उसे मंजूरी दे दी गई है;

(ग) योजना की अनुमानित लागत तथा ब्योरा क्या है;

(घ) भारत सरकार द्वारा इसके लिये कितना धन दिया जाएगा; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कौन कौन सी विशिष्ट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में मशीन चालित जलपोतों के लिए ऋण सहायता

8441. **श्री सी० डी० पटेल:** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष 1976 से आज तक मशीन-चालित जलपोतों के लिए ऋण सहायता हेतु वर्षवार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा मंजूर किए गए, और

(ख) क्या सरकार सहायता में वृद्धि करने का विचार कर रही है?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : मशीनयुक्त पालपोत जलयानों का निर्माण करने और मौजूदा पालपोत जलयानों को मशीनयुक्त करने के लिए ऋण देने की योजना के अधीन भारत सरकार समुद्री राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करती है जिन्हें ये राज्य पुनः केन्द्रीय सरकार को वापस लौटाते हैं। ये ऋण राज्यों में सम्बन्धित पक्षों को वितरित करने के लिए दिए जाते हैं। 1976 से 1980-81 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या और गुजरात सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	आवेदकों की संख्या जिन्हें ऋण दिए गए	ऋण की राशि (रुपये)
1976-77	58	10	30,68,000
1977-78	4	10	29,30,700
1978-79	2	14	53,60,000
1979-80	59	14	78,86,000
1980-81	69	54	2,06,75,000
कुल	192	102	3,99,19,700

टिप्पणी : 1976-77 से 1980-81 तक जिन 102 आवेदकों को ऋण दिए गए, उनमें से 98 आवेदन ऐसे हैं जो गुजरात सरकार को 1976 से पहले प्राप्त हुए थे।

पालपोत जलयान उद्योग को ऋण सहायता देने के लिए योजना आयोग धन की व्यवस्था करता है और ऐसा करते समय वह देश के समग्र वित्तीय संसाधनों का पूरा खयाल रखता है।

महरन धोली रेल लाइन

8442. **श्री तारिक अनवर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1977 में पूर्वोत्तर रेलवे में महरन और धोली स्टेशनों को जोड़ने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस रेल लाइन को बिछाने के लिये अनुमानतः कितना व्यय होगा, और

(ग) इस पर कार्य कब शुरू होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) महनर और धोली स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन बनाने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

कलकत्ता बंदरगाह का विकास करने के लिए मंजूर की गई राशि

8443. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता पत्तन न्यास के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता बंदरगाह का विकास करने के लिए वर्षवार कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी, और

(ख) इससे प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : कलकत्ता पत्तन (जिसमें हल्दिया गोदी भी शामिल है) का प्रशासन न्यासियों का बोर्ड, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के उपबंध के अन्तर्गत करता है। बोर्ड, नौवहन जलमार्ग के निकर्षण, गोदियों, घाटों, जैट्टियों और माल के रखरखाव के लिए अपेक्षित सभी सहायक सुविधाओं के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

पिछले तीन वर्षों में कलकत्ता पत्तन न्यास के लिए स्वीकृत कुल धनराशि और प्राप्त परिणाम संलग्न विवरण में दिए गए है।

छठी योजना के दौरान रेल मार्गों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम

8444. **श्री भीकू राम जैन** :

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलों में कहां तक रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) छठी योजनावधि के दौरान कितने किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण पूरा किए जाने का प्रस्ताव है;

विवरण

लोक सभा में 23.4.1981 के लिखित प्रश्न संख्या 8443 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

———

पिछले चार वर्षों में विकास कार्यों के लिए वास्तविक खर्च की तुलना में कुल स्वीकृत धनराशि :

(लाख रुपये)

	1977-78		1978-79		1979-80		1980-81	
	बजट अनुमान	वास्तविक खर्च	बजट अनुमान	वास्तविक खर्च	बजट अनुमान	वास्तविक खर्च	बजट अनुमान	वास्तविक खर्च
1. कलकत्ता प्लान वर्क्स	79.00	42.63	102.73	25.69	85.00	134.90	491.39	159.50 (लगभग)
1. हल्दिया डाक	1350.00	1724.53	1041-55	401.30	1173.00	383.44 (प्रोजेक्ट) (न्यू)	233.00	165.89 (लगभग)
						405.44		

(ग) क्या भारतीय रेलों में कुल किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 5350 मार्ग किलोमीटर।

(ख) छठी योजना के शेष वर्षों (1981-82 से 1984-85 तक) के दौरान 2363 मार्ग किलोमीटर को बिजली कर्षण के अन्तर्गत लाये जाने की सम्भावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रोगियों के परिवार के सदस्यों के लिए शेल्टर

8445. **श्री राजेश पाइलट** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि सैकड़ों रोगियों या उनके परिवार के सदस्यों को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गेट के पास सड़क के किनारे लाइनों में खड़े होना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विपदाग्रस्त व्यक्तियों के लिए शेल्टर बनाने सम्बन्धी यदि कोई उपाय किए गए है, तो वे क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय में राज्यमंत्री (श्री निहार रजन लास्कर) : (क) और (ख) : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान ने यह सूचित किया है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जो लोग संस्थान के बाहर सड़क पटरी पर पड़े हुए है, वे वास्तव में रोगी हैं या उनके परिवार के लोग है। संस्थान के अहात में ऐसा कोई भी रोगी नही जिस पर ध्यान न दिया जाता हो। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हुए रोगियों के रिश्तेदारों/साथियों के लिए राजगढ़िया विश्राम सदन है जहां 100 व्यक्ति ठहर सकते है। संस्थान के पास मौजूदा संसाधनों में से सभी रोगियों विशेषकर उन रोगियों के रिश्तेदारों और साथियों को जिन्हें नियोजित सर्जरी की आवश्यकता होती है, सुविधायें प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है।

जहाजों की मरम्मत सम्बन्धी सुविधाओं का विकास तथा आधुनिक कारण

8446. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) भारत ने देश में तथा देश से बाहर जहाजों की मरम्मत के कार्य पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि खर्च की,

(ख) देश में जहाजों की मरम्मत सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करने तथा उनको आधुनिक बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है,

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विदेशों से पैसे की सहायता तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करने तथा मांगने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) देश के अन्दर जहाज मरम्मतों पर हुए खर्च सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है। 1976-79 में विदेशों में जहाज मरम्मतों पर जो धनराशि खर्च हुई, वह नीचे दी गई है :

1976-77	15.48 करोड़ रुपये
1977-78	16.88 करोड़ रुपये
1978-79	19.73 करोड़ रुपये

(ख) से (घ) : एक भारतीय परामर्शक फर्म के जरिए जिसे विदेश विदेशी परामर्श की सहायता प्राप्त है, जहाज मरम्मत कार्य के लिए एक 15-वर्षीय भावी योजना बनाने का प्रस्ताव है। परमर्शकों की रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच के बाद, देश में जहाज मरम्मत की सुविधाओं के विकास और आधुनिकीकरण और यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में जहाज मरम्मतों के लिए 15.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था में शामिल की गई है।

मैसर्स गार्डन रीच शिप-विल्डर्ज एन्ड इन्जीनियर्ज ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया में एक जहाज मरम्मत कम्पलैक्स की स्थापना के लिये एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें कितनी पूंजी लगानी है, इस बात का निर्णय अभी सरकार ने करना है।

जहां तक विदेशों से सहायता लेने का सम्बन्ध है, कोचीन शिपयार्ड ने अपने यार्ड में जहाज मरम्मत की अधिकतम सुविधाओं के लिए एक विदेशी फर्म को तकनीकी सहयोग करने का एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों द्वारा निःशुल्क यात्रा

8447. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारें संसद सदस्यों को राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधायें दे रही हैं,

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली परिवहन निगम की दिल्ली से बाहर जाने वाली बसों

में संसद सदस्यों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री : (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा के बारे में राज्य सरकारों या राज्य सड़क उपक्रमों परिवहन द्वारा बनाये गये विनियमों के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग जी, हां ।

(घ) निःशुल्क यात्रा पास जारी करने के बारे में दिल्ली परिवहन निगम के विनियमों के उपबंधों में संसद सदस्यों को श्रेणी का कोई उल्लेख नहीं है ।

उत्तर के सीमावर्ती राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

8448. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी राज्यों ने आटा, चावल, नमक, सीमेंट आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, क्योंकि ये वस्तुएं वहां विलम्ब से पहुंच रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां ।

(ख) हाल ही में उत्तर-पूर्वी राज्यों के परामर्श से यह विनिश्चय किया गया रेलों द्वारा है कि सीमेंट, नमक और इस्पात जैसी मुख्य वस्तुओं की ढुलाई बड़ी लाइन के गाड़ी-भार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उपयुक्त स्टाकयार्डों के लिए की जायेगी । जहां से आगे विवरण की व्यवस्था रेल अथवा सड़क मार्ग द्वारा की जायेगी । इस व्यवस्था से यानान्तरण स्थलों पर दवाव कम हो जायेगा इससे उत्तर पूर्वी क्षेत्र को खाद्यान्नों की सप्लाई करने की स्थिति में सुधार हो जायेगा। स्टाकयार्डों को नमक, सीमेंट और इस्पात की ढुलाई करने से मीटर लाइन पर भी फालतू क्षमता उपलब्ध हो जायेगी । मीटर लाइन प्रणाली पर उपलब्ध फालतू क्षमता का उपयोग सामान्य खपत की अन्य वस्तुओं की ढुलाई के लिये किया जा सकेगा । रेलों को आशा है कि इन उपायों से इस क्षेत्र की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताएं सन्तोषप्रद स्तर तक पूरी हो जाएंगी ।

रेलवे का विकेन्द्रीकरण

8449. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह घोषित नीति है कि रेलवे के कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण किया जाये;

(ख) क्या जोनल रेलवे से निदेशकों और उपनिदेशकों का दिल्ली में रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में स्थानान्तरण उसी नीति के अनुसरण में हैं;

(ग) क्या ये वरिष्ठ अधिकारी रेलवे के रोजमर्रा के कार्यों और रख-रखाव कार्यों की देखा-भाल करने में लगे हुए हैं; और

(घ) क्या इस काम की पहले विभिन्न जोनल कार्यालयों के वाणिज्यिक विभागों द्वारा देखभाल की जाती थी ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, । नीति यह है कि यथासम्भव अधिकतम विकेन्द्रीकरण कर दिया जाये।

(ख) क्षेत्रीय रेलों में निदेशकों अथवा उप निदेशकों के कोई पद नही होते। रेलों से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों को रेलवे बोर्ड में निदेशकों आदि के रूप में तैनाय किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

कैरिज एन्ड वैगन्स विभाग के कर्मचारी

8450. **श्री र.मावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इन्डिया कैरिज कांऊसित के आह्वान पर कुछ महीने पहले कैरिज एण्ड वैगन्स विभाग के कर्मचारियों देश भर में नियमानुसार कार्य आन्दोलन का सहारा लेना पड़ा;

(ख) यदि हां, इस आन्दोलन के सम्बन्ध में अनेक कर्मचारियों को दन्डित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो दण्डित किये गये कर्मचारियों की जोन वार संख्या क्या है; और

(घ) इन कर्मचारियों को दोष मुक्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) आल इन्डिया कैरिज एन्ड वैगन स्टाफ काऊंसित वे, जो एक गैर मान्यता प्राप्त निकाय है, अपनी मांगे मनवाने में कथित असफलता के कारण 16.8.80 से नियमानुसार कार्य करने का अवैद्य आन्दोलन शुरू किया था। इस आन्दोलन के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध निम्न लिखित कारंवाई की गयी थी :—

पूर्वोत्तर रेलवे

बर्खास्त किये गये सेवा से हटाये गये	: 4
विलम्बित	: 17 (12 को वापस ड्यूटी पर रख लिया गया।
सेवा भंग का दन्ड	: 12
मजूरी काटने का दण्ड	: 152

चेतावनी	: 18
अन्य अनुशासनिक कार्रवाई	: 21
पूर्व रेलवे	
मजूरी काटने का दन्ड	: 12,934
सेवा भंग का दन्ड	: 366
दक्षिण मध्य रेलवे	
मजूरी काटने का दन्ड	: 30

नियमानुसार कर्मचारी को ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त है, जिनका उसके वेतन, भत्तों, पेंशन, भविष्य निधि, सेवा उपदान अथवा नियमों अथवा करार आदि में विनियमित अन्त सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ओर ऐसे प्रत्येक मामले पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुप दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

एशियाई खेलों के लिए निर्माणाधीन उपरि पुल

8451 **श्री सनतकुमार मण्डल** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पर्यावरण पर नये निर्माण के प्रभाव के बारे में इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटन में 4 मार्च, 1981 को समूह परिचर्या में भाग लेने वाले कुछ विशेषज्ञों ने बताया है कि कि 1982 की एशियाई खेलों के लिए नये आधार ढांचे के भाग के रूप में नगर में बनाए जा रहे सात उपरि पुल जन बल अथवा इलैक्टानिक रूप से यात यात नियंत्रण का एक खर्चीला विकल्प है जैसा कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिनांक 5 मार्च 1981 में प्रकाशित हुआ है,

(ख) यदि हां, तो सरकार **की** इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) प्रस्तावित निर्माण से पूर्व वृक्षों के गिराये जाने के कारण कितनी हानि हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : यह कहना ठीक नहीं है कि सात फ्लाई-ओवर का निर्माण, मेनुअल अथवा सिग्नलाईज्ड यातातात नियंत्रण का एक खर्चीला विकल्प है। विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक यातायात इतना अधिक होगा कि मैंनुअल और सिग्नलाईज्ड दोनों ही तरीकों से नियंत्रण करना कठिन होगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि इन सात चौराहों पर ग्रेड-सेपरेशन की जाए। इन जंकशनी के सुधार करने का काम दिल्ली प्रशासन की छठी योजना (1978-83) में पहले ही शामिल था।

(ग) केवल वही वृक्ष काटे जा रहे हैं जिनका काटना फ्लाई ओवरों के निर्माण के कारण अनिवार्य है या जिन्हें प्रतिरोपिय नहीं किया जा सकता। यह भी प्रस्ताव है कि जितने वृक्ष काटे जाएं कम से कम उनकी दुगनी संख्या में शीघ्र बढ़ने वाले नये वृक्ष लगाए जाएं ताकि मौजूदा पर्यावरण को कायम रखा जा सके।

क्लर्कों को स्थायी करना

8452. **डा० ए० यू9 आजमी** : क्या रेलमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन ने 260-400 रुपये (संशोधित वेतन माना) के ग्रेड में क्लर्कों कोत जो दर्थ आधार पर 1975 में भर्ती किये गये थे, नियमित करने और अस्थाई करने के बारे में 1980 में किसी समय आदेश जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो डिवजनत रेलवे प्रबंधक मुरादाबाद के कार्यालय में ऐसे कितने क्लर्क हैं और उन्हें स्थायी करने के आदेश अब तक न देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या गत वर्ष 10 प्रतिशत कोटे पर 330-560 रुपये के ग्रेड में पदोन्नति करने के लिए डिवीजनल रेलवे प्रबंधक, मुरादाबाद द्वारा आयोजित की गयी विभागीय परीक्षा का परिणाम भी अब तक घोषित नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन दोनों मामलों में आवश्यक कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मन्त्रालय और ससदीय कार्य विभान में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां।

(ख) सोलह तदर्थ आधार पर नियुक्त उन कर्मचारियों के नामों का अन्तर्वेशन करके जिन की सेवाओं को पूर्वव्याप्ति तारीख से नियमित कर दिया गया है, क्लर्कों की वरिष्ठता सूची फिर से तैयार की जा रही है। वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप दे दिये जाने के पश्चात स्थाईकरण किया जायेगा।

(ग) परिणाम घोषित किये जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जमालपुर रेलवे वर्कशाप का विस्तार

8453. **श्री रामावतार शास्त्री** : रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जमालपुर रेलवे वर्कशाप के विस्तार की योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस वर्कशाप के विस्तार पर कितना खर्च किये जाने का विचार है ; और

(घ) इस काम के कब शुरू होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जमालपुर कारखाने की गतिविधि में विभिन्नता लाने के लिए अनेक योजनाएं बनायी गयी हैं। इन योजनाओं से उपलब्ध क्षमता भाए इंजनों के कार्य के कारण, जो इस समय जमालपुर कारखाने में मुख्य गतिविधि है, क्षमता का स्थान ले लेगी।

(ख) जमालपुर कारखाने के लिए अनुमोदित वैकल्पिक कार्यक्षमता में डीजल मेन लाइन तथा शंटिंग रेल इंजनों के लिए आवधिक मरम्मत सुविधाओं का विकास, डीजल मशीन शाप की व्यवस्था, भाप-चालित क्रेनों की आवधिक ओवरहाल सुविधाओं में वृद्धि करना तथा लेमिनेटिड स्प्रिंगों का निर्माण करना शामिल है।

(ग) उपयुक्त योजना के लिए बजट खर्च लगभग 500 लाख रुपये हैं।

(घ) इन योजनाओं का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

पूर्वी रेलवे में कोयले की तस्करी

8454. **डाक्टर सरदीश राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों के साथ पूर्वी रेलवे के अंडाल सैंथिया सेक्शन पर कोयले की तस्करी हाल में पूरी तरह से रोक दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस बात के लिये कोई कदम उठाये हैं कि गाडियो से कोयले की इस प्रकार तस्करी फिर से न आरम्भ हो; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पुलिस और पूर्व रेलवे द्वारा किये गये निवारक उपायों के परिणामस्वरूप अंडाल सैंथिया खण्ड की यात्री गाड़ियों द्वारा कोयले के अनधिकृत रूप से होने वाले यातायात को रोक दिया गया है। किन्तु, किहीं समाज-सेवी संगठनों द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों की रेल प्रशासन को जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) अंडाल-सैंथिया खण्ड पर चलने वाली यात्री गाड़ियों में राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से अनुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इस खण्ड पर समय-समय पर बिना टिकट यात्रा-रोधी अभियान चलाये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय परमिटों की अनुपलब्धता और ट्रकों पर काला बाजारी

8455. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सभी वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट उपलब्ध न होने तथा ट्रकों पर काला-बाजारी देश में परिवहन के विकास में बाधा पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परमिट और क्षेत्रीय परमिट की योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सडक परिवहन द्वारा माल के यातायात को बढ़ावा दिया जाए। अन्तर्राज्यीय कार्यों में लगी माल ढोने वाली गाड़ियों को राष्ट्रीय परमिट या क्षेत्रीय परमिट की आवश्यकता नहीं होती।

उत्पादन संबंधी कठिनाइयों के कारण, देश में वाणिज्यिक गाड़ियों की मांग बहुत अधिक बनी हुई है जिसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। इन गाड़ियों की कालाबाजारी को खत्म करने के लिए, उद्योग मंत्रालय ने उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18 (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 9 अप्रैल, 1981 से नई वाणिज्यक गाड़ियों को बेचने, उनकी खरीद करने या खरीद की आरम्भिक तारीख से 2 साल अन्दर उसका हस्तांतरण करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, उद्योग मन्त्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक गाड़ियों के चैसिसों का उत्पादन और बढ़ाया जा रहा है।

मोतीबाग रेलवे कालोनी

8456. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को मोती बाग रेलवे कालोनी तथा अजानी हैल्थ यूनिट की दशा के बारे में फील्ड वर्कर्स फैमिली वैल्फेयर सैन्ट्रल रेलवे होस्पीटल, नागपुर की ओर से 4 मार्च 1981 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और (ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

32 डाउन बरौनी कानपुर यात्री गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना

8457. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 32 डाउन बरौनी-कानपुर यात्री गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा-सेवान सैक्सन में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसके परिणाम स्वरूप जान-माल की कितनी हानि हुई ; और

(घ) इस संबंध में कितने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। नं० 32 डाउन फास्ट पैसंजर 15-2-81 को दरौंधा और चैनवा स्टेशनों के बीच 2 डाउन ए० टी० मेल से टकरा गयी।

(ख) रेल संरक्षा के आयुक्त के अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार, दुर्घटना कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

(ग) टक्कर के परिणाम स्वरूप 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। रेल सम्पति को लगभग 1,33,700 रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

(घ) रेल संरक्षा के आयुक्त की अन्तिम रिपोर्ट मिलने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई की जायेगी ।

बम्बई के उपनगरीय स्टेशनों पर खान पान के स्टाल

8458. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे की बम्बई डिवीजन के उपनगरीय स्टेशनों पर सोसाइटियों को कितने कितने खान पान के और अन्य स्टाल आवंटित किए गए हैं;

(ख) ये सोसाइटियां किस तारीख को बनी थीं और इनका रजिस्ट्रेशन किस तारीख को हुआ तथा उनकी रजिस्ट्रेशन संख्या क्या क्या हैं और इन स्टालों के लिए उन्होंने किस किस तारीख को आवेदन भेजा था तथा इन समितियों के तत्कालीन पदाधिकारियों और वर्तमान पदाधिकारियों का ब्यौरा क्या-क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त सोसाइटियों के तत्कालीन पदाधिकारियों तथा सदस्यों की कोई भी बैठक नही होती है ;

(घ) यदि हां, तो क्या ये सोसाइटियां जाती हैं और स्टालों पर केवल कुछ लोगों का कब्जा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इन सोसाइटियों से स्टाल वापिस ले लेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गत तीन वर्षों से अधिक अवधि से एक ही सीट पर कार्यरत श्रेणी एक के गैर-चिकित्सा अधिकारी

8459. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में तथा उससे सम्बन्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी एक के (चिकित्सा अधिकारियों से अन्य) ऐसे कितने अधिकारी है जो गत 10 वर्षों से अधिक अवधि से लगातार काम कर रहे है;

(ख) वे वहां पर कितनी अवधि से है और उनके कार्य-स्थलों में परिवर्तन न किये जाने के क्या कारण है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे एक ही मंत्रालय कार्यालय में लगातार कार्य करते रह कर कोई निजी हित पूरा करने की व्यवस्था न कर लें और उनके अपने भविष्य के आयोजन के हित में तथा स्वस्थ प्रशासन को सुनिश्चित करने हेतु क्या सरकार उन्हें स्थानान्तरित करने अथवा उनके कार्यभारों में परिवर्तन की वांछनीयता पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मुगलसराय डिवीजन में स्थानापन्न कर्मचारी

8460. **श्री राम निवास पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगलसराय रेलवे डिवीजन के ट्रैफिक ने पिछले तीन वर्ष से स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनकी सेवायें नियमित कर दी गई हैं;

(ख) क्या यह सच हैं कि रेलवे बोर्ड के एक परिपत्र के अनुसार, 120 दिन के सेवावधि पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाए; और

(ग) यदि हां, तो क्या मुगलसराय रेलवे डिवीजन में इस नियम का पालन किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री : (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 157

(ख) जी नहीं । उन्हें केवल अस्थायी ओहदा दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोटा बीना लाइन पर बनने वाली रेल गाड़ी में अधिक सवारी डिब्बे लगाना

8461. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा बीना लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ी प्रथम श्रेणी का सवारी डिब्बा हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त रेलगाड़ी में भीड़ भाड़ को देखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोग इस गाड़ी की छत पर बैठकर यात्रा करते हैं सरकार का विचार इस गाड़ी में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो गर्मी के आगामी मौसम को देखते हुए कितने सवारी डिब्बे बढ़ाये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इस गाड़ी में गुन्डागर्दी को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री : (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, नीति के अनुसार मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों तथा फास्ट पैसेंजर गाड़ियों को छोड़कर गाड़ियों से पहले दर्जे के डिब्बों को हटा लिया गया है ।

(ग) से (ङ) 91/92 और 93-94 कोटा बीना पैसेंजर गाड़ियों में भीड़ भाड़ देखी गयी

है। गर्मियों की भीड़ भाड़ समाप्त होने के पश्चात जब कभी पर्याप्त गाड़ियों का स्टाक उपलब्ध हो जायेगा, उनके यानों के भार को वांछनीय सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा। शरारती तत्वों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ समान्वय स्थापित करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

सिंगापुर में भारतीय औषध व्यापारी का दोष सिद्ध ठहराया जाना

8462. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि औषधियों के दो अवैध व्यापारियों जिनमें से एक भारतीय था, में सिंगापुर में दोष-सिद्ध ठहराया गया और उनको फांसी की सजा दे दी गई;

(ख) क्या सरकार ने हमारे राष्ट्रीय की ओर से दया-याचिका की समीक्षा के लिए अपील करने के लिए सिंगापुर सरकार के साथ यह मामला उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्री आर० वेंकटरामन वित्त मन्त्री : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अप्रैल, 1980 में भारत सरकार ने इस मामले को सिंगापुर सरकार के साथ उठाया था और श्री आजमी अनीस अहमद की छोटी उम्र तथा उनके पिछले अच्छे रिकार्ड को देखते हुए मानवीय कारणों के आधार पर माफी/फांसी रोकने का अनुरोध किया गया था। मार्च 1981 में सिंगापुर सरकार ने हमें सूचित किया कि सिंगापुर के राष्ट्रपति ने समुचित विचार करने के बाद और मंत्रिमंडल की सलाह पर यह निर्णय लिया कि यह सजा यथावत रहनी चाहिए।

दक्षिणी पूर्व रेलवे में जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी

8463. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या रेल मंत्री दक्षिणी पूर्व रेलवे के लिये जोनल परामर्श दात्री समिति के बारे में 2 अप्रैल, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 642 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिए गठित जोनल रेलवे यूजर्स कसल्टेटिव कमेटी में लिए गये सदस्यों के नाम, पदनाम और पते क्या हैं तथा इस समिति के लिए सदस्यों के नामांकन का आधार क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सभी संसद सदस्य (लोक सभा) जो, दक्षिण-पूर्व रेलवे के क्षेत्र से आते हैं: को इस कमेटी में नहीं लिया गया हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) लोक सभा के उन सभी संसद सदस्यों को शामिल करने के लिए सरकार की क्या कार्यवाही है जिनके निर्वाचन क्षेत्रों के अधीन दक्षिण-पूर्व रेलवे आती है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री : (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) रेल उपयोगकर्ता समिति में सदस्यों का मनोनयन रेल उपयोगकर्ताओं के अनेकों अभिज्ञेय और महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। इसमें चैम्बर आफ कामर्स, व्यावसायिक एसोसिएशनों, कृषि एसोसिएशनों, यात्री एसोसिएशनों, संसद सदस्यों, राज्य विधान सभाओं के प्रतिनिधियों, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, तथा इसी प्रकार के अन्य सदस्यों को जो इस प्रकार के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिन्हें इन विशिष्ट व्यवस्थाओं के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाता, सम्मिलित किये जाते हैं। सम्बद्ध चैम्बर एसोसिएशन उसकी सदस्यता, उसकी चारित्रिक विशेषता आदि के महत्व को ध्यान में रखते हुए चैम्बरों एसोसिएशनों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया जाता है। किसी रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में जहां बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के चैम्बर/एसोसिएशन काम कर रहे होते हैं वहां उन्हें पारी के आधार पर प्रतिनिधित्व दिये जाने के बारे में विचार किया जाता है। संसदीय कार्यों के मंत्री की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में तीन संसद सदस्यों (लोक सभा के दो और राज्य सभा से एक) को नामित किया जाता है। 31-3-1983 को समाप्त होने वाली दक्षिण पूर्व रेलवे की रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में नामित किये गये व्यक्तियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

दक्षिण पूर्व रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में मंत्री द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की सूची

कार्यकाल 28-1-1981 से 31-3-1983

प्रतिनिधित्व	नामित
1. राज्य सरकारें	
(1) पश्चिम बंगाल	निदेशक संचलन, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता 16
(2) बिहार	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, पटना।
(3) उड़ीसा	सचिव, उड़ीसा सरकार, वाणिज्य तथा परिवहन, परिवहन विभाग, भुवनेश्वर।
(4) मध्य प्रदेश	सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भोपाल।
(5) आन्ध्र प्रदेश	सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, परिवहन, सड़क एवं भवन विभाग, हैदराबाद।
(6) महाराष्ट्र	सचिव, महाराष्ट्र सरकार, गृह विभाग (परिवहन) महाराष्ट्र, बम्बई।

प्रतिनिधित्व	नामित
2. राज्य विधान सभा	
(1) पश्चिम बंगाल	श्री हरण हाजरा, सदस्य विधान सभा
(2) उड़ीसा	श्री रवीन्द्र कुमार दास, सदस्य विधान सभा
(3) आन्ध्र प्रदेश	श्री प्यादि श्रीराम मूर्ति ... ...
(4) विहार	श्री बैरागी उस्मान, ... रांची
(5) मध्य प्रदेश	प्रतिक्षित
(6) महाराष्ट्र	श्री पेंटा राम तलोदी, सदस्य विधान सभा, चन्द्रपुर।
3. चैम्बर आफ कामर्स एन्ड ट्रेड एसोसिएशन	(1) इन्डियन चैम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता।
	(2) विहार चैम्बर आफ कामर्स, पटना।
	(3) उड़ीसा चैम्बर आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री, कटक
	(4) रायपुर चैम्बर आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज रायपुर
	(5) नाग-विदर्भ चैम्बर आफ कामर्स, नागपुर।
4. कृषि हित	(1) श्री शान्ति लाल शाह, अध्यय, भारत कृषक समाज, दुर्ग।
	(2) श्री नटवर बात, जाजपुर, कटक।
5. मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के निर्वाचित प्रतिविधि	प्रतिक्षित
6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पत्तन	(1) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, कलकत्ता।
	(2) नेशनल मिनरल, डवलपमैंट, कारपोरेशन हैदराबाद।
7. रजिस्टर्ड पैसेन्जर्स एसोसिएशन्स	(1) वेस्ट बंगाल पैसेन्जर्स एसोसिएशन कलकत्ता।
	(2) आल उड़ीसा ट्रान्सपोर्ट यूजर्स एसोसिएशन पुरी।
8. संसद सदस्य	(1) श्री सुरेन्द्र मोहन्ती, संसद सदस्य [राज्य सभा] शिवानी स्टीवर पटना पो० कटक-8
	(2) श्री मृत्युंजय नायक, संसद (लोक सभा) पो० आ० पुलवती (अमतापाड़ा) जिला-पुलवती (उड़ीसा)

प्रतिनिधित्व	नामित
	(3) श्री छोटेलाल ऊइके, संसद सदस्य (लोक सभा) भासी बाजार, तहसील और जिला मण्डला (म० प्र०)

9. विशेष हित

1. श्रीमती गीता वासु
पत्नी डा० ए० के० वासु,
सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता,
नं०-1, वी० रोड, कलकत्ता ।

2. श्री रघुनाथ राय
भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
8- पोस्ट जरीपारा, जिला पुरी ।

3. श्री केदार नाथ गुरू,
गोडाड साही, पुरी टाउन,
जिला-पुरी (उड़ीसा)

4. श्री शान्ति सेन,
भूतपूर्व सदस्य
क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता
परामर्श समिति ।

5. श्री राम प्रवेश दुबे,
अध्यक्ष रांची टाउन
जिला कांग्रेस कमेटी (आई)
41, हजारी बाग रोड, रांची ।

6. मोहम्मद हलीब,
महासचिव रांची टाउन जिला
कांग्रेस कमेटी (आई)
41, हजारी बाग रोड रांची ।

7. श्रीमती ई० टिग्गा महासचिव
माइनोरिटी प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन
पुरलिया रोड, राँची ।

8. सरदार जमोलक सिंह
लाल दंगला, विस्तोरपुर
जमशेदपुर (बिहार)

9. श्री आर. ए. गुतगुतिया, बर्नपुर
राधा नगर रोड, पो० आ० बर्नपुर
जिल' वर्द्धमान ।

10. श्री वी० आर० जैन
43, नेहरूनगर,

13. श्री एस० एस० खान (गाजीपुर)
अध्यक्ष फेडरेशन आफ इनलैंड बाडर
ट्रांसपार्ट एसोसिएशन आफ इन्डिया
82. मौलाना शौकत अली स्ट्रीट
कलकत्ता-73

14. श्री पदमचन्द्र दास
प्रदेश मुख्य अधिकारी,
कांग्रेस सेवा दल, न०6-आर-3,
यूनिट-6, न्यून कैपिटल भुबनेश्वर

15. श्री अजय कुमार त्रिवेदी
मौहल्ला हसीद गंज, डाल्टन गंज
जिला-पलामू (बिहार)

16. श्री आर० पाशा खुशी एडवोकेट,
अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी (आई)
राजवन्द गाँव (मध्य प्रदेश)

प्रतिनिधित्व	नामित
एस० ए० एफ० लाइन्स भिलाई (मध्य प्रदेश)	17 श्री वाई० रामकृष्ण राव मेन रोड, पालाकोडा, जिला-श्री काकुलम (आन्ध्र प्रदेश)
11. श्री अशोक राव, सुपुत्र स्वर्गीय श्री ई० राघवेन्द्र राव बिलासपुर	
12. श्री एस० एल० गोयल, गोयल रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड 155 बी, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-7	

भारतीय रेल लेखा सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्त

8464. **श्री सनत कुमार मन्डल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल लेखा सेवा के ऐसे अधिकारियों के विवरण क्या हैं, जो इस समय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति आधार पर काम कर रहे हैं, वे किन-किन पदों पर कामकर रहे हैं तथा उन्हें कितना कितना वेतन और भत्ता मिल रहा है और उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि क्या-क्या हैं ;

(ख) कितने मामलों में प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाया गया है और किसके अनुरोध पर बढ़ाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए हालांकि इन अधिकारियो को विशेष अथवा अधिक वेतन मिलता है, तो भी उन्हें विशेषाधिकार पासों पी० टी० ओ० की सुविधा प्राप्त होती रहती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एक ही—2414/81]

(ग) और (घ) चूंकि अधिकारियों का भारतीय रेलों पर लिअन बना हुआ है अत: उन्हें प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तक वही सुविधा पास और सुविधा टिकट आर्डर अनुमेय होते हैं जो भारतीय रेलों पर सेवारत अधिकारियों को ग्राह्य होते हैं।

मधुबनी में 'बर्थ' का कोटा

8465. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री द्वितीय श्रेणी के बर्थ के आरक्षण की सुविधा के बारे में 31 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6281 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर—पूर्व रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत मधुबनी जिला मुख्यालय से

कलकत्ता, दिल्ली, पटना' धनबाद और अन्य दूर-दूर के स्थानों के लिए बार्थ बिहार एक्सप्रेस, मिथिला एक्सप्रेस, जयन्ती जनता, एक्सप्रेस, आसाम मेल और लम्बी दूरी की अन्य गाड़ियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले 'बर्थ' के कोटे के सम्बन्ध में नवीनतय स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उपरोक्त भाग में वर्णित आरक्षण के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।

(ग) यदि हां, तो कहने का क्या कारण है ; और

(घ) कितने मामले रद्द किये गये और इन गाड़ियों में आरक्षण की संभावित स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) मधुबनी स्टेशन के लिए 20 डाउन मिथिला एक्सप्रेस और 22 डाउन नार्थ बिहार एक्सप्रेस दोनों में दूसरे दर्जे की दो-दो शायिकाओं का तथा 153 अप जयन्ती जनता एक्सप्रेस में 6 शायिकाओं का कोटा आवटित किया गया है। किसी दूसरी गाड़ी में कोई कोटा आवटित नही किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह कोटा सामान्यत: पर्याप्त है। फिर भी, ऐसे अवसर आते हैं जब मांग निर्धारित कोटे से बढ़ जाती है।

बम्बई डिवीजन में अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों के लिए सुपरवाइजरी पद

8166. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई डिविजन (पश्चिम रेलवे) में ओवर हैड विंग (ट्रेक्शन, कारशेड, सब स्टेशन) में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए निर्धारित सुपरवाईजरी पद भर लिए गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में कार्यवाही कब तक पूरी कर लिये जाने की आशा है ;

(ग) क्या ओवर हैड विंग के अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कर्मचारियों के अभ्यावेदन लंबित पड़े हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर निर्णय संभवत: कब तक कर लिया जायेगा।

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना क्षेत्रीय रेलवे से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई डिवीजन में गैर मैट्रिक लिपिक

8467. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के बम्बई डिवीजन में गैर-मैट्रिक लिपिकों के चयन के लिए जुलाई-अगस्त, 1980 में परीक्षा ली गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही बनाये गए थे जिसके परिणामस्वरूप चतुर्थ श्रेणी के गैर-मैट्रिक कर्मचारी प्रश्न का हिन्दी में उत्तर नहीं दे सके और यहां तक कि वे प्रश्न पत्र को समझ नहीं सके थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परीक्षा को रद्द करने का है ; और

(घ) सभी पात्र कर्मचारियों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भाषा के विकल्प का अवसर कब तक प्रदान किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बम्बई मंडल में नान-मैट्रिक क्लर्कों के पदों के लिए अप्रैल, 1979 में एक लिखित परीक्षा हुई थी और उसके लिए मौखिक परीक्षा जुलाई/अगस्त 1980 में हुई थी।

(ख) से (घ) मामले की छानबीन की जा रही है।

गाड़ी परीक्षकों की संख्या

8468. **श्री सूरजभान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में 31 मार्च, 1980 और 31 मार्च, 1981 की डिवीजन-वार, ग्रेड-वार, अस्थायी/स्थायी-वार संवर्ग बाह्य पदों के अलावा कुल कितने गाड़ी परीक्षक थे ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : एक विवरण संलग्न है।

यांत्रिकी विभाग में श्रेणी दो के पद

8469. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे में यांत्रिकी विभाग में डिवीजन–वार स्ट्रीम वार, श्रेणी के कुल कितने पद हैं,

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कितने पद कैरिज तथा वैगन कार्मिकों से भरे गए ;

(ग) क्या यह सच है कि मुख्यालय कार्यालय में एसिस्टेंट मैकेनिकल इन्जीनियर (सी० एण्ड डब्ल्यू) तक का पद पिछले कई महीनों से रिक्त पड़ा है और इसे कैरिज तथा वैगन के कार्मिक से नहीं भरा जा रहा है ; और

(घ) कैरिज तथा वैगन विभाग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रशासन का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है।

विवरण

उत्तर रेलवे पर 31.3.1980 तथा 31.3.1981 को गाड़ी परीक्षकों/प्रधान गाड़ी परीक्षकों/मुख्य गाड़ी परीक्षकों आदि की संख्या इस प्रकार है—

मण्डल	31.3.1980 को								31.3.1981 को							
	रु०		रु०		रु०		रु०		रु०		रु०		रु०		रु०	
	840-1040		700-900		550-750		425-700		840-1040		700-900		550-750		425-700	
	स्था०	अ०	स्था०	अ०	स्था०	अ०	स्था०	अ०	स्था०	अ०	स्था०	अ०	स्था०	अ०	स्था०	अ०
जोधपुर	—	—	5	—	14	1	35	2	—	—	5	—	15	—	37	—
बीकानेर	—	—	9	1	25	1	71	7	—	—	9	1	25	1	74	11
फिरोजपुर	1	—	9	2	24	7	71	16	1	—	10	2	27	7	68	15
मुरादाबाद	1	—	10	2	31	3	83	7	2	—	9	2	31	3	83	9
इलाहाबाद	—	1	18	5	43	18	114	52	—	2	18	3	58	6	134	34
दिल्ली	2	1	20	3	58	10	161	29	2	1	20	2	58	10	161	52
लखनऊ	1	—	11	1	27	7	77	16	1	1	10	1	27	8	77	33
मुख्यालय	2	—	4	3	1	—	—	—	1	—	4	3	1	—	—	—

स्था—स्थाई

अ—अस्थाई

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के यान्त्रिक विभाग में वर्ग (ख) (श्रेणी ।।) के पदों की कुल संख्या 27 है, जिनका अलग अलग विवरण इस प्रकार है :—

मण्डल	सवारी और माल डिब्बा	लोक	डीजल	जोड़
इज्जतनगर	1	1	—	2
वाराणसी	1	2	—	3
सोनपुर	—	2	—	2
अवनऊ	—	3	3	6
समस्तपुर	—	1	—	1
	2	9	3	
कारखाने :—				
गोरखपुर	5			5
इज्जतनगर	3			3
समस्तीपुर	6			1
मुख्यालय	2			
समुद्री संगठन	2			2
	13 2	9	3	27

(ख) इस समय ये पदों पर खारखाना-स्ट्रीम के सवारी और माल डिब्बा कारखाने का अनुभव रखने वाले तथा 1 पद पर सवारी तथा माल डिब्बा कारखाने के कार्मिक कार्यकर रहे हैं।

(ग) मुख्यालय में सहायक यांत्रिक इन्जीनियर (सी० एण्ड डब्ल्यू) का पद 29.8.80 से 16.12.1980 तक खाली पड़ा रहा। यह पद अब कारखाना-स्ट्रीम से सवारी और माल डिब्बा कारखाना का अनुभव रखने वाले कर्मों द्वारा भरा गया है।

(घ) इस विभाग में श्रेणी ।। में पदोन्नति पाने के अवसर सभी स्ट्रीमों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं तथा चयन के लिए कर्मचारियों पर विचार मिले-जुले अन्तर्वेशित वरीयता के आधार पर किया जाता है ताकि वरीयता के अनुसार सभी को समान मौका मिल सके।

मदुरै जंकशन

श्री० ए० जी० सुब्बरमण : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदुरै जंकशन का स्वरूप सुधारने के कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्राम गृहों में नवनिर्मित विस्तार की छत निर्माण के समय गिर पड़ी जिसमें मजदूर घायल हो गए ;

(ख) यदि हां, तो उसके के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या ठेकेदार तथा उन विभागीय पर्यवेक्षकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने इस निर्माण का पर्यवेक्षण किया था ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) स्टेशन के स्वरूप को सुधारने के लिए जब छत विस्तारित भाग के रेलवे में कंक्रीट का काम शुरू किया गया तो उसी समय शटरिंग हट गई और प्रयलित कंक्रीट गिर पड़े । कुछ मजदूरों को मामूली चोटें आईं ।

विभागीय जांच की जा रही है और जिम्मेवार पायी गयी पार्टियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

मदुरै जंकशन पर घंटाघर

8471. **श्री ए० जी० सुब्बरमण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदुरै जंकशन पर स्टेशन भवन के सामने घं० कोई नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को सुविधा के लिए मद्रास एग्मोर तथा मद्रास सेंट्रल स्टेशनों जैसा घंटाघर बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय और कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) सामने की ओर दीवार-घड़ी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि डिजाइन इस प्रकार का नहीं है । दैनिक यात्रियों के हित को देखते हुए परिचलन क्षेत्र में अंकों वाली एक दीवार-घड़ी की व्यवस्था की गयी है ।

मदुरै-मानामदुरै लाइन पर उपरिपुल

8472. **श्री ए० जी० सुब्बुरमण** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै हवाई अड्डे तक जाने वाली मदुरै-असम्पुकोट्टाई सड़क पर मदुरै-माना-मदुरै रेल लाइन पर इस समय चौकीदार वाले फाटक के स्थान पर उपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त फाटक की व्यवस्था न होने के कारण मदुरै में विमान यात्रियों को कठिनाई होती है, और

(ग) यदि हां, तो इसका निर्माण अभी तक शुरू न किये जाने के कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां

(ख) एक समपार पहले से ही मौजूद है । समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

(ग) सड़क प्राधिकारी, जिन्हें यह काम करना है, न काम के लिए संशोधित अनुमान भेजा है, जिसकी जांच की जा रही है।

पालघाट डिवीजन में यातायात कर्मचारी

8473. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे प्रशासन को पालघाट जंकशन के श्रमिकों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि पालघाट जंकशन पर यातायात लाइनों की संख्या में वृद्धि तथा कार्यभार के अनुसार यातायात कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाये, और

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर जो जुलाई, 1980 में दिया गया था, क्या कार्यवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मंडल रेल प्रबन्धक, पालघाट को सदन रेलवे लेबर यूनियन, जो एक को गैर-मान्ययाप्राप्त निकाय है, से यार्ड कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में 5-10-80 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुला था।

(ख) दक्षिण रेलवे द्वारा यार्ड कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा।

कुष्ठ की विकलांगताओं के इलाज के लिए पुनर्रचना चिकित्सा एककों की स्थापना की योजना

8474. **श्री हरिनाथ मिश्रा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कुष्ठ रोगियों जिनके हाथ पैर आदि नष्ट हो जाते हैं; की विकलांगताओं का इलाज करने के लिये पुनर्रचना चिकित्सा एककों की स्थापना करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार संस्थापित पुनर्रचना चिकित्सा एककों का क्या ब्यौरा है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(घ) क्या इलाज से ठीक हुए कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस तरह की योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) (ख) और (ग) कुष्ठ रोग की रोकथाम और कुष्ठ रोगियों को शारीरिक विरुपता को ठीक करने के लिए 31 मार्च, 1981 तक 71 पुनः रचनाकारी शल्यचिकित्सा यूनिट स्थापित किये जा चुके है। इसका राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चार और पुनः रचनाकारी यूनिट स्थापित करने की योजना है।

(घ) और (ङ) : छठी योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 कुष्ठ पुनर्वास उन्नयन यूनिट स्थापित किए जाने है। इनका काम शारीरिक विस्थता को भौतिक चिकित्सा और शल्यचिकित्सा द्वारा ठीक करना, प्रास्थैटिक यंत्र लगाना और ठीक किए गए अंगों में विशेष गेजेट अथवा हैंडली की सहायता से वर्किंग टूल्स बैठने है ताकि वे अपने प्रयत्नों अथवा स्वेच्छिक संगठनों या समाज कल्याण विभाग के प्रयत्नों से जीवन में फिर से अच्छी तरह बस सकें।

स्वेच्छिक संगठनों की सहायता अनुदान देकर रोगमुक्त किए गए कुष्ठ रोगियों को फिर से बसाने की एक योजना पर समाज कल्याण मंत्रालय योजना आयोग के परामर्श से विचार कर रहा है।

विवरण

मार्च, 1981 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा मंजूर किए गए पुनर्रचनाकारी शल्यचिकित्सा युनिटों का ब्यौरा

राज्य	पुनर्रचनाकारी शल्यचिकित्सा यूनिटों की संख्या।
1. आन्ध्र प्रदेश	14
2. बिहार	5
3. गुजरात	3
4. हिमाचल प्रदेश	1
5. कर्नाटक	5
6. केरल	1
7. मध्य प्रदेश	2
8. महाराष्ट्र	11
9. मणिपुर	1
10. नागालैन्ड	1
11. उड़ीसा	2
12. पंजाब	1
13 तमिलनाडु	10
14. उत्तर प्रदेश	6
15. पश्चिम बंगाल	6
16. पांडिचेरी	2
योग	71

वैगन का आवंटन

8475 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज रमानी मोहन इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 20, अब्दुल हमीद स्ट्रीट कलकत्ता-700069 के स्वामी, जो खनिज और रसायनिक उत्पादों के लघु निर्माता हैं, बार-बार रेलवे बोर्ड से यह अनुरोध करते रहे हैं कि उनकी सौदपुर फैक्टरी में डोलोमाइट और लाइमस्टक लिम्पर (जो एक अत्यावश्यक कच्चा माल है) के लदान के लिये उन्हें वैगन आवंटित किये जायें।

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि वैगन आवंटित न किये जाने के कारण फैक्टरी का उत्पादन कार्य लगभग रुक गया है, और

(ग) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड ने उस अभ्यावेदन पर यदि कोई कार्यवाही की है या वह कर रहा है तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ

(ख) और (ग) :

माल डिब्बों की सप्लाई माँग पत्रों की वरिष्ठता और प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। जब चूना-पत्थर और डोलोमाइट राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किये जाते है और परेषित अपनी कार्यालय हैसियत में सरकारी अधिकारी होता है, तो वह प्राथमिकता 'ग' का पात्र होता है। जब चूना पत्थर चीनी फैक्टरियों को परेषित किया जाता है, तो उसकी ढुलाई पूर्णता 'घ' के अन्तर्गत की जाती है। प्राइवेट पार्टियों के लिए चूने के पत्थर और डोलोमाइट के संचलन की व्यवस्था पूर्णता 'ड' के अन्तर्गत की जाती है। अक्तूबर, 1980 से मार्च, 1981 तक की अवधि के दौरान मैसर्स रमानी मोहन इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड के लिए दौसा से सौदपुर तक डोलोमाइट के 14 माल डिब्बे लादे गये थे। 31.3.81 को इस पार्टी के लेखे में डोमोमाइट के लिए केवल 10 और चूने के पत्थर के लिए 27 मांगें बकाया थी। शीघ्र ही पारी के अनुसार इन मांगों को पूरा कर दिया जायेगा।

मलेरिया अनुसंधान प्रयोग शालायें

8476. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उसके मन्त्रालय के अन्तर्गत कितनी मलेरिया अनुसंधान प्रयोगशालायें हैं ;

(ख) प्रत्येक प्रयोगशाला का नाम और पता क्या है ;

(ग) इन प्रत्येक प्रयोगशालाओं में कितने कर्मचारी अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति कार्यरत हैं ;

(घ) वर्ष 1976-77 से 1980-81 तक वर्ष-वार कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ङ) प्रयोगशालाओं में अनुसंधान से मलेरिया को रोकने में कमी करने में कहां तक मदद मिली है ;

(च) क्या कदाचार के कुछ आरोप हैं ; और

(छ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली, वैक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र, पांडिचेरी और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली में मलेरिया अनुसधान किया जाता है ।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय/मुख्यालय और क्षेत्रों दोनों में मलेरिया सम्बन्धी अनुसंधान कर रहा है ।

(ख) प्रत्येक प्रयोगशाला का नाम और पता इस प्रकार है :—

मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली; वैक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र, पांडिचेरी ; राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान 22-शाम नाथ मार्ग, दिल्ली; राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, 22-शाम नाथ मार्ग दिल्ली ।

(ग) मलेरिया अनुसधान केन्द्र, दिल्ली, वैक्टर नियन्त्रण अनुसंधान केन्द्र, पांडिचेरी और राष्ट्रीय मलेरिया उत्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली में अनुसंधान कार्य के लिए निम्नलिखित कर्मचारी नियुक्त हैं । राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा धन दिये जाने वाली विशेष मलेरिया अनुसंधान योजनाओं के लिए बहु-विषयक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं के अलावा जितने कर्मचारी नियुक्त हैं, वे नीचे दर्शाये गए हैं :—

	मलेरिया अनुसंधान केन्द्र	वैक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र	राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
अधिकारी	12	15	12	21
कर्मचारी/अन्य तकनीकी कर्मचारी	71	83	51	226
अनुसंधान फैलोज	5	—	—	—

(घ) 1976-77 से 1980-81 तक किया गया खर्च इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81
राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान	1.29	2.70	4.69	11.54	8.92

1		2	3	4	5
मलेरिया अनुसंधान केन्द्र		3.96	5.62	7.85	29.35 (अन-न्तिम)
वैक्टर नियन्त्रण अनुसंधान केन्द्र	12.95	10.15	16.12	30.03	49.94 (अन-अन्तिम)
राष्ट्रीय निमलेरिया उण्मूलन कार्यक्रम	—	91.77	16.54	29.40	27.21

(ङ) अब तक किये गये अनुसंधानों से समस्याग्रस्त इलाकों का निर्धारिण करने, मलेरिया वैक्टरों का अति संवेदनशील अध्ययनों को मानीटरिंग करने और क्षेत्रीय प्रचालन संबन्धी कार्य-क्रमों को मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायता मिली है।

(च) नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में लंकेश्वर जलपोत का डूबना

8477. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है जिनमें 29 अप्रैल, 1979 को कलकत्ता में एस० आई० वी० 'लंकेश्वर' डूब गया,

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन नियमों के अनुसार 200 टन से अधिक वाले जलपोतों के लिए अग्र-संचालन (पायलटेज) अनिवार्य होता है और तट के नजदीक हो (सेडहैड में) अग्रचालकों को चढ़ना/उतरना होता है,

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जलपोत 'लंकेश्वर' ने उपयुक्त नियम का पालन नहीं किया और कलकत्ता पत्तन न्यास के 21 जून, 1979 के पत्र सं० 3231/13/5007 के अनुसार अपने आप जल में प्रवेश किया,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) क्या सरकारी धन को बचाने की दृष्टि से विवाद को निपटाने के लिए कदम यदि कोई है, उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) (क) (ग) और (घ) यन्त्रीकृत पोत 'लंकेश्वर' काकीनाड़ा से 19.4.1979 को कलकत्ता के निकट डायमंड हाबर के लिए 250 टन चावल सहित रवाना हुआ। 27.4.1979 को प्रातः 11.00 बजे जब जहाज सेडहैंड पायलटेज पाईप से लगभग 40 मील दूरी पर था, इंजिन रूम में पानी के रिसने को देखा गया। टिंडल ने सेडहैंड पहुंचने के लिए जहाज के इन्जन को पूरे वेग से चला दिया। उसी दिन आठ बजे रात्रि में टिंडन को एक लाईटशिप दिखाई दिया और उन्होंने उस जहाज के कर्मीदल का ध्यान आकर्षित

करने के लिए संकट सिगनल छोड़े, परन्तु पायलट पोत ने इन सिगनलों को नहीं देखा । उस समय तक इन्जनों ने काम करना बन्द कर दिया था तथा जहाज गैस्पर चैनल की ओर बहने लगा जो कि पायलट सीमा के भीतर है । पायलट जहाज एम० वी० 'समुद्र एम० एस० वी० 'लंकेश्वर' के निकट 28.4.1979 को 11 बजे रात्रि में पहुंचा तथा टिडल ओर चालक की रक्षा की। इसके बाद जहाज बहता रहा और हुगली नदी में गैस्पर चैनल में 29.4.79 को प्रातः 9.00 बजे डूब गया । इन परिस्थितियों में जहाज का पायलटेज नियमों के न पालन करन का प्रश्न ही नहीं होता ।

(ख) जी, हां ।

(ङ) संभवतः, इसका संबंध मालिकों के बीमा कम्पनी से 10 लाख रुपये के दावे से है जिसका अभी भुगतान नहीं किया गया है ।

ट्रेन-कन्ट्रोलर

8478. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन सोनपुर में ड्यूटी रोस्टर के अनुसार ट्रेन कन्ट्रोलर को 14 दिन में कुल 78 घटे काम करना अपेक्षित होता है,

(ख) यदि हां, तो निर्धारित 78 घंटे की ड्यूटी के बाद उनके द्वारा किये गए काम के एवज में उन्हें समयोपरि भत्ते का भुगतान न किये जाने का क्या कारण हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो उनके लिए 14 दिन में ऐसे कितने घंटे काम करना आवश्यक होगा, जिसके बाद वे समयोपरि भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां।

(ख) और (ग) कार्य घंटा विनियमों के अधीन, सतत वर्गीकृत गाड़ी कंट्रोलर एक पखवाड़े में 90 घंटे से अधिक काम (प्रारम्भिक और/या पूरक कार्य के लिए 6 घंटों सहित) के लिए समयोपरि भत्ता पाने के पात्र हैं ।

तेहरान और सिंगापुर राजमार्गों को जोड़ने वाले भारतीय राजमार्गों के निर्माण में प्रगति

8479 **श्री राम विलास पासवान** : **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-भाग में उन राजमार्गों के निर्माण के बारे में क्या प्रगति हुई है जिनके द्वारा तेहरान और सिंगापुर के बीच प्रस्तावित राजमार्गों से सम्पर्क जोड़ा जायेगा, और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन राजमार्गों को नेपाल के राजमार्गों के साथ जोड़ा गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय एशियन राजमार्गों के उन रूटों से है जो ईरान को सिंगापुर और

भारत के साथ जोड़ते है और इन रूटों के भारतीय क्षेत्रों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं एशियन राजमार्ग वेस्ट सं० ए० (1) और ए (2) बरास्ता भारत ईरान और सिंगापुर को जोड़ते हैं ए (1) का भारतीय खन्ड पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह राजमार्ग बारहमासी सड़क संचार सुविधाएं प्रदान करता है। यह राजमार्ग नेपाल में रक्सौल के निकट राजमार्गों के साथ जुड़ा हुआ है जहां तक रूट सं० ए (2) का सम्बन्ध है, यह रूट भारत के पहले से मौजूद है जिसका कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग का है और कुछ हिस्सा राज्य राजमार्ग का है। इनमें क्रमशः टनकपुर और गलगलिया के नजदीक भारत-नेपाल सीमा के पश्चिम और पूर्व की ओर के छोटी-छोटी दूरी के लुप्त मार्ग शामिल नहीं है। गलगलिया के निकट पूर्व की ओर के लुप्त मार्ग पर निर्माण कार्य पूरा होने वाला है और टनकपुर के निकट पश्चिम की ओर के लुप्त मार्ग का निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है। नेपाल स्थित एशियन राजमार्ग (2) इस समय रक्सौल के निकट भारत के साथ जुड़ा हुआ है।

बिहार की जल परिवहन योजनाएं

8480. **श्री राम विलास पासवान** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितनी जल परिवहन योजनाएं चल रही हैं,

(ख) ऐसी कितनी योजनायें कार्यान्वित की जा रही है, और

(ग) कितनी योजनाओं का सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय, पटना का क्षेत्रीय कार्यालय गंगा नदी पर पटना (बिहार) और गीजा पुर (उत्तर प्रदेश) के बीच तथा कोलगों-कारागोला (बिहार) के बीच के अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवाएं चला रहा है।

बिहार में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास करने से संबंधित कोई और विशेष योजना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। फरक्का और इलाहाबाद के बीच न्द्रो जल मार्ग का सर्वेक्षण कराने के अलावा उक्त जलमार्ग का इस बाबत अध्ययन कराने का भी प्रस्ताव है कि क्या इस मार्ग के बीच जल परिवहन सेवा चालू करना संभव है या नहीं। ये अध्ययन इसलिए कराए जा है ताकि गंगा भागीरथी हुगली नदी समूह (हल्दिया से इलाहाबाद तक) को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार किया सके।

सोनपुर डिवीजन में नैमित्तिक मजदूर

8481. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर डिवीजन में नैमित्तिक मजदूरों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन नैमित्तिक मजदूरों की संख्या कितनी है जिन्हें स्थायी कर दिया गया है और उन्हें कितने वर्ष की सेवा के पश्चात स्थायी किया गया है ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उपमंत्री : (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नासिक से चीनी की ढुलाई

8482, श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1981 के पश्चात नासिक, मनमाढ, श्रीनगर राहुरी और कोपरगांव से चीनी के कितने माल डिब्बे चले,

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों ने प्रेस से पूछने पर यह जानकारी देने से इकर कर दिया,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है, और

(घ) उपर्युक्त अवधियों में इन स्टेशनों से कितने बोरे चीनी की ढुलाई की गई तथा यह चीनी किन स्थानों को भेजी गई ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनवरी से अप्रैल 1981 (10 अप्रैल तक) की अवधि के दौरान नासिक मनमाड, श्रीरामपुर (बेलापुर स्टेशन द्वारा सेवित) राहूरी और कीपर गांव स्टेशनों से चीनी के लादे गये माल-डिब्बों की संख्या नीचे दी गयी है :—

स्टेशन का नाम	(बड़ी लाइन माल डिब्बों की संख्या चौपाहियों के हिसाव से)
नासिक	54
मनमाड	150
श्री रामपुर (बेलापुर स्टेशन द्वारा सेवित)	1150
राहूरी	425
कोपरगांव	646

(ख) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) रेलों द्वारा सूचना लादे गये चौपहिया माल डिब्बों के हिसाव से रखी जाती है. न कि लादी गयी बोरियों के हिसाब से । जनवरी से अप्रैल 1981 (10 अप्रैल तक) की अवधि के दोरान इन स्टेशनों से विभिन्न स्थानों के लिये लादे गये माल डिब्बों (चौपहिया माल डिब्बों के हिसाव से) की सख्या से सम्बन्धित एक विवरण सलग्न है ।

विवरण

लादे गए चौपहिया माल-डिब्बों की संख्या

स्टेशन के नाम	राज्य					
	चण्डीगढ़	बिहार	प० बंगाल	मध्य प्रदेश	उड़ीसा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश
नासिक	3	27	13	8			3
मनमाड		57	3	44	46		
श्री रामपुर (बेलापुर स्टेशन द्वारा सेवित)		165	218	329	82	353	
राहुरी		149.5	7	74	120.5	74	
कोपर गांव		96	177.5	96	57	219.5	

कुष्ठ रोग का उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वयन तंत्र

8484. **श्री हरनाम मिश्र :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी 15-20 वर्षों में कुष्ठ रोग का उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए जैसा कि प्रधान मन्त्री की इच्छा है केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर क्रियान्वयन तंत्र क्या है ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम को विशेष कर चालू तथा बाद के दो वर्षों के दौरान कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के लिए किस स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ग) क्या लक्ष्यों को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम में यदि कोई सुरक्षात्मक उपाय किए गए है, तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्करा) : (क) केन्द्र में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय चलाता है और राज्यों में उनके स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय चलाते हैं ।

(ख) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक तथा वस्तुगत लक्ष्यों का कार्यान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा संबंधित राज्य प्राधिकारियों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ समय-समय पर विचार विमर्श करेंगे, और पत्र-व्यवहार करके किया जाता है । गत दो वर्षों में जो मुख्य बाधा महसूस की गई वह थी इस कार्यक्रम में परिवर्तन करना जिसके अनुसार राज्यों और केन्द्र के बीच 50:50 के अनुपात में खर्च वहन किया जाना था । 1978-79 से आगे राज्यों को अलाट किए गए सभी नए कुष्ठ उपचार केन्द्र/यूनिटों के लिए इस कार्यक्रम को 1-4-1981 से शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम बना दिया गया है । आशा है कि छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में सुधार होगा ।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी स्तर

(क) वास्तविक उपलब्धियां — निम्नलिखित वर्ष के दौरान (लाखों में)

	1978-79		1979-80		1980-81 (अनन्तिम)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1. उन रोगियों की संख्या जिनका पता लगाकर उपचार किया जाना है ।	5.35	5.61	5.44	2.97	3.86	1.73
2. उन रोगियों की संख्या जिनके रोग पर काबू पाना है/उपचार करना अथवा अन्यथा डिस्चार्ज करना है ।	2 47	1.62	2.47	1 36	2.47	0.97

(ख) बजट अनुमा और खर्च (रुपये लाखों में)

केन्द्र ने सारा धन दिया				केन्द्र ने 50 प्रतिशत धन दिया	
1978-79		1979-80		1980-81	
बजट अनुमान	खर्च	बजट अनुमान	खर्च	बजट अनुमान	खर्च
689.40	766.95	399.42	191.00	348.86	250.83

ग) भौतिक उपलब्धियां

कार्यक्रम का नाम	1978-79		1979-80		1980-81	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1. कुष्ठ नियन्त्रण यूनिट	9	9	—		1	1
2. पुरानी यूनिटों का दर्जा बढ़ाना	9	9	—		—	3
3. सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र	800	825	—		—	100
4. नान-मेडिकल पर्यवेक्षक	122	87	95		90	48
5. नगरीय कुष्ठ केन्द्र	31	25	6		6	12
6. पुनः रचनाकारी सर्जरी यूनिटें	4	7	—		—	—
	1978-79		1979-80		1980-81	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
7. अस्पताल में इलाज के लिए अस्थाई बार्ड	20	26	10	शून्य	14	26
8. कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र	28	1	—		—	—
9. जिला जोनल कुष्ठ यूनिटें	17	12	10	10	10	10
10. पुराने नगरीय कुष्ठ केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना	—	—	10		10	5
11. जिला कुष्ठ यूनिट का दर्जा बढ़ाना	—	—	25		24	15
12. पुराने कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना	—	—	5		5	3
13. कुष्ठ पुनर्वास संवर्धन यूनिटें	—	—	2		3	1
14. धूम्रपान सर्वेक्षण और मूल्यांकन यूनिटें	—	—	2		3	1

15. खोली गई यूनिटों/केन्द्रों के लिए वाहनों को बदलना/सप्लाई करना	—	—	10		8	2
16. पांचवी योजना तक खोले गये यूनिटों/केन्द्रों के लिए सूक्ष्मदर्शी यन्त्रों को बदलना/सप्लाई करना	—	—	40		35	6
17. स्वैच्छिक कुष्ठ पलंगों का मुख्य अवसर	—	—	4000		3700	200
18. स्वीकृत अस्थाई अस्पतालों वार्डों का निर्माण	—	—	30		28	8
19. कुष्ठ नियन्त्रण यूनिटों का निर्माण	—	—	5		4	1
20. कुष्ठ नियंत्रण यूनिटों का निर्माण	—	—	10		14	—
21. राज्य कुष्ठ अधिकारियों के लिए सांख्यिकीय सहायक	—	—	3		—	—
	1978-79		1979-80		1980-81	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
22. मरक विज्ञान संबन्धी निगरानी दल	—	—	2		—	—
23. डेमियन फाउण्डेशन बेलगम द्वारा माडल कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र	—	—	—		—	—
24. क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और रेफरल संस्थान	—	—	2		—	—
25. कुष्ठ नियंत्रण कार्य को तेज करने के लिए मार्गदर्शी परियोजना	—	—	2		—	—

× = ध्यान दें : 1980-81 के आंकड़े अधूरे हैं क्योंकि कुछेक राज्यों से रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

देश में कुष्ठ रोग अस्थाई उपचार वार्ड

8485. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम निधि से देश में वर्ष 1980 तक कुल कितने कुष्ठ रोग अस्थाई उपचार वार्डों का निर्माण किया गया है;

(ख) इनमें से कितने वार्डों को रोगियों के लिए अभी तक नहीं खोला गया है; और

(ग) निर्मित वार्डों को खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम निधि से देश में 1980 तक बनाए अस्थायी हास्पिटलप-इजेशन वार्डों (कुष्ठ रोग/की संख्या 125 है।

(ख) इनमें से 29 वार्ड रोगियों के लिए अभी तक नहीं खोले गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों से इन वार्डों को शीघ्र खोलने का अनुरोध किया गया है।

कुष्ठ नियंत्रण कार्य

8486. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवीतम तथा अधिक प्रभावकारी औषधों के उपयोग के माध्यम से कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अथवा द्विपक्षीय एजेन्सी के साथ कोई करार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त करार के अधीन कितनी राशि तथा औषधयों का उपयोग किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमन्त्री : (श्री निहार रंजन लास्कर)

(क) हां।

(ख) उसका ब्यौर संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 36.39 लाख रुपये की दवाइयां तथा 5-14 लाख रुपये के वाहन प्राप्त हो गए हैं और विभिन्न राज्यों/कुष्ठ अस्पतालों/स्वेच्छिक संस्थाओं को सप्लाई कर दिए गये हैं।

विवरण

भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम सहायतार्थ भारत सरकार और स्वीडन सरकार के बीच हुए करार की रुपरेखा

24 अप्रैल, 1978 को दोनों सरकारों के बीच एक करार हुआ था जिसके अधीन स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एन्जेसी ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 125 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की सहायता देनी थी। इसके विपरीत दोनों सरकारों के बीच 4 अक्तूबर, 1979 को एक परियोजना दस्तावेज (प्रोजेक्ट डाकुमेंट) पर हस्ताक्षर हुए थे जिसके अन्तर्गत स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को चलाने में मदद देने के लिए लग भग 20 मिलियन क्रोनर्स देने के लिए सहमत हो गई थी। इस मदद का उद्देश्य दस ऐसे जिलों में जिनमें यह रोग गम्भीर रूप से फैला हुआ है, विभिन्न बहु-औषधीय मिश्रणों के साथ मार्गदर्शी परीक्षण शुरु करना है, ताकि रोग के फैलने को रोकने तथा नये रोगियों की रोकथाम करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। आशा यह थी कि जब ऐसे मार्गदर्शी परीक्षणों से यह

पद्धति एक बार कारगर बन गई तो रोग पर मजबूती से काबू पाने के लिए इसे देश के उन सभी 205 जिलों में लागू किया जा सकेगा जिनमें यह रोग स्थानीय रूप से फैला हुआ है।

इस परियोजना के अधीन तात्कालिक उद्देश्य यह था कि—

1. इस परियोजना दस्तावेज में इसी उद्देश्य के लिए निश्चित किए गये 10 अति-स्थाननिकमारी वाले जिलों में लैम्परीन और रिफैम्पिसिन को आजमाना।

2- प्रति वर्ष नियंत्रित परिस्थितियों में अस्पताल के लगभग 2,900 रोगियों पर लैम्परीन तथा लगभग 7000 रोगियों पर रिफैम्पिसिन का प्रयोग करना।

परियोजना का एक गौण उद्देश्य कुष्ठ रोगियों के घाव भरने के लिए विदेश में तैयार किया गया चिपकाने वाला विशेष टेप राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को उपलब्ध करना था, जो घावों को तेजी से तथा ठीक ढंग से भरने के लिए प्रचलित मरहम पट्टियों से उत्तम पाया गया था।

उपर्युक्त दवाइयों टेप सप्लाई करने के अतिरिक्त इस परियोजना में इस योजना के लिए अतिस्थानिकमारी वाले जिलों में स्थापित किए जाने वाले निगरानी दलों के लिए, जिन रोगियों पर दवा असर नहीं करती है उनको अस्पताल में भर्ती कर अस्थायी इलाज पर होने वाले खर्च के लिए, तथा ऐसे प्रत्येक जिले में अभियान के दौरान मिले जटिल रोगियों के लिए, जिला स्तर पर अभियान चलाने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षण देने के वास्ते कार्यशालाएं खोलने तथा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक वाहन तथा उपकरणों सहित अन्य प्रचालन सम्बन्धी खर्चों के लिए सीडा से मिलने वाली सहायता पर विचार किया गया था। यह भी सोचा गया था कि भारत सरकार ऐसे उपचार के लिए अपेक्षित सामान्य दवाईयां (डी० डी० एस०, थियासेटाजोन तथा आई० एन. एच०) उपलब्ध करेगी। भारत सरकार विदेश से ली जाने वाली सामग्री पर लगने वाले आयात शुल्क के लिए भी जिम्मेदार होगी।

इस परियोजना दस्तावेज में आवधिक अनुमानित खर्च की भी व्यवस्था है।

इस कार्यक्रम का निष्पादन विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श से किया जाना है जो मूल्यांकन प्रक्रिया में भी भाग लेगा। यह मूल्यांकन हर वर्ष एक स्वतन्त्र मूल्यांकन दल द्वारा किया जा रहा है।

इस प्रयोजन के लिए चुने गये अतिस्थानिकमारी वाले जिलों के नाम नीचे दिए गये है :-

पहला वर्ष-
1. वर्धा, महाराष्ट्र।
2- पुरुलिया, पश्चिम बंगाल
3. अमरावती, महाराष्ट्र

दूसरा वर्ष
1. गंजम, उडीसा
2. आगरा, उत्तर प्रदेश
3. श्रीकाकुलम, आन्ध्र प्रदेश

तीसरा वर्ष

1. संथाल परगना, बिहार
2. उत्तरी आर्कोट, तमिलनाडु
3. धारवाड़, कर्नाटक
4. बड़ौदा गुजरात ।

नयी रेल लाइनों निर्माण

8487. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेल लाइनों के बिछायें जाने, और छोटी लाइन में बदलने सम्बन्धी विचाराधीन प्रस्तावों की जोन-वार सूची क्या है, और

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव के सम्बन्ध में कितनी-कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री : (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

नयी लाइनों के निर्माण और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से सम्बन्धित विचाराधीन प्रस्तावों की रेलवे-वार सूची ।

क्रम सं०	विचाराधीन प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण	रेलवे	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	रोहा-दासगांव	मध्य	इसे छठी योजना में शामिल किये जाने का प्रस्ताव था । छठी योजना में नयी लाइनों के लिए धनराशि के कम नियतन के कारण, इस परियोजना को स्थान नहीं मिल सका ।
2.	गुना-इटावा	मध्य	सर्वेक्षण हो रहा है । सर्वेक्षण कार्य दि० 1980 में शुरू किया गया था ।
3.	ललितपुर-सिंगरौली	मध्य	सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
4.	धुले-अलवर	मध्य	सर्वेक्षण को 1981-82 के बजट में शामिल किया गया है ।
5.	मथुरा-अलवर	मध्य	सर्वेक्षण को 1981-82 के बजट में शामिल कर किया गया है ।
6.	बजबज-नामखाना (कुलपी-लक्ष्मीकान्तपुर	पूर्व	यदि 100 करोड़ रुपये की मांगी गयी

1	2	3	4
	शाखा लाइन सहित)		अतिरिक्त राशि मिल गयी तो इसे छठी योजना में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है ।
7.	आरा-सासाराम	पूर्व	सर्वेक्षण को 1980-81 के बजट में शामिल कर लिया गया है। योजना शीघ्र ही शुरू की जायेगी ।
8,	मन्दारहिल- वैद्यनाथ धाम	पूर्व पूर्व	फरवरी 1981 में प्राप्त सर्वेक्षण रिपार्ट विचाराधीन है ।
9.	डेहरी आन सोन पिपराडी	पूर्व पूर्व	सर्वेक्षण हो रहा है । इसको पूरा करने की लक्ष्य तिथि जून, 1981 है ।
10.	देवघर-दुमका	पूर्व	सर्वेक्षण को 1980-81 के बजट में शामिल किया गया है ।
11.	हाजीपुर और वछवारा के वीच समानान्तर बड़ी लाइन	पूर्वोत्तर	सर्वेक्षण हो रहा है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि जून, 1981 है ।
12.	दौराम मधेपुरा सिहेश्वर स्थान	पूर्वोत्तर	रेलवे द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।
13	भोजीपुरा तथा बरेली के बीच समानान्तर बड़ी लाइन और भोजीपुरा तथा काठगोदाम के बीच सीधी लाइन	पूर्वोत्तर	1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।
14.	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी	पूर्वोत्तर	1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।
15.	कटिहार से सिलीगुड़ी तक समानान्तर बड़ी लाइन	पू. सीमा	1981-82 के बजट में शामिल कर लिया
16.	गुवाहाटी बदरपुर तक बैकलियक बड़ी लाइन	पू. सीमा	1981-82 के बजट में शामिल कर लिया
17.	टिपलिंग-इतानगर	पू. सीमा	1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।
18.	कुमारघाट-अगरतला	पू. सीमा	1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।

1	2	3	4
19.	करुर-डिंडीगुल नयी लाइन और डिंडीगल से मदुरै तक तथा मलियाची के रास्ते तुत्तुकुडि से तिरनेलवेलि तक समानान्तर बड़ी लाइन (करुर-डिंडीगल-तुत्तुकुडि परियोजना का चरण-1)	दक्षिण	छठी योजना में शामिल कर लिया गया है।
20.	मदुरै-मनियाची की सीधा आमान-परिवर्तन (करुर डिंडीगल तुत्तुकुडि परियोजना का चरण-11	दक्षिण	यदि 100 करोड़ रूपये की मांगी गयी अतिरिक्त राशि मिल गयी तो इसे छठी योजना में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है।
21.	चित्रदुर्ग-रायदुर्ग	दक्षिण	... ...यथोक्त... ... ...
22.	त्रिचुर-कुटीपुरम वरास्ता गुरुवायुर	दक्षिण	सक्षर्वेण हो रहा है और इसे शीघ्र पूरा कर लिये जाने की आशा है।
23.	येलहंका से बंगारपेट तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	दक्षिण	सर्वेक्षण को 1980-81 के बजट में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण कार्य शुरु करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है।
24.	अलप्पी-कायनकुलम	दक्षिण	1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है।
25.	चामराजनगर-पेट्टुपालयम	दक्षिण	... ... यथोक्त ... ...
26.	निजामाबाद-रामगुंडम	द. मध्य	सर्वेक्षण हो रहा है।
27.	पाटनचेरुपादपल्लि	द. मध्य	सर्वेक्षण हो रहा हैं। इसे पूरा करने की लक्ष्य तिथि अक्तूबर, 1981 है।
28.	गुन्तकल्लु से द्रोणाचलम तक समानान्तर बड़ी लाइन और द्रोणाचलम से गुटुर तक मीटर लाइन की बड़ी लाइन में बदलना	द. मध्य	1981-82 के बजट में शामिल किया गया था कर्मचारियों की कमी के कारण कोई प्रगति सम्भव नहीं है।
29.	कृष्ण-विकाराबाद	द. मध्य	1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

1	2	3	4
30.	माचेर्ला-रायचूर	द. मध्य	.....यथोक्त.....
31.	नन्दयाल-येरगुंवला	द. मध्य	.....यथोक्त.....
32.	नडिकुडे-गुडुर कालाहस्ती	द. मध्य	.....यथोक्त.....
33.	वारवाडी-करोंजी	द. पूर्व	137 कि० मी० में इंजीनियरी क्षेत्र-कार्य पूरा हो चुका है और शेष खन्ड पर यह कार्य हो रहा है । यातायात क्षेत्र कार्य पूरे खण्ड पर हो रहा है और इसके शीघ्र ही पूरा कर लिये जाने की आशा है ।
34.	खड़गपुर-दीघा	द. पूर्व	क्षेत्र कार्य पूरा हो चुका है । नक्शे और अनुमान तैयार किये जा रहे हैं । सर्वेक्षण रिपोर्ट के शीघ्र मिलने की आशा है ।
35.	तालचेर-सम्बलपुर	द. पूर्व	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच के परिणामस्वरूप रेलवे को इस नयी लाइन की यातायात सम्बन्धी संभावनाओं की समीक्षा करके 30.6.1981 तक संशोधित मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है ।
36.	ढल्ली राझरा-जगदलपुर	द. पूर्व	यदि 100 करोड़ रुपये की मांगी गयी अतिरिक्त राशि मिल गयी तो इसे छठी योजना में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है
37.	कोरापुट-रायगाडा	द. पूर्व	छठी योजना में शामिल किया गया है ।
38.	छिन्दावाड़ा-परासिया बड़कुड़ी छोटी लाइन खन्ड की बड़ी लाइन में बदलना	द. पूर्व	सर्वेक्षण हो रहा है और इसके शीघ्र कर लिये जाने की आशा है ।
39.	रूपसा-बांगरीपोसी तालबंद छोटी लाइन की बड़ी लाइन में बदलना और इसको गुरूमहिसानी/चाकुलिया तक या टाटानगर खड़गपुर लाइन पर किसी अन्य उपयुक्त स्थल तक बढ़ाना	द. पूर्व	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । महा प्रबन्धक द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश को देखते हुए संशोधित वित्तीय मूल्यांकन शीघ्र ही पूरा कर लिये जाने की आशा है ।
0.	रायपुर धामतारी छोटी	द. पूर्व	1981-82 के बजट में शामिल कर लिया

1	2	3	4
	लाइन में बदलना और उसे बालोद तक बढ़ाना		गया है।
41.	पुरुलिया कोटशिला मीटर लाइन की बड़ी लाइन में बदलना।	द. पूर्व	.....यथोक्त.....
42.	रांची लोहारडागा छोटी लाइन की बड़ी लाइन में बदलना और उसे टोरी तक बढ़ाना	द. पूर्व	.....यथोक्त.....
43.	गांधीधाम भुज छोटी लाइन बड़ी लाइन में बदलना और मांडवी रास्ते उसे लखपत तक बढ़ाना	पश्चिम	सर्वेक्षण हो रहा है। इसे पूरा करने की लक्ष्य तिथि दिसम्बर, 1981 है।
44.	कोटा-देवघर-पदरिया बड़ी लाइन लम्बिया और ब्यावर के बीच एक मीटर लाइन स्पर सहित।	पश्चिम	1981-82 के बजट में शामिल किया गया है।
45.	सांगानेर तथा कनकपुर और गोटोर जगतपुरा कनकपुर के बीच जयपुर का परिहार करते हुए परिहार लाइन	पश्चिम	1981-82 के बजट में शामिल किया
46.	नाथद्वारा टोडाराय सिंह	पश्चिम	1981.82 के बजट में शामिल किया गया है।
47.	जोधपुर के लिए परिहार लाइन	उत्तर	1981-82 के बजट में शामिल किया हैं।
48.	बांकुरा रानीगंज, दामोदर नदी पर एक पुल सहित	द. पूर्व	रेल प्रशासन से कहा गया है कि वह पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से और उनके खर्च पर दिसम्बर, 1977 में किये गये पहले के सर्वेक्षण का तुरत पुनः मूल्यांकन करके शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बंगला देश के साथ रेल सम्पर्क

8488. **श्री अजय विश्वास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से होकर गुजरने वाली माल तथा यात्री गाड़ियों के सुगमता पूर्वक आवागमन के लिए सम्पर्क स्थापित करने के लिए बगला देश सरकार के साथ बातचीत चल रही है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बंगला देश के रास्ते त्रिपुरा तक माल यातायात की ढुलाई के लिए बंगला देश सरकार के साथ बातचीत की गयी थी। परन्तु बंगला देश के रास्ते यात्री गाडियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) परिवहन में पड़े माल यातायात की बंगला देश के रास्ते त्रिपुरा तक ढुलाई के प्रस्ताव बंगला देश सरकार के विचाराधीन हैं और उनके अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

गोहाटी, करीमगंज, सिलचर और धारण गांव के बीच गाड़ियों का देरी से चलना

8489. **श्री अजय विश्वास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी, करीमगंज, सिलचर और धारणगांव के बीच रेल-गाड़ियां देरी से चल रही हैं,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है, और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्तक कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) फरवरी और मार्च, 1981 की अवधि में गुवाहटी, करीमगंज, सिलचर और धर्मनगर (धरनगांव नहीं) को मिलाने वाली गाड़ियों का समय-पालन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा हैं। फिर भी, उनके समय-पालन में और अधिक सुधार लाने की दृष्टि से इन गाड़ियों के चालान पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र को रेल वैगनों की सप्लाई

8490. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री निम्न जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र को रेल वैगनों की सप्लाई मांग से बहुत कम है,

(ख) यदि हां, तो मांग का ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष के (महीनेवार) कितनी सप्लाई की गई, और

(ग) क्या रेलवे द्वारा ब्लाक रैकों में इस्पात ले जाए जाने का आग्रह करने से यह समस्या पैदा हुई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी नहीं । राउरकेला इस्पात कारखाने को माल डिब्बों की सप्लाई मांग और लदान क्षमता के अनुरूप रही है । पिछले एक वर्ष के दौरान मासिक परेषण नीचे दिखाए गये हैं :

महीना		परेषण (टनों में)
अप्रैल 80	:	61141
मई, 80	:	51816
जून, 80	:	66250
जुलाई, 80	:	75262
अगस्त, 80	:	51900
सितम्बर,80	:	55697
अक्तूबर, 80	:	80549
नवम्बर, 80	:	85743
दिसम्बर, 80	:	81545
जनवरी, 81	:	94036
फरवरी, 81	:	86682
मार्च, 81	:	132407

(ग) रेल परेषणों की फुटकर अनुमति देती रही है, और पिछले एक वर्ष में राउरकेला इस्पात कारखाने से कुल परेषणों का औसतन 17.36 प्रतिशत माल फुटकर रूप में भेजा गया । इसके अतिरिक्त 7 प्रतिशत परेषण आधे रैकों में भेजे गये । ब्लाक रैकों के संचलन से ज्यादा तेज संचलन तथा बढ़े हुए परेषणों को ढोने में मदद मिली है जैसा कि ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर से स्पष्ट है । मार्च, 81 में लदान सबसे अधिक हुआ है जो कि एक रिकार्ड है ।

डाक्टरों के प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों आर अनुसूचित जनजतियों की प्रतिशतता

8491. श्री भीखा भाई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1980 को उनके मंत्रालय में वर्गवार कुल कितने डाक्टर थे :

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्गवार प्रतिशतता क्या थी :

(ग) 1678 से 1979 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कुल कितने पदों का आरक्षण समाप्त किया गया था :

(घ) मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा भरने के लिए सरकार की नीति हैं : और

(ड.) पिछले पदों को भरने के लिए विस्तृत कार्यक्रम क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) और (ख): एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1978 से 1980 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित 19 पदों का आरक्षण समाप्त किया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सेवाओं में आरक्षण के बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय समय पर जारी की गई हिदायतों का इस मत्रालय द्वारा भर्ती किये गये डाक्टरों के मामले में पालन किया जा रहा है। इस विषय पर नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले मांग-पत्र में अनारक्षित रिक्तियों की संख्या के अलावा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या को और पिछले वर्षों से आगे लाई गई रिक्तियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाता हैं।

विवरण

डाक्टरों की श्रेणियां	1-12-1980 को कार्य कर रहे डाक्टरों की कुल संख्या	प्रतिशतता	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
एलोपैथिक—			
सुपर टाइप ग्रेड-I	25	—	—
विशेषज्ञ ग्रेड-I	97	—	—
सुपर टाइप ग्रेड-II	40	7.5 प्रतिशत	—
विशेषज्ञ ग्रेड-II	499	5.4 प्रतिशत	40 प्रतिशत
जी०डो० ओ० ग्रेड-I	806	1.2 प्रतिशत	0.25 प्रतिशत
जी० डी० ओ० ग्रेड-II	1087	12.9 प्रतिशत	0.85 प्रतिशत
आयुर्वेदिक फिजीशियन	47	12.76 प्रतिशत	6.38 प्रतिशत
होम्योपैथिक फिजीशियन	36	20.16 प्रतिशत	5.55 प्रतिशत
यूनानी फिजीशियन	5	—	—
दन्त चिकित्सा सर्जन	30	15.6 प्रतिशत	—
उप-सलाहकार (आयुर्वेद)	2	—	—
(होम्योपैथी)	1	—	—
(यूनानी)	1	—	—

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में अत्याधिक भीड़भाड़ होना

8492. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में चल रही दिल्ली परिवहन निगम की बसों में अत्यधिक भीड़ भाड़ न होने देने और खड़े होने वाले यात्रियों को अनुमति संख्या को ही लेने के लिए अनुदेश जारी किए हैं,

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मार्गों पर चल रही 'मुद्रिका' और 'तीव्र मुद्रिका' बसें यात्रियों को निर्धारित संख्या को ही ले जायेंगे, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए नये अनुदेशों का ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम में केवल रिंग रोड पर चलने वाली मुद्रिका तथा तीव्र मुद्रिका सेवा के सम्बन्ध में 1.4.81 से निर्देश जारी किए हैं कि बस की निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बस में चढ़ाना चाहिए, उससे अधिक नहीं।

राजदूतों के रिक्त पद

8493. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से देशों में दूतावासों में राजदूतों तथा बहुत से अन्य व्यक्तियों के पद रिक्त पड़े है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और किस प्रकार के पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) उनको भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्री आर० वेंकटरामन वित्त मन्त्री : (क) भारत सरकार के विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों की कुल संख्या 135 हैं, इनमें कुल मिलाकर 99 ऐसे वरिष्ठ पद हैं, जिनपर संयुक्त सचिव और उनसे बड़े अधिकारी तैनात किए जाते हैं। इनमें से केवल आठ पद ही इस समय खाली हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक कारणों से हमेशा कुछ रिक्तियां बनी होती रहती है क्योंकि नियुक्तियां नियत अवधि और क्रमिकता के सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं जिससे हर समय अल्प अवधि के लिए कुछ पद रिक्त रहते हैं।

(ख) रिक्त पदों का ब्योरा इस प्रकार है,

देश	रिक्त पद	कब से रिक्त हैं
1. बिली	राजदूत	1.1.81
2. जापान	,,	18.11.80
3. मोरक्को	,,	19.3.81

4. नार्वे	राजदूत	9.11.80
5. समानिया	,,	18.3.81
6. सूरीनाम	,,	5.11.80
7. वियतनाम	,,	19.1.81
8. मारीशस	,,	4.10.79

(ग) क्रम संख्या 1,3,4, और 5 उल्लिखित स्थानों से सम्बन्धित रिक्तियों पर नियुक्ति की घोषणा की जा चुकी है और चुने गए अधिकारी जल्दी ही अपने मिशनों का कार्य भार संभाल लेने। ऊपर बतायी गई अन्य रिक्तियों पर मिशन प्रमुखों की नियुक्ति के लिए सरकार कारवाई कर रही है।

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय डाक्टर

8494. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में, देशवार, कितने भारतीय डाक्टर काम कर रहे हैं ; और

(ख) नौकरी के लिए विदेशों में जा रहे भारतीय डाक्टरों की वर्तमान प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) इस देश से डाक्टरों को बाहर जाने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को कार्मिक विभाग के 'विदेश नियुक्ति अनुभाग' में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की अनुमति नहीं है। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर, 1975 से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के किसी भी अधिकारी को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

2. कुछ-कुछ अवधि के बाद समीक्षा करके यह निश्चित कर लिया जाता है कि इस देश में किन स्पेशियलिटिज की कमी है। इन वर्गों के डाक्टरों को विदेश में नियुक्ति हेतु भेजने पर पाबंदी लगा दी जाती है।

हरियाणा एक्सप्रेस का डीजलीकरण

8495. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीजल इन्जनों को और अधिक रेलगाड़ियां चलाने की योजना तैयार की है,

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली हिसार हरियाणा एक्सप्रेस अब भी भाप के इन्जनों से चलाई जा रही है, और

(ग) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी के भाप के इजनों के स्थान पर डीजल के इन्जन लगाने के लिए क्या कदक उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) लम्बी दूरी को भीड़-भाड़ वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलकरण, चयनात्मक आधार पर किया जा रहा है जिसमें डीजल इन्जन की उपलब्धता को ध्यान रखा जाता है जो आवश्यक माल भाड़ा यातायात को निकासी के लिए खास तौर से जरूरी होता है। फिलहाल 99/100 हरियाणा एक्सप्रेस को डीजल रेल इन्जन से चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हरियाणा से प्राप्त ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

8496. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार से राज्य में कार्यान्वयन के लिए एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने उसका अनुमोदन कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

जापान तथा दक्षिण कोरिया से जलपोत और तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए ऋण सुविधाएं

8497. **श्री एस० बी० सदिनाल** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जलपोत खरीदने तथा शिपयार्ड के सुधार के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने हेतु जापान तथा दक्षिण कोरिया से ऋण सुविधाएं देने का अनुरोध किया था,

(ख) यदि हां हो इस बारे में इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई ब्योरा तैयार किया गया है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) हाल ही में जब मैं दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर गया था, तब जहाज खरीदने, शिपयार्डों के विकास के लिए

ऋण प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने और शिपयार्डों के आधुनिकीकरण के संबंध में वहां के अधिकारियों के साथ मेरी खुलकर बात हुई।

(ख) इन दोनों देशों ने हमें यथासंभव सहयोग और सहायता देने में विशेष रुचि दिखलाई।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

व्यापार स्पर्धा को तुलना नौवहन कंपनियां

8498, **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, यू० के० महाद्वीप सार्थसंघ के गठन तक अधिकाधिक नौवहन कंपनियों के लिए व्यापार में प्रवेश करना आवश्यक हो गया है,

(ख) क्या अन्य भारतीय कंपनियों के पास समुद्रपार लम्बे मार्गों पर खुला माल (बल्क कार्गो) ले जाने के लिए उचित टन भार वाले जलपोत हैं,

(ग) यदि नहीं तो विदेशों के बड़े-बड़े जल पोतों की स्पर्धा में किस तरह कायम रहने का विचार है, और

(घ) अधिक जलपोतों का अधिग्रहण करन और बड़े पैमाने पर नौवहन में प्रवेश करने की क्या योजनाएं हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) पुलिंग व्यवस्था को 1.4.81 को समाप्त किया जाने के पश्चात भारतीय नौवहन निगम, सिंधिया स्टीमशिप्स तथा इन्डिया स्टीमशिप्स ने एक कन्सोरटियम स्थापित किया है जिसका नाम 'इंडिया कन्टेनर लाइन्स' रखा गया है जो कि भारत- यू०के०/महाद्वीप मार्ग पर कन्टेनरीकृत सेवाओं की पेशकश करेगा। इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्लान पर नौवहन महानिदेशक द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त तीन कम्पनियों को छोड़ कर बहुत कम ऐसी अन्य कम्पनियां हैं जिनके पास लम्बे मार्गों पर चलने वाले जहाज हैं जो कि ब्रेक बल्कि माल की ढुलाई कर सकें तथा उनमें समिति संख्या में कन्टेनर हैं।

(ग) और (घ) विदेशी लाइनों द्वारा दी गई चेतावनी का सामना करने के लिए उपरोक्त भाग (क) में दी गई तीन कम्पनियों ने यह प्रस्ताव किया है कि वह पूरी तरह से कोष्ठिका वाले कन्टेनर जहाज को चार्टर/खरीद करें। उपरोक्त के अलावा छठी पंचवर्षीय योजना में 1985 तक अतिरिक्त निवल 2.5 मिलियन जी० आर० टी० और जोड़े जाने की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली मेरठ लाईन

8499. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यातायात के बढ़ जाने के कारण दिल्ली मेरठ लाईन पर बहुत भीड़-भाड़ हो गई है और अभी तक केवल इकहरा रेलपथ ही उपलब्ध है,

(ख) यदि हां, तो क्या दैनिक यात्रियों की संख्या और इस मार्ग पर पड़ने वाले औद्योगिक क्षेत्रों को दृष्टि में रखते हुए एक और रेलपथ बिछाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) अभी हाल ही में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ लाइन पर, गाजियाबाद और मुरादनगर के बीच दोहरी लाइन की यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके फलस्वरूप इस खंड पर अतिरिक्त क्षमता का विकाश होगा। इसके अलावा शाहदरा-सहारनपुर बड़ी लाइन को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। मुरादनगर से मेरठ होते हुए सहारनपुर तक एक दोहरी रेलवे लाइन बिछाना आवश्यक नहीं समझा जाता।

पलवल स्टेशन पर शेड लगाया जाना

8500. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा, गर्मी और सर्दी से बचाव के लिये दिल्ली-मथुरा ब्राड गेज सैक्शन पर पलवल स्टेशन के पूर्वी प्लेटफार्मों पर शेड नहीं हैं,

(ख) यदि हां, तो वहां शेड न लगाए न जाने के क्या कारण हैं जबकि इस स्टेशन से रेलगाड़ियों में हजारों यात्री यात्रा करते है, और

(ग) क्या सरकार का विचार वहां एक नये शेड का निर्माण करने का है और यदि हाँ तो कब तक ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां।

(ख) और (ग) पलवल के पूर्वी दिशा वाले प्लेटफार्म पर प्लेट फार्म छत की व्यवस्था का कार्य पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। इस कार्य के निष्पादन के लिए ठेका एजेंसी के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जा रही है। धन की कमी के कारण यह कार्य पहले प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

पलवल स्टेशन पर प्रयोग में लाए गए टिकटों को दुबारा बेचा जाना

8501. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि दिल्ली मथुरा शेक्शन (मध्य रेलवे) पर स्थित पलवल स्टेशन के गेट पर प्रयोग में लाये गये टिकटों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें वहां दुबारा बेच दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे की राजस्व को हानि उठानी पड़ रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को ऐसी जालसाजी करने का दोषी पाया गया,

(घ) कितने विभागीय कर्मचारी उससे सम्बद्ध हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ऐसे कोई मामले रेल मंत्रालय के ध्यान में नहीं आये हैं।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

पलवल फरीदाबाद और दिल्ली-मथुरा सैक्शनों में गुंडागर्दी

8502. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि दिल्ली-मथुरा सैक्शन पर पलवल और फरीदाबाद के बीच समाज विरोधी तत्व इतने सक्रिय हो गये हैं कि स्वाभिमानी पुरुषों और महिलाओं के लिए स्थानीय रेलगाड़ियों से यात्रा करना कठिन हो गया है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने समाज-विरोधी लोगों को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय और कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान सितम्बर, 1978 में महिला दैनिक यात्रियों से इस आशय की एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति महिलाओं के सवारी डिब्बे में घुस गये और उन्होंने उपद्रव मचाने कोशिश की थी। इस घटना की जांच की गई और निवारक उपाय किये गये। पलवल और फरीदाबाद की राजकीय रेलवे पुलिस के पास जांच पड़ताल करने के लिए कोई मामला रजिस्टर कराने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) यह एक सामाजिक बुराई है। फिर भी रेलों ने अनधिकृत रूप से यात्रा की रोकथाम के लिए जांच का काम गहन कर दिया है। राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारी विशेष रूप से इन गाड़ियों पर निगरानी रख रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार दैनिक यात्रियों को परेशान न किया जाये इसके अथावा राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा इन गाड़ियों में रात्रि के समय सशस्त्र भार्गरक्षियों की व्यवस्था की गई है। रेलवे सुरक्षा बल भी इस सम्बन्ध में मदद कर रहा है। इसके अलावा, रेलों द्वारा कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेवार राज्य एजेन्सियों के साथ सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

मस्तिक ज्वर का उपचार

8503. **श्री राम सिंह यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में मस्तिक ज्वर आम हो गया है;

(ख) क्या इस वर्ष जनवरी और फरवरी में तमिलनाडु में तिरनेलवेली जिले के विभिन्न अस्पतालों में दाखिल किये गये संदिग्ध मस्तिष्क ज्वर के 59 मामलों का जापानी मस्तिष्क ज्वर के रूप में विदान किया गया था और ये प्राण घातक सिद्ध हुए थे;

(ग) ऐसे मामलों की रोकथाम और उनके उपचार के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) देश के अनेक भागों से जापानी ऐनसेफ्लाइटिस के कारण मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित रोगियों के होने की रिपोर्ट मिली है।

(ख) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से मिली रिपोर्टों के अनुसार जनवरी और फरवरी, 1981 के दौरान जापानी ऐनसेफ्लाइटिस से पीड़ित 66 रोगियों को तिरुनलवैली मेडिकल कालेज अस्पताल तिरुनेलवैल में भर्ती किया गया था और क्लिनिकल आधार पर उनका निदान किया गया था। उनमें से ग्यारह व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।

(ग) अन्य वाइरस रोगों की तरह जापानी ऐनसेफलाइटिस का फिलहाल कोई भी विशेष उपचार नहीं है और इनका उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है।

(घ) इस रोग का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं।

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने ऐनसेफ्लाइटिस की रोकथाम रोग निदान और उपचार के बारे में विस्तृत तकनीकी हिदायते जारी कर दी है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन/ हिदायतों को दोबारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के ध्यान में ला दिया है।

2. रोगियों का शीघ्र पता लगाने उनका उपचार करने और उनकी सूचना देने के लिए उपाय कर दिए गये हैं।

3. रोगियों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रभावित राज्यों के साथ भारत सरकार द्वारा लगातार सम्पर्क रखा जा रहा है।

4. राज्यों की सहायता के लिए ट्रापिकल स्कूल आफ मेडिसिन अधिक भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली, राष्ट्रीय वाइरस विज्ञान संस्थान और केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद जैसे विशेषज्ञ संस्थाओं से दल भेजे जाते है जो रोगियों के उपयुक्त विदान सम्बन्धी अन्वेषण करने में मदद करते हैं और तकनीकी सहायता तथा सलाह प्रदान करते हैं।

5. मच्छरों को कम करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में विशेष छिड़काव कार्य करने लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त कीटनाशी दवाइयां उपलब्ध की जाती है।

6. विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिये जापानी ऐनसेफ्लाइटिस वैक्सीन का सीमित मात्रा में आयात किया गया है और जब कभी आवश्यक होता है इन भन्डारों से प्रभावित राज्यों को इसमें से वैक्सीन दे दी जाती है।

7, भारत सरकार ने केन्द्रीय अनुसधान संस्थान कसौली में जापानी ऐनसेफ्लाइटिस की

प्रति वर्ष 20 लाख खुराकें तैयार करने की एक परियोजना सिद्धांत रूप में मान ली है और निए निर्माण कार्य शुरू करने लिए जापान से तकनीकी जानकारी तथा अन्य आवश्यक सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बेकार समझे गए अथवा बेच दिए गए जहाजों की संख्या तथा उनके नाम

8504. **श्री वसन्त कुमार पंडित** : क्या नौहवन और परिवहन मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौहवन निगम द्वारा। अप्रैल, 1977 से अब तक बेकार घोषित किए गए जहाजों की संख्या कितनी है तथा उनके रुम क्या क्या है।

(ख) प्रत्येक के लिए कितनी राशि वसूल की गयी,

(ग) क्या उक्त कार्य के लिए कोई टेन्डर आमंत्रित किए गए थे,

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक के लिए प्राप्त हुई दरों का ब्यौरा क्या है, और

(ड) कौन से टेन्डर स्वीकार किए गए और उसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल : (क) और (ख) : 1 परिचालन के लिए बेचे गए जहाज

जहाज का नाम	प्राप्त धनराशि (रु०)
(1) विश्व मार्ग	21,00,000
(2) विश्व ललित	26,00,000
(3) विश्व आनन्द	38,25,000
(4) विश्व प्रतिभा	44,00,000
2. स्क्रैपिंग के लिए बेचे गए जहाज	
(1) विश्व कान्ति	51.00,000
(2) विश्व नन्दन	52,51,786
(3) विश्व सुमन	* 23,20,011* घटाएं 1,51,000 0 जो आग लगने से हुई हानि के कारण प्रतिपूर्ति के रुप में खरीदार को दिए गए।
(4) विश्व उषा	56,55,000
(5) स्टेट आफ गुजरात	57,32,000

(6) विश्व वीर 75,11,000

(7) स्टेट आफ़ कच्छ 62,11,114

(8) स्टेट आफ उड़ीसा 62,21,786

(ग) जी, हां।

(घ) परिचालन के लिए बेचे जहाज

(क) विश्व मार्ग

दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे अर्थात :

(1) 20.50 लाख रु०

(2) 20.35 लाख रु०

और बातचीत के बाद के 21 लाख रु० में सौदा हो गया।

(ख) विश्व ललित

तीन प्राप्त हुए थे अर्थात :—

(1) 19.00 लाख रु०

(2) 22.00 लाख रु०

(3) 24.50 लाख रु०

और बातचीत के बाद 26 लाख रु० में सौदा हो गया।

(ग) विश्व आनन्द

24.00 लाख रु० से लेकर 30.50 लाख रु० तक के पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए और बातचीत के बाद 36,25,000 का सौदा हो गया।

(घ) विश्व प्रतिभा

26.53 लाख रु० से लेकर 30.50 लाख रु० तक के पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और बातचीत के बाद 44 लाख रु० में सौदा हो गया।

2. स्क्रैपिंग के लिए बेचे गए जहाज

इन मामलों में बहुत से टेन्डर प्राप्त हुए थे और संबंधित पार्टियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किए गए। चूंकि टेन्डरों की संख्या अधिक थी इसलिए प्रत्येक ब्यौरा देना संभव नहीं है। परन्तु, स्क्रैपिंग के लिए बेचे गए प्रत्येक जहाज के लिए न्यूनतम और अधिकतम धनराशि के प्रस्ताव नीचे दिए गए हैं :—

जहाज का नाम	न्यूनतम प्रस्ताव रु०	अधिकतम प्रस्ताव रु०
विश्व कान्ति (20)	27,19,000	51,00,000
विश्व नन्दन (31)	29,00,000	52,51,786
विश्व सुमन (18)	18,75,000	23,20,011
विश्व उषा (21)	43,90,750	56,55,000
स्टेट आफ गुजरात (15)	45.58,888	57,3?,000
विश्व वीर (30)	(डाटा अभी उपलब्ध नहीं है)	75,11,000
स्टेट आफ कच्छ (16)	30,23,4000	62,11,114
स्टेट आफ उड़ीसा (16)	52,22,222	62,2?,786

* घटाएं 151,000 रु० जो आग लगने से क्षति के कारण प्रतिपूर्ति के रूप में खरीदार को दिया गया-

(ङ) भारतीय नौवहन निगम ने पार्टियों से मान्य पद्धति और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किए। उक्त प्रक्रिया से मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन, जिसके माध्यम से स्क्रैप के लिए जहाजों को बेचा जाता है, सहमत है। संशोधित टेन्डरों में अधिकतम धनराशि का प्रस्ताव निगम ने मंजूर कर दिया जैसा कि पैरा (घ) में बताया गया है।

भारतीय नौवहन निगम की लाइन सेवायें

8505. **डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम की सभी लाइनर सेवाओं में कई वर्षों से घाटा हो रहा है,

(ख) भारतीय नौवहन निगम के जहाजों ने गत तीन वर्षों के दौरान भारत अमरीका भारत-ब्लेस सी, भारत-जापान, भारत-आस्ट्रेलिया आदि मार्गों पर कितनी यात्राएं की तथा कितना माल ढोया,

(ग) उपरोक्त दौरों में क्षेत्र-वार कितनी हानि हुई और इसके क्या कारण है, और

(घ) लाइन व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए भारतीय नौवहन निगम द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री : (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) : यह कहना सही नहीं है कि भारतीय नौवहन निगम को सभी लाइनर सेवाओं में अनेक वर्षों से भारी हानि हो रही है। समय-समय पर नौवहन बाजार में उतार-चढ़ाव के बावूजद भारतीय नौवहन निगम की अधिकांश लाइनर सेवाओं को लाभ हुआ है। यद्यपि कुछ एक हानि उठाने वाली सेवाओं को

राष्ट्रीय निर्यात के काम में लाया गया है और ऐसे मामलों में भी इनकी हानि को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 1980-81 के दौरान केवल भारतीय पूर्वी तट से यू० एस० पैसोफिक पत्तनों के लिए चलाई जाने वाली सेवाओं, जिस क्षेत्र में कोई विदेशी सेवा परिचालित नही की जाती भारतीय नौवहन निगम की सेवाओं ने लाभ कमाया है। कलकत्ता से उत्तरी अमरीका के प्रशांत महासागर तट को भारतीय जूट तथा इंजीनियरी माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ एक सेवाएं परिचालित की जा रही है। कुछ एक परिचालात्मक परिणाम नीचे दिखाए गए हैं।

सेक्टर	वर्ष	यात्राओं की सं०	माल ढोया राजस्व टन		परिणाम (लाख रूपयों में)
भारत-यूएसए	1978-79	10-	220663	(—)	284.83
प्रशान्त	79-80	10-1/2	270833	(—)	354.64
	80-81	12-1/2	233072	(—)	235.11
भारत-यूएसए	78-79	7	92515	(—)	135.75
अटलांटिक	79-80	10	135258	(+)	221.81
	80-81	8-1/2	139265	(+)	130.55
भारत-यूएसए	78-79	11-/2	215224	(—)	391.25
ग्रे लेक्स	79-80	5	77959	(—)	120,76
	80-81	9	175391	(+)	53.10
भारत-काला	78-79	13	258320	(—)	82.55
सागर	79-80	16	263525	(+)	51-75
	80-81	19-1/2	309529	(+)	197.61
बम्बई-जापान	78-79	25	408353	(—)	286.18
	79-80	30-1/2	487768	(+)	343.94
	80-81	22	355163	(+)	217.57
कलकत्ता-जापान	78-79	12-1/2	175796	(+)	31.18
	79-80	12-1/2	176738	(+)	103.08
	80-81	1-41/2	171057	(+)	86.44
मद्रास जापान	1980-81	10-1/2	152153	(+)	31.92
डब्लूयूसीआई	78-79	11	110627	(—)	265.60

1	2	3	4	5	6
आस्ट्रेलिया	79-80	11	85220	(—)	245.97
	80-81	13	106907	(+)	25.82
ईसीआई आस्ट्रेलिया	78-79	10	112896	(—)	163.37
	79-80	8	122371	(—)	163.48
	80-81	9	132393	(+)	23.20

2. भारतीय नोवहन निगम हानि उठाई जाने वाली सेवाओं में लाभ कमाने के लिए बराबर प्रयास कर रहा है। सम्मेलन तथा भाड़ा समझौतों के अन्तर्गत जहां कहीं भी यह सेवाएं परिचालित की जाती है, जहां सम्भव हो, वहाँ बाहरी सेवाओं की अपेक्षा स्पर्धात्मक दरों के नाए रखने के लिए भारतीय नौवहन निगम द्वारा कंटेनर सेवाओं को शुरू किया गया है तथा पारगमन व्यापार में अविछिन तथा सक्षमता के लिए, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय जहाजों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए उनसे बातचीत करने के उपाय प्रयोग में लाए गए है।

रेलवे कैंटीन कर्मचारी

8506. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय अपने 22 अक्तूबर, 1980 के निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय पर सहमत हो गया है कि रेलवे कैंटीन कर्मचारियों को लाभों तथा सुविधाओं के मामले में नियमित रेल कर्मचारियों के समान माना जाना चाहिए, और

(ख) यदि हां, तो कैन्टीन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के लाभ कब तक मिलेंगे ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय की शाखाओं की जाँच एक अत: मंत्रालयों बैठक में की जा रही है ताकि इस सम्बन्ध में कोई समन्वित निर्णय लिया जा सके।

लोको कर्मचारियों को लगातार परेशान किया जाना

8507. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इन्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के कार्यकारी प्रेसीडेंट से दक्षिण रेलवे में और विशेष रुप तिरुची मंडल में कर्मचारियों को लगातार परेशान किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है,

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई की जायेगी, और

(ग) तिरुची मंडल के कितने कर्मचारियों को पिछली जनवरी से सेवा से हटाया गया है/ स्थानान्तरित किया गया है। पदावनत किया गया है, भारी दन्ड आरोप पत्र जारी किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) आल अन्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के कार्यकारी अध्यक्ष से दिनांक 11-3-81 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें तिरुची मंडल के कुछ लोको रनिंग कर्मचारियों को परेशान किये जाने का आरोप लगाया गया है। वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए किसी भी रेल कर्मचारी को उत्पीड़ित नहीं किया गया है। त्रुटि और भूल के विशिष्ट कार्य के कारण ही नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करके ही किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

हाल ही में जनवरी-फरवरी, 1981 के दौरान लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से बीमारी की सामूहिक छुट्टी लेने के आन्दोलन छेड़ किये जाने के सन्दर्भ में दक्षिण रेलवे के तिरुची मंडल के कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गयी थी।

बर्खास्त	8
पदावनति	2
आरोप पत्र जारी किये गये	23

नियमानुसार कर्मचारियों को, उनको दिये दन्डों के विरुद्ध उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील करने का अधिकार है जो नियमों के अधीन इसका निपटान करेगा।

माल तथा पार्सल उतारने चढ़ाने सम्बन्धी ठेकों के आबंटन के बारे में नीति

8508. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजीकृत श्रमिक सहकारी समितियों को माल तथा पार्सल उतारने चढ़ाने सम्बन्धी ठेकों का आबंटन करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है, और

(ख) भारतीय रेलों के इस नीति को कहाँ तक क्रियान्वित किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) यह पद्धति उन मामलों को छोड़कर, जिनमें विशेष परिस्थितियों के कारण विकल्प अनुमत है, सभी मामलों में लागू की जा रही है।

विवरण

रेलवे स्टेशनों पर माल और पार्सल के ठेके वित्तीय लागत सीमा को ध्यान में रखे बिना और टेन्टर मंगवाये बिना श्रमिकों मजदूरों की वास्तविक पंजीकृत वास्तविक श्रमिक सहकारी समितियों को दिये जाते हैं। जहां परिचालन के उसी क्षेत्र में (परिचालन के कार्य क्षेत्र में नहीं) एक से अधिक सहकारी समितियां होती है और परिचालन के किसी क्षेत्र में श्रमिकों की वास्तविक समिति का कार्य निष्पादन सन्तोषजनक नहीं होता या जहां वास्तविक श्रमिकों ने कोई सहकारी समिति नहीं बना रखी होती, वहाँ ऐसी समितियों से सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती है और ठेका उनमें से किसी एक को गुण दो के आधार पर आबंटित किया जाता है।

यदि वास्तविक श्रमिक परिचालन क्षेत्र में अधिक सहकारी समितियों में संघटित होते है

तो उस परिचालन क्षेत्र में अधिक श्रमिकों वाली सहकारी समिति को वरीयता दी जाती हैं और विचार विमर्श के बाद ठेका आवंटित कर दिया जाता है।

दिल्ली का बूचड़ खाना

8509. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पशु रोजाना भारी संख्या में दिल्ली बूचड़ खाने को ले जाये जाते हैं जो वहां घंटों खड़े रहते हैं और मल मूत्र से उस स्थान को गंदा करते हैं ?

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि अधिकारी गण गंदगी हटाने की परवाह नहीं करते जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में कई बार संक्रामक बीमारियां चहारदीवारी वाले नगर में फैलती हैं;

(ग) क्या इसकी जांच करने और इस सम्बन्ध में उपाय सुझाने हेतु कोई जांच किये जाने के आदेश किये जाने के आदेश दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री निहार रंजन लास्कर**) (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार मवेशी मन्डियों और बूचड़ खाने के आस-पास का इलाका अच्छी तरह से साफ कर दिया जाता है और सारा गन्द हर रोज साफ किया जाता है। इस इलाके में किसी संक्रामक रोग के फैलने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि से ये प्रश्न नहीं उठते।

मुकुरिया जंक्शन

8510. **श्री तारिक अनवर** : **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारसोई जंक्शन को बजाय मुकुरिया से होकर लिंक रोड का निर्माण होने के कारण हाल ही में मुकुरिया जंक्शन पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है,

(ख) क्या मुकुरिया जंक्शन पर महिला प्रतीक्षालय और स्नानागार तथा जंक्शन को वहां से गुजरने वाली पक्की सड़क से जोड़ने वाली पक्की सम्पर्क सड़क जैसी यात्री सुविधाओं की कमी है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार बारसोई और आजमनगर को जनता की कठिनाइयों को दूर करने हेतु शीघ्र ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय और कार्य विभाग में उपमन्त्री (**श्री मल्लिकार्जुन**) : (क) मुकुरिया रेलवे स्टेशन के यात्री यातायात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) इस स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त है।

छठी योजना के दौरान कलकत्ता पत्तन का आधुनिकीकरण

8511. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री : यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान कलकत्ता पत्तन न्यास के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार आधुनिकीकरण के लिये कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा शुरू किये गए कार्य का ब्यौरा क्या है और इसके लिये कितनी राशि मंजूर की गई है, और

(ग) छठी योजनावधि के दौरान पत्तनों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का पत्तन वार ब्यौरा क्या है,

नौवहन और परिवहन राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85) में कलकत्ता पत्तन (हल्दिया गोदी काम्लेक्स को छोड़कर) के आधुनिकीकरण और विकास के लिए 30.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है योजना में शामिल की गई नई महत्वपूर्ण स्कीमें इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	स्कीमों का नाम
1.	हापर वजरे को ड्रेजर में परिवर्तित करना।
2.	"स्टर्डी" नामक टग को बदलकर नई टग लगाना।
3.	"लोटस" नामक टग को बदल कर नई टग लगाना।
4.	हाई फिक्स चेन को बदलना।
5.	अलग-अलग समताओं की क्रेनों को बदलना।
6.	डीजल से चलने वाले पांच इंजिन खरीदना -
7.	हल्दिया कन्टेनर वर्थ की सहायता के लिए लिंक कन्टेनर टर्मिनल का विकास करना।

(ख) इस अवधि के दौरान शुरू की गई महत्वपूर्ण स्कीमें क्रेनों की खरीद और उन्हें बदलने से सम्बन्धित हैं। पिछले तीन वर्षों में कलकत्ता पत्तन (हल्दिया गोदी कामप्लेक्स को छोड़कर) के विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई राशि का वर्ष वार ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	(लाख रुपया)
1978-79	102.73
1979-80	85.00
1980-81	491.36

(ग) बड़े पत्तनों के आधुनिकीकरण और विकास से सम्बन्धित योजनाएं इस प्रकार है :—

(1) बम्बई, कोचीन और मद्रास में कंटेनर के माल उतारने-चढ़ाने की स्थापना करना ।

(2) सभी पत्तनों द्वारा माल उतारने चढ़ाने वाले उपकरण की खरीद करना ।

(3) कांडला, मार्मुगाव, न्यू मंगलौर न्हावा-शेवा (बम्बई) परादीप, ट्टीकोरिन और विशाखापत्तनम में आधुनिक सुविधाओं क साथ-साथ नए वर्थों का निर्माण करगा ।

छठी योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के लिये कार्यक्रम

9512. **प्रो० नारायणचन्द्र पराशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान ग्राम खंड तहसील अथवा जिला स्तर पर स्थापित किये जाने वाले विस्तार किये जाने वाले प्रस्तावित एलोपेथिक और आयुर्वेदिक औषधालयों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों प्रसूति और बाल कल्याण केन्द्रों जैसे संस्थागत आधारभूत संरचना का स्वरुप क्या है; और

(ग) 1 अप्रैल, 1981 को प्रति हजार की जनसंख्या पर शय्याओं की वर्तमान संख्या की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति हजार की जनसंख्या पर कितने शैय्याओं का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमन्त्री : (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) और (ख) जी हाँ । ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए छठी योजना में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने का विचार है:—

1. 2.2 लाख अतिरिक्त का स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण किया जाएगा ।
2. प्रत्येक गांव में कम से कम एक-एक प्रशिक्षित दाई होगी ।
3. 40.000 अतिरिक्त उप-केन्द्र खोले जायेंगे जिसमें एक-एक महिला और एक-एक पुरुष बहुउद्देशीय कार्यकर्ता होगा ।
4. 174 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें तीस-तीस पलंगों वाले ग्रामीण अस्पताल बनाया जायेगा ।

5. 600 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे ।

6. 1000 ग्रामीण औषधालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें सहायक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जायेगा ।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख के विस्तार हेतु चिकित्सा शिक्षा अनुकूलन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कालेज के साथ तीन तीन ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लगाने की योजना बनायी गई है । जिस जिले में वह कालेज होगा, जब तक वह सारा जिला कवर नही हो जाता तब तक वह कालेज चरण रूप से अतिरिक्त ब्लाकों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करता रहेगा ।

(ग) स्वास्थ्य देख रेख की सुविधाओं की भिन्न भिन्न व्यवस्था है इसे ध्यान में रखते हुए डाक्टर एवं जनसंख्या तथा पलंग एवं जनसंख्या के अनुपातों को स्वास्थ्य सेवाओं का सही सूचक नहीं माना जा सकता और इसीलिये छठी योजना (1980-85) में इनके कोई लक्ष्य निर्धारित नही किये गये हैं ।

जनसंख्या में अत्याधिक वृद्धि का सामना करने के लिए उपाय

8513. **श्री राजेश पाइलट:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि का सामना करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या ऐसी कोई शर्तें निर्धारित की गई अथवा किए जाने का विचार है जिनके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को सरकार से कोई आर्थिक लाभ पाने के लिए परिवार नियोजन को अपनाना आवश्यक माना गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

1. देश भर में जन संख्या शिक्षा का एक जोरदार अभियान चलाना, जिससे लोग अपने परिवारों को छोटा रखें और उसके लाभ को समझ सकें।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को मिली-जुली सेवाएं विशेष रूप से जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य के अन्तर्गत सेवाएं सुलभ कराना।

3. बच्चों के जन्म के बीच अन्तराल तथा समापन तरीकों दोनों के लिए परिवार नियोजन की सेवाओं और उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करना। उपर्युक्त तरीकों को अपनाने की बात स्वीकारकर्ता की मर्जी पर छोड़ दी जाती है तथा उनकी अनुवर्ती देखरेख के लिए बढ़िया सेवाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाता है।

4. इस कार्यक्रम के लिए समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करना जिनमें स्वेच्छिक

संगठन, महिला और युवा संगठन, पंचायतें श्रय, प्रबन्ध और सहकारी संस्थाएं शामिल हैं।

(ख) जी नहीं।

मोटर गाड़ियों पर काराधान में उकरूपता

8514 **श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने केन्द्र सरकार को यह सुझाव दिया था कि वह मोटर गाड़ियों पर कराधान के मामले में उकरूपता लाने हेतु एक विस्तृत अध्ययन शुरू करायें,

(ख) क्या मन्त्रालय का विचार राज्यों में कराधान पद्धति के बारे में विस्तृत अध्ययन करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है,

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) मोटर गाड़ियों पर कराधान संबंधी ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए 30 मार्च 1981 को उत्तरी क्षेत्र के कुछ राज्य सरकारों के परिवहन मंत्रियों/प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई और अन्य राज्य सरकारों के विचारों का भी पता लगाया जा रहा है।

एम० बी० बी० एस० डाक्टरों तथा आयुर्वेदिक स्नातक वैद्यों के लिए लाइसेंस

8515. **श्री के० मालन्ना : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एम० बी० बी०एस० डाक्टरी तथा आयुर्वेदिक स्नातक वैद्यों के लिए लाइसेंस जारी करने के पृथक तरीके तैयार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां,

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद तथा राज्यों की विभिन्न आयुर्विज्ञान परिषदो द्वारा उन एलोपैथिक डाक्टरों का पंजीकरण किया जा रहा है जिनके पास आधुनिक आयुर्विज्ञान की मान्यताएं अर्हताएं हैं। यह पंजीकरण संविधान के उन उपबन्धों के अनुसार किया जा रहा है जिनके अधीन ये परिषदें गठित की गई हैं।

आयुर्वेदिक स्नातकों/वैद्यों का पंजीकरण भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के उन सुसंगत उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाता है जो 1.10.76 से देश भर में प्रवृत्त किये गये थे। आयुर्वेदिक स्नातकों/वैद्यों का पंजीकरण राज्य बोर्डों/परिषदों द्वारा किया जाता है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद भी भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक केन्द्रीय रजिस्टर बनाने के लिए प्रयास कर रही है जिसमें वह भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 के उपबन्धों के अनुसार सीधे पात्र उम्मीदवारी की पंजीबद्ध करेगी।

हाई रैटिड ट्रैफिक

8516. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि संसद की लोक लेखा समिति ने हाई रेटिड टैफिक को आकृष्ट करने के लिए रेलों में विशेष संगठन का सुझाव दिया है, और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर रेलों द्वारा वहन किए जाने वाले अत्याधिक सामाजिक भार को देखते हुये इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ऊंची दर वाले यातायात में अपना उचित स्थान बनाये रखने के लिए रेलों पर मार्केटिंग एण्ड सेल्स औरगेनाइजेशन के नाम से एक संगठन पहले से कार्यशील है। वर्ष 1980-81 (दिसम्बर 1980 तक) रेलों ने ऊंची दर वाले 99.75 लाख टन यातायात की ढुलाई की, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 95.1 लाख टन की ढुलाई की गयी थी। लोक लेखा समिति ने यह सुझाव दिया है कि बाजार अनुसंधान/कौशल को अधिक कारगर बनाने के लिए इस संगठन को व्यापार और उद्योग से बुनियादी स्तर पर सम्बन्ध बनाये रखने चाहिए ताकि उनकी समस्याओं को समझ कर, ऊंची दर वाले यातायात को और अधिक आकर्षित किया जा सके। इस सिफारिश की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को वैगन आवश्यकता

8517. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 के दौरान रेलवे विभाग राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सौ से अधिक मिलों को वैगन आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सका है,

(ख) क्या 2,200 वैगनों की न्यूनतम आवश्यकता के बदले प्रति माह औसतन 450 से अधिक वैगन सप्लाई नहीं किए गए थे, और

(ग) क्या कपड़ा मिलों को कोयले की निरन्तर कमी के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम को लगभग 5 करोड़ रुपए की हानि हुई थी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पिछले छः महीनों के दौरान कपड़ा मिलों के लिए कोयले का दैनिक औसत लदान 130

माल डिब्बे का था। मार्च, 81 में यह लदान प्रतिदिन 218 माल डिब्बे का था। अन्तमंत्रालय बैठक में यह विनिश्चय किया गया था कि जब कोयले का लदान प्रतिदिन लगभग 11000 माल डिब्बों के स्तर पर पहुंच जाये तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम की यूनिटों सहित कपड़ा मिलों के लिए कोयले का संचलन बढ़ाकर प्रतिदिन लगभग 200 माल डिब्बा कर दिया जाये। इस लक्ष्य से मार्च, 81 के महीनों में प्राप्त कर लिया गया था। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत काम करने वाले मिलों के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम यूनिटों को कोयले की कमी के कारण हुई हानि के संबंध में इस मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है।

भारत-तंजानिया आर्थिक आयोग

8518. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-तंजानिया आर्थिक आयोग की कोई बैठक 1978 से नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग की इस निष्क्रियता के क्या कारण हैं ; और

(ग) दोनों देशों के पारस्परिक हितों में आयोग को पुन : सक्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्री श्री आर वेंकटरामन : (क) नवम्बर-दिसम्बर, 1978 में हुए तीसरे अधिवेशन के बाद भारत-तंजानियाई आर्थिक आयोग की कोई और बैठक नहीं हुई है।

(ख) दोनों देशों की कतिपय घटनाओं के कारण इस संयुक्त आयोग के लिए नियमित अधिवेशन करना असंभव नहीं हो सका है क्योंकि इसके वजह ये अभी तक कोई भी परस्पर सुविधाजनक तारीख तय नहीं हो पायी। 1879 के अंत में भारत में सरकार में परिवर्तन हो गया ; जनवरी, 1980 में आम चुनाव हुए ; सितम्बर/अक्तूबर 1980 में तंजानिया में चुनाव हुए ; सितम्बर/अक्तूबर 1980 में तंजानिया में चुनाव और उसके बाद नये मंत्रिमंडल की नियुक्ति हुई और इन्हीं घटनाओं के काण संयुक्त आर्थिक आयोग का चौथा अधिवेशन स्थगित होता चला आया है।

(ग) तंजानिया के राष्ट्रपति जुलियस न्यूरेरे की हाल की यात्रा के दौरान संयुक्त आर्थिक आयोग का चौथा अधिवेशन यथाशीघ्र आयोजित करने के प्रश्न पर उच्चतम स्तर पर विचार किया गया था और इस बात पर सहमति हुई थी कि संयुक्त आयोग की बैठक अगस्त में परस्पर सुविधाजनक तारीखों होगी।

निजी बस मालिकों को भाड़ा बढ़ाने की मांग

8519 **श्री अशोक गहलोत :**

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1981 के "हिन्दुस्तान" में "निजी बस मालिकों द्वारा भाड़ा बढ़ाने की मांग" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या सरकार निजी बस मालिकों की इस मांग पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है,

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौर क्या है, और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है'

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली परिवहन निगम की योजना के अधीन चलने वाली प्राइवेट बसों के मालिकों ने मांग की है कि भाड़ा प्रभारों में प्रति कि० मी० कम से कम 2.25 रुपये की वृद्धि की जाए और त्रैमासिक आधार पर भाड़ा दरों की समीक्षा करने और दरें निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाई जाएं दिल्ली परिवहन निगम इस मामले पर विचार कर रहा है।

कैप्टिव ताप संयंत्रों के लिए अतिरिक्त कोयले का नियतन

8520. **श्री० बी० बी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 31 मार्च, 1981 को कोयले पर आधारित ताप संयन्त्रों के लिये जो कि अपने कार्य के लिए कैप्टिव बिजली उत्पादन पर काफी निर्भर रहते हैं, अतिरिक्त कोयले तथा वैगनों का नियतन करने का निर्णय किया था,

(ख) इन संयन्त्रों तक कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे द्वारा कितने वैगन उपलब्ध कराए जायेंगे,

(ग) यदि हां तो कितने और वैगनों की मांग की गई है, और

(घ) उनका मंत्रालय इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित पूरे वैगन देने के लिए क्या कदम उठा रहा है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (घ) औद्योगिक अवसंरचना की मन्त्रिमण्डलीय समिति ने महानिदेशक तकनीकी विकास द्वारा दिये गये एक सुझाव को अनुमोदित किया है जिसके अनुसार कुछ उद्योगों को जिनके पास निजी ताप, संयंत्र हैं, कोयले के संचलन के लिए बिजली देने में प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसे उद्योगों की आवश्यकताओं का ब्यौरा अभी उनके द्वारा तैयार किया जाना है तथा इससे अगली कार्यवाई के लिए रेलों को भेजा जायेगा।

अमृतसर दादर एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

8521. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई को जाने वाली अमृतसर दादर एक्सप्रेस 29 मार्च, 1981 को इटारसी में पटरी से उतर गई थी,

(ख) यदि हां, तो क्या यह तोड़-फोड़ का मामला था,

(ग) यदि हां, तो क्या मार्च और अप्रैल, 1981 में गाड़ी के पटरी से उतरने की अनेक घटनाएं तथा रेल दुर्घटनाएं हुई है,

(घ) क्या सभी मामलों में तोड़-फोड़ ही मुख्य कारण रहा है, और

(ङ) यदि हां, तो क्या वे रेल कर्मचारियों में से थे अथवा समाज विरोधी तत्व थे ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1-3.81 से 10-4-81 तक की अवधि के दौरान, 116 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थी जिनमें गाड़ी के पटरी से उतर जाने की घटनाएं भी शामिल है।

(घ) 116 गाड़ी दुर्घटनाओं में से 7 दुर्घटनाओं में प्रत्यवतः तोड़-फोड़ का सन्देह किया जाता है।

(ङ) इस मामले की छानबीन की जा रही है।

रेल दुघटनाओं और गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं की वृद्धि

8522. **श्री एम० जी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च और अप्रैल के दौरान रेल दुर्घटनाओ और गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं में जनवरी तथा फरवरी, 1981 के मुकाबले वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो क्या गाड़ी के पटरी से उतरने की दुर्घटनाएं तथा रेल दुर्घनाएं रेल कर्मचारियों को लापरवाही के कारण हुई थी,

(ग) यदि हां, तो मार्च-अप्रैल, 1981 के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुई और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए है, और

(घ) क्या फरवरी से अप्रैल, 1981 तक की अवधि में रेल सम्पत्ति पर हमलों गाड़ियों के देरी से चलने, बिना टिकट यात्रा करने तथा रेल यात्रियों पर हमला करने की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ग) 1-3-81 से 10-4-81 की अवधि के दौरान, 116 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थी की जिसमें गाड़ी के पटरी उतर जाने की 87 घटनाएं भी शामिल है जबकि 1-1-81 से 10-2-81 की अवधि के दौरान 114 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थी की जिसमें गाड़ी के पटरी से उतर जाने की 97 घटनाएं शामिल हैं।

मानवीय भूल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलों के संरक्षा संगठन गाड़ियों के परिचालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में बेहतर संरक्षा चेतना उत्पन्न करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें या उन लाघव उपायों का प्रयोग न करें जिससे दुर्घटना हो सकती है, निरन्तर अभियान चलाए हुए हैं।

गाड़ियों की जाँच तथा सवारी तथा माल डिब्बा डिपुओं को अचानक जाँच तेज कर दी गई है तथा रेल पथ के उपयुक्त अनुरक्षण के लिए और अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मानवीय तत्व पर निर्भरता कम करने के लिए पहियों, धुरों और पटरियों, धुरा काउन्टरों, रेलपथ परिपथन आदि के लिए पराश्रव्य दोष संसूचकों जैसे परिष्कृत सहायक उपकरणों को तेजी से लागू किया जा रहा है।

(ख) प्रथमदृष्टया कारणों सहित दुर्घटनाओं के अब तक उपलब्ध कारणों के अनुसार 1-3-81 से 10-4-81 तक हुई 116 गाड़ी दुर्घटनाओं में से 27 दुर्घटनाएं रेलवे कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी।

(घ) गाड़ियों में लूटपाट/डकैती द्वारा रेल यात्रियों पर हमलों की घटनाओं में कमी हुई है।

इस अवधि के दौरान केवल पूर्वोत्तर सीमा, और दक्षिण मध्य (मीटर गेज) रेलों में ही समय पाबन्दी निष्पादन में गिरावट आई है।

टिकट जांच को और अधिक तेज कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप 1980-81 विशेषकर फरवरी और मार्च, 1981 के दौरान अत्यधिक बेटिकट यात्री पकड़े गए। इस सुधार को बनाए रखा जा रहा है।

गोआ में सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया जाना

8523. **श्री एडुआर्ड फ्लोरी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में वे विभिन्न सड़कें कौन सी है जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में स्वीकार किया जा रहा है,

(ख) गोआ में इस तरह के राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू करने के लिए कितनी धनराशि का नियतन करना होगा,

(ग) इन राजमार्गों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई हैं, और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा होगा।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री : (श्री बूटा सिंह) : (क) गोआ में किसी भी नई सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं होता।

गोआ में रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं

8524. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में रेलवे स्टेशनों पर, उस क्षेत्र को पर्यटन सम्बन्धी महत्व और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को दृष्टि में रखते हुए, यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में कोई सुधार करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 में किस-किस के सुधार किए जाने की योजना है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां।

(ख) खाकाहारी/मांसाहारी जलपानगृहों, चाय स्टालों, पानी की सप्लाई व्यवस्था, में सुधार करने, प्लेटफार्मों पर जल शीतकों, सार्वजनिक उद्घोषण प्रणाली, घड़ियों की व्यवस्था करने आदि ऐसे सुधारों पर विचार करने के लिए कहा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई गोआ के बीच यात्री सेवा

8525. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई और गोआ के बीच चल रही यात्री पोत सेवा में सुविधाओं में सुधार करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) और (ख) बम्बई और गोआ के बीच चल रही मौजूदा यात्री सेवा में सुधार करने के लिए मुगल लाइन लिमिटेड रोल-आन-रोल आफ यात्री एवं माल सेवा शुरु करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

वायु प्रदूषण का बच्चों पर प्रभाव

8526. **श्री एन० ई० होरो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के एक वैज्ञानिक का यह मत है कि पर्यावरण प्रदूषण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पुन-प्रर्जनन अंगों को प्रभावित कर भ्रूणावलोकन विकृति पैदा करता है ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि वायु प्रदूषण का अधिकतम प्रभाव बच्चों पर पड़ता और इसका तुरन्त परिणाम यह होता है कि उनकी विकास दर में गिरावट आ जाती है और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमन्त्री : (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) कलकत्ता के वैज्ञानिक की पर्यावरण प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्ट के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। फिर भी यूरोप के अधिकांश देशों में किये गये अध्ययनों से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि वायु प्रदूषण का छोटे बच्चों और बूढ़ों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इन अध्ययनों से पता चलता है कि जहां तक कद का सम्बन्ध है प्रदूषित क्षेत्रों के अस्थि वय वाले बच्चों का विकास शुद्ध वायु वाले क्षेत्रों के बच्चों की अपेक्षा औसतन आधा वर्ष पीछे पड़ जाता है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का क्या-क्या असर होता है, उस के बारे में किये गये प्रारम्भिक अध्ययनों से पता चला है कि कम प्रदूषित क्षेत्रों के मुकाबले अधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लोगों में खांसी और सांस फूलने जैसे श्वसनतंत्र के रोगों की बहुतायत थी।

(ग) बढ़ते हुये वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिये सरकार ने वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम बनाया है

'न्यू मूरे' द्वीप समूह पर भारत का दावा

8527. **श्री जो० एम० बनातवाला :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अप्रैल, 1981 को सदन में अपने वक्तव्य में उनके द्वारा संदर्भित "न्यू मूरे" द्वीप समूह पर भारत के दावे के सम्बन्ध में बंगलादेश ने ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग से कोई विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या बंगलादेश सरकार को कोई उत्तर भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री आर० वेंकटरामन : वित्त मंत्री : (क) और (ख) : बंगलादेश सरकार ने ढाका स्थित भारतीय हाई कमीशन को एक मौखिक टिप्पणी दी जिसमें 2 अप्रैल, 1981 को लोक सभा में विदेश मंत्री द्वारा 'न्यू मूरे' द्वीप के बारे भारत के दावे के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य पर "हैरानी और चिन्ता" व्यक्त की गयी थी।

(ग) और (घ) । भारत सरकार ने उसका उत्तर भेज दिया है जिसमें बताया गया है कि विदेश मंत्री के वक्तव्य में भारतीय रुख का उल्लेख ही किया गया था जो बंगला देश सरकार को पहले से ही अवगत है और उसमें कोई नयी बात नहीं कही गयी थी ।

स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की ड्यूटियां

8528. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर अपनी-अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के रेलवे के अन्य सभी कर्मचारी विभागों के काम का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कार्य सम्भाले हुए हैं,

(ख) क्या रेलवे में अन्य भी कोई ऐसी श्रेणी हैं जिससे संबंधित अधिकारी इसी प्रकार की ड्यूटी निभा रहे हैं और स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की भांति अन्य विभागों का नियंत्रण कार्य सम्भाले हुए हों यदि हां, तो ऐसी कौन सी श्रेणी है, और

(ग) क्या न्यायाधीश शंकरन सरन ने स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की विविध प्रकार की ड्यूटी पर विचार करते हुए विभिन्न ग्रेड के स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों के प्रति शतता विवरण की सिफारिश की है और यदि हां तो क्या रेलवे बोर्ड ने इसे कार्यान्वित कर लिया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर स्टेशन के छोटे बड़े होने के महत्व को देखते हुए अपनी ड्यूटी की इन्जाम देते हैं । छोटे स्टेशनों पर के स्टेशन के सामान्य कार्य संचालन, गाड़ियों की निकासी, यार्ड अथवा कैबिन ड्यूटियों और वाणिज्यिक कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं । मझले स्टेशनों पर वे यार्ड कर्मचारियों, वाणिज्यक कर्मचारियों, कैबिन कर्मचारियों आदि पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेवार हैं और बड़े स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों की गुड्स शेड, बुकिंग कार्यालय गाडी शाखा आदि जैसे विभिन्न शाखाओं के पर्यवेक्षकों से सहायता प्राप्त होती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) न्यायाधीश शंकर सरन ने विभिन्न ग्रेडों में स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों की प्रतिशतता के विवरण की सिफारिश स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की जिम्मेवारियों तथा ड्यूटियों/पर्यवेक्षित कर्मचारियों आदि की संख्या को देखते हुए की है । इन सिफारिशों को क्रियान्वियन कर दिया गया था ।

कीटनाशी पदार्थों का स्वास्थ्य पर प्रभाव

8529. **श्री अशोक गहलोत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खाद्यान्नों को कीड़ों से बचाने के लिए काम में लाये

वाले आयोजित रासायनिक कीटनाशी पदार्थों का आम आदमी के स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है और उससे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार खाद्यानों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों और लहुसन जैसी स्वदेशी प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने पर विचार कर रही है ताकि आम आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, तथा उनका अनेक रोगों से बचाया जा सके ; और

(ग) यदि हां तो, कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के नियम 65 में विभिन्न खाद्य पदार्थों में कीटनाशी दवाइयों के इस्तेमाल की सह्य सीमा निर्धारित की गई है। इन नियमों के उन रसायनों, पदार्थों के नाम और उनकी अधिकतम सह्य सीमा दे दी गई है जिनमें इनका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कीटनाशी दवाइयों के उपयोग पर पहले से ही प्रतिबन्ध लगाए हुए हैं।

(ख) और (ग) इस संबंध में कृषि मत्रालय से अलग से प्रश्न पूछने की कृपा करें क्योंकि यह उनका काम है।

खाड़ी के देश में रहने वाले भारतीयों द्वारा दिया गया ज्ञापन

8530. **श्री एम० इ० होरो**

श्री अर्जुन सेठी :

श्री चिंतामणि जेना

श्री० के० एस० राजन

श्री आर० एन० राकेश

श्री बो० बी० बेसाई :

श्री वी० एस० विजयराघवन :

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतार में केरल मुस्लिम सांस्कृतिक केन्द्रों के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किए गए और राज्य के राज्यपाल के माध्यम से केन्द्र को दिए गए ज्ञापन में आप्रवासियों ने यह मांग भी की कि उन्हें मत देने की सुविधाएं दी जाएं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अन्य मांगें क्या की है ;

(ग) क्या खाड़ी के देशों में रह रहे भारतीयों के मामलों पर विचार करने के लिए एक पृथक केन्द्रीय मन्त्रालय बनाने की मांग भी उन्होंने की है ; और

(घ) यदि हां, तो, उस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आर० वेंकटरामन वित्त मन्त्री : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उनकी अन्य मांगों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

हमारे राजदूतावास द्वारा उनके लिए और अधिक संरक्षण और देखभाल की व्यवस्था ; विदेशों में कार्यरत नागरिकों के मामलों को देखभाल के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना ; सीमा-शुल्क में कमी और माल की शीघ्र निकासी ; भारत और खाड़ी के देशों के बीच हवाई हवाई जहाज के किराये से कमी ; हवाई ड्डों पर बेईमान लोगों से बचाव की व्यवस्था ; कालीकट में एक नये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण ; भारत में स्कूलों और कालेजों में उनके बच्चों के दाखिला के लिए विशेष प्रबंध ; किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर भारत में उनके परिवारों और सम्पति की सुरक्षा ; युद्ध की स्थिति में उनके तत्काल निष्क्रमण की व्यवस्था उनके मूल निवास स्थान पर आवास की सुविधाए ; सीमेंट और भवन निर्माण की अन्य सामग्री प्राप्त करने में प्राथमिकता ; भारत में औद्योगिक परियोजनाओं में पूंजी-निवेश की सुविधाएं ; भारतीय बैंकों में धन जमा कराने के लिए प्रोत्साहन ; विदेश से वापस आने पर भारत में रोजगार प्राप्त करने के अवसर ; और भारत तथा खाड़ी के देशों के बीच पत्रों और डाक से भेजे जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रेषण और उनकी सुपर्दगी में होने वाले अनपेक्षित बिलम्ब को दूर करना।

(घ) चूंकि यह ज्ञापन हाल ही में प्राप्त हुआ है इसलिए सरकार द्वारा इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले इसमें उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत और गहराई से जांच अपेक्षित है।

'कामन रिमेडीज इन यूनानी मेडीसिन्ज' शीर्षक के अन्तर्गत पुस्तक का प्रकाशन

8531. **श्री सूरज भान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनानी औषधि में अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद ने 'कामन रिमेडीज इन यूनानी मेडीसिन्ज' शीर्षक के अन्तर्गत एक पुस्तिका को भारत की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह पुस्तिका अरबी भाषा में भी प्रकाशित की जा रही है, जो भारतीय भाषा नहीं है :

(ग) क्या कुछ प्रसिद्ध विशेषज्ञों/हकीमों ने बताया है कि उपर्युक्त पुस्तिका मे क्लिनिक में परीक्षण नहीं किये बिना और इनके प्रतिकूल प्रभावों पर भी विचार किये बिना अनेक ऐसे उपचार प्रकाशित किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्कसम्बन्धी क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। यूनानी चिकित्सा पद्धति में पश्चिम एशियाई देशों की दिलचस्पी को मानते हुए, केन्द्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद के शासी निकाय ने अरबी में इस पुस्तक के अनुवाद की स्वीकृति दे दी है। अनुवाद कार्य चल रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद के शासी निकाय मके सदस्यों में से एक ने यह बताया है कि उनके अनुसार कुछ एक दवाइयां प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकती हैं। उनकी इस टिप्पणी की जांच की गई है। इस पुस्तक में जो उपचार शामिल हैं, विख्यात चिकित्सकों के अनुभव के आधार पर उनका बहुत प्राचीन समय से इस्तेमाल होता रहा है तथा प्राचीन ग्रन्थों में भी इनका उल्लेख है। इस पुस्तक का संकलन एक तकनीकी समिति के निर्देशन में किया गया था जिसमें पहले वाली भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य शामिल थे।

इस पुस्तक में लिखी किसी भी दवा के प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ते।

स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : श्रीमन, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ बातें कहूंगा। तब आप कह सकते हैं।

श्री के० लंकप्पा (टुमकुर) : खड़े हुए (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आन्ध्र प्रदेश में जनजातियों के लोगों के जीवन की रक्षा करने में केन्द्र सरकार की असफलता पर श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री मुकुन्द मन्डल, श्री बापू साहिब परू लेकर, श्री ० बालानन्दन श्री हरिकृष्ण बहादुर और श्री रामावतार शास्त्री से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यह मामला कल भी उठाया गया था और मैंने कहा था मैं आन्ध्र प्रदेश में आदिवासियों की मृत्यु पर अपने मित्रों की चिन्ता को समझता हूं'। मैं सही जानकारी मांगी है जिससे यह निर्णय हो सके कि सभा में यह विषय किस प्रकार लाया जाए।

मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद मैंने देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक प्रयत्नों के बारे में नियम 193 के अन्तर्गत एक सूचना को स्वीकृति दे दी है तथा इस चर्चा के लिए शीघ्र ही अगले सप्ताह समय निश्चित किया जा रहा है।

मुझे एक बात और कहनी है। मुझे काला-आजार के कारण कटिहार में 300 से अधिक लोगों के मरने पर प्रो० अजीत कुमार मेहता और श्री हरिकेश बहादुर के स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं मिली हैं। इसे स्वीकार किया जा रहा है। सदस्यों को सूचित किया जा चुका है कि स्थगन प्रस्ताव को पेश की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : आप हमें अवसर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : एक-एक करके ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी अनुमति चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : आप विपक्ष को अवसर दें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें अपना प्रस्ताव पेश करने दें

उपाध्यक्ष महोदय : आप जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं । मैं एक सदस्य इस ओर से और एक इस ओर से पुकारूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा स्थगन प्रस्ताव पश्चिम बंगाल में लम्बे समय से रुके उप-चुनावों के सम्बन्ध में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु आप उसे पढ़ सकते हैं । सूचना मिलने पर आप अक्सर पढ़ते है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति नही दी जाती । आप मुझसे मिलें । मैं आपको संतुष्ट करूंगा । मुझ से आकर मेरे कक्ष में मिलें । श्री टाईटलर

श्री जगदीश टाईटलर : श्रीमन इस सभा के एक माननीय सदस्य और हमारे दल के महा सचिव को साम्यवादी (मार्क्सवाद) कार्यकर्ताओं से धमकी भरे पत्र लिख रहे हैं । वे पश्चिम बंगाल में जो कर रहे····· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है ।

श्री राम निहोर राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद में डाक विभाग के कर्मचारी 13 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठे हैं । समूचे जिले में डाक-तार सेवायें बन्द हो गई हैं सारे हिन्दुस्तान से वहां के डाक-तार विभाग का सम्बन्ध विच्छेद हो गया है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है । (व्यवधान) * अनुमति के बिना यह कार्यवाही में नहीं जाएगा ।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : दिल्ली में जो वर्क्स की स्ट्राइक हुई थी, उसमें पुलिस ने लाठी-चार्ज किया था- मैंने इसके सम्बन्ध में एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है उसका क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अदालत काम नहीं कर रही है, मुकदमे नहीं हो पा रहे हैं । जेलें भरी हुई हैं जमानतें नहीं हो पा रही हैं । सारी न्याय व्यवस्था ठप्प पड़ गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे नहीं उठाया जा सकता । मैंने अनुमति नहीं दी है । मेरे एक-

* कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया

एक कर सबको अनुमति दिए जाने पर भी प्रत्येक खड़ा हो रहा है। यह तरीका नहीं है। कृपया बैठिए। मैं आपसे कह चुका हूं और अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सत्ताधारी दल के एक सदस्य ने मेरी पार्टी साम्यवादी (मार्क्सवादी दल को अभी-अभी यह कहकर बदनाम किया है कि उसकी ओर से महासचिव को धमकी के पत्र लिखे गए हैं। मैं इससे स्पष्ट इन्कार करता हूं। वे इसे सिद्ध करे यदि वे यह सिद्ध कर दें कि वह पत्र साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के सदस्य द्वारा लिखा गया है तो हम उस दन्ड के भागी हो जो सदन हमें दे (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : हमारे एक सचिव को धमकी का एक पत्र साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल से मिला है जिसमें हत्या की बात कही गई है। इसका अर्थ है कि वे उनकी हत्या करेंगे मैं चाहता हूं मंत्री महोदय एक वक्तव्य दे····· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहे। श्री निरेन घोष·····

श्री के० लकप्पा : हम सुरक्षा भी चाहते हैं। यह पत्र है। मैं इसे सभा पटल पर दे रहा हूं।

श्री निरेन घोष : ····· (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जाएगी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने भी एक·····उठाया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन चुका हूं। आप मुझ से मेरे कक्ष में मिले।

श्री के० लकप्पा : यह एक गम्भीर मामला है·····

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख सकते हैं।

मैंने सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है, परन्तु यदि सब एक साथ बोलेंगे तो मैं उनकी बात नहीं सुन सकता। कल जब मैंने आदिवासियों के बारे में कुछ कहा था मेरे साथियों ने उसे सुना नहीं। इसी कारण सारी गड़बड़ी है। श्री लकप्पा कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

कृपया बैठ जाइए कल यह सब कार्यवाही वृतान्त में गया है। मैंने कहा कि उसे कुछ लोगों ने सुना नहीं। अतः यदि आप कुछ कहना चाहेंगे तो बारी-बारी से कहे और मुझे संतुष्ट करें। जब एक बोले तो दूसरा बैठा रहे। अन्यथा में कैसे किसी की बात सुन सकता हूं ? आप मुझ से सहयोग करें और मदद करें। मैं अभी भी सबको बोलने की अनुमति दे रहा हूं। कल शिकायत थी कि मैं अनुमति दे रहा था। परन्तु मैं नहीं सुन पा रहा कि श्री बसु अथवा श्री लकप्पा क्या कह रहे हैं। इसलिए कोई व्यवस्था होनी ही चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर हाट) : हमारी बात बारी-बारी से सुनें।

* कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आज मैंने सबको बोलने की अनुमति दे दी है। अतः मेरी आपसे अपील है कि अगली मद पर आएं। अन्य बातों पर कल चर्चा हो सकती है। यह मैं पहले ही कह चुका हूं।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्यिक यान (पुनः बिक्री पर प्रतिबंध आदेश 1981, भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : श्री चरणजीत चानना की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 छ के अन्तर्गत जारी किये गये वाणिज्यिक यान (पुनः बिक्री पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 अप्रैल 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 298 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 2401/81]

(2) (एक) भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 2402/81]

दिल्ली मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 1980 और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

की एक प्रति जो दिनांक 4 जून, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० 3 (45)/79-टी० पी० टी०/5577-5604 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 2403/81]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

19 वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश तथा 12 वां प्रतिवेदन

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : मैं सरकार उपक्रमों सम्बन्धी समिति निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) इलेक्ट्रानोक्सि कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड से सम्बन्धित 19 वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(दो) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण—विमान पत्तनों के उपयोग में और राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के सेवा सचालन की तुलना में विदेशी एयर लाइनों के सेवा संचालन में असन्तुलन (पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय) के बारे में समिति (छठी लोक सभा) के 48 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सबम्बन्धी 12 वां प्रतिवेदन।

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित न किया जाए

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के बारे में उच्चतम न्यायालय के 15 अप्रैल, 1981 के आदेश को सरकार द्वारा क्रियान्वित न किये जाने का समाचार।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : मैं एक व्यवस्था एक प्रश्न उठाता हूं। उसके लिए मैं आपका मार्ग दर्शन चाहता हूं।

आज की कार्य सूची में ध्यानाकर्षण में चार नाम हैं। अन्य कई सदस्यों ने इस विषय पर सूचनाएं दी थी। मैंने कल 10 बजे सूचना दी थी। आपकी यह सुस्थापित प्रथा है कि 10 बजे के बाद सूचनाए विचारार्थ नहीं ली जाती। परन्तु यह प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है इस बारे में प्रक्रिया को नियमों पर तरजहि नहीं दी जाएगी। अतः आप छपा कर नियम 167 देखें।

कृपया निदेश 113 (ख) भी देखिये। आप नियम 167- व्याख्या (दो) भी देखें। उसमें कहा गया है :

> "किसी बैठक के लिए 10-39 बजे तक प्राप्त हुई सूचनाओं को उसी दिन 10 बजे प्राप्त हुई समझा जायेगा और एक ही विषय पर प्रत्येक ऐसी सूचना की सापक्ष पूर्ववर्तित निर्धारित करने के लिए बैलट किया जायेगा। 10 बजे के पश्चात प्राप्त हुई सूचनाओं को अगली बैठक के लिए दी गई। सूचनायें समझा जायेगा।"

अतः 10 बजे के पश्चात् दी गई सूचनाएं अगले दिन के लिये बैध होंगी। वे बैलट के लिए उसी दिन मान्य होंगी। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं। बैलट प्रायः शाम को किया जाता है। परन्तु श्रीमन् आपको निदेश 113 (खंड़ के साथ पठित हम उपबन्ध विशेष की भावना पर ध्यान देना होगा। इसमें कहा गया है :

> 'ऐसी सूचनायें यदि 10-बजे के पश्चात प्राप्त होंगी तो उन्हें आगामी बैठक के लिए दी गई सूचनायें समझा जायेगा।"

बैलट के समय तक जितनी सूचनायें प्राप्त होती हैं, उन को ध्यान में रखना पड़ेगा। यह मेरी निवेदन है। श्रीमन्, आप यह नहीं कह सकते कि यह एक सुस्थापित प्रथा है, आदि। किसी प्रथा को, जैसा कि मैंने कहा, सभा के नियमों की तुलना में पूर्वता प्रदान नहीं की जा सकती। आप इस मामले में मेरा मार्गदर्शन करें। मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप नियम 197 देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पारुलेकर, आप जरा सुनिये, यह बात पहले ही सदस्य-पुस्तिका में स्पष्ट कर दी गई है। मैं उस भाग को पढ़ूंगा।

> "केवल उन सदस्यों के नामों का बैलट किया जाता है। जिनकी सूचनाये सप्ताह के उस अन्तिम दिन, जिस को सभा की बैठक होती है, 10 बजे के पश्चात और उस दिन दस बजे तक जिसकी अध्यक्ष द्वारा सूचना का चयन किया जाता है, प्राप्त होती हैं।
>
> "यदि एक से अधिक विषयों पर सूचनायें उसी दिन के लिए प्राप्त होती हैं, तो अध्यक्ष केवल एक विषय को ही चुनता है।"

आप कृपया सदस्य पुस्तिका देखिए ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : कृपया अध्यक्ष का निदेश 113 ख को देखिये । कृपया इसे देखिये और नियम 197 के साथ पढ़िये जिसको मैंने पहले उद्धत कर दिया है । मान्यवर, सदस्य पुस्तिका के अतिरिक्त हम सभा के नियमों और अध्यक्ष के निदेशों से भी सम्बन्धित हैं । उपबन्ध बहुत स्पष्ट है । 113 ख के अधीन 10.00 बजे के पश्चात् प्राप्त होने वाली सूचनाओं को अगले दिन की बैठक के लिए सूचनाएं समझा जायेगा, मान लीजिए, मैं ध्यान आकर्षण करने के लिए सूचना आज 10 बजे के पश्चात देता हूं तो वह कल आने वाले विषय के लिए बैलट किये जाने के लिए वैध होगी । अत: बैलट प्राय: शाम को किया जाता है । मेरा निवेदन यह है कि उस समय तक प्राप्त होने वाली सूचनाओं को बैलट के समय ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : बैलट दोपहर के बाद किया जाता है । यह एक सुस्थापित प्रथा है और हम उसका पालन कर रहे हैं । यह प्रथा पहले ही यहां है । यदि आपकी सन्तुष्टि नहीं हुई, तो आप मेरे कक्ष में आकर मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : इस बारे में आपका विनिर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम परम्परा का पालन कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यदि बैलट करने से पहले सूचना प्राप्त हो जाती है, तो उस सूचना को अवैध क्यों समझा जाये ? 10 बजे का समय अलंघनीय तो नहीं है । बात यह है बैलट दोपहर के बाद किया जाता है । यदि मैं उचित प्रपत्र में कोई सूचना बैलट किये जाने से पहले दे दे ता हूं, तो उसको अलग रखने की बजाए बैलट में शामिल कर लिया जाना चाहिए । ये नियम पवित्र नहीं हैं और इन्हें व्यवहारिक सुविधा के लिए बदला जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर बड़े ध्यान से विचार करना होगा । आपने एक बात कही है, हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मान्यवर, मैं कुछ और कह रहा था । कृपया सुनिए । बात यह है कि नियम से अपेक्षित है कि उसी दिन के लिए ध्यान आकर्षण सूचना के लिए हमें 10 बजे से पहले सूचना देनी होती है । यह अगले दिन के लिए नहीं होती । अत: आपने उन सूचनाओं पर विचार करना है जो 10 बजे से पहले सूचना प्राप्त हो जाती है । सामान्य प्रथा यह है कि आज प्राप्त होने वाली सूचनाओं को अगले दिन के लिए समझा जाता है । यदि कोई सदस्य 10 बजे से पहले सूचना दे देता है तो उसे बैलट करने के समय तक वैध माना जाना चाहिये । इसमें कोई गलत बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने पहले कहा है । उन्होंने एक सही बात उठाई है और हम उस पर विचार करेंगे ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य) जब कोई ध्यान आकर्षण सूचना केवल चार सदस्यों के नाम हो, तब उसमें एक नाम और भी जोड़ा जा सकता है, सामन्यतया ध्यान आकर्षण पर पांच व्यक्तियों को बोलने दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । अब वित्त मन्त्री अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री आर० वेंकट रामन (वित्त मन्त्री) : मैंने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी करने के सरकारी निश्चय के संबंध में कल एक वक्तव्य दिया था । माननीय सदस्यों को मालूम है कि एक अधिनियम पारित किया गया था जिसने सरकार को निगम के कर्मचारियों और एजेंटों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया था । इन अधिकारों के अनुसरण में और पालिसीधारकों और निगम का और अधिक मितव्ययता से प्रशासन करने के हित में बोनस और महंगाई भत्ते की अदायगी पर अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए नियम बनाए गए थे ।

2. नियमों की विधिमान्यता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने नियमों के कार्यान्वयन को रोकने का आदेश दिया था। 15 अप्रैल, 1981 को सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन बीमा निगम को, 1974 के समझौते की शर्तों के अनुसार बोनस की अदायगी करने का निर्देश दिया ।

3. सरकार को यह सलाह दी गई थी कि यह आदेश, उस सीमा तक बंध नहीं है, जहां तक कि यह ऐसे कानून के उल्लंघन में, जिसे अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया है, बोनस की अदायगी करने के लिए निदेश है । इस आदेश से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठ गए ; जैसे कि कानून के प्रवर्तन को निलम्बित करने के लिए न्यायिक अधिकार की व्याप्ति और एक विधिमान्य कानून के उपबंधों के उल्लंघन में अदायगियां करने का आदेश जारी किया जाना ।

4. इन संदेहों के विचार से भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित मुद्दे संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत 21.4.1981 को सर्वोच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किए :

(1) क्या किसी विशेष कानून के प्रवर्तन का प्रारम्भ उस कानून के प्रवर्तन का प्रारम्भ कानून की ही शर्तों द्वारा शासित होने वाला विषय है या नहीं ?

(2) क्या किसी कानून का निलम्बन करना न्यायिक अधिकार के अंतर्गत है या क्या न्यायिक अधिकार कानून की विधिमान्यता के प्रश्न तक ही सीमित है ?

(3) क्या किसी कानून को अविधिमान्य ठहराए बिना, एक कानून के उपबंधों के विपरीत, जो प्रत्यक्षतः विधिमान्य है और जिसे अन्यथा निर्णीत नहीं किया गया है, सकारात्मक कार्य करने के लिए कानूनी आदेश देना न्यायिक रूप से अनुमत है ?

5. इन निर्देशों को तथा इनके परिणामस्वरूप इस अनिश्चितता की दृष्टिगत रखते हुए कि क्या निगम के लिए अदायगी करने का रास्ता खुला है, निगम द्वारा और सरकार द्वारा 15.4.81 के अन्तरिम आदेश के निलम्ब और/या खण्डन के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अध्यावेदन किया गया । ये याचिकाएं कल सर्वोच्च न्यालय द्वारा नामंजूर कर दी गई ।

6. यद्यपि सरकार को 15.4.1981 के अन्तरिम आदेश के ठीक होने के सम्बन्ध में,

जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 1 3 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने की आवश्यकता हुई थी, संदेह है तथापि सरकार ने कानून के नियम का पालन करने के लिए जीवन बीमा निगम को न्यायालय के आदेश के अनुसार बोनस की अदायगी करने की सलाह दी है। यह अदायगी राजकोषीय वर्ष, 1978-79 और 1979-80 के लिए होगी।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उससे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि मन्त्री महोदय गलत जगह पर जाकर फंस गए हैं और उसका यही नतीजा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका कांशेंस अलाऊ नहीं करता है, लेकिन जाने-अनजाने इनसे ऐसा काम करवाया जा रहा है कि जिससे न सिर्फ सरकार की प्रतिष्ठा और छवि धूमिल हो रही है बल्कि मन्त्री जी की छवि भी धूमिल होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मामला यह नहीं है कि बोनस कितना बढ़े या कितना कम हो या और क्या हो—यहां मामला सिर्फ इतना ही है कि यह सरकार कोर्ट का कितना आदर करती है और जो देश का वर्किंग-क्लास है, जो देश का मजदूर वर्ग है, उसके प्रति सरकार का क्या आटीट्यूड है,—यह पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि वर्किंग क्लास में जो दो तरह के एम्प्लायज है—एक पब्लिक सेक्टर में हैं और दूसरे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन दोनों में क्या अन्तर है।

यह मामला कैसे उत्पन्न हुआ—मन्त्री महोदय जानते हैं, लेकिन मैं सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं। सन् 1974 में जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था और जिसमें लिखा गया था कि कारपोरेशन और उसके पालिसी-होल्डर्स के हित को ध्यान में रख कर के यह समझौता करते हैं और उस समझौते को बोर्ड आफ डायरेक्टर ने एप्रूव किया था। बोर्ड आफ डायरेक्टर के एप्रूवल के बाद केन्द्रीय-सरकार ने एप्रूव किया और समझौता लागू हुआ। यह समझौता 13 अप्रैल 1977 से लेकर मार्च 1977 तक था। इस समझौते को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराया गया। इसके बाद 1976 में इमरजेंसी के समय संसद ने एक "मोडिफिकेशन आफ सेटलमेंट एक्ट-1976" बनाया, जिसके अनुसार बोनस की धारा को एक्ट के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद आल इंडिया एल० आई० सी० फेडरेशन इस एक्ट को सुप्रीम-कोर्ट में चुनौती दी। उसके बाद 21 फरवरी 1981 को सुप्रीम-कोर्ट के सात जजों की संवैधानिक बेंच ने एक मत से फैसला दिया कि मोडिफिकेशन एक्ट असंवैधानिक है। सुप्रीम-कोर्ट के निर्णय के बाद 3 मार्च और 5 मई 1978 को अध्यक्ष एल० आई० सी० ने एल० आई० सी० एक्ट के अन्दर बोनस की धारा को पुनः काट दिया। यहां से चलता है सरकार का अटीट्यूट। कोर्ट का क्या फैसला है और सरकार का अटीट्यूड। देखिए। 26 मई 1978 को केन्द्रीय सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया। इसके खिलाफ एल० आई० सी० फेडरेशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में नोटिफिकेशन की वैधानिकता को चुनौती दी। 11 अगस्त 1978 को लखनऊ बेंच ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला किया। उसके बाद मैनेजमेंट ने इसके निर्णय खिलाफ 2 सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जो 22 नवंबर को एडमिट हुई। इसके अनुसार यदि एल०

आई० सी० अपील में हार जायेगी तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, जिस तिथि से बोनस दिया गया, तब से देगी। 10 नवंबर 1980 को सुप्रीम कोर्ट ने एल० आई० सी० की अपील को डिसमिस कर दिया और कहा कि सूद के साथ बोनस वाजिब है और एल० आई० सी० इसका पालन करेगी। उसके बाद जब बोनस का भुगतान नहीं हुआ तो दिसंबर 1980 में फेडरेशन ने एल० आई० सी० के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि नवम्बर 1980 के फैसले की इन्होंने अवहेलना की है। 8 दिसम्बर 1980 को सुप्रीम कोर्ट ने एल० आई० जी० के खिलाफ नोटिस जारी किया।

दस दिसम्बर को एल० आई० सी० ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पैटीशन दायर की। 13 जनवरी के फैसले का पालन किया जाएगा यानी बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन 31 जनवरी 1981 को प्रैजीडेंशल आर्डिनेंस जारी कर दिया गया। 2 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने गजट भी जारी कर दिया। इस आर्डिनेंस को संसद द्वारा एक्ट का रूप भी दे दिया गया। 30 मार्च को जब सुनवाई हुई। वित्त मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन की 30 मार्च तक इसके फलस्वरूप स्थगित कर दिया गया। 30 मार्च को जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने स्टे आर्डर को दो अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया। एक्ट को रहने दिया तब तक के लिए जब तक फैसला नहीं होता है लेकिन सेवा शर्तों को बदलने के बारे में जो नाटिफिकेशन था उस पर रोक लगा दी 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर पास किया और कहा कि 15 अप्रैल तक बोनस का भुगतान हो जाना चाहिये जैसे एटर्नी जनरल ने 13 जनवरी 1981 को सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया था। 13 अप्रैल 1981 को फैडरेशन ने एक और रिट पैटीशन एल० आई० सी० के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जिस पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर पास किया जिस के अनुसार बोनस का भुगतान करने के लिए सात दिन का समय दिया गया और कहा गया कि 22 अप्रैल 1981 तक इसका भुगतान हो जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि अपील पैंडिंग रहेगी। लेकिन सात दिन के अन्दर-अन्दर भुगतान करना होगा। यदि एल०आई०सी० मैनेजमेंट जीत जाएगा तो इस बोनस की राशि को कर्मचारियों के वेतन में से काटा जा सकता है। 22 अप्रैल पेमेंट की लास्ट डेट थी। 21 अप्रैल 1981 को दो बजे दिन में सरकार के एटर्नी जनरल ने केस को चीफ जस्टिस के पास मेंशन किया और एप्लीकेशन को फाइल किया। 21 अप्रैल को ही फैडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पैटीशन दायर की। 22 अप्रैल 1981 को सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजैक्ट कर दिया और पुराना जो आर्डर था, उसको कायम रखा। 22 अप्रैल 1981 को सवेरे फैडरेशन ने पुनः एक पैटीशन दी। उसके बाद संसद में वित्त मन्त्री की घोषणा हुई।

मन्त्री महोदय ने अपने लिखित वक्तव्य में जो सन्देश सरकार के हैं उनके बारे से कहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित मुद्दे संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत 21 अप्रैल 1981 को सर्वोच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किए हैं और उससे पूछा गया है कि क्या किसी विशेष कानून के प्रवर्तन का प्रारम्भ उस कानून की ही शर्तों द्वारा शासित होने वाला विषय दैया नहीं आदि। यदि इस सम्बन्ध में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जब बिल पर बहस हो रही थी तब वित्त मन्त्री ने संसद को बताया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के दस नवम्बर के फैसले का

पालन कर रहे है। यह बिल्कुल निराधार था। 26 फरवरी 1981 को चीफ जस्टिस ने जो क्लेरिफिकेशन किया पोजिशन का उसमें उन्होंने कहा था :

> "जब महा न्यायवादी ने हमारे सामने अपना वक्तव्य दिया कि वे न्यायालय के आदेश को 15 अप्रैल, 1981 तक क्रियान्वित कर देंगे, हमने इसका यह अर्थ लगाया कि हमें वह कह रहा है कि निर्णय के उस भाग का पालन किया जायेगा जो बोनस के संदाय से सम्बन्धित है, यद्यपि निर्णय में संगत विधान आदि कुछ विकल्प दिये गये हैं..."

इस तरह से उन्होंने स्थिति को बिल्कुल साफ कर दिया था। इस वास्ते सरकार के जो तर्क हैं उनमें कोई कम नहीं है।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य के लास्ट पैरा में कहा है कि यद्यपि सरकार 15 अप्रैल 1981 के अन्तरिम आदेश के ठीक होने के सम्बन्ध में, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने की आवश्यकता हुई थी, सन्देह है। एक तरह से लगातार आप यह कोशिश कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक कि आपको बोनस न देना पड़े और आपको हार खानी पड़ी है। सारे हथकंडे आपने इस्तेमाल किए हैं। फिर भी आपका सन्देह बना हुआ है। मामला जो कोर्ट में पेंडिंग है उसका जो होगा। एम्प्लायीज का यह कहना नहीं है कि आप उन पर कोई मर्सी करें। उनका कहना है कि यदि केस हमारे खिलाफ जायेगा और आप जीत जाएंगे तो आप यह राशि हमारे वेतन में से काट लें।

सरकार का कहना है कि वह खर्चे घटाना चाहती है। इस वास्ते उसने यह कहना शुरू कर दिया है कि कर्मचारियों के वेतन, सुविधायें जो अधिक है उनको हम कम करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जैसे आदमी पारलियामेंट में ही विभिन्न मंत्रालयों की फिजूलखर्ची पर चोट करते हैं, सरकार पर हमला करते है और सरकार से पूछते हैं कि मंत्रालयों में जो सफेद हाथी बैठे हैं उनके खर्चों को कम करने की सरकार कोई नीति बनायेगी तो सरकार के द्वारा उस पर चुप्पी लगाई जाती है। मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कोई इस तरह की पालिसी बनायेगी जिसके तहत जो देश में फिजूलखर्ची हो रही है, देश के पैसे और नामे का भी मिसयूज हो रहा है, जो सफेद हाथी बैठे हैं न्यूयरोकेट बैठे हैं वह सब रोका जा सके ? आप कहेंगे कि नहीं मामला विचाराधीन है।

मैं कैटेगरी कली कहना चाहता हूं कि संविधान की धारा 16 जो कि समानता के सिद्धांत के बारे में है, उसका डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू फार्म एसोसियेशन है, राइट टू कलैक्टिव बार्गेनिंग हैं, साथ ही सौदाबाजी का सिद्धान्त है जिसके तहत मजदूर और एम्प्लायर दोनों के बीच में समझौता होकर राष्ट्र का भी काम बढ़े और मजदूरों के हितों का भी काम हो, दोनों का समझौता हो चुका है और उस पर आप कुठाराघात करें यह सिर्फ एल० आई० सी० का मामला ही नहीं है बल्कि दूसरी बर्किंग क्लास के इन्टरेस्ट पर भी हमला हो रहा है। आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी में भी है, लिविंग वेजेज का मतलब क्या

हैं, यह हमारी समझ में नहीं आया है। यह सही है कि हिन्दुस्तान में मिनियम बेजेज अभी नहीं दे पाते हैं, लेकिन यदि किसी मजदूर को अधिक वेतन मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी टांग काटकर जो थोड़ा होता है, उसकी कैटेगरी में ले जायेंगे। जरूरत इस बात की है कि इसको आगे बढ़ाइये।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, मैंने पहले ही कहा कि यह मामला सिर्फ ए.ल० आई० सी० से ही सम्बन्ध नहीं रखता है, सिर्फ बोनस से ही सम्बन्धित नहीं है, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार का एटीट्यूड जुडिशियरी के प्रति क्या है और वर्किंग क्लास के प्रति क्या है? सरकार के इस कारनामे से वर्किंग क्लास और उनके बीच जो प्रश्न वाचक चिह्न लग गया है उसके सम्बन्ध में क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनायेगी जिसके तहत फिजूलखर्ची को रोका जा सके और जो सफेद हाथी है, उन पर कोई अंकुश लगाया जा सके?

श्री राम विलास पासवान : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और निर्णय के बावजूद भी बारबार सरकार द्वारा मजदूर-विरोधी कदम क्या इस बात के द्योतक नहीं है कि यह सरकार मजदूर विरोधी सरकार है? यदि नहीं, तो सरकार मजदूर विरोधी सरकार है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी उसकी क्यों अवहेलना की गई?

क्या सरकार ऐसा विधेयक लायेगी जिसके तहत फिजूलखर्ची को रोका जा सके?

क्या सरकार भविष्य के लिये यह एश्योर करेगी, क्योंकि आपने कहा है कि मुझको शंका है, जब आपको कोर्ट के निर्णय पर शंका है तो हमको आपकी नीयत पर शंका है, इसलिये में जानना चाहता हूं कि क्या आप इस पार्लियामेंट के माध्यम से इस शंका का निवारण करेंगे कि भविष्य में आपका कदम मजदूर विरोधी नहीं होगा!

श्री आर० वेंकटरामन (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ हुआ है उसकी समीक्षा की है। परन्तु उसने मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछा है। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या उत्तर देना है। यदि वे चाहत हैं कि मैं वहां की कार्यवाही के बारे में अपना बयान दूं तो इस पर और आधा घण्टा लग जायेगा। यह मंशा तो नहीं है कि वह अपना बयान देगे और मैं अपना।

श्री आर० वेंकटरामन : इस विषय पर कि क्या हम मजदूर विरोधी हैं या मजदूर समर्थक हैं, चर्चा तो उस समय होगी जब हम मतदान के लिये लोगों के समक्ष जायेंगे। तथापि कुछ मास पूर्व इस पर चर्चा अवश्य हुई थी। हमें निर्णय मिल गया है। जहां तक उसके पालन का सम्बन्ध है··· (व्यवधान)

वह अपना बयान है। आप जा सकते हैं और कह सकते हैं दुख तो यह है कि लोग हमारे पक्ष में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। यह चर्चा नहीं है। सभी इसमें भाग नहीं ले सकते। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकाए) : आप सदस्यों को संरक्षण प्रदान करिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो प्रोफेसर हैं और नियमों से अवगत हैं। श्री जयपाल सिंह भी नियमों को जानते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन का सम्बन्ध है, यह सरकार की नीति यह है कि वे विधि के नियम को बनाए रखें। यही मैंने कल कहा था। यद्यपि हमने निर्दिष्ट किया है और कुछ चीजों की वैधता के बारे में हमारी शंकायें हैं, तथापि हमने न्यायालय के निदेश के अनुसार संदाय करने का निर्णय किया है। इससे यह मामला समाप्त हो जाता है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि वास्तव में बात क्या है ? इस सभा ने एक विधि बनाई है जिसमें सरकार को किसी विधि विशेष के अधीन मंहगाई भत्ते और बोनस का भुगतान करने के लिए कहा गया है। उच्चतम न्यायालय ने उस विधि से भिन्न रूप में संदाय करने का निर्णय दिया है। अत: एक द्वन्द-सा उत्पन्न हो गया है कि सरकार को क्या करना चाहिये क्या सरकार उस विधि का पालन करें जिसे संसद ने बनाया है और उसे अभी अवैध नहीं ठहराया गया है या न्यायालय के निदेश का पालन करे अपने निर्णय में हमने सोचा कि चूंकि हम एक अन्य मंच पर निदेश की वैधता के प्रश्न को उठा रहे हैं, अत: हम न्यायालय के निदेश का पालन करेंगे और उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार कार्य करेंगे यह एक साधारण सी बात है। अन्य सभी बातें बिल्कुल असंगत है। क्या आप मजदूर समर्थक हैं या हम मजदूर समर्थक हैं, इस बात का फैसला तो बाजार में करना होगा न कि यहां। आपने कई चीजों को बिगाड़ करके कहा है और इस पर काफी समय लगेगा। आपने कहा कि महान्यायवादी ने वचन दिया। उन्होंने स्वयं यह कहा है कि उन्होंने कोई वचन नहीं दिया था। क्या मैं उच्चतम न्यायालय के निदेश में से उस भाग को पढ़ू ? उच्चतम न्यायालय का यह आदेश है जो मैं पढ़ रहा हूं :

> "विद्वान महान्यायवादी का कहना है कि जब उन्होंने जीवन बीमा निगम की ओर से 13 जनवरी, 1981 को वक्तव्य विशेष दिया था, उस समय उनके दिमाग में यह था कि वह बोनस, जिसके बारे में 10 नवम्बर, 1980 के निर्णय में निदेश दिया गया था कर्मचारियों को 15 अप्रैल, 1981 से पूर्व दे दिया जायेगा बशर्ते कि परिमाणम आदेश में उल्लिखित रूप में और विचाराधीन पुनरीक्षण याचिका के अनुसार किया जायेगा।" (व्यवधान)

आपने इसे उठाया। आपने ही इसे आरम्भ किया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप तो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो सामान्य रूप से उत्तेजित हो जाते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं। उत्तेजित तो आप हो रहे हैं। इस सभा में यह एक हास्यस्पद बात है। वे सरकार को गाली देते जाते हैं और जब सरकार उत्तर देती है तो वे कहते हैं कि सरकार उत्तेजित हो रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उच्चतम न्यायालय ने आपके उत्तर को स्वीकार नहीं किया है।

श्री आर० वेंकटरामन : उच्चतम न्यायालय ने मेरे उत्तर को स्वीकार कर लिया है।

क्या मैं वह पढ़ूं जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है :

"श्री गर्ग ने इस स्थिति का विरोध किया परन्तु हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते कि महान्यायवादी का आज यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने 13 जनवरी, 1981 को वास्तव में क्या बताया था ।"

उच्चतम न्यायालय ने तो यह कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह नवीनतम नहीं है, यह तो पुरानी है।

श्री आर० वेंकटरामन : पासवान जी कहते हैं, कि हमने आदेश की अवहेलना की है। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कहा है : "हम यह नहीं कह सकते कि महान्यायवादी ने जो आज कहा है वहीं वह बात नहीं कहना चाहते थे।" अतः कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस सबका यह परिणाम है कि जहां संसद का अधिनियम हो जिसमें कहा गया हो कि बोनस उस विधि के उपबंध विशेष के अनुसार दिया जाये और उसके प्रतिकूल निदेश भी हो। वहां सरकार जिसका पालन करे ? अतः यह सरकार चाहती है कि उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन निदेश दे। इस बीच हमने आदेश को क्रियान्वित कर दिया है क्योंकि स्वयं आदेश में कहा गया है कि यदि विधि की वैधता को स्वीकार कर लिया जायेगा, तो कर्मकारों को इस आदेश के अधीन ली गई अधिक रकम लौटानी होगी।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं वक्तव्य के उस भाग का स्वागत करता हूं जिसमें कहा गया है कि सरकार विधि के नियम का समर्थन करती है और मैं वक्तव्य के उस भाग का भी स्वागत करता हूं जिसमें सरकार ने कहा है कि उन्होंने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस देने के मामले में उच्चतम न्यायालय के निदेश को स्वीकार कर लिया है। परन्तु मुझे वक्तव्य के उस भाग पर, जो माननीय मंत्री अब दे रहे हैं, आपत्ति है मैं उच्चतम न्यायालय को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने हमारे देश के मजदूरों के हित का समर्थन किया है। मैं उन हजारों मजदूरों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने एकजुट होकर सरकार को ये निर्णय करने पर मजबूत कर दिया।

मेरे विचार में उच्चतम न्यायालय के कल के निर्णय के अनुसार बोनस देने का सरकार का निर्णय इस बारे में 10 नवम्बर, 1981 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय का शेष निवारण है। मेरे विचार में माननीय मंत्री जी को यह स्थिति मान लेनी चाहिये। उन्हें 10 नवम्बर 1981 के निर्णय को स्वीकार लेना चाहिए। परन्तु जिस टेढ़े-मेढ़े रास्ते से सरकार ने इस स्थिति को अर्थात उच्चतम न्यायालय के निर्णय की स्थिति को स्वीकार किया है उसके श्रमिक वर्ग और न्यायपालिका के लिए दुष्परिणाम निकलेंगे।

मैं अपना प्रश्न उच्चतम न्यायालय के उस फैसले पर आधारित करना चाहता हूं जिसमें देश के श्रमिक वर्ग को सामूहिक रूप से सौदा करने का मूल अधिकार प्राप्त है। उस फैसले में एक वचन तो यह दिया गया है और दूसरा आधार भारत सरकार के महा न्यायवादी द्वारा उस मामले में दिया गया वचन है। मैं पुराना मामला न उठाकर केवल उस ओर इशारा करना

चाहता हूं (व्यवधान) मुझे खुशी है कि वह भी पुराना मामला नहीं उठाना चाहते।

हमारे समक्ष सामूहिक सौदेबाजी का प्रश्न मूल प्रश्न है। न कि यह प्रश्न कि देश के श्रमिक वर्ग के एक भाग को कितना धन दिया जाने वाला है। मूल प्रश्न सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का है और ये देखना है कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या रूख अपनाती है।

इस सम्बन्ध में मैं न्यायमूर्ति श्री अय्यर द्वारा की गई टिप्पणी की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं :—

> "अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों में प्रतिपादित सामान्य उक्ति और निर्णयों से हमारे मन में इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम विशेष कानून है और यह जीवन बीमा निगम अधिनियम जो कि सामान्य कानून है, पर हावी रहेगा।"

उच्चतम न्यायालय के 10 नवम्बर के निर्णय का आधार यह विशेष मत है कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम जीवन बीमा निगम अधिनियम पर हावी होगा ?

उन्होंने इसी मत को ठीक माना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम ही हावी रहेगा। उन्होंने कल के उच्चतम न्यायालय के निदेश को मान लिया है। क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के इस मूल भूत को भी स्वीकार करती है। कि औद्योगिक विवाद अधिनियम हावी रहेगा और उसी आधार पर सभी औद्योगिक सम्बन्धों का फैसला होगा अर्थात सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अधीन किये गये सभी समझौतों को निभाएगी और ऐसा न केवल जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में ही किया जायेगा बल्कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उन सभी उपक्रमों के सम्बन्ध में भी होगा जहां सरकार नियोजक है ? क्या सरकार इस मुद्दे पर जीवन बीमा निगम के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी, यह मेरा पहला प्रश्न है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है भारत सरकार की स्थिति इस मुकदमे बाजी में स्पष्टतः उच्चतम न्यायालय के साथ मुठभेड़ की रही है। उन्होंने टकराव का मार्ग अपनाया है। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये पत्र द्वारा भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय अथवा निदेश को विफल करने का अप्रत्यक्ष प्रयास था।

जीवन बीमा निगम के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को विफल, समाप्त और रोकने का प्रयास किया गया है। क्या अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया पत्र सरकार के लिये वांछनीय था। जिसका आशय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रस्ताव समाप्त करना था। इस अनुच्छेद का आश्रय उस समय नहीं लिया जाता जब सरकार के समक्ष के अति महत्वपूर्ण मामले हों और उसे उच्चतम न्यायालय से सलाह लेनी हो। इस सन्दर्भ में मैं यह बता देना चाहता हूं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिये गेहूं और अन्य खाद्यानों के आवंटन और सप्लाई सम्बन्धी विवाद को न्यायालय के सौंपने का अनुरोध किया था जबकि सरकार ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। किन्तु यहां सरकार ने कुछ मिनटों में ही यह निर्णय किया कि यह मामला

अनुच्छेद 143 के अधीन न्यायालय को सौंपा जाये। उनका इरादा नेक नहीं है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि उच्चतन न्यायालय के निर्णय को प्रभावहीनता बनाना चाहते थे। क्या यह उचित है? सरकार ने जानबूझकर उच्चतम न्यायालय से टक्कर लेने का मार्ग अपनाया है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जहां वे विधि के शासन को बनाये रखेंगे वहां वे न्यायपालिका को स्वतंत्रता भी बनाये रखेंगे और उनसे टकराव का मार्ग नहीं अपनायेंगे। क्या सरकार ऐसे आश्वासन देगी ?

मेरा अन्तिम प्रश्न मंहगाई भत्ते पर स्पष्टीकरण से सम्बन्धित है। मामला दिनांक 2 फरवरी, 1981 की सरकारी अधिसूचना से सम्बन्धित है जिसके द्वारा बोनस और मंहगाई भत्ता दोनों प्रभावित होते हैं। उस अधिसूचना के अनुसार 2 फरवरी, 1981 से मंहगाई भत्ते पर अधिकतम सीमा लगा दी गई है। जबकि मंहगाई भत्ते की वृद्धि। फरवरी, 1981 से प्रभावी होनी थी जोकि 1971 के समझौते के अनुसार है। मैं सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या उन्होंने 1 फरवरी, 1981 से देय मंहगाई भत्ते की वृद्धि की मंजूरी के लिए हिदायतें जारी कर दी हैं जबकि अधिसूचना के अनुसार मंहगाई भत्ते की अधिकतम सीमा जो रोक ली गई थी, मंहगाई भत्ते की उस वृद्धि पर लागू नहीं होती जो समझौते के अनुसार 1 फरवरी, 1981 को देय हो गई थी। क्या सरकार ने उसकी अदायगी के लिये आवश्यक निर्देश दे दिये हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : श्री बसु के सामूहिक सौदेबाजी पर दिये गये लम्बे भाषण के बाद मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार बोनस देना मान लिया है। अर्थात यदि कानून का पालन किया जाये तो इसे कर्मचारियों से वसूल किया जा सकता है।

श्री चित्त बसु : यदि आप फिर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : आदेश ऐसी ही है। हमने ऐसा ही माना है और यही स्वीकार किया है।

श्री चित्त बसु : क्या आप उसे मानेंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : इसके बाद दूसरी बात यह है ....

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात उनसे कहलवाना चाहते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : वह तो कुछ भी कह सकते हैं।

श्री चित्त बसु : इससे बात साफ हो जाती है (**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरामन : उन्होंने दूसरा प्रश्न यह उठाया है कि क्या टकराव की स्थिति है मैं स्पष्ट "जी नहीं" कहना चाहता हूं। यदि श्री बसु इसमें से कोई गूढ़ अर्थ निकालें तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं श्री बसु की कल्पना के लिये जिम्मेदार नहीं हूं जहां तक मेरा प्रश्न है और जहां तक सरकार का प्रश्न है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। यह प्रश्न विशेष रूप से इस लिये भी उत्पन्न हुआ है क्योंकि मेरे अनुसार जानबूझकर अथवा अनजाने में टकराव की स्थिति

उत्पन्न हो गई है। हमारे सामने दो बातें है। एक वह कानून है जिसका प्रभाव एक तरह का है और दूसरा वह आदेश है जिसका प्रभाव उससे भिन्न है। मैं इसका समाधान चाहता हू। यह केवल पत्र भेजकर ही हो सकता है। अनुच्छेद 143 के अधीन ऐसा किया जा सकता है। मैं श्री बसु को यह भी बता देना चाहता हूं कि मैं या सरकार अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। हम सक्षम विधि सलाहकारों से सलाह लेते है और उसी आधार पर ऐसा किया गया है।

उन्होंने तीसरी बात मंहगाई भत्ते के श्रमिक संघों के अधिकारों के बारे में उठाई है। मंहगाई भत्ते के लिये बातचीत का यह मंच नहीं है। इसलिये मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। यदि मंहगाई भत्ते सम्बन्धी उनके कुछ दावे हैं तो वह सामान्य रूप से जीवन बीमा निगम के साथ उन्हें उठा सकते हैं और उन्हीं के साथ कोई समझौता कर सकते है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा हैं कि कल उन्होंने बोनस सम्बन्धी एक वक्तव्य दिया था और वह बोनस देने के लिये तैयार हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह घोषणा काफी पहले और सम्मान पूर्ण ढंग से की जा सकती थी। उन्होंने ऐसा स्वेच्छा से नहीं किया इसका श्रेय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और उससे भी अधिक उच्चतम न्यायालय को जाता है। इस मामले से ऐसे मुद्दे उठ खड़े हुए हैं जो बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण हैं और बोनस की अदायगी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं 1974 के समझौते का एकपक्षीय उल्लंघन और सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत के उल्लंघन के मामले उठाये जा चुके हैं। पता नहीं क्यों श्री बसु के प्रश्नों का उत्तर मंत्री महोदय ने भविष्य में इस सम्बन्ध में सरकार की नीति के बारे में क्यों नहीं दिया। दूसरी बात न्यायालय के आदेशों यहां तक कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने से भी सरकार निरन्तर इन्कार करती रही है। सरकार ने महा-न्यायवादी द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिये आश्वासनों का भी उल्लंघन किया है। इस पर अभी अभी कुछ चर्चा हुई है।

मैं आपका ध्यान 15 अप्रैल के आदेश की ओर दिलाना चाहती हूं उस समय तक यह अधिनियम पास नहीं किया गया था। इसे काफी दिन पहले 17 मार्च को ही पास कर दिया गया था। जब 15 अप्रैल को ये आदेश दिया गया तो उसमें अधिनियम सम्बन्धी स्थिति का भी ख्याल रखा गया था। उसके अलावा उस आदेश में यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि :

> "हम जीवन बीमा निगम को आदेश देते है कि वह इस न्यायालय के दिनांक 10 नवम्बर 1980 के आदेश को क्रियान्वित करे जिसमें निगम को बोनस की रकम 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित अदा करने सम्बन्धी 1974 के समझौते अनुसार उस तारीख से भुगतान करना होगा जिससे कि वे देय हों। हमने 2 अप्रैल, 1981 के आदेश द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1981 की अधिसूचना का क्रियान्वयन पहले ही रोक दिया है। हमने याचिकादाताओं द्वारा उनके वकील के माध्यम से दी गई इस प्रतिज्ञा को भी अभिलिखित कर लिया है कि रिट याचिकाओं के स्वीकार

न होने की स्थिति में निगम को कर्मचारियों को देय राशियों मे से कटौतियां करने का अधिकार होगा यदि 1974 के समझौते की शर्तों के अनुसार उन्हें कोई और अदायगी की जाती है। हम जीवन बीमा निगम को आज से एक सप्ताह के अन्दर भुगतान करने का निदेश देते हैं। ये भुगतान रिट याचिकाओं के अन्तिम परिणाम के अध्ययधीन होंगे।"

अब महान्यायवादी को इस आदर्श का मसौदा मुख्य न्यायधिपति द्वारा दिखाया गया था। इसे देखने के बाद वह एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर भुगतान करने पर सहमत हो गये। स्थिति यह है। क्या मंत्री महोदय ऐसा कहेंगे कि महान्यावादी ने कहा था कि हम भुगतान नहीं करेंगे। आदेश देखने के बाद उन्होंने उसका पालन करने का वचन दिया था। इससे तो लगता है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने से लगातार इन्कार किया जाता रहा है।

इसके बाद 22 अप्रैल बोनस के भुगतान की तारीख थी जिसे सरकार ने मान लिया था अनुच्छेद 143 के अधीन इस पत्र से स्पष्ट है कि ये गैर ईमानदाराना और कमीना कदम है। वास्तव में यह कदम उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का बहाना है। यदि पत्र लिख भी दिया गया था तो भी आदेश का पालन करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये थी। अनुच्छेद 144 का भी उल्लंघन है। सरकार से तो न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन में सहायता करने की आशा रखी जाती है।

अब मैं आपका ध्यान उच्चतम न्यायालय के आधुनिकतम निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि गत आदेश से पहले ही अब उठाई गई सभी आपत्तियां दूर की जा चुकी थीं। अब नई कोई आपत्ति नहीं हैं वास्तव में आदेश का पालन न करने का यह बहाना मात्र ही है।

सरकार की इस कार्यवाही को देखते हुए मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और बीमाधारियों से बिना ३ कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के लिये बाध्य होने और इस आदेश का पालन न करने के लिये माफी मांगेगी। अन्त में यह भी जानना चाहती हूं कि क्या सरकार पिछली याचिका दाखिल करने के लिये संसद से माफी मांगेगी क्यों कि वे महान्यायवादी पर भरोसा न करके श्री अशोक सैन को याचिका दायर करने के लिये पकड़ लाये हैं जो पश्चिम बंगाल में क्रांतिका नेतृत्व कर रहे हैं। वह बिना किन्हीं कागजात के जल्दी में वहां गये। इन सब प्रयासों के बाद वित्त मंत्री अब मजबूरन बोनस देने पर राजी हुए हैं और इस प्रकार उन्होंने संसद का अपमान किया है। क्या वह संसद से माफी मांगेंगे।

मैं सरकार से यह भी जानना चाहती हूं कि क्या वह सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ लड़ाई की नीति समाप्त करेगी। और सरकारी क्षेत्र में जो कुछ समाप्त हो गया है उसे ठीक करने में उन कर्मचारियों को योगदान करने का अवसर प्रदान करेगी ?

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही कटु शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला यह है कि विधान की तुलना में सामूहिक सौदे

बांजी की वैधता पर मैं अपनी राय दूं। मंत्री होते हुए में ऐसा नहीं कर सकता। यह न्यायालय का काम है। यदि श्रीमती मुखर्जी श्रम विधि पत्रिका के सम्पादक के नाते मुझसे व्यक्तिगत रूप में कोई राय लेना चाहें तो वह मैं दे सकता हूं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामन कोई और पत्रिका पढ़ते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : वह मेरी पत्रिका नहीं पढ़ती।

दूसरी बात उन्होंने आश्वासन के उल्लंघन के बारे में कही है मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि महान्यावादी अथवा सरकार द्वारा किये गये किसी आश्वासन का उल्लघन नहीं किया गया है।

तीसरी बात उन्होंने यह कही है कि अनुच्छेद 144 के अधीन सरकार को.....

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि सरकार आदेश का पालन नहीं करने वाली फिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा ?

श्री आर० वेंकटरामन : पता नहीं श्रीमती मुखर्जी न्यायालय में उपस्थिति थी या नहीं ? महान्यायवादी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इस बात की उन्हें हिदायत दी गई थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह नियम बहुत बढ़िया है।

श्री आर० वेंकटरामन : मौन ही सर्वोत्तम है विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में। (व्यवधान)

तीसरी बात उन्होंने यह कही है कि संविधान के अनुच्छेद 144 के अधीन हमें उच्चतम न्यायालय द्वारा विनियमित विधि को क्रियान्वित करना होता है। हम ऐसा ही करते हैं। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उसके विरुद्ध अपील नहीं कर सकते। ऐसा प्रावधान है कि जहां हम किसी विशेष निर्णय से संतुष्ट न हों वहां हमें अन्य समी पक्षों के साथ अपील करने का अधिकार है।

अन्त में उन्होंने श्री अशोक सेन की नियुक्ति के बारे में कहा है। ऐसा अवसर आ गया था जहां दो व्यक्तियों को, एक सरकार के लिये और दूसरा जीवन बीमा निगम के लिये हमें नियुक्त करना पड़ा। अब तक यदि एक ही व्यक्ति न्यायालय में जाता रहा है तो दोनों की ओर से जाता रहा है। अब चूंकि पक्षों में भिन्नता थी इसलिये सरकार का प्रतिनिधित्व महान्यावादी ने और जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व एक बड़े विद्यमान वकील श्री अशोक सेन ने किया जो लग भग 10 वर्षों तक स्वयं विधि मंत्री रह चुके हैं (व्यवधान) वह इस समय उच्चतम न्यायालय बार के अध्यक्ष हैं और जाने माने नेता हैं (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : ये सब गड़बड़ है। इससे उनकी श्रमिक विरोधी नीति की झलक भी नहीं मिलती बल्कि यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सरकार मे कोई नेता नहीं है। लगता है कि उनका उद्देश्य चालाकी से समय बिताना है। वे 21 तारीख को अपराह्न 2 बजे से आये जबकि कर्मचारियों को 22 तारीख को भुगतान करना था। उन्होंने मंत्रिमण्डल की एक असाधारण

बैठक बुलाकर उन सब बातों पर चर्चा करके मैंने निर्णय किया महोदय, सरकारी मालिकों और निजी मालिकों में अन्तर स्पष्ट दिखाई देता हैं। निजी मालिक केवल मुनाफे से प्रेरित होते हैं। जबकि सरकारी मालिकों को मुनाफे के साथ-साथ सभी के कल्याण का ध्यान रखना चाहिये। जीवन बीमा निगम एक सरकारी संस्था है। उन्हे न केवल न्यायपालिका का मुकाबला करना पड़ रहा है, उनके निर्णयों का उल्लंघन भी करना पड़ता है। और अनैतिक आचरण भी सरकार कर रही है। अन्यत्र सरकार लोगों को भर्ती करके 90 दिन के बाद उनकी सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं। ताकि उन्हें स्थायी बनाने का अधिकार न रहे। एक ओर सरकार कानून बनाती है और दूसरी ओर धोखाधड़ी के तरीके अपना कर कानून का उल्लंघन भी करती है। यह कोई संभ्रात सरकार नहीं है। यद्यपि मैं बहुत कड़े शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि यह सरकार संभ्रात नहीं है। उन्हें न केवल विधि के शासन का ध्यान रखना चाहिये बल्कि ये भी ध्यान रखना चाहिये कि कोई उन्हे अपेतिक न कहे।

यह ऐसा मामला है जिसमें उन्होंने गैर-कानूनी काम ही नहीं किये बल्कि अनैतिकता भी दिखायी है। उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। यदि आपने विश्वास खो दिया है तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे हैरानी है कि श्री वेंकटरामन आप भी इस प्रकार के गलत कामों में शामिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह शब्द प्रयोग नहीं करने चाहियें। यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा (व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग निन्दनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : में उत्तर दे सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी नहीं है। जब वे जी० टी० एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं तो क्या वे डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में से होकर नही गुजरते।

(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपना ध्यान स्वयं कर सकता हूं।

श्री रणवीर सिंह (केसर गंज) : आपने केवल यह कहा कि इन शब्दों को कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाये। क्या आप उन जैसे वरिष्ठ सदस्य से ऐसे शब्द प्रयोग न करने के लिए कहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस प्रक्रिया में वे क्या करते हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र को खुश करने के लिये वैगन के नजदीक बैठे लोगों ने क्या किया। उन्होंने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिये मजबूर कर दिया। इससे कितनी अधिक हानि हुई ? इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? श्री वेंकटरामन आप मन्त्रिमंडल के सदस्य है। आप इसके लिये सम्बन्धित

व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराईये और जिस व्यक्ति ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को हड़ताल करने और अदालत में जाने के लिये मजबूर किया उससे त्यागपत्र दे देने के लिये कहना चाहिये।

इसके अलावा आपने राष्ट्रपति को न्यायपालिका का मुकाबले करने के लिये बाध्य कर दिया (व्यवधान) *

श्री आर० वेंकटरामन : राष्ट्रपति जी कहते हैं वह सरकार का काम होता है। सरकार का काम राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। इसलिये आपके सभी आक्रमण सरकार पर हो सकते है। कृपया राष्ट्रपति जी का नाम मत लीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने उनका नाम नहीं लिया है। कृपया सुनिये.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह सब क्यों सुनते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वेंकटरामन हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस नहीं करनी चाहिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने सदस्यों को* कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस करते समय क्या हम आलोचना नहीं कर सकते।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे हैरानी है कि आप जैसे वरिष्ठ सदस्य ऐसी बात कहते हैं। सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। इसलिये आपको राष्ट्रपति की नहीं बल्कि सरकार की आलोचना करनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न यह है (व्यवधान) आप कृपया अपने लोगों को तैयार होकर यहां आने के लिये कहिये। (व्यवधान) हमने आप जैसे बहुत* देखे है (व्यवधान)

अब वे न्यायपालिका का मुकाबला कर रहे हैं। मैं श्री जस्टिस गुप्ता, श्री जस्टिस पाठक और श्री जस्टिस चिन्नापा रेड्डी का उनके फैसले के लिये बधाई देता हूं। परन्तु अब पद रिक्त क्यों हैं। वे ऐसे न्यायाधीश चाहते हैं जो कार्यपालिका के इशारे पर चलें। इसलिये उन्हें ऐसे व्यक्ति आसानी से नहीं मिल रहे हैं और न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हैं और उच्च न्यायालयों साढ़े छः लाख से भी अधिक मामले निलम्बित है।

श्री अशोक सेन जब यहां दो बजे जाये थे तो उन्होंने कहा था कि मैं विशेष अटार्नी

---

* उपाध्यक्ष के आदेशनुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाला गया।

* कार्यवाही वृन्तान में शामिल नही किया गया।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृन्तात से निकाल दिया गया।

जनरल हूं। मैं जानता हूं कि एक विशेष अटार्नी जनरल किस उपबंध के अधीन नियुक्त होता है। मुझे यह बताया गया है और मैं उच्चतम न्यायालय में नहीं जा रहा हूं। वे आते हैं और कहते हैं "चूंकि राष्ट्रपति आपके पास एक मामला भेज रहे हैं इसलिये आप 15 अप्रैल के आदेश के कार्यान्वयन को रोक लीजिये।

श्रीमन यह श्रमिक वर्ग के साथ धोखा है और विश्वासघात है और उन समझौतों की अवहेलना है जो उन्होंने स्वयं किये हैं। सौभाग्य से, उच्चतम न्यायालय ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है और यदि उन्हें कोई शर्म होगी तो वह भविष्य में ऐसा काम नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने विश्वास खो दिया है बल्कि वे विश्वास के पात्र ही नहीं है"। वे देश की अर्थ व्यवस्था को बर्बाद कर रहे है।

22 तारीख के आदेश में उन्होंने कहा है कि :

> "15 अप्रैल, 1981 के अन्तरिम आदेश के निलम्बन के लिये जो प्रार्थना की गई है वह उपर्युक्त आदेश पर समीक्षा के लिये अर्जी है, जो आधार लिये गए हैं वही है जिन पर हमने यह आदेश देने से पहले बहस की थी। राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख किये जाने के कारण हम आदेश की समीक्षा नहीं कर सकते।"

सरकार की इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है।

1974 में उन्होंने एक समझौता किया था जिसमें उन्होंने मंहगाई भत्ते, वेतन, छुट्टी कार्य के घन्टे आदि सभी सेवा शर्तों को तय किया था। इसे उन्होंने द्विपक्षीय समझौता कहा था यह एक पक्षीय समझौता नहीं है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं। परन्तु अचानक कटौती कर ली गई और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में और फिर उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ा? और इसके बाद 10 नवम्बर, 1980 का फैसला हुआ। इसे क्रियान्वित नही किया गया। इस फैसले पर अमल न करने के लिये सरकार ने 31 दिसम्बर 1981 को एक अध्यादेश जारी किया जबकि सभा की बैठक होने वाली थी। श्री वेंकटरामन ने कहा है कि वे अपने बहुमत के बल पर कानून बना सकते हैं। तब फिर अध्यादेश क्यों जारी किया गया? आपने इस प्रकार अध्यादेश जारी करके गलत तरीके से कानून बना लिया है। जब जीवन बीमा निगम के बारे में सभा में बहस हो रही थी उससमय यह कहा गया था कि चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय के पास है इसलिये हमें इस विधेयक को लाना चाहिये। हमें उच्चतम न्यायालय के फैसले की इन्तजार करनी चाहिये। तब तक इस विधेयक को नहीं लाना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

15 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने आपको बोनस संबंधी 1974 के समझौते को लागू करने और बोनस राशि ब्याज समेत देने के लिए कहा। परन्तु आपने उसकी परवाह नहीं की। सरकार ने 2 फरवरी; 1981 को अध्यादेश के आधार पर एक अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के 24 जनवरी, 1974 के समझौते के अनुसार बोनस प्राप्त करने के अधिकार पर रोक लगा दी और इस अधिसूचना द्वारा 2.2.81 से मंहगाई भत्ते

की सीमा भी निर्धारित कर दी। क्या यह सच नहीं है? उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल, 1981 के अपने आदेश द्वारा बातचीत पर रोक लगाई और जीवन बीमा निगम से 1974 के समझौते पर अमल करने के लिये कहा। हमें खुशी है कि आपके इस षडयंत्र का भन्डाफोड़ हो गया है। आपने श्रमिक वर्ग के मुंह पर तमाचा मारा है परन्तु हमारी न्यायपालिका बधाई की पात्र है कि इस बार उन्होंने साहस और ईमानदारी से काम किया है। (व्यवधान)

मैं श्री वेंकटरामन से यह पूछना चाहता हूं कि 1980-81 के बोनस का क्या हुआ जो 30 अप्रैल, 1981 को दिया जाना है?

(2) 1 फरवरी, 1981 से बढ़े मंहगाई भत्ते की अदायगी भी नही की गई है। आप इसे कब देंगे?

श्री आर० वेंकटरामन : श्री बसु बहुत कड़ी भाषा प्रयोग करते हैं। जो बात गरिमापूर्ण ढंग से कहीं जा सकती है उसे भी वे कड़ी भाषा में कहते हैं। वे समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का निर्णय सरकार के मुंह पर तमाचा है। बहुत से फैसले सरकार के खिलाफ और सरकार के पक्ष में होते हैं परन्तु यह कहना कि यह फैसला सरकार के मुंह पर तमाचा है, कोई गरिमापूर्ण बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसन सोल) : उनके शब्दों पर ध्यान न दें। अमृतम बाल भाषितम्

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1978 में इस समझौते को ठीक बताया और इस कानून को अवैध घोषित किया था।

तब सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। यह अपील जनता सरकार ने की थी जो कि सामूहिक सौदेबाजी की बहुत हिमायत लेती थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमने इसका विरोध किया था।

श्री आर० वेंकटरामन : यह बात अब कहने से क्या फायदा है। आप तो तत्कालीन सरकार के कट्टर समर्थक थे। बाद में तो लोग कहानियां लेकर आते ही है। जब मैंने यह बात श्री फर्नान्डीस और श्री मधु दण्डवते से कही कि मंत्रिमन्डल के सदस्य होने के नाते उन्होंने इस अपील को कैसे होने दिया तो उन्होंने कहा था कि वे इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने इसका विरोध किया था। वे बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं परन्तु संसदीय प्रथा यह है कि यदि आप सरकार से सहमत नहीं होते तो आपको इस्तीफा देना चाहिये। यदि आपने इस्तीफा नहीं दिया तो इसका मतलब है कि आपने विरोध भी नहीं किया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम सरकार में नहीं थे।

श्री आर० वेंकटरामन : इसलिये यह तर्क कि यह अपील सामूहिक सौदेबाजी के विरुद्ध है ठीक नहीं है क्योंकि बिना सीमा के मंहगाई भत्ता निश्चित करना या वेतन संबन्धी कानूनों के

विरुद्ध बोनस निश्चित करना वेतन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस देश में किस श्रेणी के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते पर सीमा लगाई गई है। मंहगाई भत्ते पर तो कोई सीमा नहीं हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : बैंकों में हमने 19.80 रूपये की सीमा लगाई है। कुछ अन्य श्रेणियों में भी हमने सीमा निर्धारित की है। परन्तु यही एक ऐसी श्रेणी है जहां कोई सीमा नहीं है। और कुछ तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को तो लगभग दो हजार रूपये मंहगाई भत्ते के रूप में दिये जाते हैं। आप इसका समर्थन कर सकते हैं। यह सरकार इसका समर्थना नही करेगी हमने इस पर नियंत्रण करने का निश्चय कर लिया है। इसीलिये हम इस विधान को लाये हैं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : महोदय, श्री राममूर्ति और श्री फर्नान्डीस ने बंगलोर में मंहगाई भत्ते में प्रत्येक अंक की वृद्धि के लिए 1.30 का मूल्य निर्धारित करने का सूत्र बनाया है और इस निर्णय में श्री इन्द्रजीत गुप्त भी बंगलौर में शामिल थे। वह चाहते थे कि इसे एक राष्ट्रीय नीति बनाया जायें।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे कहने दीजिये। यदि समान कार्य के लिये समान वेतन का भुगतान न्यूनतम पर लागू होता तो यह अधिकतस पर भी लागू होना चाहिये। इसलिये सरकार ने यह फैसला किया हैं कि राष्ट्रीय वेतन नीति के मामले के रूप में किसी विशेष वर्ग को अधिक वेतन नहीं दिया जाना चाहिये। इसीलिये यह विधेयक लाया गया है और हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका वेतन बहुत कम हो गया हो। हमने उन्हें बैंक कर्मचारियों के बराबर कर दिया है और अब वह बोनस अधिनियम के अन्तर्गत आयेंगे। इसलिये हमने किसी विशेष वर्ग को नुकसान पहुंचाने का कोई काम नहीं किया है। सरकार ने यह सीमा लगाकर ठीक ही किया है। सरकार को ऐसा कानून लाने का हक है और वही सरकार ने किया है।

उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि 1974 का समझौता तभी तक बैध हैं जब तक इसे किसी दूसरे समझौते अथवा विधान द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है :

> "बहुमत द्वारा व्यक्त की गई राय को देखते हुए अपील को पहले दूसरे और तीसरे वादियों के पक्ष में लागत समेत रद्द किया जाता हैं और 1979 की स्थानान्तरण याचिका संख्या । को उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है जहां तक यह जीवन बीमा निगम द्वारा 1974 के बोनस सम्बन्धी समझौतों पर लागू होती है जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा समझौता अथवा औद्योगिकी पंचाट अथवा संगत विधान नहीं लाया जाता।

हमने यह संगत विधान पास कर दिया। इसलिये यह कहना है कि हमने उच्चम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध काम किया हैं, ठीक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इसमें संगत

विधान द्वारा संशोधन किया जा सकता है। श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि आपने इच्छाओं के विरुद्ध कानून पास किया है। लोकतन्त्र में तो बहुमत ही कानून पास करता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री आर० वेंकटरामन : आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारी यह परम्परा है कि हम सभा में समिति की कार्यवाही उद्धरत नहीं करते। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है इसलिये इसे सभा में नहीं लाना चाहिए। परन्तु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि समिति में उनका बहुमत है।

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय हमारे देश के संविधान में विपक्ष को कोई अन्तिम अधिकार नहीं दिया गया है. बहुमत संविधान के अन्मर्गत कानून ला सकता है। यह कानून उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार है। मेरी समझ नहीं आता कि इस विधान का विरोध क्यों कर रहे हैं। इसमें अनौचित्य का कोई प्रश्न नहीं है। मैं केवल यह कहूंगा कि इन शब्दों के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं हैं।

दूसरी बात श्री ज्योतिर्मय बसु ने मंहगाई भत्ते के बारे में कही है। यह मामला प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच वार्ता से सुलझ सकता है सरकार ऐसे विवादों में नहीं पड़ती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। माननीय मन्त्री को कुछ सइस्यों द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देना है। मेरा प्रश्न यह है। (क) 1980-81 के बोनस का जो 30.4.81 को दिया जाना है, क्या हुआ (ख) मंहगाई भत्ता। फरवरी, 1981 से बढ़ गया है। इसे अभी तक क्यों नहीं दिया गया है। वह इसे कब देंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : यह मामले कर्मचारियों और जीवन बीमा निगम के बीच तय होंगे। और सरकार इस अवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

श्रीनगर में कतिपय स्थानों पर तलाशी लेने और कागजातों आदि को जब्त करने के कार्य में लगे आय-कर अधिकारियों पर हुए हमले के बारे में वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : अब श्रीनगर में कतिमय स्थानों पर तलाशी और अभिग्रहण कार्य में लगे आय कर अधिकारियों पर हमले के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री एक बक्थत्व देंगे।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित वक्तत्व देता हूं :

आयकर विभाग को यह जानकारी मिलने पर कि जम्मू और काश्मीर में कतिपय व्यक्ति भारी कर अपवंचन में लगे हैं और बिना हिसाब किताब के परिसम्पत्तियां लेखा पुस्तकें तथा अन्य मूल्यवान दस्तावेज श्रीनगर में तथा देश में अन्य स्थानों पर छिपा कर रखे गए हैं आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन निरिक्षण निदेशक (अन्वेषण) द्वारा कार्यवाही की गयी। उनसे पता चला कि मामले को गुप्त रखने के लिए दिल्ली तथा अन्य स्थानों के अधिकारियों को तलाशी का काम सोंपा गया। उनसे मिले तथ्यों के अनुसार श्रीनगर में कतिपय स्थानों पर तलाशी के दौरान वहां के निवासियों ने भीड़ जमा करके तलाशी लेने वालों पर हमला किया। जो लेखा पुस्तकें अग्रिहत की गई थी उन्हें छीन लिया। पता चला है कि डा० फारूख अब्दुला के तलाशी लिये जाने वाले स्थानों पर जाने के बाद हमला किया गया। तलाशी के दौरान कुछ नगदी तथा विदेशी मुद्रा भी पकड़ी गई है।

तलाशी कार्य में लगे कुछ अधिकारी भी जख्मी हुए हैं। इन अधिकारियों ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में जो साहस और निष्ठा दिखाई है। सरकार उनकी पूरी-पूरी प्रशसा करती है।

मुझे कोई सदेह नहीं है कि सभा में सभी दलों के सदस्य कर अपवंचकों द्वारा अधिारियों पर जो अपना विधि पूर्वक कर्तव्य कर रहे थे हमले की निन्दा करेंगे दिल्ली में स्थानों की तलाशी में एक बैंक में 6 लाकर और तीन पेकेट जिनमें एक इस्पात का ट्रंक है, मिले हैं और आय कर अधिनियम की धारा 132(3) के अधीन उनका परिचालन रोक दिया गया है। बिना लेखा के भंडार का अंदाजा लगाया जा रहा है। बहुत में दस्तावेज पकड़े गए हैं जिनमें बिक्री और व्यय का हिसाब है जो किसी लेखा पुस्तकों में शामिल नहीं।

बम्बई में इन व्यक्तियों के परिसरों से कई महंगी वस्तुएं (क्यूरो आस) तथा गलीचे मिले हैं।

जांच पड़ताल पूरी होने के बाद पूर्ण स्थिति का पता चल सकेगा।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2,30 बजे (म० प०) तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2,35 बजे (म० प०) पुनः समवेत हुई (श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) संशोधन विधेयक-जारी

गृह मंत्री श्री जैलसिंह : सभापति जी, इस बिल का, इंट्रोडक्सन स्टेज पर विरोध करने में 14 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। विरोध करते हुए बहुत से माननीय सदस्यों ने एक दूसरे के नुक्ते दोहराए हैं, अपनी विद्वता से बात सुनाई है मगर बात वही जो पहले की गई, उसी को दोहराया गया। फिर भी कुछ प्वाइंटस हैं जिनके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना जरूरी है।

यह कहा गया कि 1976 का एक्ट एमरजेंसी के दौरान संविधान के आर्टिकल 250 की तहत बना था। और 1977 में इमरजेंसी खत्म होने पर यह एक्ट अपने आप खत्म हो गया था। जब इमरजेंसी नहीं है तो पार्लमेंट को स्टेट सब्जेक्ट पर कोई लेजिस्लेशन करने का अधिकार नहीं है। यह बापूसाहब परुलेकर जी ने प्वाइन्ट उठाया था। फिर आगे यह कहा कि पब्लिक आर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और किसी एरिया को डिस्टर्वड एरिया घोषित करने के लिये केन्द्र को अधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरी बात यह कि संविधान के मुताबिक भारत यूनियन आफ स्टेट है और इस तरमीमी बिल में स्टेटस के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। यह बात यहां पर रखी गयी थी चौथे इस बिल से जुडिशियरी के अधिकार खत्म करने का खतरा है। पांचवे — स्टेटमेन्ट आफ आवजेक्टस ऐंड रीजेन्स में जो कुछ कहा गया है उसकी आलोचना की गई उसके प्रति भी मैं चाहूंगा कि दोबारा में कुछ न कहूं।

कानूनी, सांविधानिक और नैतिक पहलुओं के अलावा बहुत से मेम्बरों ने राजनीतिक टोका टाकी भी की जो कि इसके साथ बिल्कुल असंगत है और इरेलिवेन्ट है। यह भी कहा गया कि इस बिल से इमरजेन्सी लाई जा रही है और बैक डोर से लाई जा रही है। इमरजेन्सी तो बैक डोर से वहीं आ सकती, आए तो सीधे ही आती है। यह कहा गया कि सरकार डिक्टोरियल अधिकार लेना चाहती, है। एक मेम्बर ने खालिस्तान की बात का भी जिक्र किया।

चेयरमैन साहब, मैं एक-एक पहलू पर बड़े अदब से इस सदन के मेम्बरों से कहना चाहूंगा कि लेजिस्लेशन की कांपिटेन्स पार्लियामेन्ट की है। जहां तक इस कानून को बनाने का सम्बन्ध है, पार्लियामेन्ट की संविधान की धारा 245, उपधारा (2) के तहत पूरा अधिकार है। यह मामला सेवेंथ शेडयूल, कानकरेन्ट लिस्ट के अधीन आता है। इस लिस्ट की एन्ट्री नं० (2) और 11(ए) के मुताबिक पार्लमेन्ट और स्टेट लेजिस्लेचसे दोनों को अधिकार दिए गए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जैल सिंह : मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना था। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। मेरे भाषण के बाद आप कह सकते हैं।

सभापति महोदय : व्यवस्था के प्रश्न का भी कोई अवसर होना चाहिए। जब आप बोल रहे थे तब उन्होंने तो कुछ नहीं कहा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लेकिन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : मन्त्री जी कहें। उन्हें उत्तर देने दें।

श्री जैलसिंह : चेयरमैन साहब, मैंने पहले ही कहा था कि एरिया डिस्टर्वड हो न हो, श्री ज्योतिर्मय बसु डिस्टर्वड न हों।

सभापति महोदय : बसु जी आप पहले उनको अपनी बात कह लेने दीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : उनके भाषण के बाद आप उसे उठा सकते हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री जैल सिंह : श्री ज्योतिर्मय बसु से पहले ही मैं प्रार्थना कर चुका हूं कि डिस्टर्ब एरिया होगा या नहीं होगा, लेकिन आप न डिस्टर्ब हों। दोनों को अधिकार दिए गए हैं, इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के अधिकारों को जायज ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला-केसेज 1979, सफा-411 सुप्रीम कोर्ट में यह साइट किया गया है :

विशेष न्यायालय गठित करने के लिए उपबंध बनाने के संसद के विधायी अधिकारों को चुनौती में कोई सार नहीं है। समवती सूची की प्रविष्ठी 11 (क) का सम्बन्ध न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन है। अनुच्छेद 246 (2) के अनुसार संसद को संविधान और संगठन के बारे में विधियां बनाने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है अर्थात विशेष न्यायालयों को बनाया जा सकता है।

चेयरमैन साहब, जो नुक्ता परूलेकर जी ने उठाया और कहा कि 1976 में जो एक्ट बनाया गया था—यह गलत है। यह वह एक्ट जिसमें आज हम अमेंडमेंट ला रहे हैं आर्टिकल-246 के तहत ही बनाया गया था और मैं आशा रखता हूं कि बापू साहब जैसा लर्नेड पर्सन, जो इस बात को अच्छी तरह जानता हो, उन्होंने कमजोर केस की वकालत तो की, अच्छा वकील वकालत भी अच्छी कर सकता है, लेकिन केस उनका बड़ा कमजोर है, यह कहना उनके लिए अच्छा नहीं लगता था मैं मशकूर हूं चेयरमैन साहब, अब आप चेयरमैन हैं, उस वक्त आप बोल रहे थे। जब आप बोल रहे थे, उस वक्त आपने भी इस बात को साफ कर दिया था, लेकिन अब मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपने कहा था कि कर भी सकते हो, लेकिन इस वक्त जरूरत नहीं है, पोलिटिकली ठीक नहीं है आर्टिकल-246 के क्लाज-2 में लिखते हैं :

> "खन्ड (3) में किसी बात के होते हुए भी संसद को तथा खन्ड (1) के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधान मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची 3 में (जो इस संविधान में समवर्ती सूची के नाम से निर्दिष्ट) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति है।

अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इसकी काम्पीटेन्सी पार्लियामेंट को है और यह बिल जो उस एक्ट में अमेण्डमेन्ट करने के लिये लाया गया है, इसका एमर्जेन्सी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।

मेरा ख्याल है बापू साहिब पार्लेकर जी इस बात से सन्तुष्ट हो गये होंगे···

श्री ज्योतिर्मय बसु : परूलेकर जी

श्री जैल सिंह : मैं कोशिश करता रहा हूं कि उनके नाम का जो प्रोननसियेशन है वह बिलकुल दुरूस्त हो, मगर मैंने यह सोच कर, चेयरमैन साहब, का इस पर ध्यान देना छोड़ दिया कि उनका नाम इतना बड़ा है—हिन्दुस्तान में सब लोग जानते है कि सारी भाषाओं में

पिता को बापू कहा जाता है और वह बापू साहब हैं। इसलिये इसी से उनको सन्तोष रहना चाहिये।

कुछ मैम्बरों ने कहा कि "पब्लिक आर्डर" राज्य सरकारों के क्षेत्र में है, इस लिये किसी एरिये को डिस्टर्वड घोषित करना राज्य सरकारों के अधिकारों में दखल देना है। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि यह 'डिस्टर्वड एरिया' किसी और काम के लिये नहीं है, यह केवल इस बात के लिये है कि स्पेशल कोर्ट वहां पर स्थापित करनी हो तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट भी उस एरिया को डिस्टर्व्ड एरिया करार दे सके। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। यह अधिकार राज्य सरकारें इस्तेमाल करेंगी, उनके अधिकार में हम दखल नहीं देंगे, लेकिन इस का फायदा यह होगा कि राज्य सरकारें इस में ढिलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगी। जहां राज्य सरकार डिस्टर्वड एरिया करार देने के बाद स्पेशल कोर्ट स्थापित कर देंगी, वहां सैन्ट्रल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है कि वह फिर स्पेशल कोर्ट के लिये कुछ कहे। इसका असर यह होगा कि राज्य सरकारें बहुत जल्दी, जहां महसूस करेंगी और जरुरत होगी वहां स्पेशल कोर्ट मुकर्रिर कर देंगी।

आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अपनी राय दी है जो पेज 380 पर है। वह लिखते हैं—

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : किस चीज का पेज 380..... (व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर वह ईल्ड नहीं करते हैं तो दबाव नहीं डाला जा सकता।

श्री रशीद मसूद : लेकिन हम कन्फर्म करना चाहेंगे कि किस चीज का पेज 380 है।

श्री जैल सिंह : ये सुप्रीम कोर्ट केसेज हैं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : नाम बतलाइये किस चीज का है, कांस्टीचूशन हैं, आई० पी० सी० है, क्या चीज है।

श्री विक्रम महाजन : (कांगड़ा) चेयरमैन साहब, गृह मन्त्री जी ने बतालाया है कि सुप्रीम कोर्ट केसेज हैं। इसका साइटेशन हैं- उच्चतम न्यायालय मामले खन्ड सं० 1

केस का नाम है- विशेष न्यायालय विधेयक मामला, 1978

इस में से पढ़ रहे हैं।

श्री जैल सिंह : उनका ख्याल है कि इसकी व्याख्या होना जरुरी है। मेरा ख्याल है जिन लोगों ने कल बहस में हिस्सा लिया था, वे बहुत ही लायक और बहुत ही ईन्टैलिजेन्ट हैं। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के केसेज का ही हवाला दूंगा, कौन सा पेज है यह खुद ही समझ लेना चाहिये, फिर भी आप ने कह दिया है, अच्छा हुआ, इस की व्याख्या.....

श्री रशीद मसूद : आपको साइट करना होगा कि कौन सा पेज है, क्या केस है।

श्री जैल सिंह : मैं इन मैंबर साहब का बहुत थैंकफुल हूं, इन्होंने बता दिया कि यह भी रेफर करना चाहिये था। आइन्दा के लिये सारे नाम ले लिया करूंगा आप चिन्ता न करें।

हाउस की जानकारी के लिए मैं इसको आपने सामने रखना चाहता हूं। इसमें लिखा है :

"हमें समझ में नहीं आता कि कतिपय न्यायालयों के गठन का अधिकार विशिष्ट रुप से राज्य के हाथ में न रखकर संसद को दे देने से संघवाद के सिद्धान्त के उस स्वरुप पर, जो हमारे संविधान में स्वीकार ओर गृहीत किया गया है, कैसे प्रभाव पड़ सकता है। इससे संघवाद के मूल ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं होगा।"

श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा था कि यूनियन आफ स्टेट्स के लिए, इस फैडरल सिस्टम के लिए यह चीज नुक्सानदेह हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यही राय है कि यह फैडरल सिस्टम को कोई नुक्सान नहीं करती बल्कि इससे उसमें ज्यादा मजबूती आती है, स्टेट और सेंटर के ताल्लुकात बिगड़ते नहीं है बल्कि सिमेंट होते हैं। दोनों आपस में किसी बात को लेकर भिन्न भिन्न राये रखते है भेद रखते हैं, तो यह देश की एकता के लिए दुरुस्त नहीं है।

आप मानेंगे कि लोक सभा और राज्य सभा दोनों हाउसिस की जो पार्लिमेंट है, हिन्दुस्तान की जो पार्लियामेंट है वह किसी और जगह से नहीं आती है। प्रान्तिक लोगों की चुनी हुई वह होती है। वही लोग आकर यहां सैंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। चुने हुए नुमाइन्दों में से जिन की मंजोरिटी होती है वे तो कहे कि क्योंकि हमारी सरकार है इस वास्ते मरकज मजबूत होना चाहिये ओर जो अपोजीशन मे बैठ जाते हैं वे कहे कि मरकज के अखत्यारात लेने चाहिये तो यह ठीक नहीं है। देश की मजबूती ओर ताकत के लिये यह जरुरी है कि स्टेट भी और सैंटर भी, दोनों मजबूत रहें ताकि मुल्क मजबूत रहे। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस मामले पर इत्तिफाक करेंगे।

जिन आनरेबल मैम्बर्ज ने आलोचना की है उन्होंने यह भी कहा है कि ज्यूडिशरी के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि या तो उन्होने इस बिल को समझने की कोशिश नहीं की और अगर समझ गए हैं तो कुछ लोगों को मिसगाइड करना चाहते हैं। उनसे मिसगाइड नहीं करना चाहिये। ज्यूडिशरी के अधिकार इसमें कहीं भी नहीं छीने गए हैं। जो हमारा एक्ट है जिसका एमेंडमेंट हम करना चाहते है, उसके अगर सैक्शंज के कौर को आप गौर से देखें तो उनमें साफ लिखा हुआ है।

"विशेष न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा जिसे राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।"

यहां पर गवर्नमेंट हाई कोर्ट्स को रिक्वेस्ट करती है कि स्पेशल जज दे दो ताकि इस केस की सुनवाई जल्दी हो सके ओर डिले न हो। आपको मालूम होगा बेलची में भी वाकया हुआ था और गिपरागांव में भी हुआ था। बेलची के केसिस इतने लमके कि अब तक खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन गिपरागांव में जो एक दुर्घटना हुई उसके लिए स्पेशल कोर्ट मुकर्रर की गई फैसला फिर भी अदालत ने करना था। लेकिन स्पेशल कोर्ट होने

की वजह से उसमें जल्दी हुई । उधर एवीडेंस खत्म नहीं हुआ और वेलचीका खत्म हो गया। उधर जो मुल्जिम थे वे पकड़े नहीं गए और सरकार ने जल्दी काम नहीं किया ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कफालटा में क्या हुआ ?

श्री जेल सिंह : मैं पता कर लूंगा ।

इसके अलावा सैंट्रल गवर्नमेंट के और भी फरायज हैं । माइनोरिटीज, वीकर सैक्शन आफ सोसाइटी, शैड्यूल्ड कास्ट्स एन्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के प्रति कोई भी घटना कहीं भी वापर जाए तो मरकजी सरकार को उस तरफ स्पेशल ध्यान देना चाहिये और यह इस सरकार का कर्त्तव्य है । हम यह जो तरमीम ला रहे हैं वह अपने कर्त्तव्य का पालना करने के लिए ला रहे हैं ।

आप जानते हैं कि हमारे कांस्टीट्यूशन में जो आर्टीकिल 355 है, उसमें यह लिखा है :

"प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाने और इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाने को सुनिश्चित करना केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है।"

यह ड्यूटी हम अगर नहीं निभाते हैं, तो हम गफलत करेगें और हम मुजरिम समझे जाएगें । इसलिए यह जरूरी है कि हम इन सारी बातों पर ध्यान रखें ।

चेयरमेन साहब, इन बातों के अलावा, कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट्स के अलावा और बातें भी कहीं गई । मैं हाउस का वक्त इस पर ज्यादा नहीं खर्च करना चाहता लेकिन मेरे दोस्त आनरेबिल श्री ज्योतिर्मय बसु अपनी तकरीर कर गये और उनका साथ और भी दोस्तों ने दिया लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि डिस्केशन तो हो रहा है इस बिल के इन्ट्रोड्यूस होने पर और मेरे लीव मांगने का विरोध करने और कहते हैं कि होम मिनिस्टर ने खालिस्तान के मूवमेंट के लीडर से खुफिया मुलाकात की । मैं पूछना चाहता हूं औनरेबिल मेम्बर से कि खालिस्तान मूवमेंट का नेता कौन है, जानते हो, मैं तो जानता नहीं ? दूसरी बात यह है, चेयरमैन साहब, आप गौर कीजिए कि भारत के गृह मंत्री को किसी से छुप कर मिलने की क्या जरूरत है । मैं मिलना चाहूं, तो मिलूं और न मिलना चाहूं, तो इन्कार कर दूं, मगर यह बात सोच समझ कर करनी चाहिए । आज मैं कह नहीं सकता कि श्री बाजपेयी तशरीफ रखते है या नहीं । बाजपेयी ने जालन्धर में जा कर कहा कि में प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे जानकारी करें। अब आप देखिये कि अपोजीशन का लीडर और भारतीय जनता पार्टी का प्रेसीडेंट और फिर वे विदेश मन्त्री भी रह चुके हैं, कोई साधारण मंत्री नहीं, उनको मालूम होना चाहिए कि यह कितने दिनों से इल्जाम लगा है और अब तक क्या प्रधान मंत्री जी ने इसकी जानकारी नहीं की होगी ? क्या प्राइम मिनिस्टर अपने होम मिनिस्टर को तहकीकात करेंगी । ये दोनों बातें गलत हैं तो मैं श्री ज्योतिर्मय बसु से कहूंगा कि ये इल्फाज उनको वापस ले लेने चाहिए । यह अच्छा नही है। एक इल्जाम लगाया है । इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन यह परम्परा अच्छी नहीं है। आज शाम को इस हाऊस में ६ बजे सेपरेटिस्ट ताकतों के बारे में डिस्कशन होगा और जो बातें उसमें होगी, उनके बारे में मैं उस वक्त विस्तार पूर्वक कहूंगा और इस समय मैं इस मामले पर ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है,

वे बुनियाद और झूठी है ।

फिर कहा गया कि इन्दिरा गांधी तो डिक्टोरियल गवर्नमेंट चाहती हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : डिक्टेटोरियल । डिक्टोरियल

श्री जैल सिंह : तानाशाही । धन्यवाद, आपने ठीक कर दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप बुरा मत मानिये ।

श्री जैल सिंह : आप बहुत विद्वान है मैंने आप का शुक्रिया अदा किया है कि आप ने जो मेरा गलत प्रोनेन्शियेसन था, उसको दुरुस्त कर दिया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह हिन्दुस्तान है । इसमें प्रोनेन्शियेसन का कोई सवाल नहीं है ।

श्री जैल सिंह : चेयरमैन साहब, मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी ने इससे पहले सी···

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुरादाबाद रायट्स के बारे में चुपचाप हैं ।

श्री जैल सिंह : उसके बारे में भी कहूंगा । वह मेरे हक में जाता है ।

यह भी कहा गया कि कहा की स्टेट की सरकारें हैं, जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट का कहना नहीं मानती । मैंने इस बात की कोई शिकायत नहीं की कि स्टेट की सरकारें कहना नहीं मानती लेकिन कहीं कहीं देर लगा देती हैं और कहीं उनकी मजबूरियां होती हैं ।

जो मजबूरियां स्टेट सरकार की होती हैं, वह सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती । मुरादाबाद के वाकयात की जुडिशल इन्क्वायरी के लिए हाईकोर्ट से एक सैसन जज लिया । यहां के हाउस की यह फीलिंग्स थी कि डिस्ट्रिक एण्ड सेसन जज नहीं, हाई कोर्ट का जज होना चाहिये । मैंने दो तीन महीने हो गये स्टेट के मिनिस्टर को इस बात का मशिवरा दिया था । (व्यवधान)

चेयरमेन साहब आप भी बहुत कोशिश करते कि ज्योतिर्मय बसु डिस्टर्ब न हों । मैं भी कोशिश करता हूं कि वे डिस्टर्ब न हो फिर भी वे डिस्टर्ब होते हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं (व्यवधान) अगर कोई उन्हें डिस्टर्ब करता है तो इतने बड़े पार्लियामेंटेरियन को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ।

चेयरमेन साहब , जार्ज बर्नार्ड शा ने कहा था कि कुछ विद्वान लोग यह गलती करते हैं कि किसी की आधी बात सुनने के बाद ही अपनी राय देना शुरू कर देते हैं ।

चेयरमेन साहब, मैं कह रहा था कि मैंने स्टेट को मशविरा दिया था और उसको स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने मान लिया था । उसको मानने के बाद हाई कोर्ट को लिखा कि हमें एक जज दें । लेकिन हाई कोर्ट का एक जस्टिश न मिलने की बजह से वहां इतनी देर हुई । यह न हमारा कसूर है और न यह हमारी स्टेट गवरमेंन्ट का कसूर है । लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि यह हाई कोर्ट का कसूर है ।

अभी यह कह रहे हैं कि हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, उनके जस्टिश को हम लोग इग्नोर

नोर कर रहे हैं। मैं विनती के साथ कहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 11 साल पहले हिन्दुस्तान की प्रधान मन्त्री के तौर पर हकुमत की। आज से एक साल पहले वे दुबारा आयीं और एमरजेन्सी लगाने के बाद दुबारा आयीं एमरजेन्सी के बाद यह सरकार हमारे विरोधियों के पास गयीं। उस सरकार ने अपनी सारी ताकत इस बात पर लगाई कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, उसके परिवार और उनके साथियों को हर तरह से बदनाम किया जाए। उनके खिलाफ जगह-जगह पर कोर्ट मुकर्रर की गयीं, स्पेशल कोर्ट मुकर्रर की गयीं। यही नहीं 20 किताबें श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ छपवायी और उनको विदेशों में प्रचार किया गया। जब इन्दिरा गांधी इलेक्ट होकर इस हाउस में आयी और सरकार की सारी ताकत के खिलाफ आयीं तो यह सरकार यह बात बर्दास्त न कर सकी। उसी हाउस में खड़े होकर मोरारजी भाई मे फैसला दिया कि इन्दिरा गांधी को न सिर्फ इस हाउस से निकाला जाए बल्कि जेलखाने में भी भेजा जाए और यह किया गया, उस वक्त उनकी जबान कहाँ थी। जनता पार्टी डिक्टेटर थी या श्रीमती इन्दिरा गांधी डिक्टेटर थीं। अगर वे डिक्टेटर थीं तो उनके खिलाफ तमाम रेडियो, टी० वी०, अखबारों और दुनिया के दूसरे मुल्कों में वहां के अखबारों सारे प्रोपेगण्डों के बावजूद इस हिन्दुस्तान के लोग फिर भी उन्हें कैसे ले आए? आप मुझे यह बताओ कि अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी डिक्टेटर बनती है तो कौन उन्हे यह बनाता है? लोग बनाते हैं।

अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी के दिमाग में डिक्टेटर बनने की बात होती तो वे इस समय जनरल इलेक्शन नहीं कराती। उन्होंने जनरल इलेक्शन कराया और जब वे और उनकी पार्टी हार गई तो बड़े आदर सत्कार के साथ उन्होंने आवाम के, जनता के फैसले को कबूल किया और एक डिग्नफाईड अपोजिशन में बैठ कर हमारी पार्टी ने काम किया।

चेयरमैन साहब, इसलिए यह बात कहना कि हमारी पार्टी की नेता या उनकी सरकार डिक्टेटोरियल हुकुमत की तरफ बढ रही है यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि जो भी हमने कदम उठाए हैं उनके पीछे अवाम की सेक्शन है, अवाम की मन्जूरी है और जनता यह चाहती है कि ये कदम उठाए जायें।

हम देश को मजबूती के लिए बढ़ रहे हैं। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का मफाद या हमारा मफाद जब देश के मफाद के साथ टकराता है तो चाहे पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन हमारे देश पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हम तो इस नियम को मानते है। हमारी पार्टी वतन के लिए है, हम वतन केलिए हैं, इसलिये देश की एकता को मजबूत करने के लिए मुल्क को मजबूत करने के लिए यदि कोई अन-पापुलर कदम भी उठाना पड़ता है तो हम उसको गुरेज नहीं करेंगे।

एक इल्जाम और लगाया गया। वह इल्जाम यह लगाया गया कि केन्द्र में जो कांग्रेस (आई) की सरकार है -- जिन प्रांतों में विरोधी - दलों की सरकारें हैं, उन सरकारों को यह कमजोर करना चाहती हैं, गिराना चाहती है इसके लिए इन्तजार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 प्रांतों को छोड़कर बाकी सब जगह तो कांग्रेस (आई) की सरकार है। क्या यह तरमीम वेस्ट-बंगाल और केरल में ही लागू होगी, दूसरी जगहों पर लागू नहीं होगी?

डिप्टी स्पीकर साहब, श्री चन्द्रजीत यादव तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनका बहुत अदब करता हूं मुझे उनके साथ हमदर्दी है और मेरी प्रार्थना है कि वे तरक्की करें, उन्नति करें। उन्नी कृष्णन जी और चन्द्र जीत यादव जी की जब मैं तकरीर सुन रहा था तो मुझे ख्याल आया कि दुनियां कैसे बदल जाती है। जब यह बिल यह एक्ट बना तो एक्ट बनने के वक्त चन्द्र जीत यादव जी सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री मण्डल में थे और मैं उस वक्त मुख्य मंत्री था और उन्नी कृष्णन जी वर्किंग कमेटी के मैंबर थे और हमारी पार्टी के मेंबर थे और उन्होंने राय दी थी कि यह एक्ट बनाया जाए। इनकी राय थी और आज ये कहते हैं कि इसमें तरमीम भी नहीं कर सकते। मैं दोनों दोस्तों को कहूंगा और खासकर के उन्नीकृष्ण जी को कहूंगा उन्होंने एक प्वाइंट और कहा- वे कहने लगे कि अटार्नी जनरल को बुलाया जाए, उनकी राय ली जाए। यहां कितने अटर्नी जनरल से ज्यादा पढ़े-लिखे लोग, समझदार वकील बैठे हैं तो उनकी राय की क्या जरूरत है- हम अपनों की राय क्यों न लें ? हां अगर किसी प्वाइंट पर जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे लेकिन इस बिल के साथ बिल्कुल रिलेवेंसी नहीं है। इसलिए उनको नहीं बुला सकते।

डिप्टी स्पीकर साहब इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को इंट्रोड्यूज करने की इजाजत दी जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अनुच्छेद 246 (2) का उल्लेख करता हूं :—

"खन्ड (3) में किसी बात के बावजूद भी संसद और खन्ड (1) के अध्याधीन

श्री जैल सिंह : आप कौन सा खन्ड पढ़ रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : संविधान का अनुच्छेद 246

श्री जैल सिंह : मैंने इसे सुना है। लेकिन आप किस खंड का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : खंड (1) और (2) (व्यवधान) ज्ञानी जी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मुझे सम्बोधित करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभापीठ के माध्यम से बता रहा हूं कि ज्ञानी जी श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार में सबसे उपयुक्त मंत्री है। हम चाहते हैं कि अपना कार्य कुशलतापूर्वक करते रहे।

मैं अनुच्छेद 246 (2) पढ़ रहा हूं :—

"खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी संसद को और खंड (1) के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधान मंडल को भी सप्तम अनुसूची की सूची 3 में जो इस संविधान में समवर्ती सूची के नाम से निर्दिष्ट है प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधियां बनाने की शक्ति है।"

अब हम भारतीय संविधान के पृष्ठ 347 पर सप्तम अनुसूची पर आते हैं। भूतपूर्व विधि मंत्री ने समवर्ती सूची में क्रमांक 2 उल्लेख किया है, उसमें कहा गया है :

"इस संविधान के प्रवर्तन के समय दन्ड प्रक्रिया एवं दन्ड प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी मामले।"

इससे आपको विशेष न्यायालय बनाने के लिये अधिनियम बनाने की शक्ति कहां मिल जाती है।

अब आप पृष्ठ 348 पर क्रमांक 11 क को देखें। जिससे आपात स्थिति में संविधान के 42 वें संशोधन द्वारा 1976-77 में अन्त: स्थापित किया गया था जब हम जेल में थे। उसमें कहा गया है :

"उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर न्यायालय प्रशासन; सभी न्यायालय का गठन और संगठन"

यहां स्पष्ट व्याख्या यह होती "न्यायालय" का स्पष्ट अर्थ देश के सामान्य विधियों के अन्तर्गत स्थापित न्यायालय। इसमें विशेष न्यायालयों का कहीं उल्लेख नहीं हैं अत: आपके विधेयक में कुछ विधायी त्रटियां हैं आप इस तर्क को जो विपक्षी दल ने दिया है, झुठला नहीं सकते कि विशेष न्यायालय गठित करने के लिये आप सक्षम नहीं हैं। आपराज्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को समवर्ती सूची में ला रहे है।

मुरादाबाद में अगस्त में दंगे हुए थे और आपने दिसम्बर के शरद कालीन सत्र में आश्वासन दिया था और पहली अप्रैल को उत्तर दिया था "कोई आयोग नहीं बनाया गया हैं" आप मुसलमानों के लिये मगर मच्छ के आसूं बहाते हैं। 8 महीनों से आपने कुछ नहीं किया।

श्री विक्रम महाजन : महोदय, गृह मंत्री ने उच्चतम न्यायालय का निर्णय पहले ही बता दिया है जिससे बात स्पष्ट हो जाती है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये उसे फिर से पढ़ रहा हूं। माननीय सदस्य ने आपत्ति करते समय आपने जिस किताब से उद्धृत किया था यह वही पुस्तक हैं। यह उच्चतम न्यायालय मामले, खंड 1, 1979 है। मैं इसका 411 पृष्ठ पढ़ रहा हूं :

'विशेष न्यायालय गठित करने के लिये उपबन्ध बनाने के संसद के विधायी अधिकारों को चुनौती में कोई सार नहीं है। समवर्ती सूची की प्रविष्ठा 11 क का सम्बन्ध न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन से है। अनुच्छेद 246 (2) के अनुसार संसद को संविधान और संगठन के बारे में विधियां बनाने का स्पष्ट अधिकार है अर्थात विशेष न्यायालयों को बनाया और गठित किया जा सकता है।"

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय उस समय दिया था जब जनता पार्टी प्रधान मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिये विशेष न्यायालय बना रही थी।

श्री जैल सिंह : मैं सभी मैम्बरों का बहुत अदब करता हूं। इस बिल पर, इसको इंट्रोडक्टरी स्टेज पर कल दो घन्टे से ज्यादा समय तक बहस हुई है और उसमें किसी भी मैम्बर को आपने नहीं कहा बैठ जाओ। आपने बैल नही बजाई। खुद उनकी बैल बजती रही और वे बैठते रहे।

अब इतने विद्वान मैम्बर बैठे हुए हैं। अगर वे बात में बात को खत्म न करना चाहे तो न करें। एक अक्लमन्द आदमी इरेलेवेट की बात भी रेलेवेट बनाने की कोशिश करता है और इस काम में श्री ज्योतिर्मय बसु माहिर हैं। आप सोचें. किसी विद्वान ने ठीक कहा है जैसे केले के वृक्ष के पात पात में पांत, तैसे ही विद्वान की बात बात में बात। जिस तरह केले के वृक्ष में पत्ते ही पत्ते होते है और उनको उखाड़ते जाओ, उखाड़ते जाओ, इनके सिवा कुछ नहीं निकलेगा उसी तह से मैं यहां बैठे हुए विद्वानों और महापुरुषों से विनती करूंगा कि आप बात तो करते जा सकत है लेकिन वह इरेलेवेट ही होगी। अब छोड़ दीजिये। फैसला तो फिर भी हाउस ने ही करना है।

चित्ता बसु जैसे दानिशमन्द पर्सन एक महान नेता जो सबके खिलाफ लड़कर फिर भी पार्लिनामेंट में आते हैं उनके लिए तो शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे ! जो कुछ कहना था कल कह दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परुलेकर आप पुरःस्थापना के समय पहले बोल चुके हैं आपने इसका विरोध किया था। क्या आपके पास कोई नई बात है।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : महोदय माननीय गृह मन्त्री ने दो नई बात कही हैं और मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह मामला कितना हल्का नहीं है और इसे यूं ही नहीं निपटाया जा सकता। (व्यवधान)

माननीय गृह मन्त्री जी ने अनुच्छेद क 355 का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसके अन्तर्गत उन्हें बिशेष अधिकार प्राप्त हैं। मैं इस अनुच्छेद को पढ़ता हू जिसमें कहा गया है :

> "प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आन्तरिक गड़बड़ी से बचाना केन्द्र का कर्त्तव्य है और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य को सरकार का कार्य संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाये। केन्द्र का कर्त्तव्य है।"

आप देखेंगे कि आपात उपबंधों के भाग 18 में इस अनुच्छेद को शामिल किया गया है। सरकार आज अनुच्छेद 355 का सहारा नहीं ले सकती।। जब वह कहते हैं कि मैं अनुच्छेद 355 पर निर्भर करता है तो यह ठीक नहीं हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या भारत की सरकार और संसद को सप्तम अनुसूची के अन्तर्गत यह शक्ति प्राप्त है कि किसी विशेष क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र "घोषित कर सके। हमारा संबन्ध केवल न्यायालयों के गठन से नहीं है न्यायालय का गठन तो सप्तम अनुसूची के 2 या 11 क के अधीन आ सकता है। लेकिन केन्द्रीय सूची या समवर्ती सूची में यह उल्लेख नहीं है जिससे संसद को राज्यों में विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किये जायें। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि न्यायालय गठन करने का उद्देश्य विक्षुब्ध घोषित करना है। और यह 11 क के अंतर्गत आता है। मैं इस बात पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इसका क्लैरीफिकेशन तो कर सकता हूं, लेकिन मैं पार्लियामेंट में गलत परम्परा नहीं पैदा करना चाहता। जब एक इन्ट्रोडक्ट्री स्टेज पर सब ने अपनी अपनी मंशा के मुताबिक अपने आर्ग्युमेंट्स दे दिये और मैंने अपने आर्ग्युमेंट्स दे दिये तो

यह मेरा और बापू साहब परुलेकर के कंवीन्स होने का मामला नहीं 'यह तो अमानत है हाउस की। मगर एक बात उनको और कहना चाहता हूं कि इसके साथ जो इमर्जेन्सी की बात कही, (व्यवधान) इखलाकी तौर पर चित्ता बसु जैसे नेता को तो मैं जवाब न दूं और इनको जवाब दे दूं तो दूसरे मेम्बर मुझ से लड़ पड़ेंगे। इसलिए मैं सब का आदर करता हूं, सब की इज्जत करता हूं। इसलिए आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यह परम्परा कायम न करें, इन्ट्रोडक्ट्री स्टेज पर एक दफे बोलने के बाद जब मिनिस्टर का जवाब आ जाये तो आपका फैसला करना चाहिए कि लीव दे सकते हैं या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा न कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मामले को देखा है मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। जहां तक सभा की विधायी क्षमता का प्रश्न है यह लोक सभा की स्वीकृति प्रथा है कि अध्यक्ष इस मामले पर विनिर्णय नहीं लेता कि यह विधेयक संवैधानिक तौर से सभा में लाया जा सकता है या नहीं। सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और विधि के विरुद्ध अपने तर्क दे सकते हैं। विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव पर मतदान करते समय अथवा विधेयक पर बाद के प्रस्तावों पर मतदान के समय सदस्य इस पहलू का ध्यान रखें अब मैं इसे सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम. 1976 के संशोधन के लिए विधेयक को पुरः स्थापित की अनुमति दी जाये।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

मत विभाजन संख्या-15

पक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन	अनुरागी, श्री गोविंद प्रसाद
श्री अनवार अहमद,	अराकल, श्री जेवियर
बनातवाला, श्री जी जी० एम०	श्री बन्सी लाल
बारोत, श्री भगत भाई	ड्रवे, श्री जे० सी०
बहेरा, श्री रास बिहारी	भगत श्री एच० के एल०
भगवान देव, आचार्य	भोई, डा० कृपासिन्धु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह	ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल	चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
दाभी, श्री अजीत सिंह	डागा, श्री मूलचन्द

दलवीर सिंह, श्री
देव, श्री वी० किशोर चन्द एस०
दिग्विजय सिंह, श्री
डूंगर सिंह, श्री
ईरा अनबारासु श्री
गाडगिल, श्री बी० एन०
गामित, श्री छोतुभाई
घोरपाडे, श्री आर० वाई
गोजागिन, श्री० एन०
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
कुंवर राम, श्री
महाजन श्री विक्रम
मकवाना, श्री नरसिंह
मिश्र, श्री हरिनाथ
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुथु कुमारन, श्री आर०
नामग्याल, श्री पी०
निहाल सिंह बाला, श्री जी० एस०
ओडेदरा, श्री मालदेवजी एम०
पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र
पटेल, श्री शान्तु भाई
पाटिल, श्री बालासाहिब विदे
पाटिल, श्री उत्तम राव
पाटिल, श्री विजय एन०
काजी सलीम, श्री
राजू, श्री पी० वी० जी०

दास, श्री अनादि चरण
दंडपाणि, श्री सी० टी०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
एक्का, श्री क्रिस्टोफर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
गधावी, श्री भेरावदन के०
गहलोत, श्री अशोक
गोमांगों, श्री गिरधर
जदेजा, श्री दोलत सिंह जी
जैन, श्री भीकूराम
कैलाशपति, श्रीमती
कोसलराम, श्री के० टी०
महावीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री वाई० एस०
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र श्री नित्यानन्द
मोती लाल सिंह, श्री
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मुरुगैयन, श्री एस०
नायर, श्री बी० के०
नन्दी येल्लैया, श्री
निखरा, श्री रामेश्वर
पनिका श्री राम प्यारे
जैनुल बशर, श्री
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिला, श्री शंकर राव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
कादरी, श्री एस० टी०
राम, श्री राम स्वरूप

रणवीर सिंह, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, श्री ए० नागेश्वर
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द
साहू, श्री नारायण
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सिन्धिया, श्री माधवराव
सेठी, श्री पी० सी०
शमन्ना, श्री टी० आर०
शर्मा, काली चरण
शर्मा, श्री प्रताप भानु
सिंह देव, श्री के० पी०
स्पैरो, श्री आर० एस०
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
यूंगोन, श्री पी० के०
वैराले, श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर०
व्यास, गिरधारी लाल
याजदानी, डा० गोतम

राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्री जगन्नाथ
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
साही, श्रीमती कृष्णा
साहु, श्री शिव प्रसाद
सतीश प्रसाद, श्री
सेटी, श्री अर्जुन
शक्तावत प्रो० निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
सिंह, डा० बी० एन०
सोलंकी, श्री नठवरसिंह
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
तैयब हुसैन, श्री
त्रिपाठी श्री कमलापति
वर्मा, श्री जय राम
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वाघ, डा० प्रताप
जैल सिंह, श्री

विपक्ष में

बालन, श्री ए० के०
बर्मन, पलाश
भीम सिंह, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
दास- श्री रेणुपद
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
हन्नान मोल्लाह, श्री
खां, श्री गयूर अली

बालानन्दन, श्री ई०
बसु, श्री चित्त
बसु, श्री ज्योतिर्मय
चतुर्भुज, श्री
देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस०
गुलाम मोहम्मद खां, श्री
गौयल, श्री कृष्ण कुमार
जगपाल सिंह, श्री
कुन्हम्बु, श्री के०

कुरियन, प्रो० पी० जे०	मण्डल, श्री मुकुन्द
मेहता, प्रो० अजित कुमार	महालगी, श्री आर० के०
मोहम्मद इस्माइल, श्री	मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर	निहाल सिंह, श्री
पाल, प्रो० रुप चन्द	परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पासवान, श्री राम विलास	पाठक, श्री आनन्द
पटनायक, श्री बीजू	राजदा, श्री रतनसिंह
राम किंकर श्री	राय, श्री ए० के०
राय, प्रधान, श्री अमर	साहा, श्री अजित कुमार
शाक्य, श्री राम सिंह	शास्त्री, श्री रामावतार
सिंह, श्री वी० डी०	वर्मा, श्री रविन्द्र
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री विजय कुमार	जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, हम इसमें भाग नहीं लेते। हम विरोध में बहिर्गमन करते है।

श्री ज्योतिर्मय बसु और कृपा अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन* मतविभाजन का परिणाम* इस प्रकार है।

पक्ष में—116

विपक्ष में—44

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जैल सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते है। श्री कृष्ण कुमार गोयल

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : श्री चिन्तामणि जना और श्री पी० एम० सुब्बा

विपक्ष में : श्री बेवी लाल

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : आप बाहर नहीं जा रहे थे ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हों मैं बाहर चला गया था और फिर अन्दर आ गया हूं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसन सोल) : यह उन सदस्यों को कम समय देने के लिए उचित मामला है जो काम के समय में बिना उचित घोषणा के सभा के सत्र के दौरान उसकी बैठक से अनुपस्थित रहते है।

(एक) कोटा, राजस्थान औद्योगिक नगर में वायु और जल प्रदूषण

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

"राजस्थान का औद्योगिक नगरकोटा, पानी और वायु-प्रदूषण के प्रभाव से बुरी तरह ग्रसित है। नगर में स्थापित डी० सी० एम०, जे० के० व अन्य संस्थान अपने कारखानों में अनेक रासायनिक पदार्थ जैसे रेयन्स, यूरिया, कास्टिक सोडा, नायलोन, एक्रेलिस आदि आदि का उत्पादन करते हैं जिनके उत्पादन में अनेक प्रकार के रसायनों का उपयोग होता है। उत्पादन की प्रक्रिया उपरान्त बेकार जहरीलें पानी को बिना शुद्ध किए ही बरसाती नालों, नदी या नहरों में डाला गया है। उक्त समस्त नाले, नदी व नहरों का पानी सिंचाई के अतिरिक्त पास बसे हुए व्यक्तियों द्वारा स्वयं अथवा पशुओं के पीने प्रयोग में आता है जिसके कारण अनेक पशुओं की मृत्यु भी हो चुकी है तथा आस पास पेचिश संग्रहणी आदि की बीमारियां बहुत मात्रा में फैली हुई है। इसी प्रकार जहरीली गैसें अमोनियम आदि को भी बिना शुद्ध किए हुए ही वायु मंडल में छोड़ दिया जाता है। इन संस्थाओं ने शुद्धि कारण के लिए नाम मात्र का ढोंग करके संयत्र लगाया हुआहैं परन्तु उनके द्वारा रासानिक जहरीले गन्दे पानी को कतई शुद्ध नहीं किया जाता पोल्यूशन बोर्ड व उसके अधिकारी कतई प्रभावहीन हैं व उनकी मैनेजमेंट से सांठ गांठ होने के कारण केवल कागजी तकमीलें कर दी जाती हैं। इस प्रकार नगर व आसपास के क्षेत्रों में घातक स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनमास भी इस स्थिति से आन्दोलित है।"

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर चाहूंगा कि वे शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दे।

(दो पास के निकट पिछड़े तरांई क्षेत्रों के औद्योगिकी करण के लिये उपाय

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं :—

"क्षेत्रीय असन्तुलन की बात सारे देश में की जा रही है। इस असंतुलन को मिटाने के

संकल्प भी लिये जा रहे हैं, किन्तु जब तक सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन स्तर को समान नहीं किया जावेगा स्थिति विस्फोटक बनी रहेगी।"

औद्योगिक संतुलन बनाना बहुत ही महत्व पूर्ण है। जिस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों को इस दिशा मे विशेष महत्व दिया जा रहा है और उधर हम विशेष प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार इन पर्वतों के चरणों में बसे तराई के क्षेत्र भी विशेष ध्यान चाहते हैं। यह पूरा क्षेत्र अभी बहुत ही पिछड़ा है। बाढ़, सूखा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि यहाँ की कृषि के लिए स्वाभाविक हो गये हैं। इस क्षेत्र के निवासियों के पास न पर्याप्त भोजन है और न वस्त्र।

अविलम्ब एक विशेष औद्योगिक नीति केन्द्र द्वारा इस क्षेत्र के लिए बनाती जानी चाहिए कच्चा माल इस क्षेत्र के जनपदों में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश बहराइच जिले में विपुल वन हैं। विपुल कच्चा माल कागज बनाने के लिए उपलब्ध है। बाराबंकी में यदि सूत की सस्ती उपलब्धि सुनिश्चित करा दी जावे, वहां के बुनकरो को नयी तकनीक का ज्ञान करा दिया जावे तो सफलता पूर्वक उस क्षेत्र के लोगों को जीवन-यापन का साधन प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त कृत्रिम खाद के कारखाने का स्थान चयन किया जाना है, बहराइच जिले से उपयुक्त स्थान इसके लिए अन्य कोई जनपद उधर का नहीं होगा। ट्राइबल जातियों पिछड़ी जातियों तथा पिछड़ेपन के लिए इस जनपद का नयन केन्द्र का सराहनीय कार्य होगा। उस जनपद का सर्वेक्षण भी विशेषज्ञ कर चुके हैं। इस पिछड़े क्षेत्र को यह कारखाना दिया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रीय असंतुलन मिट सके और नेपाल की तराई के समीप स्थित इस पिछड़े जनपद को विकास करने का अवसर मिल सके।

(तीन) दिल्ली केन्द्रीय आयुध डिपो में हवालदार मानिकनन्द नायर की मृत्यु के बारे में जांच की जाच की मांग

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : क्या मैं निम्न अविलम्बनीय महत्व के विषय का आपके ध्यान में ला सकता हूं ! त्रिवेन्द्रम के मापीकानन्द नायर हवालदार छुट्टी के बाद 1 अप्रैल को अपने काम पर आया। परन्तु कुछ दिनों के बाद उसके घर तार पहुंचा कि उसने आत्महत्या कर ली है। दिल्ली पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी को सकुअल पहुंचने का पत्र लिखा। कुछ दिनों बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु, जिसे आत्म हत्या कहा जा रहा है हो गई। अतः इसकी जांच की आवश्यकता है। उसके परिवार के सभी सदस्यों और सम्बन्धियों का यह विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है।

दिल्ली केन्द्रीय आयुध डिपो में पहले भी ऐसी दो मौतें संदिग्ध परिस्थितियों में हो चुकी हैं। इस वर्ष फरवरी में एक मानव के काल आयुध डिपो में अलमारी में मिला था जिसका समाचार समाचार पत्रो में आया था। एक अन्य जवान कुंजन लेसर की मृत्यु भी उत्पीड़न के कारण हुई। इस प्रकार की घटनाओं का बार बार होना पीड़ा देने वाला है।

इसलिए मैं प्रधान मंत्री से इसकी जांच के बाद में दिए जाने का अनुरोध करता हूं जिससे सचाई सामने आए और दोषियों को दन्ड दिया जा सके। जवानों के मनोबल को बनाए रखने

और उनके परिवारों के संतोष के लिए ऐसा करना आत्यावश्यक है ।

(चार) पश्चिम बंगाल को अपर्याप्त मात्रा में वैगनों का आवंटन

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर) : पश्चिम बंगाल को वैगन देने में रेल मंत्रालय ने अपनी अकुशलता का परिचय दिया है । वैगनों की कमी एक आम बात हो गई है । पश्चिम बंगाल की वामपन्थी सरकार ने केन्द्र सरकार और रेल मंत्रालय से आवश्यक वैगन दिए जाने के लिए बार-बार अनुरोध किया है । यह मामला अनेकों बार संसद उठाया गया परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है । पश्चिम बंगाल सरकार वैगनों की कमी और केन्द्र सरकार और रेल मंत्रालय का ध्यान खीचा है । परन्तु केन्द्र सरकार से चर्चा के बाद भी रेल अधिकारी पश्चिम बंगाल को पर्याप्त संख्या में वैगन नहीं दे रहे हैं । वैगनों की कमी का सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वहां लोग अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहे है । वैगनों की कमी के कारण खानों के मुह पर 200 करोड़ रुपये का कोयला इकट्ठा हो गया है तथा राज्य के अन्य विकास कार्य रुक गए हैं । कई आवश्यक वस्तुएं पश्चिम बंगाल में समय पर नहीं पहुंच रही है और इससे राज्य की प्रगति रुक गई है । जब कभी पश्चिम बंगाल को वैगन दिए जाते है तो वे लदान के बाद राज्य में समय पर नहीं पहुंचते ।

इन परिस्थितियों में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल को उसकी आवश्यकतानुसार वैगन दें ।

मैं यह भी मांग करता हूं कि वैगनों के आने जाने की भी सुनिश्चित किया जाए और रेल मंत्री इस सम्बन्ध में सभा में एक वक्तव्य दें ।

(पंच) बिहार के सिंहभूम जिले में किरीबुरु क्वार्टजाइट की खानों में तालाबन्दी के कारण आदिवासी खनिकों में भुखमरी

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के सिंहभूम जिला तर्गत लोटा पहाड़ में किरीबुरु क्वार्टजाइट नित खदानों में पिछले दो साल से भी अधिक दिनों से गैर कानूनी तालाबन्दी चल रही हैं । इसके फल स्वरुप दो हजार आदिवासियों खनिकों तथा उनके दस हजार आश्रितों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है । इन खनिकों में डेढ़ हजार आदिवासी लड़कियों भी है, जिन्हें जिन्दा रहने के लिए पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के भट्टा उद्योग में तरह तरह की अमानवीय यातनायें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं । इतना ही नहीं, भट्टों के ठेकेदारों के जाल में फंस कर उन्हें अपनी इज्जत आबरु बचने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है ।

सरकार का दावा है कि उसने बंधुवा मजदूरी प्रथा का अन्त कर दिया । परन्तु यह बात सच्चाई से कोसों दूर है । अगर किन्हीं को बन्धुवा मजदूर की तरह खटते हुए आदिवासियों को देखना हो तो वे पश्चिम बंगाल के बारासात मगरा और बडेल, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, वाराणसी और गोरखपुर तथा उत्तर बिहार में ईट के भट्टों में जाकर देख लें, उनकी आंखे खुल

जायेंगी। उक्त स्थानों पर आदिवासी लड़कियों को होटलों में अनैतिक कार्य के लिए बेचा जाता है। इस प्रकार की तमाम आदिवासी लड़कियां किरीबुरु खदानों की बेकार कामिन है।

किरीबुरु क्वार्टजाइट खनिजों में उच्च कोटि की सिलिका होती है जिसका उपयोग इस्पात उद्योग के कोक-ओवन में होता है देश इस्पात उद्योग में वृद्धि के साथ-साथ सिलिका ब्रिक्स की मांग प्रत्येक साल बढ़ती जा रही है। इसलिए यह देशके हित में है कि भारत रिफ्रैक्टरी लि० किरीबुरु की क्वार्टजाइट खदानों को अपने अधिकार में लेकर उन्हें अविलम्ब चालू करे ताकि बेकार आदिवासी मजदूरों को काम मिल जायें जिसका सहारा लेकर वे अपने परिवार के लोगों का भरण-पोषण कर सकें।

भारत सरकार के खान एवं श्रम मंत्रियों से मेरा अनुरोध होगा कि वे इसमें शीघ्र हस्तक्षेप कर बन्द खदानों को खुलवाने में पेशकदमी ले।

(छः) गोवा की गावड़ा, कुम्बी, वेल्मी और ढांगर समुदायों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की आवश्यकता

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मरमागाओं) : श्रीमन गोआ में गावड़ा, कुम्बी, वेलिप और ढांगर जातियों की जन संख्या 2 लाख है और वे संघराज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या के पांचवें भाग के बराबर हैं। उनकी आदिवासी संस्कृति एक समान है और वे इस तटवर्ती क्षेत्र के मूल निवासी हैं। फिर भी वे वहां सबसे पिछड़े हुए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपने वर्ग 1965-66 के प्रतिवेदन में इन जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किए जाने की सिफारिश की है।

उस समय से इन जातियों के नेताओं तथा इनके कल्याण में रुचि रखने वाले लोगों ने अनेकों बार इन्हें अनुसूचित जन जातियों में शामिल किए जाने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं परन्तु कोई भी व्यवहारिक परिणाम नहीं निकला है। हाल ही में आयोग के लिए अध्यक्ष बी० पी० मण्डल के वहां जाने पर इन जातियों को अनुसूचित जन जातियों में शामिल किए जाने का मामला फिर उठाया गया तथा आयोग ने इस मांग की ओर बड़ा अनुकूल रुख अपनाया। फिर एक बार पुनः सरकार ने कोई ठोस कदम नही उठाया।

इन जनजातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करना इस क्षेत्र के कमजोर वर्ग की सामाजिक प्रगति और उत्थान के किसी भी सरकार के वादे की कसौटी है। संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने सिफारिश की है कि इन जातियों को अनुसूचित जन जातियों में शामिल किए जाने तक कम से कम उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाले लाभ मिलने चाहिए। मैं गृह मंत्रालय से बिना विलम्ब इन जातियों को ये लाभ दिए जाने की स्वीकृति देने और उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने पर तेजी से और सहानुभूति पूर्ण विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में खाद क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : चेयरमैन साहब, मैं कल रूल नं० 377 के तहत सरकार का

ध्यान उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके खाड़ की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पांच गांव आग से मुकम्मल तौर पर जल गए हैं। यह इलाका जिलास हारनपुर में है। लोगों को पीने के पानी के लिए दस-दस मील जाना पड़ता है। इस इलाके में कोई जरिया आमद व रफत का नहीं है, कोई सड़कें नहीं हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं है। इस इलाके में अभी हाल में यूरेनियम भी पाया गया है। यूरेनियम के मिलने के बाद इस इलाके को उम्मीद बंधी है कि इसको पिछड़ा इलाका डिक्लेयर करके इस इलाके में रहने वालों को भी जिन्दगी की सहूलियात दी जायें ताकि वे भी जिन्दगी के दिन इत्मीनान से गुजार सकें।

(आठ) फसल की कटाई के मौसम में हरियाणा और पंजाब जाने वाले बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूमिहीन मजदूरों को हर्याप्त रेलगाड़ी सेवाए उपलब्ध कराने की मांग

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, बिहार व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूमिहीन मजदूरों का फसल कटाई के लिए पजाब व हारयाणा में भारी तादाद में आना शुरू हो गया है। यह मजदूर हर वर्ष फसल कटाई के वक्त ही भारी तादाद में अपने घरों को छोड़कर कण्डे में सत्तू बांध कर व कम वस्त्र पहने हुए निकल पड़ते है। ये मजदूर रेलगाड़ी के खचाखच डिब्बों में आते हैं। यदि इन्हें डिब्बों में जगह नहीं मिलती तो वे पायदानों पर खड़े होकर या छतों पर बैठकर आते हैं। कुछ तो डिब्बों के बीच स्थान पर बैठे देखे जा सकते हैं विगत वर्षों का अनुभव बताता है कि हर वर्ष काफी संख्या में ये मजदूर छतों से गिर कर व पायदानों से गिरकर मर जाते हैं, लेकिन आज तक सरकार ने इनके लिए विशेष रेल सेवा प्रदान करने पर विचार नहीं किया है। साथ ही जब ये मजदूर भारी संख्या में पजाब के विभिन्न स्टेशनों पर जाकर के उतरते हैं, तो रेलवे कर्मचारी भी इनको तरह-तरह के हथकडे अपनाकर परेशान करते हैं। इतना ही नहीं बड़े जमींदारों व किसानों के एजेंट इनको झूठी शर्तों से बहका कर ले जाते हैं और इनके साथ सरकार के सभी कानूनों को ताक पर रख कर अन्याय किया जाता है। यहां तक कि इनको निम्नतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार वेतन/मजदूरी भी नहीं दी जाती है।

अत: मैं सरकार का इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर ध्यान दिलाता हूं और आग्रह करता हूं कि इस संबंध में रेल मंत्रालय से आवश्यक सुविधा प्रदान करवावें और श्रम मंत्रालय भी इनकी समस्याओं पर विचार करके कानूनों के अनुसार सेवा-शर्तें तय कराने का कष्ट करें।

(नौ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए दिल्ली केन्द्र का रद्द किया जाना

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : सभापति महोदय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश भोपाल ने 29-880 के मध्य प्रदेश, क्रानिकल तथा अन्य कुछ पत्रों में भी एक विज्ञापन में इन्टरमीडियेट पत्राचार पाठ्यक्रम के छात्रों के दिल्ली में परीक्षा क्षेत्र रखने के निर्णय की घोषणा की थी। ऐसा निर्णय बोर्ड ने छात्रों को दिल्ली से मध्य प्रदेश जाने और परीक्षा के दौरान वहाँ रुकने पर होने वाले न्यास से बचाने के लिए किया था। बोर्ड के इस आश्वासन पर विश्वास कर दिल्ली की परीक्षा केन्द्र चुन कर लगभग 5,500 छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया।

अब छात्रों को बोर्ड से रोल नम्बर प्राप्त हुए हैं जिसके अनुसार दिल्ली में परीक्षा केन्द्र नहीं रखा गया है और छात्रों मध्य प्रदेश में विभिन्न केन्द्र आवंटित कर दिए गए हैं। यह बोर्ड द्वारा अपने वचन का स्पष्ट उल्लंघन है और इससे 5,500 छात्रों (जिनमें बड़ी संख्या में छात्राएं भी है। को बड़ी असुविधाओं का सामना करना होगा और दिल्ली से परीक्षा केन्द्रों तक जाने पर और वहां ठहरने पर बड़ी राशि व्यय करनी होगी। परीक्षाएं क्योंकि। मई से (1981) से आरम्भ होंगी, शिक्षा मंत्रालय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, जिससे दिल्ली के छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके।

(दस) गोरखपुर के सहायक इन्जीनियर (डाक-तार) के मुख्यालय का स्थानान्तरण न किये जाने की मांग

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद से डाक एवं तार से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता सिविल विंग के मुख्यालय को दूसरी जगह ले जाने के सम्बन्ध में मैं आप के माध्यम से केन्द्रीय सरका के संचार मत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गोरखपुर जनपद पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो संचार के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। कई वर्षों से यहां पर उक्त समस्या हेतु मुख्यालय तथा अन्य कर्मचारियों के रहने के लिए निवास स्थान बनाने के लिए काफी भूमि खरीद ली गई है। चूंकि उक्त क्षेत्र में दो वर्षों से काम चल रहा है। और अभी काफी काम बाकी है जिन्हें पूरा करना है। यदि इस मुख्यालय को गोरखपुर से हटा कर सुल्तानपुर में ले जाने की बात है तो गोरखपुर तथा उस के आस-पास के जिले जो पहले से ही पिछड़े हुए हुए क्षेत्र हैं और अधिक पिछड़ जायेंगे। यदि सुल्तानपुर में उक्त कार्य को आगे बढ़ाने की बात है तो उस स्थान पर दूसरा मुख्यालय बनाया जाय।

अतः आप के माध्यम से पुनः केन्द्रीय सरकार से आदर अनुरोध है कि सहायक अभियंता सिविल विंग, डाक एवं तार के मुख्यालय को गोरखपुर से न हटाने के लिए अविलम्ब आदेश प्रदान करें।

वित्त विधेयक 1981

सभापति महोदय : अब सभा श्री आर० वेंकटरामन द्वारा 22 अप्रैल, 1981 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरम्भ करेगी :—

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए केन्द्रीय सरकार को वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर किया जाये।'

मन्त्री महोदय वित्त विधेयक संबंधी प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। वित्त विधेयक, 1981 के तीनों प्रक्रमों के लिए 15 घण्टे नियत किये गये हैं। यदि सभा सहमत होती है तो सामान्य चर्चा

के लिए 11 घण्टेऔर 3 घंटे खडवार विचार के लिए तथा 1 घंटा के तृतीय-पाठन के लिए रखा जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : इस चर्चा के लिए सभा के पास पर्याप्त समय होना चाहिए। वित्त विधेयक एक महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह निश्चय करना सभा का काम है (व्यवधान) में स्वीकार करता हूं कि सभी ऐसा ही चाहती है।

श्री जो० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : किस पर चर्चा हो रही है ?

सभापति महोदय :मैं समझता हूं प्रथम और द्वितीय वाचन के लिये हम 14 घन्टे रख सकते हैं। अर्थात प्रथम वाचन के लिपे 11 और द्वितीय वाचन के लिये 3 घण्टे।

श्री ज्योतियर्मय बसु : यह वर्ष का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय होता है इसलिये हमें इस पर उचित प्रकार से चर्चा करनी चाहिए।

सभापति महोदय : इसलिए अध्यक्ष पीठ आपसे अनुरोध करता है कि आप अपने विचार इसके सम्बन्ध में रखें।

श्री ज्योर्यिमंव बसु : आप निश्चत प्रक्रिया के अलग जा रहे हैं। आप अपने विचार रखने के लिए जितना समय चाहें उतना ले सकते हैं।

सभापति महोदय : श्री बसु समय पहले ही निश्चिय हो चुका है।

श्री जो० एम० बनातवाला : मैं कृपया एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने कहा है कि पहले दो प्रक्रमों के लिए 14 घण्टे रखे गये हैं। इसका अर्थ है कि संशोधनों पर विचार किये जाने के लिए कुछ और समय रखा जाये। अन्यथा यदि सारा समय अर्थात 14 के 14 घण्टे चर्चा में ही चले गये तब संशोधनों को अनुमति किस प्रकार दी जा सकेगी ?

सभापति महोदय : खण्डवार विचार के लिए 3 घण्टे रखे गए हैं।

वित्त मन्त्री श्री (वेंकटरामन) : आप संशोधनों को 4 घण्टे दे सकते हैं और सामान्य चर्चा के लिये रखे गये समय में से 1 घन्टा कम कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है जो सभा के समक्ष एक प्रस्ताव के रूप में रखा गया और स्वीकृत हुआ। इसलिये इसे बदलना कठिन है।

सभापति महोदय : एक बार फेरबदल करने से अन्य कई बातें उठ खड़ी होंगी। अतः मैं यह मानता हूं कि सभा सामान्य चर्चा के लिए 11 घन्टे ही रहने देना चाहती है और 3 घन्टे खन्डवार विचार के लिए। अब श्री ज्योतिर्मय बसु अपना भाषण दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बजट को पेश करने के लिए किया गया सभी श्रम बेकार गया

है। ऐसा क्यों यह मैं आपको स्पष्ट करूंगा। यह सरकार अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण खो चुकी है। सबसे पहले तो इसका उत्पादन के साधनों पर ही नियंत्रण नहीं रहा। अब मैं 1980-81 में हुए घाटे का उल्लेख करता हूं। वर्ष 1980-81 के लिये खेल का बजट अनुमान 1250 करोड़ रुपए का था। पुनरीक्षण अनुमान 50 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया। और अब यह 1900 करोड़ रुपये हैं। और वास्तविक इससे भी कहीं अधिक होगा। इस प्रकार अनुमानित और वास्तविक घाटे में जमीन आसमान का अन्तर है। इसलिये यह धनराशि, जो परियोजनाएं विशेषकर विकास परियोजनाएं आपके हाथ में हैं उनके लिए मुश्किल से 6 महीने के लिए पर्याप्त होगी। इस प्रकार आपने बजट में जो अनुमान लगाया है वह प्रयत्न सर्वथा बेकार गया। इस में चुपके से लगाई गई लेवी भी शामिल हैं। आपने कहा है कि मैं कठोर शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। मैं पुनः चुपके से शब्द का उपयोग करता हूँ। यह लोगों को बेवकूफ बनाकर बड़ी चालबाजी से किया गया है। जून, 1980 तक पहले 6 महीनों के लिये पेट्रोलियम पर 2100 करोड़ रुपये की लेवी लगाई है। यह पेट्रोलियम उत्पाद एक नकद व्यवसाय है और इससे सत्ताधारी दल के लोगों को लाभ पहुंचेगा। कच्चे तेल की नकद खरीद सोने की खान है। हम सब यह जानते हैं कि इस वर्ष 1200 करोड़ रुपये पेट्रोलियम के लिये, 325 करोड़ रुपये कोयले के लिये 400 करोड़ रुपये इस्पात के लिये रखे गये हैं तथा रेल किराया और भाड़ा भी अलग से है। यह सब बढ़ रहे हैं और इनका भार गरीब से गरीब लोगों पर पड़ रहा है, जिनकी संख्या देश की जन संख्या का 80 प्रतिशत है। यह है कांग्रेस राज्य में 33 वर्षों का परिणाम।

एक आम बात बजट में पाई जाती है। मैं कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य संबंधित संगठनों के कार्य की जांच कर रहा था। केन्द्रीय भेड़ और उन अनुसंधान संस्थान की जांच करते समय में यह देखकर भयभीत हो उठा कि समूचे वर्ष के लिए दी गई धनराशि का पूरा उपयोग भी नहीं किया गया है। पहले 6 महीने में वे 28 प्रतिशत राशि का भी उपयोग नहीं कर पाये। वर्ष के दूसरे भाग में व्यय बढ़ गया और वित्तीय वर्ष के अन्तिम मास में अर्थात मार्च में यह अपने शिखर पर पहुंच गया और मार्च के अन्तिम सप्ताह में यह उच्चतम शिखर पर पहुंच गया।

प्रो० एम० जी० रंगा (गुंटूर) ऐसे कैसे हुआ ?

सभापति महोदय : अन्तिम तिथि कौन सी ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह और भी कहीं अधिक है। प्रो० रंगा पूछते है कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि उन्हें जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक राशि मिल सकती है और वे वास्तव मे उसे व्यय कर सकते हैं। ठेकेदारों के बिलों को आखरी महीने में स्वीकृत किया गया और मार्च के अन्तिम सप्ताह में उनमें से अधिकतर को भ्रष्ट तरीके अपना कर पास किया इसलिये वहां 'खाओ और खाने दो' का तरीका अपनाया गया। वर्ष 1981-92 के लिये आपने जो आंकड़े दिये हैं और जिनमें अतिरिक्त कर तथा वाहक बन्ध पत्र शामिल नहीं हैं, यदि मैं सही हूं तो वह 1550 करोड़ रुपये हैं। और मैं फिर इसके लिये बहुत ही कटोर शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि यह सब जाली है। यह में समय आने पर सिद्ध कर दूंगा। आप

वाहक बन्ध पत्रों के सम्बन्ध में गलत साबित हुए हैं क्योंकि 30 अप्रैल अधिक दूर नहीं है। मैं वित्त मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि यह राशि समम आपने पर दुगुनी होगी है। अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि यह दुगुनी होगी। यह अपरिहार्य है क्योंकि वे पूरी तरह से पूंजीपतियों बहुराष्ट्रीय निगमों, इस देश के बड़े बुर्जुओं जमीदारों और बड़े व्यापारियों के आगे घुटने टेक चुके हैं।

सभापति महोदय : क्या आप वित्त मंत्री को यह आश्वासन देंगे कि जब वे वाद-विवाद का उत्तर दें तो आप सभा में उपस्थित रहेंगे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : निःसन्देह में सदैव ऐसा करने का प्रयत्न करता हूं।

सभापति महोदय : आप उस समय अवश्य ही उपस्थित रहेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा।

श्रीमती गांधी जिस वर्ग की हैं उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ बातें जो हाल ही में हुई हैं वे बड़ी ही उल्लेखनीय हैं। उनमें से एक है श्री एल० के० झा की नियुक्ति। ये एल० के० झा कौन हैं ? ये वही हैं जिन्होंने 1966 में अवमूल्यन करने में एक महत्व पूर्ण भूमिका निभाई थी और जिसके कारण देश में गरीबी का एक नया युग आरम्भ हुआ था वह मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि की शुरूआत थी। जबकि भारतीय रुपये का अमरीका पूंजीपतियों और विश्व बैंक द्वारा अवमूल्यन किया गया। एल० के० झा श्रीमती इन्दिरा गांधी के पिट्ठूओं में रहे हैं। उनके बहुराष्ट्रीय निगमों से क्या सम्बन्ध रहे हैं ? यदि आप संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुराष्ट्रीय नियमों प्रतिवेदन देखें तो आपको पता चलेगा कि वे उसके एक सदस्य थे। उन्हें उसका सदस्य क्यों बनाया गया। यह इसलिये किया गया जिसमे वे बहुराष्ट्रीय निगमों की सेवा कर सके और उन्हें लाभ पहुचा सके। ए ० के० झा बहुराष्ट्रीय निगमों के आदमी हैं, वे बड़े व्यापारियों के आदमी है।···वे ससाजवादी उद्देश्यों के लिए अनावश्यक अवांछिक और अनैतिन (**यवधान**)

फिर एक श्री टंडन हैं जिन्हें आर्थिक आयोजना का बड़ा वित्त मंत्री नियुक्त किया गया हैं। वित्त मंत्री के इस बड़े अफसर ने निर्यात नीति सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष के रुप में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। ये देश में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय फर्म हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड के भूत पूर्व प्रधान है। हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड देश को लूटा रहा है। यह देश को ही नहीं लूटा रहा वरन उसने जो पैसा बनाया है वह जालसाजी से बनाया है। डालडा बनाने की उनकी गाजियाबाद की फैक्टरी में मिलावटी तेल का भरा एक टैंकर मिला परन्तु आप जानते रहे हैं कि इस देश में न्याय खरीदा जा सकता है। यद्यपि उन्हें डालडा के निर्माण में काम आने वाले मिलावटी तेल टैंकर के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया परन्तु वे उससे बरी हो गये। मैं समझता हूं कि श्री टंडन हिन्दुस्तान लीवर में पहले स्थान पर हैं। वे उसके अध्यक्ष या मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और अब उन्हें भारत सरकार के परामर्शदाता के रुप में रखा गया।

श्री आर० वेंकटरामन : कैसे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने निर्यात नीति सम्बन्धी समिति, 1980 का यह प्रतिवेदन दिया है। यह समिति वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। मैं यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखूंगा। यह प्रतिवेदन गुप्त रखा गया परन्तु फिर भी मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा। इस सम्बन्ध में मैं अध्यक्ष को पहले ही लिख चुका हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : यह एक सरकारी दस्तावेज है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम जानते हैं कि श्रीमती गांधी कहती कुछ हैं और करती कुछ और है। वे अमीरों की दोस्त है और वोट लेने के समय गरीबों की भी दोस्त हैं इन 33 वर्षों में उन्हें केवल 2-1/2 वर्ष के जनता शासन का एक बहाना है। जनता पार्टी क्या थी ? यह एक ऐसे लोगों का ग्रुप था जो अपने छोटे-छोटे स्वार्थों के लिये लड़ रहे थे; उनके पास कोई बदमाशी करने के लिये समय नहीं था। वे अपने लिये ही बदमाशी कर रहे थे। उनमें किसी प्रकार की बदमाशी करने की क्षमता नहीं थी। यदि उनमें वे वह क्षमता होती तो आज आप सत्ता में न होते।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विक्रम महाजन) : आपके रहते हुए भी ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री विक्रम महाजन जी में जनता पार्टी में नहीं था। आप उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को असत्य-बात बताते रहे, यहां ऐसा न करें।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : कैसे भागीदार थे। वह यह भूल जाते हैं। वह उनकी आपस में सांठगांठ थी।

सभापति महोदय : इन्हें कहने दीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वेंकटरामन, आपके चुनाव घोषणा पत्र में मुद्रास्फीति को रोकने और मूल्यों को स्थिर करने तथा उन्हें कम करने का वायदा किया गया था।

एक माननीय सदस्य : उन्हें विधेयक पर बोलने के लिए कहा जाना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब से इन्दिरा गांधी ने सत्ता संभाली है मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1980-81 में मुद्रास्फीति थोक के भाव बढ़ी। प्रो० रंगा आपको यह समझना चाहिये कि आपने सही वक्त पर मेज थपथपाई है। मुद्रास्फीति 17.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। इस प्रकार खुदरा रुप में इसका प्रतिशत 40 से 46 प्रतिशत रहा और जनवरी, 1981 से प्रति सप्ताह मूल्य बढ़ रहे हैं। प्रति सप्ताह चीनी और कड़वी होती जा रही है। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि रांची में चीनी 40 रूपये किलो बिकी थी।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपने किससे सुना ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपसे। आप चुनाव के दौरान चीनी उद्योपतियों से पैसा लेते रहे हैं। इस बात को आप जानते हैं और यही हाल दालों का है। खाद्य तेलों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य यदि मैं सही हूं, तो 450 और 500 रूपये प्रति क्विंटल के बीच है। इससे साफ करने में कुछ भार कम हो जाता है। उस पर लागत भी आती है। इससे मूल्य 7 से 8 रुपये के बीच होना चाहिये। परंतु एक आदमी आज तेल के लिये क्या कीमत देता है ? आप सार्वजनिक विवरण प्रणाली के प्रति निष्ठावान नहीं हैं। उसे ऐसे ही चलने दिया जा रहा है। दिल्ली में भी ससद सदस्यों के क्षेत्र में जहां आप लोग तेल दे रहे है राशन की दुकान वालों ने कहा है कि इस सप्ताह से राशन दुकानों पर तेल नहीं दिया जायेगा। यही स्थिति अन्य खाद्य वस्तुओं, सीमेंट,

कागज, कोयला और एल्यूमीनियम की है।

मूल्य वृद्धि दो मुख्य तरीकों से हुई है। पहले तो सरकार ने स्वयं मूल्यों में वृद्धि की है। उसने इस्पात के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि की। जब मूल स्थान पर ही 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई तब तैयार माल की कीमत में कितनी वृद्धि होगी ? उसने एल्युमीनियम, सीमेंट और ऐसी ही अन्य बहुत सी वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिये हैं। इस प्रकार एक ओर तो वह सरकारी क्षेत्र में मूल्य बढ़ा रही है। और दूसरी ओर वह निजी क्षेत्र को देश को लूटने में सहयोग दे रही है। वह कहती हैं कि आप लुटो। हमें इस समय पैसा दो हमें चुन जाने दो। हमें पार्टी के लिये पैसा दो और हम आपको लुटने की छूट देंगे। चीनी की उत्पादन लागत यदि इसकी सही तरीके से जांच की जाये, तो वर्तमान दर पर दो रुपये प्रति किलो से अधिक नहीं होनी चाहिये. परन्तु उपभोक्ता को आठ रुपये देने पड़ रहे हैं।

दूसरी ओर गेहूं उत्पादकों को मजबूरन गेहूं सस्ते दामों बेचना पड़ रहा है। मैं छः बार पहले भी यह कह चुका हूं कि सरकार की शायद गेहूं को आयात करना पड़े।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि आप कोई ज्योतिषी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं ज्योतिषी नहीं हूं किन्तु मैंने आंकड़े देखे हैं और 33 वर्ष की योजनाओं के बाद भी कृषि वर्षा पर निभर हैं। परिवहन के मुख्य साधन रेलों के सम्बन्ध में रेल अभि समय समिति से आने के बाद मुझे पता चला है कि उनकी हालत भी बहुत शोचनीय है। 33 वर्ष बाद आज जन संख्या में 75 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी हैं। जब कि रेलों की वद्धि दर 11-8 प्रतिशत मात्र ही है जब कि चीनी में 300 प्रतिशत है। अनाज का उत्पादन दो वर्ष पूर्व 1350 लाख टन था जिसे आप सबसे अच्छा वर्ष मानते हैं जबकि गत वर्ष यह घटकर 1070 लाख टन हो गया और इस बीच 2 करोड़ टन रक्षित भण्डार हजम हो गया। अब चावल ने आपको बचा लिया है। इसके मुकाबले चीन में 3140 लाख टन का उत्पादन होता है जबकि 44 प्रतिशत खेती योग्य भूमि के मुकाबले वहां यह प्रतिशतता केवल 12 प्रतिशत ही है।

सभापति महोदय : रुस के बारे में भी बताए ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : चीन दावा करता है कि वहां प्रति व्यक्ति आय केवल 200 डालर ही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु वहां की अर्थ व्यवस्था छोटे आकार की है। वहां मांस 5 रु० किलो बंधाई में 3 कमरे का मकान 45 रुपये मासिक किराये पर मिल जाता है।

श्री आर० वेंकटरामन : वे संयुक्त राष्ट्र में रियायती शर्तों पर ऋण मांग रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप स्वयंवतः जाकर तसल्ली कर लें। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन: चीन के साथ भारत का मुकाबला करके भारत को अपमानित मत करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं. मैंने तो यही कहा है कि हमने वह नहीं किया जो करना चाहिये था क्योंकि सरकार पूंजीवादी ढग से विकास करने का प्रयास करती रही है ' हमारे दुखों का कारण 33 वर्ष का कुशासन है। (व्यवधान) जमाखोरे काले धन से और बैंकों से धन लेकर गेहूं खरीद रहे हैं और आवश्यक वस्तुओं को जमा कर रहे हैं।

सरकारी वितरण प्रणाली मजाक बनकर रह गई है इसका अनुभव तो स्वयं आपको भी है। चीनी का निर्यात 20 वर्षों से हो रहा था परन्तु आपके कारनामों के कारण स्वयं राव साहब के अनुसार अब चीनी का आयात किया जाएगा।

सीमेंट का उत्पादन मूल्य कारखाना द्वारा पर 6 रुपये प्रति बोरी है जब कि नियंत्रित दर 30 रुपये और कम वजन की बोरी का काले बाजार में मूल्य 60-70 रुपये है। सीमेंट निर्माताओं को 15 प्रतिशत रेत की मिलावट करने की अनुमति है। हरियाणा में कोयले का बड़ा घोटाला चल रहा हैं। पक्का कोयला वहां 1200 रुपये टन बिक रहा है। कोल इन्डिया को दर क्या भाव पड़ता है। सभी ओर धांधली चल रही है एक टन के पर्मिट पर 500 रुपये देने पड़ते मैंने रामसरन दास ब्रदर्स नामक एक फर्म का एक मामला बताया था जिसमें 20,000 टन बढ़िया कोयले का पर्मिट दिया गया था। मैंने तीन बार पत्र लिखे परन्तु हर बार उन्होंने उत्तर दिया "हमें अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है।" तीसरे पत्र में मैंने लिखा कि क्या कम्पनी के श्री झा को फोन पर बता दिया गया है? एक फाइल तैयार की गई कि कोयले के अम्बार को आग लगने का खतरा है अतः इसे तुरन्त ठिकाने लगाया जाये। तब तक कम्पनी का पर्मिट तैयार हो गया था। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। ऐसे व्यापारी, चोरबाजारियां और जमाखोर इन इन लोगों को सत्ता में बनाये रखने के लिए पैसे देते हैं। एक अर्थ शास्त्री ने अनुमान लगाया था कि अचानक लाभ कैसे प्राप्त किया जाता है। चीनी में हो पहले तीन मास में 150 करोड़ का लाभ हुआ और श्रीमती गांधी को सत्ता में आए 1½ साल में उन्हें 800 करोड़ का लाभ हो चुका है। इसके लिए जो सौदा हुआ, वह लखनऊ के राज भवन में हुआ, मैं राज्यपाल को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं। आबकारी आयुक्त और चीनी व्यापारियों की बैठक में पहले ने उनसे 80 करोड़ रुपये प्राप्त किये और इस लूट की छूट उन्हें प्राप्त हुई। एक विख्यात ब्रिटिश जान रैनडाल्फ के अनुसार—

> "भ्रष्टाचार का क्रय-विक्रय थोक में करो क्योंकि इसमें कुछ लाख की कमी-वेशी से कुछ अन्तर नहीं पड़ता। जितना बड़ा दांव लगाओगे इतना ही तुम्हें मजा आएगा और दूसरे का जोखिम आपको पैतृक धन जैसा ही लगेगा।"

अतः यदि आप उनसे 80 करोड़ ले भी ले तो उन्हें क्या चिन्ता क्योंकि कोयला, इस्पात सीमेंट और कागज सभी के निर्माता और व्यापारी अपना अपना अंशदान लेकर दौड़े चले आ रहे हैं। इसके बाद अब एक नया खतरा यह पैदा हुआ है कि सरकार ने बहुराष्ट्रीय निगम और बड़े व्यापारियों के सामने घुटने टेक दिए हैं और मुझे बताया गया है कि श्री एल० के० झा के आ जाने से देश की अर्थ व्यवस्था और समाजवाद तबाह हो जाएगा। मैं हीरो के हारों और स्काय ब्लिस्की की मैं पेटियों की बात नहीं करता। मैं तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े व्यापारियों की बात करता हूं। श्री झा ने रिजर्व बैंक गवर्नर के पद पर काम करते हुए देश की समाजवादी अर्थ व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया था।

एक माननीय सदस्य : कौन

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री एल० के० झा ज्ञात हुआ है कि उन्हें···(**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (वडागरा): ये उनकी पुस्तक में लिखा है। पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें बड़ा वित्त मंत्री बना दिया गया है और वह आर्थिक सुधार आयोग के अध्यक्ष हैं। वह···(व्यवधान) जी हाँ।

एक माननीय सदस्य : यह गद्य किसका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमती गांधी ने इसकी रचना की है। सफदरजंग रोड़ और श्री झा के कार्यालय में सीधा लेन-देन होगा और जैसा अवमूल्यन के मामले में हुआ मंत्रिमंडल और मंत्रियों की पूर्ण उपेक्षा की जाएगी और इस व्यक्ति के साथ बिना इसके घोषित दर्शन के बारे में जाने···*

और उसकी नियुक्ति पर हर्ष प्रकट किया जा रहा है··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्षमा करें···(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे आपत्ति है। वह ऐसा नहीं कह सकते·····* एक आयोग के अध्यक्ष नाते वह एक पदाधिकारी हैं। जब तक आपके पास··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बसु मैं एक और विनिर्णय दूंगा। वास्तव में जो मैं कहना चाहता हूं, वह श्री वेंकटरामन कह चुके हैं। कुछ दिन पूर्व मुझे श्री केलाहन का एक भाषण सुनने का मौका मिला था। उन्हें तो किसी प्रकार भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ऐजेन्ट नहीं कहा जा सकता (व्यवधान) श्री जेम्स केलाहन जो ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधान मंत्री और लेबर पार्टी के नेता हैं, यहां आए थे। उन्होंने राजाजी स्मारक भाषण दिया था। मुझ तो यही अनुभव हुआ कि उन्होंने नार्थ-साऊथ, ऐ प्रोग्राम फार सर्वाइनल नामक प्रतिवेदन में श्री झा के योगदान की सराहना की थी। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि श्री केलाहन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दलाल हैं ?(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : यह प्रतिवेदन जिस बोर्ड का है श्री झा उसके एक सदस्यमात्र ही है (व्यवधान) :

सभापति महोदय : प्रतिवेदन तैयार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हम उसकी ही बात नहीं कर रहे हैं। श्री झा ने और भी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें उनका पूरा दर्शन स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है। वास्तव में वह कांग्रेस विरोधी है। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : माना कि उनमें दूसरों की सहायता करने की इमानदारी तो है जो···(व्यवधान)

श्री आर० (वेंकटरामन) : यदि वह अपनी बात पर अडे रहना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधान मंत्री सचिवालय को नया जीवन दिया गया है···

सभापति महोदय : मैं नियम 353 पढ़ता हूं ;

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह मुझे याद है। आप ठीक कहते हैं। मैं कह सकता हूं कि इस समय लड़ने वालों के लिए वह निष्ठापूर्ण है।

सभापति महोदय : आप ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो केवल आपकी कल्पनायें ही हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्वर्गीय फिरोजगांधी का मैं आभारी हूं जिनके विधेयक के अधि-

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

नियम बन जाने से हम यहां अपनी बात कह पा रहे हैं। आप के वस में हो तो संसद प्रभावहीन हो जाये।

सभापति महोदय : नहीं। बिल्कुल नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : धन्यवाद ; नवजीवन प्राप्त प्रधान मंत्री सचिवालय का कुल बजट क्या है। पूरे मंत्रिमण्डल का बजट 1,61,65,000 रुपये है जिसमें से प्रधान मंत्री सचिवालय पर 26 प्रतिशत अर्थात 44,07,000 खर्च होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय का जो पूरी सरकार का सचिवालय है और भारतीय प्रशासन का केन्द्र विंदु हैं, बजट केवल 33 52000 रुपये हैं। क्या इससे स्पष्ट नहीं है कि शक्ति का केन्द्रीय करण जोरशोर से किया जा रहा है ?···(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : यह जो चाहे सोच सकते हैं मैं उनकी सभी बातों का उत्तर दूंगा व्यवधान।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमती गांधी के लठैं तो—रॉ मार्फत विदेश मन्त्रालय (1981-82) बजट पोस्ट बाक्स विदेश विभाग-स्वविवेकी निधि—इस एक मद का पता हमें चल सका हैं। इसका बजट वास्तव में 22,32,00,000 से कहीं अधिक है जो प्रधान मंत्री द्वारा सत्ता में बने रहने के लिए और उसे सुदृढ़ करने के लिए उनके हाथ में हैं गुप्तचर विभाग, 1981-82- 1750,00000 रुपये हैं जबकि 1972-73 में यह एक तिहाई अर्थात 6,25,00 000 रुपए था। इस सब का रुपए तानाशाही और परिवार का शासन बनाए रखना है। जनता शासन में प्रधान मंत्री सचिवालय के पर काट दिए गए थे और रॉ के निदेशक का रुतबा घटा दिया गया था। पहले जब मैं द्वार खंड से आता था तो अन्य सुरक्षा कर्मचारी ही होते थे जबकि सभी द्वारों पर आजकल पचासों कर्मचारी दिखाई देते हैं। अपनी जायज मांगों को लेकर गुप्तचर विभाग और रॉ ने सरकार की धांधली के विरुद्ध विद्रोह किया था।

वेंकटरामनजी, स्वविवेकी निधि और स्रोत धन का गबन हुआ—कैसे ? 75 प्रतिशत स्रोत धन उन अधिकारियों ने हड़प लिया। वे भूटिया होटल, दारजलिंग में बैठकर सीमापर के अपने मुखबर के बारे में रिपोर्ट तैयार करते हैं आपको इन बातों की जांच करनी चाहिए क्यों कि लोक लेखा समिति के सभापति ने ऐसा करना चाहा था। तब पता चला कि अधिकारी को एक प्रमाणपत्र मात्र देना होता है कि "मैं प्रमाणित करता हुं कि जिस कार्य के लिए धन नियत किया गया था उसी पर खर्च किया गया है" इसके नीचे हस्ताक्षर होते हैं।

हिन्दुस्तान लीवर के भूतपूर्व अधिकारी प्रकाश टंडन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वह बहुराष्ट्रीय निगम और राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद जो उन्हीं लोगों की है, से संबंधित है और उन्हीं का चमचा है। वह यही चाहता है कि सरकार बहुराष्ट्रीय निगमों की सहायता करें, इसीलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक की रिपोर्ट उद्धरित की है। उनका कहना है 'आयात प्रतिस्थापना के विरुद्ध व्यापार नीति में अनुचित पूर्वाग्रह।" इसी से स्पष्ट है कि वह हमें आत्म निर्भर नहीं देखना चाहते बल्कि आयातों पर निरन्तर निर्भरता और रुपये का और अवमूल्यन चाहते हैं। मेरे पास वह रिपोर्ट हैं और उसे मैं सभापटल पर भी रख सकता हूं। अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर, 1980 में की तथा अन्तरिम रिपोर्ट मई, 1980 में की है। इसमें दोनों ही हैं। इसमें कहा गया है :

(क) "व्यापार नीति में आयात प्रतिस्थापना के प्रति अनुचित पूर्वाग्रह (ख) विदेशों में मुद्रास्फीति की अपेक्षा इसकी ऊंची दर (ग) अनुपयुक्त विनिमय दर प्रभावी निर्यात नीति अपना

कर इनका निराकरण किया जा सकता है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाये कि समयोपरान्त आयात प्रतिस्थापन का विरोध उत्तरोत्तर कम किया जाये।"—इसका अर्थ है कि हमें अधिकाधिक निर्भर होना पड़ेगा—

"और इस बीच इन हानियों की क्षतिपूर्ति अवश्य की जानी चाहिए।"

बहुत अच्छे। और भी कई बातें उन्होंने कही हैं। वह कहते हैं :

"इन इकाइयों के लिए काफी क्षमता है और हम इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि उन्हें वही विशेषाधिकार दिए जायें जो सामान्यतः केवल निबंधि व्यापार क्षेत्रों को उपलब्ध हैं।" बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मार्ग खोलने और देश को लूटने के लिए और क्या चाहिए जहां अधिकांश लोग दो रोटियों के भी मोहताज हैं ?

इस रिपोर्ट में उन्हें देश को लूटने और जितना भी धन वे चाहें ले जाने के लिए कहा गया है।

श्री के० लकप्पा : पश्चिम बंगाल में वे फूल फल रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे तो केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित आर्थिक नीतियों के कारण देश भर में फूलफल रहे हैं। पृष्ठ 6 पर वह कहते हैं।

> '300 करोड़ रुपये की नकद सहायता के वर्तमान स्तर पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रयोग किया जा सकता है।"

अतः 300 करोड़ नहीं 330 करोड़ रुपये निर्यात के लिए रखें और खली का निर्यात करके अपने पशुओं भूखा मारें ताकि दूध का भी आयात करना पड़े —यह कल्पना की गई है।

इसी प्रकार भारी रियायतें देने संबंधी उन्होंने अनेक सुझाव दिए हैं। समयाभाव के कारण मैं सभी बातें यह नहीं दोहरा सकता परन्तु सर्वश्री रंगनेकर और अमित मादुरी का विमति टिप्पण पठनीय है :

> "लगता है कि निर्यात नीति संबंधी इस समिति ने आर्थिक लागत और सामाजिक परिणामों पर ध्यान दिए बिना निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यों का सुझाव देना अपना दायित्व समझ लिया है। वास्तव में इसका अर्थ निर्यात संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी . हमारे विचार में मूलभूत आर्थिक सिद्धान्तों और सामाजिक दायित्वों दोनों की दृष्टि से यह गलत है।"

श्री टंडन को लगता है धन देकर ये मत व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। हम इस महाशय को अच्छी तरह जान गए हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली के बारे में, श्री वेंकटरामन, बड़े व्यापारियों को छूट देना एक भारी षडयंत्र बन गया है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जबसे आप वित्त मंत्री बने हैं। तब लेकर अब तक पचास हजार रुपये से अधिक की सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की छूट की एक सूची कृपया सभा पटल पर रखें। इसके बाद ऐसी सूचियां सभा के प्रत्येक सत्र में सभा-पटल पर रखी जाएं। यह जानकारी सभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

कुछ समय पहले जब मैं लोक लेखा समिति का सभापति था तो एक मामला पकड़ा गया जिसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी एथिल अल्कोहल के आयात के सम्बन्ध में आई० सी० आई० और किलाचन्द को 332 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क की छूट दी थी। कृपया 1973-74 और 1974

75 के लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को देखिए। एक ही मौदे में 332 करोड़ रुपये की छूट दे दी गयी (व्यवधान) आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं आप लाइब्रेरी में जाईये, प्रतिवेदन को निकालिये और उसे पढ़िए।

यह सरकार सत्ता और धन को कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित कर रही है। 332 करोड़ रुपये के इस आंकड़ें को मैंने 10 बार सभा में बताया हैं। औद्योगिक नीति संकल्प को भी तिलांजली दी जा रही है। अब वे विद्युत प्रजनन को गैर सरकारी क्षेत्र को दे रहे है। इस्पात उत्पादन को बढ़ाने का काम टाटा को सौंपा गया है, उन्हें बड़ी धनराशि दी गयी है और सरकार ने उनकी गारंटी ले रखी हैं। गैर सरकारी क्षेत्र की कोयला खानें भी मन्त्री के नियंत्रण में हैं। पिछली बार वे धनबाद गये थे, उन्होंने वहां के बारे में जानकारी प्राप्त की परन्तु वे उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे क्यों कि अभी तो वे विचार ही कर रहे हैं।

कच्चे तेल की नकद खरीद भी भ्रष्टाचार का एक साधन बन गया है। इसकी जांच की जानी चाहिए और इस पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के योग्य वैज्ञानिकों की अवहेलना हो रही है। अब पैट्रोलियम निदेशालय इस मामले को अपने हाथ में ले रहा है। इंस्टीट्यूट आफ रेंजरवायर मैनेजमैन्ट अहमदाबाद में कोई निदेशक नहीं है। इसका आयात 6,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से अधिक है।

औषधि व्यापार ने भी बहुत गड़बड़ की है और मुझे पता चला है कि औषधि निर्माताओं को और अधिक सहायता देने के लिये औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 में संशोधन किया जा रहा हैं।

रक्षा उपकरणों की खरीद और बिक्री में भी घोंटाला है। 5 हजार टन के वजत के सैंक्चूरियन फालतू पुर्जो की बिक्री के बारे में मामला सभा में उठाया गया था। मार्कोनी से विजयंता टैंक के लिए संचार उपकरण की खरीद मे भी गड़बड़ी है। इस सब का लाभ किन्हें मिल रहा है? 1978 में अमेरिका ने 5800 मिलियन डालर का शस्त्रों का व्यापार किया था। यू० के० ने 600 मिलियन डालर का व्यापार किया था और फ्रांस में यह व्यापार 2000 मिलियग डालर हुआ था। यह माल कौन खरीदता है? इसके खरीददार दक्षिण ऐशियाई देश है 1966 में 391 मिलियन डालर के हथियार खरीदे गये थे और 1978 में ये आंकड़ा बढ़कर 1019 मिलियन डालर हो गया।

श्रीमन् मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता यह सरकार हमारे देश के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहीं है और बड़े बड़े व्यापारियों तथा बहुराष्ट्रिकों को बढ़ावा दे रही है और इस प्रकार देश की अर्थ-व्यवस्था को अस्तव्यस्त कर रही है। देश इस समय बारूद के ढ़ेर पर बैठा हुआ है। श्री वेंकटरामन आपका बजट एक निरर्थक प्रयास है और जब आप लोगों के पास जायेंगे तो आप उनकी बातों का उत्तरे न दे सकेंगे। (धन्यबाद)

श्री अजीत सिंह दाभी (कैरा) : सभापति महोदय, सरकार की आर्थिक नीतियां वित्त-विधेयक पर आधारित हैं और इसके द्वारा बजट के कराधान प्रस्तावों को क्रियाविन्त किया जाता है।

1979 में जनता सरकार के वित्त मंत्री श्री चरणसिंह ने 1979.80 के अपने बजट

द्वारा 665 करोड़ रुपये के कर लगाए थे और उन्होंने पूंजी और राजस्व व्यय में 100 करोड़ रूपये की वृद्धि की थी। उस समय 2700 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था जो कि एक रिकार्ड था। इसके मुकाबले में हमारे वित्त मन्त्री श्री वेंकटरामन के 1980-81 के बजट में 3000 हजार करोड़ रूपये की पूंजी और राजस्व व्यय में वृद्धि दिखाई गई है जबकि 285 करोड़ रुपये के कर लगाए गये है और घाटा केवल 1975 करोड़ रुपये हैं। हमारे वित्त मन्त्री का यह कार्य बड़ा ही सराहनीय था क्यों कि जब उन्होंने बजट पेश किया उस समय मंहगाई 21.5 प्रतिशत बढ़ गयी थी कृषि और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट थी, विदेशी व्यापार में घाटा था और श्री चरणसिंह के पिछले बजट द्वारा 25 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हो गयी थी उस समय मैंने कहा था कि श्री वेंकटरामन का बजट बड़ी सूझ बूझ से तैयार किया गया बजट था जिसमें वास्तविक आंकिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का प्रावधान था। 1980-81 में जो मैंने कहा था वह सत्य साबित हो गया। पिछले वर्ष जब श्री वेंकटरामन ने यह कहा कि यदि वे असफल रहे तो वे त्यागपत्र दे देंगे तो उस इस सभा में और इससे बाहर भी बहुत राजनैतिक दलों ने बड़ी अटकलें लगाई और कहा कि श्री वेंकटरामन असफल रहे है परन्तु श्री वेंकटरामन और हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जिस आर्थिक नीति को अपनाया उससे उन दलों को निराशा ही हुई। 1979-80 में आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब थी। श्री वेंकटरामन ने 1980-81 के बजट द्वारा अर्थ व्यवस्था को काफी सुधार दिया और हमारे बहुत से अर्थ शास्त्रियों और राजनैतिक दलों की भविष्य वाणी को गलत साबित कर दिया। मंहगाई को रोका ही नहीं गया है बल्कि इसे 21.4 प्रतिशत से घटाकर 13.5 प्रतिशत कर दिया गया है। कृषि क्षेत्र में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन 135 मिलियन टन तक होने की आशा है। आर्थिक विकास भी तेजी से हो रहा है। हमारे वित्त मन्त्री द्वारा इस वर्ष पेश किए गये बजट में यह साबित कर दिया है कि बजट बनाना एक बड़ी भारी कला है। इस वर्ष हम महंगाई को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वित्त विधेयक में पूर्ति प्रबन्ध की व्यवस्था की गई है जो एक नई आर्थिक नीति होगी। मांगों पर नियन्त्रण करने के बजाय यह आर्थिक नीति उत्पादन के साधनों पर नियन्त्रण करेगी और उन साधनों को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वितरीत करेगी। इस बजट में वित्त मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के लिए बैंकिंग प्रणाली द्वारा और गैर सरकारी क्षेत्र के लिए सट्टा बाजार के द्वारा बचत करने पर बल दिया है। इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और महंगाई कम होगी। यदि कुछ लोग इसे मिश्रित अर्थ-व्यवस्था कहते हैं तो वे ऐसा कह सकते हैं परन्तु यह मिश्रित अर्थ-व्यवस्था समाजवाद के उद्देश्यों के अनुरूप है।

इसलिए हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 14-2-81 को राष्ट्रीय विकास परिषद् को सम्बोधित करते हुए कहा था कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था इस देश के समाजवादी उद्देश्यों के अनुरूप ही है। समाजवादी देशों में भी नियन्त्रणों में काफी ढील बरती जाती है। श्री ज्योतिर्मय बसु जैसे हमारे मित्र जो इस बजट को एक बुर्जुआ बजट कहते हैं वे इस बात की अनदेखी करते हैं कि चीन जैसा देश भी विदेश निवेश का स्वागत करता है और बहुराष्ट्रकों को आमंत्रित करता है। इस तरह के समाजवाद के बावजूद भी चीन और रूस अपने लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं जुटा पाये हैं। इस समय रूस और चीन सब से अधिक गेहूं खरीदते हैं। इन तथ्यों से सिद्ध होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था

को अपनाना श्रेयस्कर ही होता है।

यद्यपि कराधान प्रस्ताव सोच समझकर बनाये गये हैं तथापि उनकी सफलता वित्त विभाग के कार्य पर निर्भर करती है। वित्त विधेयक में करावंचन को रोकने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया गया है। परन्तु ये उपाय पर्याप्त नहीं हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग उत्पादन-शुल्क की बड़े पैमाने पर चोरी करते हैं। पिछले वर्ष उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क से 6400 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होने के बावजूद भी घाटा लगभग 1600 करोड़ रुपये था। अधिकतर करों की चोरी तम्बाकू, चीनी, रुई, सिन्थेटिक धागे और लोहा तथा इस्पात के निर्माताओं द्वारा की जाती है। राजस्व निदेशालय के कराप वंचन-विरोधी विभाग में सुधार किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र की इस भारी हानि को रोका जा सके।

आपको मालूम है कि 1971 में करों की बकाया राशि में कमी करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था और 1973 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 10 लाख रुपये और उससे अधिक के करों की बकाया राशि को वसूल करने के लिए एक विशेष विभाग खोला गया था। उसे बावजूद भी 1973-74 तक लगभग 800 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी जो 1974-75 में 936 करोड़ रुपये और 1975-76 में 993 करोड़ रुपए हो गई।

1975-76 में गि= निगमित कर आय-कर, ब्याज और जुर्माना की कुल बकाया राशि 1004 करोड़ रुपये थी और तब से जनता पार्टी के शासन के दौरान भी यह राशि कम नहीं हुई। करों की बकाया राशि बढ़ती ही जा रही है। और इसके साथ जनसाधारण पर बोझ भी बढ़ता जा रहा है। हमारे माननीय वित्त मंत्री के कुशल मार्ग दर्शन के अन्तर्गत हमारे वित्त विभाग के बेहतर कार्यों के साथ जनसधारण पर नये करों का बोझ नहीं रहेगा।

1970 में बांचु समिति ने हिसाब लगाया था कि देश में काले धन की राशि 10 हजार करोड़ रुपये हैं। अब यह लगभग 20,000 करोड़ रुपये है। व्यापारी लोग करोड़ों रुपये कमाते हैं और करों के रूप में बहुत कम राशि देते है ? और इस प्रकार जनता का शोषण करते हैं।

यदि विशेष वाहक बन्धक पत्र योजना सफल होती है तो इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था काफी सुधार जायेगी। जिन लोगों के पास काला धन हैं वे भी इस बात को स्वीकार करेगे कि वे भी हमारे देशवासी हैं। अपने स्वार्थ के लिए वे लोक राष्ट्र का कितना नुकसान कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के कारण वे देश प्रेम को भूल गये हैं। वित्त मंत्री ने इस वाहक बन्धपत्र योजना के माध्यम से उन लोगों की देश भक्ति की भावना को जगाने का प्रयास किया है। उन्हें निडर होकर सामने आना चाहिये और राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को बचाना चाहिये। इस प्रकार वे अपनी देश की भक्ति सिद्ध कर सकते है। विमुद्रीकरण काले धन को निकालने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। रुपये का मूल्य अब 23 पसे रह गया है ? और इस कारण विमुद्रीकरण जनसाधारण को और भी कठिनाई होगी और सरकार में उनका विश्वास समाप्त हो जायेगा। विमुद्रीकरण छोटे देश में तो सफल हो सकता है परन्तु 66 करोड़ लोगों के देश में यह सफल नहीं हो सकता।

इस वर्ष ऋण के रुप में सरकार 281 करोड़ रूपये ही प्राप्त कर सकी है। हमारे वित्त मंत्री ने गैर सरकारी क्षेत्र को आर्थिक रियायतें दी है। पूरा न होने वाला घाटा 1,539 करोड़ रूपये है। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निर्यात सहायता में वृद्धि हो गई है और खाद्य तथा उर्वरकों में सहायता 600 करोड़ रुपये से बढ़कर 679 करोड़ रुपये हो गई है और

कुछ और सहायता के कारण यह घाटा और भी अधिक बढ़ जायेगा, वित्त मंत्रालय को और भी अधिक नियंत्रण से कार्य करना चाहिये और बैंकों द्वारा ऋण जुटाने के प्रयास करने चाहिए।

जनता पार्टी के शासन में यदि सरकार बैंक ऋण तथा आयात पर अंकुश लगाती तो इससे व्यापारी लोग बाजार में चीनी लाने के लिए बाध्य हो जाते और चीनी के मूल्य स्थिर हो जाते। परन्तु कुछ वर्ष पहले आसान शर्तों पर मिलने वालों बैंक ऋण का लाभ उठा कर इस देश के व्यापारियों ने गेहूं के व्यापार के राष्ट्रीयकरण को असफल बना दिया।

यदि हम इस बजट से सही लाभ उठाना चाहते हैं तो वित्त मंत्रालय को बैंक ऋण पर कड़ी निगरानी रखनी होगी।

क्लर्कों से लेकर विभागों के प्रमुखों तक सरकारी कर्मचारियों का देश की राष्ट्रीय आय का 16 प्रतिशत भाग देना होता है ? और 60 प्रतिशत पैट्रोलियम उत्पाद सरकार और सरकारी अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल होते हैं। वित्त विभाग के पास इन सरकारी खर्चों को कम करके राष्ट्र के लिए करोड़ों रूपये की बचत करने का अधिकार है। वित्त मंत्री ने यह ठीक ही कहा है। गरीबी रेखा के आंकड़ों से वस्तु स्थिति का पता नहीं चलता। फिर इस देश में करोड़ों गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मध्यम वर्ग को अभी भी भारी कराधान का बोझ सहना पड़ रहा है। इन सभी लोगों को सरकार से बहुत आशायें हैं। यह लोग सोचते हैं कि अब करों का और बोझ सहने की क्षमता उनमें नही हैं। वे चाहते हैं कि वे उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों की चोरी को रोक कर, आवश्यक वस्तुओं की चोर-बाजारी तथा जमाखोरी पर नियंत्रण करके, सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगा कर तथा बैंक ऋण पर कड़ी निगरानी रख के वित्त मंत्रालय सरकारी खजाने में करोड़ों रुपये जमा कर सकता हैं। इन करोड़ों रूपयों से हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में स्थिरता आ सकती है। इसी लिए मैंने कहा था कि सब कुछ वित्त मंत्रालय के कार्यों पर ही निर्भर करता है।

हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में कुछ विकल्प हैं। यदि यह विकल्प जटिल है तो हमारे सामाजिक और वर्ग विशेष के हितों की व्यवस्था और भी कठिन हो जायेगी। पिछले लोक सभा के चुनावों के परिणामों से स्पष्ट हो गया है कि जनता पार्टी जैसे ढीले-ढाले राजनीतिक ढांचे का देश में कोई स्थान नहीं है। किन्तु हम वर्ग विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीति ढ़ांचे को समाप्त नहीं कर पाये हैं।

1971-72 में हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमने देश की राजनीति से खतरनाक तत्वों को हटा दिया था। परन्तु यह खतरनाक पश्चिम बंगाल और केरल में फिर उभर रहे हैं। माओसीतुंग के इस राजनीतिक सिद्धांत में कि सत्ता बन्दूक के आधार पर प्राप्त की जा सकती है विश्वास करने वाले लोग, जिन्हें संसदीय लोक तंत्र में कोई विश्वास नहीं था, 1977 में पश्चिम बंगाल में जनता पार्टी की असफलता के कारण सत्ता में आ गये और वे ही लोग 1978 में केरल में जनता सरकार की असफलता के कारण सत्ता धारी बन गये। ये लोग जनसाधारण की गरीबी और असन्तोष का लाभ उठाते हैं। इसलिए हमारी आर्थिक नीति जो हमारे सर्वांगीण आर्थिक विकास और समृद्धि के उद्देश्य को लेकर बनाई गई है अवश्य सफल होनी चाहिए।

अत: मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूलराय) : सभापति महोदय, जो फायनन्स बिल हमारे वित्त मंत्री महोदय द्वारा इस सदन में उप-स्थापित किया गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय, हमारा देश विशाल है और यहां पर समस्याओं का कोई और छोर नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ही हम यह भी दावा करते आ रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं, प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जब सवाल यह पैदा होता है कि जिस विकास का हम दावा करते हैं, उस विकास का लाभ 75 प्रतिशत जनता जो देहातों में रहती हैं, गरीब-ग्रामीण जनता है, उसको हो रहा है या नहीं। आज की परिस्थिति में जो हमारी सेंसस रिपोर्ट है, उसमें हमारी आबादी 10 वर्षों में दुगनी हो गई है और इस अनुपात में हमारी विकास की दर काफी नीचे है। अब यह समय हमारे लिए सोचने का नहीं है, बल्कि बहुत ही दृढ़ता के साथ हमें अपने कार्यक्रमों को लागू करना है, हमारी योजनाओं को पूरा करना है और देखना है कि हमारे जो कार्यक्रम हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, उनसे किस हद तक हम उस 75 प्रतिशत जनता को जो कि गांवों में रहती है, लाभ पहुंचा सकते हैं। इस सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहती हूं। हमारा देश बड़ा देश है और समस्याएं भी बहुत हैं यहां पर बड़े छोटे सभी प्रकार के प्रांत है। हमारे प्रांतों को भारत सरकार द्वारा विकास के लिए राशियां आवंटित की जाती हैं और कुछ उनके अपने रिसोर्सेस होते हैं। भारत-सरकार द्वारा जो राशियां आवंटित की जाती हैं पहले तो उनका उपयोग ही नहीं होता और अगर होता भी है तो सही ढंग से नहीं होता अमूमन देखा जाता है कि करोड़ों-करोड़ रुपया जो राज्यों में योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए विकास कार्य के लिए आवंटित किया जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जो योजनाओं के लिए एडीशनल रिसोर्सेस नहीं जुटा पाते, मौचिंग ग्रांट पूरी नहीं कर पाते, कहीं प्रशासन में कमियां होती हैं, जिसकी वजह से योजनाएं लागू नहीं हो पाती। 20-25 वर्षों से योजनाएं चली आ रही हैं। आज मंहगाई इतनी हो गई है कि योजना पर खर्च होने वाला श्रम और मेटेरियल बहुत महंगा हो गया है। आज जो हम विकास का दावा करते हैं और जनता से बात का वादा करते हैं कि उनको खुशहाली देंगे और रोजी-रोटी देंगे, वह हम कैसे पूरा कर पाएंगे। जो योजना उस समय 15 लाख की थी आज तिगुनी और चौगुनी राशि उस पर खर्च होगी। सभापति महोदय, मैं उदाहरण के लिए कुछ कहना चाहती हूं।

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने केबिनेट स्तर पर एक समिति बनाई थी। वह इसलिए बनाई गई कि कोयले का अभी हमारे यहां अभाव हुआ और उसके ऊपर हमारे देश का विकास निर्भर करता है। तो उसका उत्पादन कैसे बढ़े इसके लिये कैबिनेट स्तर पर एक समिति बनाई गई और उसके काम के लिए मानिटरिंग सैल है सिस्टस पर एम्फैसिस दिया गया। हमें उसका परिणाम देखने को मिला कि उससे कोयले के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो गई। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि मानिटरिंग सिस्टम पर सरकार एम्फ्सिस दे। मैं किसी ऐसी नियत से यह नहीं कहना चाहती कि राज्य सरकार की आटोनसी पर भारत सरकार का हस्तक्षेप हो, लेकिन यह जरूर देखना चाहिये कि राशि का उपयोग हो रहा है या नहीं।

हमारे प्रान्त देश से बाहर नहीं हैं। प्रान्तों का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। इसलिये मानिटरिंग सिस्टम को एम्फैसिस देकर देखना चाहिये। जिस तरह से कोयले की समिति बनाई गई है, उसी प्रकार वित्त, कृषि और सिंचाई के लिये भी उसी पैटर्न पर व्यवस्था की जाये ताकि समय समय पर यह देखा जा सके कि राज्य के लिये जो राशि आवंटित की गई है, उसकी आर्थिक समीक्षा हो सके और यह भी देखा जा सके कि वहां कैसा काम हो रहा है।

ऐसा भी देखा गया है कि राज्यों कुछ ऐसे कारपोरेशन और बोर्ड बने हैं, जिन पर करोड़ों रुपये का खर्च होता है। हमारे यहां इन बोर्डों को अटानामी के लिये कहते हैं कि विकास के लिये किया गया है। ये चाहे जिस तरह से भी बनाये जाते हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि वह राजनीतिक प्रपंच का अड्डा बन जाते हैं और वहां पर हमारी प्रगति नहीं हो पाती है, विकास का कोई काम नहीं होता है। बल्कि मैं तो यहां तक कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग होते हैं जो दफ्तरों में बैठकर ऐसी योजनाएं बनाते हैं, जिनको गेहूं और धान की फसल में क्या डिस्टिंक्शन होता है, भेदभाव होता है, उसको वह नहीं परख सकते हैं। लेकिन उन दफ्तरों में बैठकर वह देहातों के लिये योजना बनाते हैं। मैं खुद अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूं कि कई बार ऐसा लगता है कि ब्लाक की मीटिंग में जब पदाधिकारी आते हैं या ब्लाक स्तर पर सचिवालय में करते हैं तो उनकी कृषि की जानकारी भी नहीं होती है।

मैं बिहार का एक उदाहरण आपको बताती हूं। वहां के बिजली बोर्ड के बारे में कहना चाहती हूं। अगर हमारी बिहार सरकार के ऊपर 532 करोड़ रुपयेका कर्ज है तो उसमें से 313 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड के खाते हैं। उससे देहातों के किसानों को बिजली नहीं मिलती है और शहरों में भी 4,4 और 6,6 घन्टे बिजली गुल रहती है। बिजली न होने कारण पानी भी नहीं मिल पाता है। लेकिन उस बोर्ड का खर्चा बढ़ता जाता है। उसकी व्यवस्था और देखरेख पर जितने करोड़ का खर्चा आता है, शायद उस अनुपात में हमारे देहातों को बिजली नहीं पहुंच पाती है। किसान को लाभ नहीं होता, यदि मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिश्योक्ति न होगी।

राज्य में राजकीय नलकूपों की व्यवस्था के लिये करोड़ों रुपये का आवंटन किया जाता है। एक तरफ वित्तीय संकट के कारण इधर 6 महीने में एक भी नलकूप नहीं लगा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखने को मिलता है कि ए० जी० की रिपोर्ट है या दूसरे प्रतिवेदन देखते हैं तो उसमें दिये गये सरकारी आंकड़ों के अनुसार साढ़े 4 करोड़ की सम्पत्ति इसके लिये दी गई। एक तरफ तो खेतों पानी नहीं मिलता है और कहा जाता है कि वित्तीय संकट के कारण नलकूल नहीं लग सके हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि साढ़े 4 करोड़ की राशि लग गई, यह कैसा विरोधाभास है ?

मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार से यहां से जो राशि आवंटित की जाती है ड्राउट-प्रोन एरिया के लिये, हरेक ब्लाक के लिये 15,15 और 20,20 लाख की राशि आवंटित की जाती है, आप जानते हैं कि ड्राउट-प्रोन एरिया में अधिकांश लोग बाढ़ और सूखे से

पीड़ित होते हैं, यह रुपया उन लोगों के बचाव और रहित लिये दिये जाते हैं लेकिन यह पैसर भी सरेन्डर हो जाता है और लेप्स हो जाता है।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं जो मुख्य बात है वह है ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज के बारे में। इनका रोल बहुत नैगेटिव होता है, इनको कस्ट्रेक्टिव होना चाहिये। इनके ऊपर जो खर्चा होता है, उसी अनुपात में उससे भी जनता को लाभ नहीं पहुंचता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे बिहार में ही जो लार्जेस्ट पब्लिक सैक्टर हैं, इतने हिन्दुस्तान के किसी अन्य प्रान्त में नहीं होंगे, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि जितने भी इस तरह के पब्लिक एन्टरप्राइजेज हैं, उनका आपस में एडजस्टमैंट होना चाहिये। अगर एक कहीं कोयले का अधिक उत्पादन करता है और दूसरे में कम है तो उसको वहां से कोयला पहुंचाया जाना चाहिये।

बाद में जब कहीं कोयला मिले, तो उसकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन इन एन्टरप्राइजिज में किसी भी तरह से वापसी ताल मेल नहीं हो पाता है और जनहित के दृष्टिकोण से इनका रहना अभी तक सफल नहीं हो सका है।

यह बहुत आवश्यक है कि एम्पलायमेंन्ट गारंटी स्कीम को लागू किया जाय। महाराष्ट्र में इस योजना को लागू किया गया है और वहां से सफलता भी मिली है। हमारे प्रान्त में इन्ट्रेग्रेटिड रूलर डेवेलपमेंट स्कीम के अर्न्तगत 39 करोड़ रूपये सरेंडर हो गये हैं। उसमें से 14 करोड़ रुपए फूड फार वर्क के लिए और 10 करोड़ रुपए सैल्फ एम्पलायमेंट स्कीम के लिए थे। एक तरफ हम ऐलान करते हैं कि हम अपनी एम्पलायड लड़कों को 50 रुपए महीना देंगे और दूसरी तरफ सल्फ एम्पलायमेंट स्कीम के 10 करोड़ रुपए सरेंडर हो गए हैं। हमने उस रुपए का इस्तेमाल नहीं किया। उस स्कीम का इनफ्रा-स्ट्रक्चर तक तयार नहीं हुआ। उसमें करना क्या था? उस कार्यक्रम को लागू करना था, बैंक उसके लिए कर्ज देते और सरकार आवश्यक प्रबंध करती। इस प्रकार छः महीने में वे नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो जाते। लेकिन यह नहीं हो सका। एक तरफ तो हम अपने प्रान्तों को कर्ज से लाद रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी बड़ी राशि सरेंडर कर देते हैं।

जहां तक सिंचाई विभाग का सम्बन्ध है, बिहार में कटाव की समस्या के कारण तबाही मची हुई है। आज यह स्थिति है कि बहुत से ब्लाक्स में रेलवे लाईनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। आप समझ सकते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। लेकिन कटाव को रोकने के लिए साल भर कुछ नहीं किया गया है। दस, पन्द्रह लाख रुपए की योजना पांच करोड़ रूपए की योजना हो गयी है।

आबादी इससे प्रभावित होती है। किस क्षण कोई गांव जलमग्न हो जाएगा, किस क्षण वे लोग जल में विलीन हो जायेंगे, कोई नहीं कह सकता है।

इन योजनाओं के लिए भारत सरकार से धनराशि आवंटित होती है। सारे वर्ष में क्या

काम हुआ, इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। लेकिन 31 मार्च को लूट सी मच जाती है, बिल्कुल कमीशन हो जाता है। ठेकेदारों को सारा पेमेंन्ट करना होता है, और इसमें सरकारी अधिकारियों का इन्ट्रेस्ट निहित होता है। लेकिन इस तरह जनता की भलाई बिल्कुल नहीं होती है। एक अरब रुपए की निकासी रात भर में ही जाती है। सारे रुपये की धल उड़ाई जाती है। और यह काम सरकारी विभागों में बैठे हुए मुठ्ठी भर लोग करते हैं इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वियन किस तरह किया जाता है।

अब मानसून ब्रेक करने वाला होता है, तो टेंडर निकाले जाते हैं। पन्द्रह दिन में बारिश होगी और उसके बाद कोई काम नहीं होगा। अगले साल कहा जाएगा कि बीस पच्चीस लाख रुपए की जो राशि लगाई गई, वह पानी में चली गयी है। हमारा कहना है कि विभिन्न प्रांतों में लोगों के रहन सहन, मौसम और अन्य स्थितियों को ध्यान में रखकर योजनाओं को ऐसे समय में शुरु किया जाये कि वे मानसून से पहले पूरी हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्च के आते आते गाड़ियों की खरीद हो, मकान बनाए जाएं। बड़े बड़े गेस्ट हाउस बनाए जाते हैं, मगर जो पैसा खर्च किया जाता है, उसका लाभ आम जनता को नहीं होता है, यह दुःख की बात है। मेरा यह मतलब नहीं है कि प्रान्तीय सरकारों के काम में हस्क्षेप किया जाए। मगर देश की आर्थिक सुदृढ़ता और विकास के लिए कार्य-पध्दति में सुधार करना आवश्यक है।

अन्त में मैं कहना चाहती हूं कि वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में काफी तत्पर हैं। वह बड़ी जबर्दस्त इच्छा शक्ति के साथ आर्थिक संकट और सारी चुनौतियों का सामना कर रहे है।

एक तरफ से उनके सामने चुनौती नहीं है, अनेकों तरफ से हैं। विकलांगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हैं। 30 हजार लोगों को टैक्स के मामले में जिस तरह से राहत मिल रही हैं वह बहुत ही अच्छा काम हुआ हैं। उस के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। में दावे के साथ कह सकती हूं कि जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय की इच्छा शक्ति है, यह इच्छा शक्ति बनी रहेगी तो हमे जरूर आर्थिक सुदृढ़ता मिलेगी और हम विकास के रास्ते पर चलगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, अभी हम अपनी बहन श्रीमती कृष्णा साही जी का इस वित्तीय विधेयक पर विचार सुन रहे थे। उनको सुनने के बाद में यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल भी माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया था और रूलिंग पार्टी के लोगों ने बजट पेश करने के बाद तालियां बजाकर उसका स्वागत किया था, हमें तो तभी शक था क्यों कि पिछले वर्ष भी बजट पेश करने से पहले इन्होंने बजट से अलग इस देश की जनता पर करों को थोप दिया था और इस बार भी जब यह बजट पेश हुआ 2100 करोड़ रुपये का एक्सट्रा बोझ माननीय वित्त मंत्री ने इस देश के लोगों पर दिया। डीजल पैट्रोल और ओर दूसरी इस तरीके की चीजों पर 2100 करोड़ रुपये का टैक्स इन्होंने लगाया। उस समय हम हम ने और अपोजीशन ने कहा था कि जिन चीजों पर बजट पेश करने से पहले आप यह पैसा लगाने जा रहे हैं इसके भयानक नतीजे आपको कीमतों में दिखाई देंगे। वह ऐसी बुनियादी चीजें है कि माननीय वित्त मंत्री जी सदन में बैठ कर जितनी चाहे तालियां बजवा लें लेकिन

देश के बाजार को नीचे नहीं ला सकते क्यों कि ये ऐसी चीजें हैं कि इन चीजों पर दाम बढ़ेंगे तो हर चीज पर दाम बढ़ जाएंगे।

दूसरी बात यह है कि 33 साल से इस बजट को पेश करने के जो तौर तरीके हैं, जो सोफिस्टिकेटड ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े महलों और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से आकर बजट बनाते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। गांधी जी ने कहा था कि इस मुल्क की आत्मा देहातों में रहती है, देश की 80 फीस दी जनता जहां देहातों में रहती है, मैं वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि अब तक जितने भी ये बजट पेश हुए हैं, क्या कभी बजट बनाने वाले लोगों ने या वित्त मंत्री ने सोचा है कि ये जो 80 फीस दी लोग गांवों के हैं 12 प्रतिशत, 13 प्रतिशत या 19 प्रतिशत से लेकर 22-23 प्रतिशत जो उन पर बजट का खर्च करते हैं, उसमें 80 प्रतिशत लोगों का क्या भला होगा ? उसके उलटे यह है कि जो 20-22 प्रतिशत लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं हिन्दुस्तान के बजट का 80 प्रतिशत पैसा उन लोगों पर खर्च होता है, बड़े-2कारखानेदारों के लिए, बड़े बड़े शहरों के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए 80 प्रतिशत खर्च होता है। ऐसी हालत में हिन्दुस्तान का जो देहात का 80 प्रतिशत आदमी है 20-22 प्रतिशत में उसका क्या भला होगा ? इसीलिए में बुनियादी तौर पर इस बजट का फाइनेंशियल ग्राउन्डस पर विरोध करता हूं। हिन्दुस्तान के जितने प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं हिन्दुस्तान के बजट का उतना नहीं तो कम से कम आबादी के पचास प्रतिशत के हिसाब स बजट देहात में रहने वाले लोगों की तरफ ले जाइए। अगर हिन्दुस्तान की एकोनामिक हालत को आप सुधारना चाहते हैं तो स्माक स्केल इंडस्ट्री आप देहात में ले जाइए। बजट का ऐसा रूप होना चाहिए कि हिन्दुस्तान के देहातों में मंडियां जाय, हिन्दुस्तान के देहातों में सड़कें जाय, कोल्ड स्टोरेज जाय और ये स्केल इन्डस्ट्रीज जाय। लेकिन उस चीज यह नही चाहेंगे, यह मैं जानता हूं।

अगर हिन्दुस्तान का रूरल डेवलपमेंट आप सही माने में करना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान की पूरी जितनी भी खेती हैं उसी के हिसाब से आप बेल्ट बनाइए। अगर किसी क्षेत्र मे गन्ना ज्यादा पैदा होता है तो वित्त मंत्री और योजना मन्त्री को इस बात पर सोचना चाहिए कि जिस इलाके में गन्ना पैदा होता हैं वहां के किसान और लैंडलैस लोगों के लिविंग स्टेडर्ड को कैसे ऊंचा उठाएं। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जिले में ज्यादा तर गन्ना होता है लेकिन गन्ना पैदा करने वाले किसान की किस तरह से दुर्गति हुई हैं ? इस बार 13 रुपैये क्विंटल से आप ने गन्ने का दाम शुरू किया था। लेकिन जब जनता ने और जन-आन्दोलन ने आपको विवश कर दिया तब आपने ज्यादा देना स्वीकार किया, नहीं तो 13 रूपये से शुरू किया था। आज वही आपके कारखानेदार 32-33 रूपये क्विंटल कैसे दे रहे हैं। आपके हिसाब से तो 13 रूपये भी नहीं दे सकते थे और आज जो सल्फर प्लान्ट के लोग हैं उनके द्वारा मेरे जिले सहारनपुर में 40 रुपये क्विंटल खरीदा जा रहा हैं। किसान को आपने पूरे सीजीन लुटवाया और आखिर में जिसके पास ज्यादा गन्ना था उसी के पास अब बचा हैं।

इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे देश के देहात की एकोनामी का आप अध्ययन करें और देखें कि कहां क्या डेवलपमेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर जहां पर गन्ना पैदा होता है वहां पर आप हार्डबोर्ड बना सकते हैं, कागज बनाने के लिए इण्डस्ट्री लगा सकते हैं, गत्ता बना सकते हैं, और अलकोहल का उत्पादन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जहां जहां जो जो क्राप्स पैदा होती है उसके हिसाब से आप उद्योग लगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हिन्दस्तान के देहात जागेंगे तो हिन्दुस्तान भी जागेगा। अगर इस देश के देहात उठेंगे तो देश भी उठेगा— गांधीजी ने भी यही कहा था। पिछले 33 सालों में आपने बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए ही बजट बनाए हैं। यहां दिल्ली की चमक-दमक को देखकर आप खुश हो सकते हैं। हमारे वित्त मन्त्री श्री वेंकट रमण इस सदन में कितने ही आंकड़े पेश कर दें लेकिन उनको यह अच्छी तरह से विदित हो गया है, पिछले एक साल में, कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी इस देश के 47 प्रतिशत लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं. गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उनके खून को बड़े बड़े पूंजीपति भेड़ियों की तरह से चूस रहे हैं। आज उन गरीब किसान मजदूरों के क्रोध और आक्रोस को आप देख नही पा रहे है। आज देश में करोड़ों लोगों के पास खाने पहनने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए दवा-दारू का कोई प्रबन्ध नहीं है फिर भी 33 साल के बाद आज भी इस सदन में आप फर्जी तालियां बजवाते है। करोड़ों लोगों को रोटी नसीब नहीं होती है और आप यहां तालियां बजवाते हैं। आज अनाज इतना मंहगा बिक रहा है फिर भी देहात में एक मजदूर को दो रुपए मजदूरी भी नहीं मिलती है। लैण्डलेस पीजेन्ट्री के लिए आज आधुनिक साधनों के आ जाने के रोज, गार के साधन नहीं रह गए है। हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों में जहां एक किसान पहले दस मजदूर लगाता था, अब उसके पास केवल एक मजदूर की जरूरत रहती है। क्योंकि आज उसके पास ट्रैक्टर है और दूसरे खेती करने के आधुनिक साधन हैं। ऐसी दशा में आज वे लोग कहां जायें ? आपने यह साधन तो डेवलप किये लेकिन लैण्डलेस पीजेन्ट्री के लिए कोई इण्डस्ट्रीज लगाई। आपने स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसी दशा में लेण्डलेस पीजेन्ट्री कहां जायेगी ? आपका बजट देहात की एकोनामी पर आधारित होना चाहिए। बड़ी फैक्टरीज लगाने के बजाए काटेज इण्डस्ट्रीज की व्यवस्था होनी चाहिये। आप का बजट हिन्दुस्तान के मजदूरों और किसानों का शोषण करता है। आप हिन्दुस्तान के बड़े बड़े पूंजीपतियों और बड़े-बड़े मिल-मालिकों को छूटें देते हैं। पहले जो ट्रैक्टर 12 या 14 हजार का आता था वह अब 70 हजार का पड़ता है और जो ट्रैक्टर 30 हजार का आता था वह अब एक लाख से ऊपर पड़ता है। किसानों को अपनी जमीन गिरवी रखकर उसको खरीदना पड़ता है।

दूसरी तरफ किसान अपना खून पसीना लगाकर जो कच्चा माल पैदा करते हैं उसको बिचौलिये सस्ते दामों पर लूट लेते हैं। दिल्ली के किसान सब्जी पैदा करते हैं उनके लिये क्या कमी आपने अपने बजट में मुनासिब दाम दिलाने की बात सोची है ? आप आलू की बात ही ले लीजिए। हमारी बहनों को दो, तीन या चार रुपये किलो आलू खरीदना पड़ता है लेकिन

छोटे किसान जब आलू पैदा करके बाजार में लाते हैं तो उसको बहुत कम कीमत मिलती है क्योंकि बिचौलिए उसको लूट लेते हैं। आप किसानों को ऊपर उठाने के लिये बिचौलियों को समाप्त कीजिए।

दूसरी बात यह है कि विकास कार्यों में आप किसान मजदूरों का तालमेल बिठाइये। 19-47 में बिडला की 53 करोड़ की प्रापर्टी थी जोकि आज 1300 करोड़ तक पहुंच गई है। इसी प्रकार से टाटा की प्रापर्टी 70 करोड़ से बढ़कर 1100 करोड़ पहुंच गई है। दूसरी हिन्दुस्तान के किसान, मजदूर और दफ्तरों में बैठने वाले बाबुओं की स्थिति खराब होती जा रही है।

एल० आई० सी० के बारे में आपका रुख देख लिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी, क्योंकि आपका बजट एलाउ नहीं करता है, आपने उनके खिलाफ रिट-पैटीशन दायर कर दी, यह आपके काम करने का तौर-तरीका है। मै आपको सफाई से कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर पूंजीपतियों के पैसे पर हिन्दुस्तान में सत्ता प्राप्त करने की बात करेंगे, तो वह पार्टी कभी भी गरीब और मध्य श्रेणी के लोगों के हित की बात नहीं कर सकती है। चीनी के दाम आज काफी बढ़ चुके हैं। हिन्दुस्तान में मंहगाई जनता पार्टी के शासन में नहीं हुई। आपके पिछले साल के बजट के बाद भी जो साबुन 3.50 रु० किलो बिकता था, उसको आपने आठ रु० किलो बिकवाया ; जो तेल 8 रु० किलो बिकता था, उसको आपने 13-14 रु० किलो बिकवाया। बारोट साहब, मैं आपसे कहना हूं कि यह आपका दूसरा बजट है, लोग पैसा लेकर घूमा करते हैं, लेकिन उनको घी नहीं मिलता है, तेल नहीं मिलता है, लाईन में लगना पड़ता है। आज स्थिति बहुत खराब है, आपके मार्केट की। मंहगाई जिस कदर बढ़ चुकी है, उससे मध्यम श्रेणी के लोगों को रोटी नसीब नहीं होगी।

अन्त में मै फिर देहात के शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनोरिटीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्योंकि मुझे अवसर मिला है वहां पर जाने का। छोटा नागपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ इलाको में मैं घूम कर आया हूं। हम यहां पर बैठे-बैठे उनकी हालात का अन्दाजा नही लगा सकते हैं। मैं कहना चाहता हू कि ऐसे करोड़ों लाखों लोग हैं, जिनको दो वक्त भर पेट रोटी नहीं मिलती है। आपको पंचवर्षीय योजना आपके बजट पर बजट आ रहे हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के करोड़ों-लाखों लोगों को दो वक्त भर पेट रोटी नहीं मिलती है, उनकी संख्या 70 फीसदी हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं, जिनकी आंखों के सामने उनके बच्चे बगैर दवा के दम तोड़ देते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि अपने बच्चों को प्राइमरी का कायदा नहीं दे सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं, यह बात मैं ने पिछली बार बजट पर कही थी कि कब तक आप इन आंकड़ों में क्रोध को छिपाते रहेंगे। यदि आप बड़े-बड़े शहरों में ये सब आडम्बर रचायेंगे तो एक दिन वह आयेगा, फाइनेंस मिनिस्ट रहे न रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी रहे

या न रहे, लेकिन इस सदन में बैठने वाले लोगों को हिन्दुस्तान के लोग बख्शें नहीं। एक दिन वह आयेगा कि आपको और आपको रुलिंग क्लास को, कैपिटलिस्ट क्लास को, फयूडल क्लास को वे लो वे लोग नहीं बख्शेंगे, उनको अपने बच्चों से कहना पड़ेगा कि जो गुनाह हमने किये, तुम इस देश के करोड़ों के लिये नहीं करना।

अभी मैं राजस्थान गया था। कहां है आपको योजना-आज देश को 33 साल आजादी के हो गए, लेकिन वहां पीने को पानी नहीं मिलता है। लाखों करोड़ों लोग बरसात में गड्ढा खोद लेते हैं। यदि किसी परिवार में दस आदमी है, तो पूरे साल में दस आदमियों को कितने पानी की जरूरत होगी उस हिसाब से गड्ढा खोद कर पानी भर लेते हैं और उसी में कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, पीते हैं, पशुओं के लिए उसी पानी का उपयोग किया जाता है। यदि आप पूरे घाट के इलाके में चले जाइये, तो वहां भी हमारी बहनों को आठ-आठ और दस-दस किलोमीटर की दूरी से बहंगियों पर पानी ढोकर लाना पड़ता है, लेकिन आप पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाये।

छोटा नागपुर को देखिए, इन लाखों करोड़ों लोगों को तथाकथित कोई असर नहीं पड़ रहा है। आज भी उन बहनों के पास कोई कपड़ा नहीं है। एक कपड़ा जांघ तक और सामने होता है, उनके खाने के लिए आपको योजना बनानी चाहिये, इसके लिए आपको बजट में प्रावधान करना चाहिए। उनके पास जमीन नही, दुकान नहीं, बस नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं और तमाम दूसरे साधन नहीं, केवल उनके पास एक जंगल का साधन है। आपके सरकार के अफसर उस जंगल की लकड़ी के ऊपर उनकी इज्जत लूटते हैं। उनकी बहू-बेटियों द्वारा मुट्ठी भर लकड़ी लेने पर उनकी इज्जत लूटी जाती है और तब जाकर जंगलों से लकड़ी तोड़ने दी जाती है और उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको उनकी रक्षा के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए, जंगल में कुछ रिजर्व फोर्स का इन्तजार करना चाहिये, ताकि वे अपना जीविकोपार्जन कर सके। आपने 33 साल की आजादी के बाद भी उनकी जीवन को सुरक्षा के लिए कोई प्राव-नहीं दिया, किस प्रकार वे देश के अन्दर जायेंगे। मैं बारोट साहब से कहना चाहता हूं कि आप उन गरीबों के लिए सोचें। यह बड़े-बड़े पूंजीपतियों से जो करोड़ों रुपयों की पूंजी कमा रहे हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगायें, वरना हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग, जिनकी कि नसों में हराम का खून चला जा रहा है, उनकी तिजोरियों में हराम की प्रापर्टी चली गई है, उनके खिलाफ हिंसा के रास्ते पर चलकर उनकी सम्पत्ति को छीन लेंगे और मुल्क में एक क्रांति पैदा होगी। इसके जिम्मेदार आप और हम सब लोग होंगे और कोई भी आने को नहीं बचा पाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

* **श्री के० टी० कोसलराम** (तिरुचेन्दूर) : सभापति महोदय वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

* *तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।*

श्री मगन भाई बारोट जानते है कि कल ही उनके सहयोगी श्री सिसोदिया ने बताया था कि आयकर की बकाया राशि 1,100 करोड़ रुपये है और उन्होंने आयकर विभाग को इस धनराशि को शीघ्र वसूल करने के लिए कहा था।

इस संबंध में आयकर विभाग ने छापे मारे और कुछ दस्तावेज बरामद किये। मद्रास में दो उद्योगपतियों के मकानों और कार्यालयों में छापे के दौरान 750 किलोग्राम चांदी और 140 लाख रुपये के बेनामी शेयर बरामद हुए। इसका समाचार-पत्रों में भारी प्रचार किया गया है। परन्तु इस छापे के बाद क्या कार्यवाही की गई है इसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया है।

हर जगह ऐसे छापे पड़ने के समाचार आ रहे हैं। श्री बारोट तो यहां हैं। श्री वेंकटरामन यहां नहीं हैं। लेकिन चाहे आप कितना भी प्रचार क्यों न करें। लोगों को पता नहीं कि बाद में क्या हुआ।

निपटान आयुक्त बनाये गये हैं। इस अधिकारी के पास बहुत सी गलत शक्तियां भी हैं। यदि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है तो निपटान आयुक्त उस मुकदमे को वापस ले सकते हैं। वह जो मर्जी कर सकते हैं। और लोगों को कुछ पता नहीं चलता इसलिये मेरी सरकार से आग्रह है कि जो कि अन्तिम रूप से दाडिक कार्यवाही की जाये उसके बारे में लोगों को पता लगना चाहिये इसके लिये अधिनयम में जरूरी हो तो संशोधन भी किया जा सकता है।

मुझे इसमें सन्देह है कि क्या आप देश का प्रशासन चला रहे हैं या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय विधि की व्याख्या कर सकता है। लेकिन एक न्यायाधीश ने भी कही था "कौन मूर्ख इन वाहक बन्ध पत्रों को खरीदेगा ? * इसीलिये आपकी यह योजना सफल नहीं हुई है।* न्यायाधीश को ऐसा कहने का क्या अधिकार है। * हमारा निकाय सर्वोच्च है, उच्चतम न्यायालय नहीं। संसद तो लोगों द्वारा चुनी होती हैं। जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में भी एक अधिनियम बना हुआ है, एक समझोता हुआ है। मेरे मित्र उसे भी चुनौती दे सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियमों में स्पष्ट कहा गया है कि विधि न्यायालय में न्यायिक निर्णयों के बारे में सभा में व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती।

* सभापीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री के० टी० कोसल राम : मुझे इस बारे में कम जानकारी है। इसका केवल उल्लेख हुआ है। हमें संसद की शक्तियों का सम्मान करना चाहिये।

श्री ओस्कार फर्नांडीस (उदीपी) : श्रीमन, मैं जानना चाहता हूं कि श्री बसु ने सुबह उच्चतम न्यायालय की तारीफ कैसे की थी।

श्री के० टी० कोसल राम : मुझे बात करने का पता हैं (**व्यवधान**)

श्री सभापति महोदय : आप कृपया सभापीठ को सम्बोधित करो।

श्री के० टी० कोसलराम : आशा है श्री बसु तथा अन्य मित्र देश में निहित स्वार्थों का समर्थन नहीं करेंगे। न्यायालय से उन उन लोगों को व्यादेश मिल जाते हैं कि लाखों लोगों को इस कारण कष्ट होता है। मैंने किसी निर्णय का उल्लेख नहीं किया हैं लेकिन आज आयकर वाले बड़े बड़े लोगों पर छापे मारते हैं। उन्होंने 120 मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं। परन्तु उन्होंने व्यादेश ले लिये हैं। हम ऐसी चीजे कैसे सहन कर सकते हैं। आप इसके लिये कोई रास्ता निकालिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप अब मुझे बोलने देंगे। आप मिश्रित भाषा बोल रहे हैं। अभी आयकर वालों की बात···

सभापति सभा : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो पहले उन्हें बात पूरी कर लेने दें।

श्री मगन बरोट (वित्त मंत्रालय में उप मंत्री) : आपने कम से कम व्यवस्था का प्रश्न उठाना था।

श्री के० टी० कोसल राम : सरकार को इस प्रकार के व्यादेश रोकने के लिये गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिये। यदि विधि में कोई त्रुटि है तो उसे दूर करना चाहिये। छापे के बारे में की गई अन्तिम कार्यवाही लोगों को पता चलनी चाहिये तभी सरकार ने लोगों का विश्वास रहेगा। बेनामी शेयर और बेनामी निक्षेप 140 लाख के पकड़े गये हैं और 750 किलो चांदी की छड़े पकड़ी गई है। पर वह आदमी अभी भी 2 परियोजनाओं का सभापति बना हुआ है। बना हुआ है। 200 करोड़ रुपये की एक एक परियोजनाओं का एस० पी० आई० सी है जो कि संयुक्त क्षेत्र में है। आपके उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। जब उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टि तया मामला है तो आपको उन्हें सभापति पद से हटाने के लिये सम्बद्ध विभाग को लिखना चाहिये था। एक अन्य परियोजना में उनका बेटा सभापति है। आपको उन्हे हटाना चाहिये था।

वित्त मंत्री पूर्ति प्रबन्ध व्यवस्था द्वारा मुद्रा स्फीति रोकना चाहते हैं। पूर्ति प्रबन्ध व्यवस्था का अर्थ है मांग पूरी करने के लिये उत्पादन बढ़ाना। कोयले, बिजली और रेलवे वैगनों की बहुत कमी है। देश में यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। आप मुद्रा स्फीति को यभी रोक सकते हैं तो उत्पादन बढ़ाया जाये। मेरे मित्र ने बैंकों का उल्लेख किया है। आज पता नहीं चलता कि कल बैंक खुलेंगे कि नहीं। कुछ लोगा का ईश्वर में विश्वास है और किसी का अपनी आत्म चेतना में 1978 या 1979 में पार्लियामेंट स्ट्रीट की एक बैंक के प्रबन्धक को बलर्को ने मारा और घेराव किया। यह कानून के विरुद्ध बात हैं। यदि कोई आदमी गलत कार्य करता है तो उसे पद से हटाना चाहिये। देश में बहुत बेरोजगारी हैं। अब आपको केवल कुछ थोड़े से ही लोगों का ख्याल नहीं रखना चाहिये। सैकड़ों शिक्षित बेरोजगारों को भी काम देना चाहिये।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई नीलामी में एक आदमी ने 30 करोड़ रुपये की बोली लगाई। किसी को पता नही इस आदमी के पास इतना पैसा कहा से आया। इसी प्रकार भूमि को बेचा गया है। यह सब पैसा कहां से आता है। आप धारा 54 क के अन्तर्गत पूंजी-गत लाभ ले रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीयकृत बैंक या यूनिट ट्रस्ट में धन जमा करता है तो आप उसे कर ले लेते हैं। मेरा सुझाव है कि इस कर में कमी की जाये।

अब बजट व्यवस्था की बात है। पिछले वर्ष श्री वेंकटरामन ने अपीलीय न्यायाधीकरण गठित करने की बात कहीं थी लेकिन आज तक वह गठित नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ। देश में सब जगह जमाखोर हैं। आपात स्थिति में उन पर काफी शक्ति की गई थी। आज चीनी तथा दूसरी जरूरी चीजें नहीं मिलती लेकिन हम आपात स्थिति नहीं चाहते। वर्तमान निधियों के अन्तर्गत लोगों से निपटा जा सकता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिलीप सिंह भूरिया

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री ने जो फाइनैंस बिल पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी पक्ष के साथी, सीनियर सदस्य माननीय ज्योतिर्मय बसु ने जो भाषण दिया, उसको मैंने बड़े ध्यान पूर्वक सुना।

उनके भाषण में एक बात "घोटाला"- दूसरी बात "स्काच व्हिस्की" और तीसरी बात

उन्होंने चीन की वकालत की। पता नहीं हमारे ज्योतिर्मय बसु जी जब हाउस आते हैं तो कौन सा चश्मा लगा कर आते हैं और जब बाहर जाते हैं तो कौन सा चश्मा होता है। मुझे यह लगता है कि चोर की दाढ़ी में जिस प्रकार तिनका रहता है, उसी प्रकार ज्योतिर्मय बसु हाउस में बात करते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि भारत वर्ष के करोड़ों लोगों की जो समस्याएं है, हम सब मिलकर, हाउस के जितने सदस्य हैं, सब मिलकर बैठते और चर्चा करके कोई हल निकालते, कोई रास्ता निकालते-राजनीति से ऊपर उठकर इस बात पर चर्चा होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास करके किसानों की बात कहना चाहता हूं और वित्तमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों को उन्नति के लिए बहुत कदम उठाए हैं। मैं इस देश के किसान को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने कड़ी मेहनत करके देश की खाद्य समस्या को हल किया है। आजादी के समय हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ के लगभग थी, उस समय हम अनाज का आयात करते थे और देश के लोगों को खिलाते-पिलाते थे। आज हमारी आबादी 68 करोड़ के लगभग हो गई है, लेकिन हमारे किसान मेहनत करके पूरे देश के लिए अन्न पैदा करते है और बाहर से आयात नहीं किया जाता। यह हमारे लिए कितने गर्व की बात है। हमारे किसान बधाई के पात्र है। हमारे ज्योतिर्मय बसु जी किसानों की बात करते हैं और दूसरी तरफ एयर-कंडीशन जगहों में बैठने वालों की बात करते हैं। दोहरी बात इस सदन के अन्दर नहीं चल सकती। इस देश के किसान ने इतनी मेहनत करके इस देश को बनाया है तो अगर हम एयर कंडीशन वालों की बात करेंगे और किसानों तक जब यह बात पहुंचेगी तो फिर हम कहां बैठेंगे, इस बात को हमें सोच लेना चाहिए। ज्योतिर्मय बसु सिर्फ कलकत्ता की बात करते हैं-मैं किसान हूं, खुद खेती करता हूं और जंगल में रहता हूं। मुझे मालूम है कि कितनी मेहनत करता हूं, उसके लिए आज कुछ करने की जरुरत है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ऐसे गांव जो सड़कों से नही जुड़े हैं, जहां स्कूल नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, टेलीफोन नहीं हैं, पोस्ट आफिस नही है, अस्पताल नही है, उनकी ओर हमें ध्यान देना होगा। आजादी के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते चाहे बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में कितनी ही बड़ी-बड़ी बिल्डिगें बना दी जाएं, हम कितने ही ताकत-वर बन जाएं। जब तक धरती के मालिक गरीब किसान की उन्नति नहीं होगी - इस देश की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी को इस ओर

ध्यान देना होगा। उनके मकान पक्के बनाने होंगे, सड़के बनानी होगी, पीने का पानी पहुंचाना होगा।

किसानों के बारे में एक बात और कहना चाहता हू। हमने बैंकों को नेशनलाइज किया है, बैंकों द्वारा बहुत से लोगों को ऋण दिए गए हैं, इन्डस्ट्रीज को फायनांस किया गया है, मगर किसानों को जितना फायदा इनसे होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। आज किसानों को ऋण नहीं मिलता है। बैंकों के एजेन्ट गांव तक नहीं जाते हैं और खाते में फायनांस शो करके ऋण की वापसी शो कर देते हैं। हमें यह देखना है कि जिस तक मदद पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंच रही है या नहीं ? जैसा कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी कहती हैं कि हम गरीबों को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उनके मन में जो तड़प है, जो लगन है, उसको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए हमको ताकत के साथ आगे बढ़ने की जरुरत है।

छोटे किसानों ने बहुत से बैंकों से दूसरे लोगों से कर्ज ले रखा है और वे कर्ज में दबे हुए है। उनके ये कर्ज माफ होने चाहिये। इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के माफ कर देते हैं तो इनके क्यों न करें। पांच दस एकड़ वाले किसानों के जो कर्ज हैं, माफ होने चाहिये। हजार डेढ हजार करोड़ से ज्यादा यह राशि नही होगी।

सब चीजों के लिए आप बीमा करते है। वह इतनी अच्छी फसल पैदा करता है, इतनी मेहनत करता है लेकिन अगर ईश्वरीय प्रकोप हो जाता है, सूखा पड़ जाता है या तूफान आ जाता हैं तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है। इस वास्ते फसल बीमा योजना लागू हो चाहिये ऐसा आपने किया तो वह दुगुना पैदा करके आपको दे देगा। उसके घर का बीमा हो, उसके पशु का बीमा हो, उसके परिवार का बीमा हो। हमारे वसु साहब एल आई सी वालों की बात करते हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि कितने गरीब किसानों की फसल का या कितने गरीब किसानों का बीमा हुआ हैं और उनकी बात वह क्यों नहीं करते है। उन बेचारों ने कभी एल आई सी का अफिस नहीं देखा, पालिसी नही देखी। आपको उनको समझाना होगा। उन्होंने भी देश के लिए कम कुर्बानियां नहीं दी हैं, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में कम हिस्सा नहीं लिया है। उनकी ओर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। शहरों और गांवों के गरीब लोगों को समझाना पड़ेगा तब देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। कुछ राज्य सरकारों ने जो उनके कर्ज को माफ किए हैं वह भी खुशी की बात है।

उनको समय पर बीज मिलना चाहिये, बरसात शुरु होने के पन्द्रह दिन पहले या महीना पहले उनको बीज मिल जाना चाहिये। तभी वह अच्छी फसल पैदा करके आपको दे सकता है।

खाद, डीजल आदि भी पर्याप्त मात्रा में और समय पर देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। तब किसान आगे चल कर देश की तरक्की में भागीदार बन सकता है।

आप योजनाये बनाते हैं। ये जो पहाड़ी लोग हैं, आदि वासी लोग है इनकी तरफ आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये। बसु साहब तो कलकत्ता के रहने वाले है। ये इनकी समस्याओं को नही जानते हैं। मुझे ड़ेढ़ साल इस हाउस में आए हो गया है। एयर कंडिशड कमरों में बैठने वालों की बात तो ये करते रहते हैं लेकिन इन गरीब लोगों की बात नही करते है। ट्राइबल एरिया के लिए ट्राइबल सब-प्लान आपने रखा है। उसमें करोड़ों रूपये की व्यवस्था की गई है। खर्च भी पैसा किया जाता है। यह उसी तरह से है जिस तरह से अगर टायर बर्स्ट हो जाता है, ट्यूब बर्स्ट हो जाती है और उसमें आप कितनी भी हवा भरते जाओ, वह निकलती जाती है, उसी तरह से कुछ कनक्रीट इन लोगों के लिए नहीं हो पाता है। कनक्रीट योजना इनके लिए बननी चाहिये। जो ब्लाक डिवेलेवमेंट के लेवेल पर लोग हैं, ब्लाक अधिकारी आदि हैं उनको ट्रेनिंग देने की जरुरत है। गरीबों को आप ऊपर उठाना चाहते हैं तो दिल से, लगन से इस काम को आपको करना चाहिये और उनको करना चाहिये।

दो साल से मंत्री जी बजट पेश करते आ रहे है। इस अर्से में मंहगाई कुछ बड़ी है, इससे इन्कार नहीं किया सकता है। लेकिन कारण क्या है ? किसान के गन्ने को उसे भी जलाना पड़ा है। हमारे सामने बैठे हुए विरोधी दलों के लोगों ने हमारे किसान को इतना डिसर्सटिस फाइड कर दिया था। उसको खेत में गन्ना जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा था और आज उसका परिणाम भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दो साल पहले जो गवर्नमेंट थी वह नहीं आती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। 1977 में इनकी सरकार बनी थी। उससे पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार थी। तब इंग्लैड के लोगों तक ने यह माना था कि अगर जिस तरह से हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इकौनोमी को सुधार लिया है ऐसी प्रधान मंत्री हमको मिल जाए तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। उन पर तानाशाह होने का आरोप लगाया गया था। लेकिन उन्होने ही 1977 में चुनाव करा कर देश का राज्य खुशी खुशी उनको सौंप दिया था। लेकिन इनसे राज्य चल नहीं सका, इनको राज करना नहीं आया। लोग नाराज हो गए। उन्होंने फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी को दो तिहाई बहुमत दिया और देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपी। उनकी रग रग में प्रजातंत्र भरा हुआ है।

उन पर जो भाई भतीजावाद का या तानाशाह होने को आरोप लगाया जाता है वह गलत और झूठा आरोप है। हम सब यहां बैठे हुए। मैं आदिवासी एरिया से आया हू। इसके पीछे महात्मा गांधी हैं और इस प्रकार हमको प्रजातंत्र में रह अधिकार मिला। आज इस सदन

में बोलने का अधिकार किसने दिलाया ? आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। जिस पार्टी का मैं सदस्य हूं, उसका लम्बा चौड़ा इतिहास है। अगर उसको पढ़ेंगे तो हमारे खून में कांग्रेस पार्टी और इन्दिरा जी है। इस देश के लोगों को अगर खून देने की आवश्यकता है तो वह हम देने को तैयार है।

आज जो हमने रैली निकाली, लाखों किसान किस के लिये इकट्ठे हुए ? हम किसानों का भला करना चाहते है, उनको ऊपर लाना चाहते हैं, उनकी फसल का दाम उनको पूरा मिले।

ये लोग किसानों से दूसरी बात करते हैं और शहरों में दूसरी बात कहते हैं, इनको दोहरी बात नहीं करनी चाहिये। हम देश में खुश हाली लाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पर लाना चाहते हैं।

हमें सब को मिलकर इस बात की प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम हड़ताल और आन्दोलन नहीं करेंगे। आज देश में कौन हड़ताल कर है और कौन आन्दोलन कर रहा है ? गरीब कभी हड़ताल नहीं कर सकता है। उसको बैठकर खाने के लिये दो टूक रोटी चाहिये, आज वह मजदूरी के लिये भटकता फिरता है, विहूसकी पीता है, वह दूसरी बात करता है और हड़ताल करवाता है। उसके लिये जो कानून बने, उसपर हमको सख्ती करनी पड़ेंगी तभी देश ठीक रास्ते पर चल सकेगा।

जो आज बड़े-बड़े लोग हैं जो 15,15 सौ और ढाई-ढाई हजार तमख्वाह लेते हैं वह हड़ताल करवाते हैं। क्या वे लोग देश का प्रतिनिधित्व करते हैं ? मुश्किल से वह 5 परसट लोग होंगे। गरीब लोग मुल्क की आजादी के लिये लड़ रहे हैं। हमको उनके लिये इस हाउस में बैठकर सख्ती से काम करना है, देश को मजबूत करना है। आज यह स्थिति है कि हड़ताल से देश पक्का नहीं बन सकता, मजबूत नहीं बन सकता है। इसलिये इसके बारे में सोचना पड़ेगा, सख्ती से कानून बनाना पड़ेगा और उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी कि वह हड़ताल न करें। तभी हमारा देश मजबूत होगा।

मैं आपका बहुत अधिक समय न लेते हुए धन्यवाद देता चाहता हूं और वित्त मंत्री जी को भी फाइनेन्स बिल के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है उससे इन्दिरा जी नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय

दिया है, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। फाइनेन्स बिल पर बोलते हुए इसक समर्थन करने के लिये में खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो छोटे अखबारों पर कर लगाया था वह हटा दिया है दूसरे जो काला धन बनाने वाले है उनके और मूवेबल और इम्मूवेबल प्रापर्टी के बारे में वह एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहते हैं जिससे काला धन बनाने वाले जो कोई रास्ता ढूंढ निकलते हैं, उनको कड़ी सजा दी जाये।

अपने देश में हम देख रहें हैं कि काश्मीर में या श्री नगर में इनकम टैक्स के लिये एक आफिसर ने रेड डालने की कोशिश की तो जब कोई काला धन निकालने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी हल्ला हो जाता हैं। वहां सैंट्रल सिक्योरिटी फोर्स वाले भी कुछ लोग थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि जो लोग काला धन पैदा करने वाले हैं, उनको भी इस देश में संरक्षण देने वाले हैं। जब तक हम इस पर कार्यवाही नहीं करेंगे, हमारा देश का काम नहीं चलेगा। आज हमारे में फाइनेन्स मिनिस्टर और देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इन लोगों को ठीक रास्ते पर लाने का काम शुरु किया है। मैं हिम्मत के साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस सदन में हमारे साथी हमेशा गरीबों का नाम लेते है मैं उनसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि आप देहातों में जाइये, रिसर्च कीजिये गरीब जो आज तक गरीब है हिन्दुस्तान में अनार्की की तरफ चल रहा है।

गरीब क्या चाहता है, उन्होंने इन्दिरा जी को पावर इसलिये दी है कि बड़ी सख्ती से कार्यवाही कक के इस देश को चलना जरूरी है। यह जो ढ़ीलाढाला काम चल रहा है, इसे गरीब नहीं चाहता है। जो भूखा होता है गरीब होता है, वह आन्दोलन नहीं करता है, भूखा जो होता है गांव वाला होता है, स्लम एरिये में रहने वाला होता है। इसलिये वह कड़ी कार्यवाही चाहता है। वह सोच रहा है कि हमारी बहिन जी ढीलीढाली क्यों चल रही हैं, सख्त कार्यवाही क्यों नहीं करती। में विरोधी दल के भाइयों से कहता हूं, में उनके साथ चल सकता है वह गरीबों की झोपड़ी में चले और देखें कि गरीब क्या सोचता है वह एमर्जेन्सी और तानाशाही का नारा लगा कर जो आप एटेट्स को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसलिये यह डिस्टर्बड बिल ठीक करने के लिये लाया जा रहा है। इसका विरोध कर के इससे देश की इकनामी आगे बढ़ने वाली नहीं है कोई आन्दोलन हो उससे कठिनाई, भूखे रहना पड़ता है गरीब को।

वे कहते हैं कि किसानों को अपने उत्पादन के ठीक दाम मिलने चाहिए। वे कहते हैं कि उन

गन्ने के दाम ज्यादा मिलने चाहिये, लेकिन चीनी सस्ती होनी चाहिए। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि चीनी पंद्रह, बीस रुपए किलो बिके। लेकिन आज लेवी चीनी का बंटवारा करने वाले कौन हैं ? मैंने देखा है कि तीन चार महीने से हर स्टेट को एलाटमेंट की हुई है, लेकिन कोई स्टेट नही उठ रही है। कई स्टेट्स में प्राइवेट ट्रेडर्ज को एजेन्ट मुकर्रर किया हुआ है और ट्रांसपोर्ट तथा बंटबारे का काम उन्हें दिया हुआ है · स्टाक पिछले साल से ढाई लाख टन ज्यादा हैं, तो हमें चीनी की इम्पोर्ट करने की जरुरत नहीं है।

लेकिन लेवी चीनी का बंटवारा जिस ढंग से होना चाहिए, उस ढंग से नहीं हो रहा है। इस लिए गांव की राशन की दुकानों में चीनी नहीं मिलती है। इस रेकर्टिंग को करेक्ट करना होगा। राज्य सरकारों को लेवी चीनी के ट्रांसपोर्ट और बंटबारे का काम प्राईवेट ट्रेडर्ज द्वारा न कराके खुद करना चाहिए :

श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि अगर क्राफ्ट आफ प्राड़क्सन को एग्जामिन किया जाये, तो चीनी दो रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा। अगर वह गन्ने के दाम 26 से 30 रुपए क्विन्टल देते हुए दो रूपये किलो चीनी दे सकें, तो मैं उन्हें अपना गुरू मानने के लिए तैयार हूं। गन्ने और चीनी के कास्ट आफ प्राडक्सन एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। जब हम किसानों को गन्ने, गेहूं और चावल के ठीक दाम देना चाहते हैं तो वे दाम बढ़ने वाले हैं। जहां किसी भी स्टेट में शुगर प्राडक्शन का टारगेट पूरा नहीं हो सका है, वहां महाराष्ट्र मे उसको ऐक्सीड किया है, क्योंकि वहाँ पर किसानों को गन्ने के दाम अच्छे मिलते हैं, उन्हें उचित सुविधाएं मिलती हैं, किसान हिम्मत और मेहनत के साथ काम करते हैं और सहकारी समितियां भी ठीक काम करती हैं।

आज हमारे देश में सहकारी समितियों को बदनाम करने का एक षडयन्त्र चल रहा है। हम इस बात से सहमत हैं कि जो ठीक काम नहीं करते हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जाय, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हैं। हम पब्लिक सैक्टर को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन चूंकि वह ठीक काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह घाटे में चल रहा हैं और उसकी क्रिटिसिज्म होती हैं। अगर हम सर्तक और सावधान नहीं रहेंगे, तो प्राईवेट सेक्टर हमारी एकानोमी और दूसरे क्षेत्रों में मानोप्लाईज करेगा। अगर लेवी चीनी के बंटबारे में सुधार किया जायेगा तो मुझे उम्मीद हैं कि चीनी के दाम सात, साढ़े सात रुपए किलो से ऊपर नही जायेगे और वह लोगों को ठीक तरह न मिल सकेगी।

हमारे देश में जाली नोट का काम बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा। पार्लियामेंट और अखबारों

में इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मैं हवाई जहाज से बम्बई गया, तो सान्ता कुंज पर एक आदमी ने मुझे बताया कि हमारे देश में, और खास कर कलकत्ता में— वह कलकत्ता का रहने वाला था — बहुत ज्यादा जाली नोट आ रहे हैं। उसने मुझे पांच और दो रुपए के नोट दिखाए मेरे पास उन नोटों के नम्बर और उस आदमी का नाम भी हैं।

जिन लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता हैं, नियमों के अनुसार उनके सामान की ठीक तरह से चेकिंग नहीं कीजाती हैं। इसी लिए यहाँ पर नोटों का स्मगलिंग होता हैं। इसलिए हर एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले व्यक्ति के सामान की पूरी चेकिंग होनी चाहिए और किसी को इससे एग्जेम्प्शन नहीं मिलनी चाहिए। कोई कहता है कि ये जाली नोट चाहना से आते हैं कोई कहता है कि अमरीका से आते हैं। जब तक हिन्दुस्तान में जाली नोट रहेंगे, तब तक वित्त-मंत्री और रिजर्व बैंक चाहे कितने कड़े कदम उठायें-वे बैंकों से ऋण देना कम करें या नान प्रायर्टी सैक्टर से 21 परसेंट से भी ज्यादा इन्ट्रेस्ट लें-, उससे काम नहीं चलेगा। जाली नोट आने से काले धन में वृद्धि होती है। बजट के समय मंहगाई 13.5 परसैंट थी, जब कि आज वह 18 परसेंट है। उसका कारण काला धन है। इस लिए यह जरुरी है कि 100 रुपये के नोटों का डीमानिटाइजेशन किया जाये, उन्हें बिल्कुल रद्द कर दिया जाए। इससे काले धन में कुछ कमी होगी। पांच और दो रुपये के नोट रद्द करने से गरीब लोगों को कष्ट होगा, लेकिन इस बारे में कोई दूसरा रास्ता ढूढना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमने जाली नोटों, फेक करेन्सी, के बारे में सीरियसली नहीं सोचा है। तो मेरे ख्याल से इस एकोनामी को और इस देश को बड़ा खतरा है। विदेशों की जो एर्जेसीज देश में काम करती हैं वह इसी ढंग से काम करती हैं। देश की एकोनामी और गरीबी का फायदा उठा कर कुछ न कुछ बहाने बना कर वह काम करने की कोशिश करती हैं। इस लिए इस बारे में कुछ न कुछ करना जरुरी है। पिछले पन्द्रह दिन में कलकत्ते में, बम्बई में, हैदराबाद में और कई कई रेड्स हुए हैं। कई जगह केसेज पकड़े भी गए हैं ···(व्यवधान) मे दो तीन मिनट मे समाप्त कर दूंगा।

एक बात क्रेडिट सिस्टम के बारे में कहना चाहता हूं। किसान के लिए अभी भी क्रेडिट बहुत कम मिलता है। मैं वित्त मंत्री से विनती करूंगा कि जो छोटे किसान है, एक या चार प्रतिशत उनका इन्टेरेस्ट होना चाहिए और जो उनको पैइंग कैपेसिटी हैं। विशेष कर छोटे किसान की उसके हिसाब से तो वह एक साल में वापस नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए तीन साल ग्रेस पीरियड रखें। इस तरह उसमें कुछ न कुछ सुधार करना जरुरी हैं। नेशनलाइज्ड बैंकों का जो इन्टरेस्ट रेट हैं और कोआपरेटिव का जो इंटोस्ट रेट हैं वह एक ही होना चाहिए।

वह जो चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं यानी तीन महीने बाद, 6 महीने बाद इन्टरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ मिला कर फिर उसके ऊपर इन्टरेस्ट लेने की जो कोशिश नेशनैलाइज्ड बैंकों की तरफ से हो रही हैं उसके कारण जिस किसान ने नेशनलाइज्ड बैंक से ऋण लिया उसका दस हजार का पचास हजार बन गया, तब भी वह डिफाल्टर हैं। जो कोआपरेटिव सैक्टर के बैंक हैं वह साल में एक दफा इन्टरेस्ट लेते हैं और प्रिंसिपल से कभी इन्टरेस्ट को मिलाते नहीं हैं। कोआपरेटिव बैंक के अन्दर प्रिंसिपल और इन्टरेस्ट यह दुगुना हो जाता हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाता। यहां प्रिंसिपल किसान को बचाने के लिए और खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए अपनाना पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलने वाला हैं।

अभी सोशलिज्य की बात कही गई। लेकिन अमेरिका की मदद से चाहना प्रोग्रेस कर रहा हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका कब से सोशलिज्य का रास्ता कैसे दिखा रहा हैं ?

एक बात ट्रस्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं। आपने ट्रस्ट्स के बारे में कुछ बहुत अच्छी बात कीं हैं, टैक्स लगाया हैं लेकिन अभी आप सोच रहें हैं कि उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ इजाजत दें। जहां जहां उत्पादन बढ़ाने की संभावना हैं वहां ट्रस्ट्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इजाजत दें लेकिन ये ट्रस्ट्स किस के हैं ? जो कम्पनियों के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनके और उनको फैमली के ये सब ट्रस्ट्स हैं। इन ट्रस्ट्स में पैसे इकट्ठा करते हैं, शेयर खरीदते हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी पाबन्दी टैक्स की वजह से लग गई हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात हम क्यों करतें ? इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो बैकवर्ड एरियाज में जाय, वहां जाय जहां इन्फ्रस्ट्रक्चर तैयार करने की जरुरत है। लेकिन ये जो बड़े बड़े उद्योगपति फैमिली के ट्रस्ट बना रहे हैं इन को कर्व करने की बिलकुल जरुरत है, ऐसा मैं मानता हूं। इसके बिना काम नहीं चल सकता।

स्मगलिंग और रेड्स के बारे में यह कहना चाहता हूं कि ये जो रेड्स करने वाले आफिसर्स हैं उनको सब से ज्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए फिजिकल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए और बाकी उनकी कभी छोटी मोटी गलती भी हो जाय तो भी उसकी प्रोटेक्शन दिए बिना वे ठीक से रेड नहीं कर सकेंगे। मगर आज रेड्स से कितना रुपया आया ? केवल 47 करोड़ आया। क्यों इतना थोड़ा आया ? पिछले साल कितना हुआ था ? 30 टन तो चांदी पकड़ी थी, यह मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आप ने बताया था। यह जो स्मगलिंग चल रहा हैं ? यह क्यों चल रहा हैं? सोने के भाव दुनिया में ज्यादा हैं, यहां भी ज्यादा हैं। यहां क्यों ज्यादा हैं ? ये जो स्मगलिंग

करने वाले लोग हैं और सर्राफा करने वाले हैं इनके उपर आप का क्या चेक है?

अभी कैपिटल फार्मेशन का एक नया तरीका आया है ब्लैक मनी के लिए। किसी की लड़की की शादी हो जाय तो बोलेंगे कि 15 लाख डोनेशन मिल गया। उनका इम्मीडिएट कैपिटल फार्मेशन हो गया। लड़के की शादी हुई, 20 लाख रूपया आ गया, कैपिटल फार्मेशन हो गया। यह ब्लैक मनी को व्हाइट करने का तरीका है। इसको भी चेक करना जरुरी है। आप इसको भी चेक करने जा रहे हैं या नहीं ?

एक बात उद्योगनीति के सम्बन्ध में बोल कर समाप्त करूंगा। आप को जरा ऐग्रो इंडस्ट्री के बारे में देखना चाहिए। लेकिन उसके पहले यह जो बनामी ट्रांजेक्शंस सब जगह हो रहे हैं जिसमें लेने वाले के हाजिर रहने को जरुरत नहीं होती, केवल बेचने वाले को दस्तखत करना जरुरी होता है, इसको भी देखने की जरुरत है। आप को सोचना चाहिए कि जो वोटर्स है हिन्दुस्तान के उनके लिए आप फोटो सहित आइडेंटिटी कार्ड लगाने की बात कर रहे हैं लेकिन ये जो ट्रांजेक्शंस करने वाले है, बिक्री करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, बैंकों में जमा करने वाले हैं उनके लिए भी फोटो के साथ आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। यह जरुरी है क्योंकि उसके जरिए से पता चल जायगा कि उनका बेईमानी का व्यवहार है या कैसा व्यवहार है झूठा व्यवहार या सच्चा व्यवहार हैं ? हम इतने बड़े देश में वोटर के लिए फोटो की और आइडेंटिटी कार्ड की बात सोच हैं लेकिन जो झूठा व्यवहार करते हैं और ब्लैक मर्किटिंग करते हैं उनके लिए यह करना बिलकुल जरुरी मानता हूं।

जहां तक एग्रो इन्डस्ट्रीज का सम्बन्ध हैं, में खास तौर से पेपर के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। देहात में जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, चाहे बगास है या रा स्ट्रा है उसकी बेस पेपर इन्डस्ट्री की स्थापना की जा सकती है और इस सम्बन्ध में 30 टन की क्षमता वाली इन्डस्ट्री को एक्साइज कन्सेशन देना जरुरी होगा बल्कि 100 परसेन्ट कन्सेशन देना आवश्यक होगा। आप ने पहले सफेद कागज के लिए कन्सेशन दिया है लेकिन आपने छोटी और बड़ी यूनिट में कोई अन्तर नहीं रखा है। मैं समझता हूं जब तक आप छोटी और बड़ी यूनिट में अन्तर नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा।

फोरम फार फ्री एन्टरप्राईज, फोरम फार सोशलिज्म- ऐसे फोरम्स की बातें हम सुनते

है। फोरम फार फ्री एन्टरप्राइज के नाम पर कम्पनी वाले काफी पैसा खर्च करते हैं और जबर्दस्त लाबिंग करते हैं। उसकी ओर से वार आफ पोस्टर्स, वार आफ बुक्लेट्स का सिलसिला चलता है आखिर यह पैसा कहां से आ रहा है इस बात को भी देखना चाहिए।

आजकल एअर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की बाते सभी जगह चल रही हैं। सरकार ने यह नीति भी बनाई हैं कि आगे आने वाली इन्डस्ट्रीज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही पोल्यूशन रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन जो पुरानी इन्डस्ट्रीज है उनके द्वारा हो रहे पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई न कोई फंड बनाकर उनके ऊपर कम्पलशन होना चाहिए ताकि वाटर ऐंड एयर पोल्यूशन को रोका जा सके आज देहातों में डिस्टलरीज चल रही है जिनके कारण सैकड़ों गांवों में पीने का पानी होते हुए भी वह पीने के लायक नहीं रह गया है।

इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि सोलर एनर्जी की ओर भी सरकार विशेष से ध्यान दे। आज कैवलकुलेटर या कुछ दूसरी मशीनें बन रही हैं, सरकार का ध्यान उस ओर विशेष रुप से जाना चाहिए। इस प्रकार सोलर एनर्जी के विकास, पोल्यूशन को रोकने पर ध्यान देने के साथ साथ किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहकारी बैंकों की तरह से सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

श्री काली चरण शर्मा (भिन्ड) : माननीय सभापति महोदय, अब 6 बजने को है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरा भाषण आज पूरा नहीं हो सकेगा इसलिए मुझे कल भी समय दिया जाए।

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वित्त विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है उसका हार्दिक समर्थन करता हू। साथ ही साथ में कुछ बातें भी वित्त मंत्री जी की नोटिस में लाना चाहता हूं जो कि हमारे देश की एकोनामी के लिए बहुत आवश्यक हैं।

आप देखेंगे कि आजादी के बाद हमारे किसानों ने अन्नोत्पादन इतना बढ़ाया कि बाहर से अनाज मगांने की आवश्कता नहीं रह गई। मैं कहना चाहूंगा कि बजट बनाने वाले हमारे वित्तमंत्री जी को यह बात सोचनी चाहिए कि हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित हैं। करोड़ों किसान अपने परिवार का भार खेती के सहारे ही उठाते हैं। आज करोंड़ों खेतिहर मजदूर ऐसे हैं जिनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है। यह बात सही है कि आप

इकायक कोई इतनी बड़ी योजना प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं जिससे कि सारे देश की बेकारी दूर हो जाए लेकिन अगर उन गरीब खेतिहर मजदूर को एक-एक अच्छी नसल की गाय या भैंस मिल जाए तो वे दूध का व्यापार करके पांच व्यक्तियों के परिवार का भरण—पोषण कर सकते हैं। इश देश की 80 फीसदी ग्रामीण आबादी को अधिक सुविधा यें पहुंचाने की आवश्कता है । आप उनके लिए जो भी योजनायें बनाते हें, वह चाहे डेरी की योजना हो या कोई दूसरी योजना मैं आप को बताना चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी ने डेरी योजनाओं की काफी आलोचना की है।

आप जिलों में कोआपरेटिव डेयरी बनाते हैं और दूसरी दुग्ध उत्पादन के लिए बढ़ोतरी के लिए योजनायें बनाते हैं। उनमें आफिसेस और गाड़ियों और उनके कर्मचारियों पर डेर—सारा खर्च होता है। जरुरत इस बात की है कि गरीब किसान जिसके पास पैसा नहीं है। जिसको कि गाय और भैंस खरीदने के लिए कर्जा मिलना चाहिए और इसके साथ-साथ उसको बैंक की गारन्टी भी पशु से होनी चाहिए तथा उसके दूध को खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी माननोय प्रधानमंत्री श्री मती इंदिरा गांधी ने इस वर्ष गन्ने की कीमत किसानों को अच्छी दिलाई है और अगले साल शुगर की समस्या भी हल होगी और आमे उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके साथ-साथ आपने अभी दूध गेंहूं आदि के भाव जितने होने चाहिए उतने नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आप दूध के भाव भी बढ़ायें। बैंकों के द्वारा उसको भैंस ओर गाय आदि खरीदने के लिए पैसा दिया जानाचाहिए। चाहे वह आदमी कितना ही गरीब हो ।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कालीचरण शर्मा आप कल भाषण जारी रख सकते है हमें नियम 193 के अधीन चर्चालेनी है।

———

देश की अखण्डता के विरुद्ध कथित षड़यंत्रों से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा लेंगे। श्री मनीराम बागड़ी।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में कहीं खालिस्तान का नारा, कहीं अकालिस्तान का नारा, कहीं उत्तरैयों का सम्मेलन हो रहा है, कहीं भूमिहार-ब्राह्मणों का मनहूस सम्मेलन हो रहा है, कहीं गोरखैंड की बात हो रही है, कहीं मुस्लिम होम-लैंड की बात कही है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आज पहली दफा भारत की सबसे ऊंची और पवित्र पंचायत अपने राष्ट्र के सामने अपना जो पुराना फैसला है, उसको दोहरा रही है। मैं चाहूंगा कि आज अच्छे तरीके से इस पर चर्चा चले। यह किसी एक पार्टी का सवाल या व्यक्ति का सवाल नहीं है, यह किसी एक मजहब या धर्म का सवाल नहीं है यह किसी जात का सवाल नहीं है, यह सवाल राष्ट्र का सवाल है और राष्ट्रविरोधी तत्व का सवाल है। मैं दावे के साथ कहता हूं हमारी लोकसभा राष्ट्रवादी लोकसभा है, इसलिए सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास होना चाहिए। आज इस देश के अन्दर पृथकतावादिता और राष्ट्रविरोधता नहीं चलेगी - यानि जो राष्ट्र को तोड़ने वाले हों या अलगाव वाले लोग हों, उनकी नीतियां राष्ट्र पर नहीं चलेंगी और भारत को आगे नहीं तोड़ने दिया जाएगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अमलियत से आंखें मूंदी नहीं जा सकती है। जब हमारा जनतान्त्रिक देश है, तो इसमें हमको अपने और अपने राष्ट्र के अन्दर जो बुराइयां आती हैं, उनको विचार से, उनको राष्ट्र के सामने रखकर उनको हटाना पड़ेगा। हमारे यहां सिर्फ बन्दूक, पिस्तौल या डंडे के जोर से अगर कोई काम करना चाहे, तो वह नहीं हो सकती है। जिन देशों में सिर्फ गोली की सरकार है वहां सिर्फ गोली से काम चले, लेकिन भारत में जनतान्त्रिक पद्धति है, इसमें बोली का ज्यादा असर है और लोकसभा की बोली व्यक्तिवाद की बोली के मुकाबले ज्यादा कारामद है जो इस देश को आगे बढ़ा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस लड़ाई में मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। यह लड़ाई देशी और विदेशी दिमाग की लड़ाई है। आप देखिये–वर्मा को हिन्दुस्तान से अलग किया गया - कौन सा दिमाग था ? विदेशी दिमाग था। छोड़ दो उन सब बातों को...उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये, मेरी आदत है जो चेअर पर बैठते हैं मैं उनकी तरफ ध्यान रखता हूं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ज्यादा नहीं बोलना।

श्री मनीराम बागड़ी : ज्यादा बोलूंगा, इतना ज्यादा बोलूंगा कि अजीर्ण हो जायगा, पेट में दर्द भी उठेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आज तो आप बड़ी शाइस्तगी से बोल रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : इस लिये कि तुम्हारे दिमाग में शाइस्तगी है। जब ना-शाइस्तगी आयेगी तब उस को भी दबाऊंगा।

मैं कह रहा था कि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के झण्डे तले सारे राष्ट्रवादी लोग आजादी

की लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। 3 जून और 14 जून, 1947 के प्रस्ताव को पढ़ लीजिये। मैं आपके माध्यम से सारे राष्ट्र और सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। उस प्रस्ताव में जो कहा गया था वह यह था—

"कांग्रेस ने अपने जन्म काल से एक संयुक्त आजाद हिन्दुस्तान का संकल्प किया था, वह उसके लिये वचनबद्ध है और दुनिया की कोई ताकत उसके भाग्य में आड़े नहीं आ सकती। इतिहास ने, भूगोल ने, समुद्र और पहाड़ ने हिन्दुस्तान को एक बनाया है।"

इस के आगे डा० राम मनोहर लोहिया के वाक्य जुड़ते हैं—हम ने जिस संयुक्त आजाद हिन्दुस्तान का सपना देखा है वह सदा सर्वदा हमारे दिमाग में रहेगा।

इसके आगे आते हैं—हमारे स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू के वाक्य-वे जोड़ते हैं- "किन्तु आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के 3 जून, 1947 के प्रस्ताव को मान लेने के बाद हमारे देश के कुछ हिस्सों को हमसे जुदा होना पड़ेगा। मौजूदा जोश जब ठण्डा हो जायगा तब एक राष्ट्र का सिद्धान्त चूरचूर हो जायगा और जो मजहब के आधार पर राष्ट्र है वह बिल्कुल खत्म हो जायगा।"

इस प्रस्ताव के अन्दर एक तरफ गांधी जी बोल रहे हैं; गांधी जी का दिमाग था, फिर डा० लोहिया का दिमाग था और दूसरी तरफ पृथकतावादी दिमाग था जिससे राष्ट्र के दो टुकड़े हुए। हिन्दू और मुसलमानों के बीच आपस की चाकू और तलवार की लड़ाई न हो, इस डर से हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हुए, लेकिन उसका आज क्या नतीजा निकला, आप देख रहे हैं। मैं यहां पर यह भी कह दूं कि जिन लोगों ने उस वक्त इस नीति के आधार पर इस राष्ट्र को दो राष्ट्रों में बांटा, जिन्होंने दो कौमों की थ्यौरी को माना, उसके परिणाम स्वरूप वह मुल्क भी बच नहीं सका, पाकिस्तान भी टूटा। जो उस वक्त मजहब के नाम पर राष्ट्र बनाने की बात करते थे, वे भी अपने को बचा न सके।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं जो स्वदेशी और विदेशी दिमाग, मजहब के नाम पर राष्ट्र बनाने वाले दिमाग हैं, चाहे वे हिन्दुस्तान के अन्दर किसी मजहब के नाम पर राष्ट्र बनाने की बात करते हों, चाहे हिन्दू राष्ट्र की बात करते हों, मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हों, सिख राष्ट्र की बात करते हों, किसी मजहब या जाति के नाम पर अपने आपको राष्ट्र मानने की बात करते हैं-वे राष्ट्रद्रोही हैं, वे दिमाग देशी नहीं हैं, विदेशी दिमाग हैं, गुलाम दिमाग हैं।

सन् 1947 में यह भी कहा गया था कि राजपूताना राजपूतों का, महाराष्ट्र मराठों का, पंजाब सिखों का, यानी तरह तरह के पृथकतावादी नारे चलते रहे। लेकिन जरा सोचिये कि ये प्रश्न क्यों उठते है। पृथकतावादी जो तोड़ने वाले हैं

उस के लिए अगर सबसे बड़ीजिम्मेदारी होगी, तो किसकी होगी ? जो शासन पर बैठता है, जिस के पास शक्ति है, जो शक्ति से शासन चलाता है, उस की होगी। अब ये जो शक्तिवाले हैं, कहीं न कहीं राष्ट्रीय दिमाग के साथ उन के अन्दर विदेशी दिमाग की गुंजाइश भी रहती है। आप सोचिये 1931-32 की बात। गांधी जी ने जब मरणव्रत किया, तब डा० अम्बेडकर के साथ

पूना पैक्ट हुआ। पहले डा० अम्बेडकर मिलने नहीं जा रहे थे लेकिन आखिर गये क्योंकि उनका दिमाग रा ट्र य था और पूना पैक्ट हुआ लेकिन एक बात डा० अम्बेडकर ने बापू से कहा कि क्या हिन्दुस्तान का हिन्दू, हिंदुस्तान के अछूतों को, हरिजनों को इस तरह से मिलाने के लिए तैयार है जिस तरह से पानी में शक्कर मिल जाती है। इस पर बापू ने कहा, हां। उसके बाद बापू ने एक जोरदार आन्दोलन चलाया इस सवाल को लेकर कि छुआछूत खत्म हो। जब बापू जी बनारस के अन्दर आये, तो वहाँ पर हिन्दू महासभा के एक सदस्य ने बापू के गले में जूतियों की माला डाली। उस वक्त श्री राजनरायण और ऐसे ही नौजवान आगे बढ़े। अब वह दिमाग कौन-सा था ? वह हिन्दू राष्ट्र का दिमाग था, वह एक स्वदेशी दिमाग था, जिस ने जूतियों की माला उतारी। राजनरायण ने और दूसरे जिन नौजवानों ने यह काम किया, वह दिमाग एक जाति-तोड़ दिमाग था, एक हिन्दू राष्ट्र का दिमाग था, एक स्वदेशी दिमाग था और उन देशद्रोही लोगों ने जिन्होंने जूतियों की माला पहनाई, वह एक विदेशी दिमाग था।

अब आप आज की हालत को देख लीजिए। गुजरात में क्या हुआ है। किस शासन और शक्तियों ने जाति के आधार पर गुजरात में आग लगाई है और इस देश के अन्दर आग लगाई है और किस देश में, जिस देश में गांधी हुए हैं, आज वे ही शक्तियाँ फिर काम कर रही हैं। गोडसे ने गाँधी को मारा लेकिन गांधी के सिद्धान्तों को नहीं मार सका। शरीर से गांधी जी चले गये लेकिन उनके सिद्धान्त की ज्योति जलती रही। गांधी जी के जन्म स्थान पर यह सब कुछ जो हुआ है, उस के लिए मैं वहां की सरकार और वहाँ के आज के मुख्य मंत्री को जिम्मेवार ठहराता हूँ। गांधी जी के सच्चे भक्त के साथ जो पूना पैक्ट हुआ था, उसकी आत्मा को इन वर्षों के साथ जालिम जातिवाद और राष्ट्र विरोधी ताकतों ने खुलेआम नंगा नचा कर के सताया है और हरिजनों को काटा है, जलाया है। इन विदेशी दिमाग वालों ने सत्ता को साथ लेकर, शक्ति को साथ लेकर, ऐसा किया है। रिजर्वेशन का जो सवाल था, वह तो पूना पैक्ट के आधार पर आता है। रिजर्वेशन का यह मतलब नहीं है कि वह रिजर्वेशन कागजों में धरा रहे। कितने प्रान्त हैं, जिन्होंने इस को किया है और किस हद तक किया है। अगर नहीं किया है तो यह शासन की जिम्मेदारी है, वह इस के लिए दोषी है और वह शासन चाहे किसी भी पार्टी का हो, उस शासन का दिमाग गाँधी का दिमाग, जयप्रकाश नारायण का दिमाग, डा० लोहिया का दिमाग, राष्ट्र वादी दिमाग नहीं है। वह स्वदेशी दिमाग नहीं है बल्कि वह विदेशी दिमाग है, जो ईस देश के अछूतों को, हरिजन कहलाने वालों को, उनके अधिकारों में समानता न लाए और जाति को तोड़ न दे। इसलिए वहां पर क्या हुआ। वहां पर अछूतिस्तान का नारा क्यो लगा। गांधी जी ने उस नारे को तोड़ा था और पूना पैक्ट हुआ था। 30 साल के बाद गांधी जी के देश में गांधी के नाम लेवा शासन में इतना जुल्म हुआ हरिजनों पर, इतने हरिजनों को मारा गया, जलाया गया जिसका कोई हिसाबों नहीं है। उनके घरों को जलाया गया और एक मेम्बर लोकसभा के, जो इसी सदन के मैम्बर हैं, उनके घरों को जलाया गया। काश आज गाँधी जी होते। नैआखाली में जब आग लग रही थी और यहां जश्न मन रहा था। वहां गांधी जी फिर रहे थे। आज गांधी जी की शक्ति कहाँ थी राजनरायण में, जो वहां पर गये थे। राजनरायण में इतना दम कहां था जो गांधी बनकर वहां कुछ करता।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समूची पार्लियामेंट इस देश के लिए बहुत अच्छा कारगर हथियार साबित हुई। जब सारे देश में आग लग रही थी, गुजरात उस आग में जल रहा था और उसकी प्रचण्ड आग बढ़ रही थी, तब यह सदन बोला और सब ने इकट्ठे होकर और एक आवाज के साथ एक बात कही और उसका असर हुआ।

जो यह कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ, वे पागलों की दुनिया में बसते हैं। जब सदन ने यह फैसला कर दिया तो वह सारे राष्ट्र को छू गया, वह सारे राष्ट्र के दिमाग को छू गया। राष्ट्र से गांधी जी की आत्मा फिर जागी और फिर और राक्षसी शक्ति जो अछूतों को डरा और नष्ट करना चाहती है वह टूटी। लेकिन यहां के मुख्य मंत्री की यह हिम्मत कैसे हो गयी कि वह यह कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर एक कमीशन बनाया जाए जो इसकी जांच करे। आपने अच्छा किया कि इसकी अनुमति नहीं दी। अच्छा होता कि लोक सभा में ऐसे लोगों को निन्दित किया जाता। इसका यहां प्रस्ताव होता तो कुछ न कुछ और बात बनती।

उपाध्यक्ष महोदय, अछूतों, हरिजनों के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम उनके लिए अब तक क्यों नहीं कार्य कर पाए। याद रखना कि सबसे ज्यादा पापी वह है जो हिन्दू राष्ट्र की बात है, जो ऊंचे कुल के राष्ट्र की बात करता है, जो क्षत्रिय राष्ट्र की बात करता है, ब्राह्मण राज की बात करता है। वह इस देश का दिमाग नहीं, गांधी का दिमाग नहीं, वह इस देश के किसी सिद्ध-पीर लोगों का दिमाग नहीं बल्कि वह देश द्रोही, अंग्रेज, विदेशी का दिमाग है। वही दिमाग यह बात कर सकता है। (व्यवधान)

जो मुसलमान मुस्लिम होम लेण्ड की बात करता है, जो सिख खालिस्तान की बात करता है, जो अछूत अछूतिस्थान की बात करता है, जो हिन्दू राष्ट्र की बात करता है, या जो धर्म और मजहब के नाम पर राष्ट्र को तोड़ने की बात करता है मैं उन सभी की घोर निन्दा करता हूं और उन्हें विदेशी दिमाग करार देता हूं। लेकिन जो सिख, मुसलमान, अछूत, गरीब, हरिजन और सभी छोटे-मोटे लोगों पर अत्याचार करता है उसको भी मैं विदेशी दिमाग करार देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, खालिस्तान की चर्चा चल रही है। हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं। इनको कोई काम नहीं मिला लेकिन इनके खिलाफ इलजाम लगा कि ये सरदार गंगा सिंह ढिल्लों जो कि अमरीका से चल कर यहां आये, से हरियाणा में गुप्त रूप से मिले। क्यों मिले, कैसे मिले, यह तो ही जान सकते हैं। मैं तो इतना ही मानता हूं कि अगर यह इलजाम झूठा भी हो तो भी हिन्दुस्तान के गृह मंत्री जैसे आदमी के खिलाफ ऐसा इलजाम लगना कि वे गुप्त तौर पर उनसे मिले, यह कोई अच्छी बात नहीं है और हमारे गृह मंत्री यह कह कर अपना पिंडा छुड़ा लें कि मैं नहीं मिला, यह भी सही परम्परा नहीं है। यह इलजाम लगाने वाला एक जिम्मेदार मेम्बर है और इस सदन का मेम्बर है और वह एक पार्टी का अध्यक्ष भी है।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : नाम बोलो।

श्री मनीराम बागड़ी : श्री अटल बिहारी वाजपेयी। (व्यवधान) मैंने कब उसको सही या गलत कहा। याद रखना कि मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि हिन्दुस्तान के गृह मंत्री के खिलाफ इस

तरह का इलजाम लगे कि वे किसी विदेशी या विदेशी एजेन्ट से मिले। यह एक शर्म की बात है मैं इसे खुशी की बात नहीं मानता। हिन्दुस्तान का घर मंत्री सिखों का अछूतों का हरिजनों का, भारत के हर नागरिक का हमदर्द है लेकिन वह हिन्दुस्तान की जमीन को तोड़ने वाले का, चाहे वह कोई भी हो, हमदर्द नहीं हैं। (व्यवधान) न जाने कितने घर मंत्री आये, कितने चले गये। कल के घर मंत्री आज पुलिस वालों से पिट रहे हैं और आज के घर मंत्री का कल क्या होगा यह कोई नहीं कह सकता।

आज मजलूमों पर जुल्म होता है

हम मजलूम हैं इस मजलूम देश के और इस जुल्म की मैं घोर निंदा करता हूं।

खालिस्तान का नारा सिखों की तरफ से आया। हिन्दुस्तान में अगर कोई कौम-परस्त है और भारत का साथ है तो वह सिख है। जितने भी युद्ध हुए, सब में वह अगुआ रहा है और दूसरी तरफ पंजाब के खेतों में मेहनत से काम करता है। युद्ध में दुश्मनों का दुश्मन बन जाता है। पंजाब में रहने वाली मां के चारों बेटे फौज के अन्दर हैं। तो यह खालिस्तान का नारा सिख की तरफ से नहीं है, विदेशी दिमाग ऐसा कर रहे हैं। हां उसकी छोटी-मोटी तकलीफें हो सकती हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

दोषी कौन है? जगजीत सिंह—रोज विलायत से जाता-आता रहता है। कभी दरबार-साहब में आकाशवाणी लगा देता है, सांठे जी की आकाशवाणी फेल और जगजीत की आकाश वाणी लगेगी और खालिस्तान से हवाई-जहाज बनकर पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से में इंटरव्यू देता है और आनन्दपुर साहब की वाणी पाकिस्तान के प्रेसीडेंट देते टी०वी० हैं और फिर वह भारत में आता है। क्या उनको कोई पूछने कहने वाला नहीं है फिर चक्कर चलाकर वे चले जाते हैं। गंगासिंह ढिल्लों कौन है? यहां आया और चला गया, सुना है कि उनसे बातचीत हुई। इसकी असलियत को समझना पड़ेगा, लेकिन सिखों की जो तकलीफें हैं उनको भी समझें। एक तरफ तो हरिजनों के लिए, मुसलमानों के लिए रिजरवेशन नहीं कर सकते और अगर किया भी है तो सिर्फ कागजों पर किया है और दूसरी तरफ सारी हिन्दुस्तान की फौज में बहादुर सिख लड़ता है, हरियाणा का लड़ता है, राजस्थान का लड़ता है और रिजर्वेशन 5 परसेंट से आगे नहीं जा सकता—तो क्या ये मन्दिर में टल्ली बजाने वाले हिन्दुस्तान को बचाएंगे—यह क्या कर रहे हैं आप? देखिए, उनके अन्दर उत्साह होता है जो वे इस देश को बचाया करते हैं, लेकिन आप उनके उत्साह को तोड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा सिख है इसलिए आपने रिजर्वेशन पर पाबन्दी लगा दी लेकिन अगर आपने पाबन्दी लगा दी और कहते हैं कि सिख सबसे ज्यादा हैं तो क्या कोई जनरल बना क्या अब तक? (व्यवधान)

आनन्दपुर साहब की बात बताना चाहता हूं। आप क्यों सिखों के धार्मिक स्थानों में दखल दे रहे हैं, क्या मतलब है आपका मतलब है आपका आनन्दपुर साहब के अन्दर जत्था गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी भेजती थी, उसमें सरकार ने टांग अड़ा दी? क्या करते हैं आप? उनका यह एक

धार्मिक काम था। आप आनन्दपुर साहब में जा रहे है, सरकार काम तो आपसे संभाला नहीं जाता। कोई सवाल पूछते है तो कहते हैं कि अभी रिपोर्ट नहीं आई और अब गुरुद्वारे का काम भी आपने ले लिया।

1980 में पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री की तरफ से एक सर्कुलर निकला है, जिसमें कहा गया है कि सरदार साहब के बजाए "श्री" लिखा करें—सरदार न लिखा करें। मुझे कोई मतलब नहीं है अगर इतना हम इस देश में कर दें मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा भारत बन जाए कि नाम से और शक्ल से कोई यह न जान सके कि यह हिन्दू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, लेकिन इसके तो बहुत कुरबानी की जरूरत पड़ेगी, बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी। इस काम के लिए महल के अन्दर शोषण करने वाला नहीं बैठेगा।

श्री जैलसिंह : शेव करना छोड़ दो और एक से बन जाओ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप जैसे रंगीन मिजाज शेव करना छोड़ते नहीं हैं।

नाइट क्लबों में विदेशों में जब जाते हो तब यह सब भूल जाते हो, क्या यह भी इतिहास नहीं है? गांधी जी कहा करते थे कि आजादी के वास्ते अगर बस चले तो मैं हर घर में एक सिख बना दूं। लेकिन सिर्फ दाढ़ी से सिख नहीं बनता। इस में कुछ मन का भी रोग है

श्री दिलीपसिंह भूरिया : (भगवुआ) गुरुमंत्र ले लो सरदार साहब से।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आपको और सरदार साहब को दे दूं, मेरे से ले जाओ मंत्र। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी शिकायतें सुनी जानी चाहिए। कितना रुपया आप देते हैं? 190 करोड़ में से पंजाब को एक परसेंट ही आप देते हैं. उसकी तरक्की के वास्ते एक परसेंट ही देते हैं। क्या यह नाइंसाफी नहीं है? थी। प्राजेक्ट को रुके हुए बीस साल हो गए हैं। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गंगा का पानी फिजूल जा रहा है। पाकिस्तान में जा रहा है। उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर दस गुना महंगा उनको पानी दिया जाता है। पंजाब के लोगों को जायज तकलीफें है, दुख है। उनको आपको देखना होगा। उन पर आपको विचार करना होगा।

मुसलमानों की तरफ आएं। मुरादाबाद में क्या हुआ? क्यों वहां पर मुसलमानों को कत्ल किया गया? कौन दोषी था। मुसलमानों के वास्ते होम लैंड की मांग के पीछे जो दिमाग है, वह विदेशी है। उस विदेश दिमाग को बनाने में सरकार की शक्ति का दुरुपयोग भी शामिल है? जब वहां कत्लेआम हो रहा था मुसलमानों का तो क्यों नहीं आपने हिम्मत के साथ जुर्रत के साथ इसको रोका। आपने कह दिया कि विदेशी तातें मुसलमानों को उकसा रही है।

पृथकतावादी शक्तियों को मैं कह देना चाहता हूं कि वे कान खोल कर सुन लें कि सिख कभी हिन्दुस्तान के प्रति गद्दार नहीं हो सकता। सिख किस का है? बाबा नानक का है, गुरु गोविंद सिंह का है। खालिस्तान का फर्जी नारा देने वाले समझ लें कि दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा मिसाल नहीं मिलेगा जो सिखों के इतिहास में मिलती हैं। क्या कहा गया है उनके इतिहास

में ? कहा गया है जान अपनी और कार्य पराया। गुरुगोविन्द सिंह साहब नौ वर्ष के बच्चे थे। तब उन्होंने हिन्दुस्तान के मजलूम लोगों के लिए कुर्बानी दी।

उनके पिता गुरु तेग बहादुर कहते हैं, जाओ अपना शीष कटाओ दिल्ली में इस वास्ते कि जान अपनी और कार्य पराया स्वयं को और अपने चार साहिबजादों को, नन्हे-नन्हे बच्चों को उन्होंने कुर्बान कर दिया। शहीदी प्राप्त करावने वह खुद गए। इस वास्ते सिख कभी भी देश के प्रति गद्दारी नहीं कर सकता।

हाँ, उनको मजबूत मत करो। तकलीफ दूर करो। एक खुमैनी भी है और नाम उनका इंदर सिंह है। उन्होंने भी वही खालीस्तान वाली बात कही है। अच्छे पागल दिमाग वाले हैं। विदेशी दिमाग चल रहा है।

कुछ लोगों में मतभेद हो सकते हैं, मत अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन बुनियादी चीज को समझना पड़ेगा। गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। उस रास्ते पर उनको जाने के लिए मजबूर आप न करें। जो उनकी तकलीफें हैं उनको आप दूर करें। इन्सानी जिन्दगी की आप कद्र करें। सम्पत्ति के शोषण को आप रोकें। सम्पत्ति किन लोगों के हाथ में है ? अछूतिस्तान की मांग के पीछे भी विदेशी दिमाग है। हम नहीं चाहते कि सरकारी कर्मचारियों की जायज माँगों को न माना जाए। अवश्य माना जाए। लेकिन हम नहीं चाहते कि विदेशी दिमाग से काम हो। पन्द्रह आदमी कत्ल दिए गए। उनकी लाशें एक तरफ है और रुपया एक तरफ तो जो विदेशी दिमाग है वह पैसे की तरफ जाएगा, लाशें उठाने की तरफ नहीं जाएगा। एक करोड़ एक तरफ हो और एक बच्चे की जिन्दगी बचाने का सवाल दूसरी तरफ हो तो राष्ट्र का दिमाग बच्चे की जिन्दगी को बचाने की तरफ जाना चाहिए।

यह देशी और विदेशी दिमाग की बात कहता है।

मैं घर-मंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा कि आप पिंड मत छुड़ा जाना, आपकी आदत है कि कुछ थोड़ी सी बात मजाक में कहकर कुछ शेर कहकर आप टाल जाते हैं। मुझे इस बात पर बड़ी तकलीफ है इस बात पर नहीं कि आप हो, अगर होते, तो कम तकलीफ थी। आपकी है सेवा खत्म थी, आपकी भी वैसी ही थी जैसी खालिस्तान का नारा देने वाले की। लेकिन आप नहीं हो, यह मानकर चल रहा हूं, लेकिन फिर यह कहना कि मैं नहीं हूं, यह कोई जवाब नहीं है आपका। राष्ट्र के सामने यह आपकी कोई दलील नहीं है। इसके लिए आपको सबूत देना पड़ेगा। इस लिए सबूत नहीं देना पड़ेगा कि आप मुलजिम हो, आपको सजा हो रही है जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार के सब पदार्थ मुझको मिल सकते हैं और मैं भोग सकता हूं लेकिन अगर मैं कर्मों से पतित होकर भोगूंगा तो सारा राष्ट्र और समाज पतित हो जाएगा।

जो घर-मंत्री की गद्दी पर बैठा हो, उस पर बहुत बड़े राष्ट्र-द्रोह का आरोप लगता हो और उसका भी यह कहकर जवाब दे कि मैं नहीं मिला और मुझ से बात नहीं हुई, यहां पिंड छुड़ा जाता हो, तो यह इतिहास के अन्दर मशकूक रहेगा। आने वाली सन्तान उसे देखेगी। जो इति-

हास इस देश के गुरुओं ने, उनको मानने वालों ने, उनके पीछे चलने वालों ने बनाया था, उनके ऊपर भी आप थोड़ा बहुत बोझ बनोगे, उनके मददगार नहीं बनोगे।

मैं सब पार्टियों के साथियों से, समूचे सदन से कहूंगा कि यह प्रस्ताव पास होकर जाना चाहिए और सर्वसम्मति से जाना चाहिए। कुछ भाइयों ने राय दी कि अगर सर्वसम्मति से हो गया तो पक्ष-विपक्ष क्या हुआ? पार्लियामेंट क्यों हुई? पार्लियामेंट का यह मतलब थोड़े ही है कि हम कहें रोटी खानी है तो कांग्रेस वाले कहें कि नहीं खानी है। या हम कहें कि नहीं खानी है तो कांग्रेस वाले कहें कि खानी है। यह कोई बात नहीं है।

मैं चाहूंगा कि पृथकतावादी लोगों के खिलाफ एकमत लिया जाए और कम-से-कम अकाली, मुसलमान, पिछड़े हुए लोगों का सवाल या मजहब का सवाल कोई राष्ट्र थोड़े ही हो जाता है। भारत विभिन्न मजहबों का राष्ट्र है, यह ईसाई, पारसी गुरु गोविन्दसिंह के खालसा मुसलमान और समूचे धर्मों का भारत है। यह एक मजहब और धर्म का भारत नहीं है। सबसे खतरनाक, खालिस्तान का नारा तो नकारा नारा है, लेकिन हिन्दू राष्ट्र का नारा देने वाले सबसे ज्यादा विदेशी दिमाग और खतरनाक हैं। इनको भी आप भूलना मत।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस पर आप सोच-समझकर इस प्रस्ताव को पारित करें। जो शिकायत पंजाब के लोगों को सिखों को है धार्मिक मामलों में दखलंदाजी है, आप उसको मिटाने की कोशिश करें। सरदार में और श्री में क्या फर्क पड़ता है इसमें कोई ऐसी चीज है। आनन्दपुर साहब की बात, फौज की बात या पैसा खर्च करने की बात थी, न डैम की बात इसमें क्या होता है। इधर मुसलमानों की शिकायत है। 15 दिन से मुसलमान की 15 साल की लड़की गुम हो गई। ज्ञानी जी यह कितने ही झगड़े चलते हैं लेकिन यह छोटी छोटी बातें जहर बन जाती हैं। इसलिए सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कीजिए।

अगर कहीं शक्ति चल सके तो यह गुजरात में शेर की तरह चलाओ शेर नीचे पड़ना तो बहुत आता है, बहुत सों का काम है, लेकिन सिंह के ऊपर बैठकर सिंह की नाक में नकेल डालना बहादुरों का काम होता है। गद्दी से जो चिपके बैठ रहे, हरिजनों और शोषितों पर जुल्म हो, इस आधार पर आप इस्तीफा दे देते, पर नाकारा होकर आप यह काम नहीं कर सकते।

याद रखिए पिपरा कांड, आगरा में जनता रिजीम में भी जो अछूत मर गए थे, वह भी इसकी एक कड़ी है। जुल्म जुल्म है, चाहे किसी के राज में हुआ हो। बाबा नानक वाली बात है—

हाकिम चोर मुसद्दी कुत्ते, जाग जगा थां थां सुते। यह हालत है, इसको समझकर करिए वरना वक्त सबको बतलाएगा। मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्पत्ति से पास कर आप जायें। इससे देश के लोगों को राष्ट्रवादी लोगों को ताकत मिले और पृथकतावादी शक्तियों को हराया जा सके चाहे वह हिन्दू हों, मुसलमान हों या सिख हों। फिरकापरस्त, ना-बराबरी, बेईमानी और जुल्म के ढेर के ऊपर यह कीड़े-मकोड़े की तरह पनपा करते हैं। अगर इन बुराइयों को

मिटा दिया जाए तो यह कीड़े मकौड़े और मक्खी खत्म हो जायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुख की बात है कि हमें इस माननीय सदन में देश में पृथकतावादी प्रवृत्तियों के बारे में बात करनी पड़ रही है। अभी मैं आ रहा था, तो इस देश के एक साधारण व्यक्ति ने मुझ से कहा कि इन बातों को लोक सभा में लाने का अर्थ केवल ऐसे लोगों का महत्व बढ़ाना है, और इस लिए यह नहीं होना चाहिए। मैं भी समझता हूं कि इतना बड़ा जो सदन पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी धर्मों के मानने वालों सभी भाषाएं बोलने वालों, सभी नस्लों और सभी क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके किसी माननीय सदस्य के ख्याल में भी यह बात नहीं आ सकती है, कोई सोच भी नहीं आ सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता है कि देश का कोई भाग पृथक हो सकता है, या उसको पृथक करने की बात कही जा सकती है।

मैं माननीय बागड़ी जी की बड़ी इज्जत करता हूं। वह बहुत भले आदमी हैं। उनके दिल में गरीबों, पिछड़े लोगों और अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा प्यार है, इस देश की एकता के लिए बड़ा प्यार है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, जब उन्होंने चरित्र-हत्या के तौर पर गृह मंत्री पर आरोप लगाया—इतना बड़ा आरोप कि इस देश के गृह मंत्री ने खालिस्तान की मांग करने वालों से बातचीत की। (व्यवधान) मैं यह नहीं कहता कि यह आरोप बागड़ी जी ने लगाया। जिसने भी लगाया, उन्हें यह कहना नहीं चाहिए था कि इस साजिश में वह शरीक हैं। वह गौर करें कि इससे एक मामूली सी बात का महत्व कितना बढ़ गया है। (व्यवधान) उन्होंने कहा है कि और लोगों ने कहा है, जो हिन्दू राष्ट्र की बात कहते हैं। उनकी बात को कह कर बागड़ी जी ने उसको महत्व दिया है। उन्हें यह बात इस सदन में नहीं कहनी चाहिए थी। इससे मुझे दुख हुआ है और उन्हें भी दुख होना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : जब उन्होंने कहा ही नहीं है, तो दुख किस बात का ?

श्री जैनुल बशर : आज खालिस्तान का मामला इतने महत्व का नहीं है। अगर दो चार सिर-फिरे लोग यह बात कहते हों, और वह बात अखबारों में आ जाती हो, तो हमें उसको इतना महत्व नहीं देना चाहिए। इस देश में सिख, बहादुर सिख हमेशा से राष्ट्रीवादी रहे हैं। वे इस देश की राष्ट्रीयता के प्रमुख अंग हैं। जब भी विदेशों में सिखों की वेश भूषा, दाढ़ी और पगड़ी, देखी जाती है,तो लोगों को हिन्दुस्तान याद आता है। हमें और आपको देख कर कोई हिन्दुस्तान नहीं समझ सकता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी या किसी दूसरे देश के रहने वाले भी समझे जा सकते हैं लेकिन एक सिख को देखकर कहा जा सकता है कि वह हिन्दुस्तानी है। जैसा कि मैंने कहा है, सिख हमारे देश की राष्ट्रीयता का एक प्रमुख अंग है। वह हमारी सरहदों पर बसा हुआ है, हमारी सेनाओं में काम करता है, अच्छा टेकनीशन है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और हमारे देश की तरक्की में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देश के सब से अमीर राज्य का वह रहने वाला है और उस राज्य को अमीर बनाने में भी उस सिख का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सिख पृथकवादी नहीं हो सकता। खालिस्तान कुछ सिरफिरे लोग मांग क्यों कर रहे हैं इस

के पीछे कुछ कारण हैं। उन कारण को देखने के लिए हमें केवल खालिस्तान नहीं बल्कि आसाम की तरफ भी जाना पड़ेगा। हमें नागालैंड की तरफ भी जाना पड़ेगा, हमें नार्थ ईस्ट स्टेट्स की तरफ भी जाना पड़ेगा और हमें माफ कीजिएगा, तामिलनाडु की तरफ भी जाना पड़ेगा। हमें उन संगठनों को भी देखना पड़ेगा, उन राजनैतिक दलों को भी देखना पड़ेगा जो धर्म के नाम पर स्थापित हुए हैं, जो नस्ल के नाम पर स्थापित हुए हैं, जो एक संस्कृति की बात करते हैं, जो एक भाषा की बात करते हैं, उन की तरफ भी हमें जाना पड़ेगा और जो क्षेत्रीयता की बात करते हैं उनकी तरफ भी हमें जाना पड़ेगा। इस किस्म के संगठन देश की एकता के लिए घातक हैं इस किस्म के संगठन देश की एकता खतरा पहुंचाते हैं। राजनैतिक आधार पर संगठन बने, आर्थिक आधार पर संगठन बने सामाजिक संगठन बने, इस से किसी को एतराज नहीं हो सकता। क्या इतिहास का वह दुर्भाग्य पूर्ण पन्ना हमभूल सकते हैं जिनसे इस देश के बटवारे में हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे धर्म संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कांग्रेस का इतना बड़ासंगठन जो एक देश की, एक राष्ट्रीयता की बात कर रहा था उन धर्म संगठनों की धारा को रोक नहीं पाया। छोटे छोटे संगठन थे मुस्लिम लीग और हिन्दू महा सभा, ये कोई बड़े बड़े संगठन नहीं थे लेकिन हम उनको रोक नहीं पाये, उन भावनाओं को उन जजबातों को रोक नहीं पाये। तो हमें इन संगठनों से सचेत रहना है। उनके पास आर्थिक कार्यक्रम हैं नहीं, राजनैतिक कार्यक्रम है नहीं, उन की निगाह में पूरे देश का नक्शा है नहीं, उनकी निगाह में केवल या तो धर्म की बात है या क्षेत्र की बात है, या नस्ल की बात है और उसी को उजागर करके उसी से भावनाओं को भड़का कर वे चुनाव भी लड़ते हैं। कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं और जब उन के अंदर मतभेद हो जाता है, तो एक दूसरे से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पंजाबी के अकाली दल में दो ग्रूप हो गए, जब वह आपस में लड़ने लग गए तो एक ने कहा कि हम और आगे जाते हैं। एक कहता है पंजाबी स्टेट और सिखों की बात, दूसरे ने कहा कि नहीं, आजाद खालिस्तान होना चाहिए ताकि सिखों कि भोली भाली जनता की भावनओं को उभाड़ सके।

यही हाल तामिलनाडु में है। आज दो क्षेत्रीय संगठन जब आपस में जोरदार तरीके से लड़ते हैं तो एक ज्यादा उग्र हो जाता है हिन्दी का ज्यादा विरोधी हो जाता है, राष्ट्रीयता का विरोधी हो जाता है और उन भावनाओं को उजागर करने की कोशिश करता है। इसी तरह से मिजोरम में, अरुणाचल में या नागालैंड में जो अलग-अलग पृथकवादी ग्रुप में है वह आपस में जब लड़ते हैं तो वे लोगों की भावनाओं की ज्यादा उभाड़ने की कोशिश करते हैं।

इन सब से बड़ा खतरनाक दल और संगठन जो कि एक हमारे देश में है जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है वह पूरे देश में हिन्दू राष्ट्र की बात करता है जबकि यह देश हिन्दू का भी है, मुसलमान का भी है, आप एक संस्कृति की बात करें, अगर आप केवल एक ही भाषा की बात करें, केवल हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान की बात करें तो दूसरे लोगों पर इस की क्या प्रतक्रिया होगी ?

इसका क्या असर होगा ? इस काम अमल में लाने के लिए आप लाठी, चाकू भाला गड़सा चलाने की ट्रेनिंग दें, जगह जगह पर आम पैरा-मिलिट्री ट्रेनिंग दें तो उनका क्या असर पड़ेगा। इस देश के दूसरे लोगों पर क्या असर पड़ेगा ! जाहिर है कि उनके दिल में पृथकतावादी भावना पैदा

होगी इसलिए यह संगठन को धार्मिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर बनाए गए है, एक नस्ल एक भाषा या एक कल्चर के आधार पर बनाए गए हैं उनसे हमको सजग रहना चाहिए।

हमारी कांग्रेस एक पार्टी है, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का जो योगदान रहा वह हम सभी जानते हैं। कांग्रेस ने इस देश की एकता में जो योगदान किया है वह हम जानते हैं कांग्रेस के झंडे के नीचे देश के प्रत्येक क्षेत्र के नागरिक -तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग, हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी -इकट्ठे हुए इस देश की एकता में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस एक ऐसा संगठन रहा है जोकि देश के एक एक कोने में मौजूद है एक एक गांव में मौजूद है, एक एक मोहल्ले में मौजूद है। (व्यवधान) मैं तो कहूंगा जहां कांग्रेस नहीं मिलेगा वहां देश नहीं मिलेगा। आप तो देश के हर कोने में हर जगह कांग्रेस मिल जायेगी। कांग्रेस ही इस देश की एकता को एक सूत्र में बांधने वाला संगठन रहा है और आज भी है। जनता पार्टी कानून तौर से आ गई थी और उसने सरकार भी बना ली थी तथा शासन भी कर रही थी लेकिन क्या नैतिकता के आधार पर जनता पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार नहीं था? जनता पार्टी के अधिकतर लोग उत्तरी भारत के राज्यों से जीत कर आए थे उत्तर भारत उत्तर भारत में आबादी ज्यादा है, सीटें भी ज्यादा हैं इसलिए जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिल गई थीं लेकिन दक्षिण का प्रतिनिधित्व जनता पार्टी में था? दक्षिण भारत चार पाँच राज्यों से किती सदस्य जनता पार्टी में चुनकर आए थे? जनता पार्टी की सरकार केवल उत्तरी भारत के लोगों की सरकार थी, उसमें दक्षिण भारत का कोई कट्टिव्यशन नहीं था? दक्षिण भारत का उसमें कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन आज की सरकार के जो लोग इस ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हैं उनमें एक एक को आप गिन लिजिए, कोई केरल का है, कोई कर्नाटक का है, कोई पंजाब का है, कोई अरूण चल प्रदेश का है और कोई असम का है। आज सारे प्रदेशों के लोग कांग्रेस बेंचेज पर बैठे हुए हैं। इस सरकार को ही सही साधनों में राष्ट्रीय सरकार कहा जा सकता हैं। जनता पार्टी की सरकार कभी भी राष्ट्रीय सरकार नहीं थी।

इसलिए उपाध्यक्ष जी, हमको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि इस देश में राष्ट्रीय और आर्थिक आधार पर ही संगठन बनाए जायें चाहे वह राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन हों या शिक्षा के क्षेत्र में संगठन हों। धार्मिक आधार पर, नस्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार बनाए गए संगठनों के खिलाफ हमको व्यापक रूप से प्रचार करना चाहिए और लोगों के दिल में यह भावना भरनी चाहिए कि यह संगठन इस देश की राष्ट्रीयता के खिलाफ है, इस देश अखण्डता में बाधक हैं। अगर जरूरत पड़े तो सरकार को कानून बना करके इनकी कार्यवाही को रोकना चाहिए।

1976 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमाते इस्लामी के विरूद्ध कानून बना था, उनके कार्यकलापों, उनकी एक्टिविटीज कोर्बन किया गया था लेकिन 1976 से लेकर अबतक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमाते इस्लामी में क्या परिवर्तन आया?

जो काम हमारी सरकार ने 1976 में किया था, वह काम इस समय क्यों नहीं करते हैं। अगर उनका जो काम उस समय था, वही काम इस समय है, तो अगर आवश्यकता हो और अगर

वे ज्यादा खतरनाक खेल खेल रहे हों और खेलने के मूड में हों, तो उनके लिए कानून बनाकर उनके कार्य कलापों को, उनकी एक्टिविटीज को हम रोक देना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, यह देश एक है, दुर्भाग्य से इसके कुछ हिस्से अलग हो गए है, लेकिन जो अभी बचा है यह देश एक है। भारत एक है और भारत एक रहेगा। महात्मा गांधी कहा करते थे कि यह देश एक ऐसी फुलवाड़ी है जिस में रंग-बिरंगे फूल खिले हुए हैं और इन रंग-बिरंगे फूलों के होने से ही इस फुलवाड़ी की शोभा है, खूबसूरती है। आज हमारे देश में यूनिटी-इन-डाइवर्सिटी है हम अनेक भाषाए बोलते हैं, हमारा पहनावा अलग-अलग है हमारी वेशभूषा अलग अलग है हम अनेक धर्म के माननेवाले, लेकिन भारतीयता की बात सबके साथ है। हम एक राष्ट्र हैं, हम सब भारत के अंग है, भारत माता के पुत्र हैं और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, मुझे दुख हो रहा है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं हम ने इस बात को महसूस किया है और मैं पुनः दोहराता हूं कि ऐसे संगठन जो राष्ट्रविरोधी कार्यकलाप कर रहे हैं, धर्म के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर या भाषा के आधार पर, उनके खिलाफ यदि आवश्यकता हो तो तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए, तथा उनके विरोध में देश के अन्दर एक वातावरण पैदा करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि नेशनल इन्टीग्रेशन के लिए अलग से एक मिनिस्टर होना चाहिए जो इस बात देखे कि किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रीमिनेशन तो नहीं हैं। इन सब बातों को देखने के लिए एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए। अभी वैसे हमने गुजरात के मामले में प्रस्ताव पास किया था, उसी दृष्टिकोण से मैं आज वागड़ी जी का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि हम को ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिए कि भारत एक देश है और भारत एक देश रहेगा। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : 20 माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। सामान्यतः यह चर्चा एक घण्टे तक होती है लेकिन मैं सभा से पूछना चाहता हूं कि वह कितनी देर तक बैठना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : हम कल तक चर्चा कर सकते है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम स्थगित नहीं करेंगे। इसे पूरा करना ही है। प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलना है अतः एक सदस्य 5 मिनट तक बोलें और अपनी बात कहें। प्रस्ताव पेश करने वाले को आधे घण्टे से अधिक समय दिया गया है।

श्री रसीद मसूद : 5 मिनट में तो सारी बात कहना बहुत कठिन है। कम से कम 10 मिनट होने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है 10 मिनट के लिए सहमत हूं। हम कब तक बैठेंगे ?

श्री बापू साहिब परूलेकर : 200 मिनट लगेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे आज ही पूरा करना है। प्रत्येक सदस्य 7 से 8 मिनट ले सकता है। श्री रसीद मसूद

श्री रसीद मसूद (सहारन पुर): मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, अभी जनाब जैनुल बशर साहबकी तकरीर सुन रहा था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई शायद इस मुल्क के अलहदगी-पसन्द ताकतों के खिलाफ कोई रेजोल्यिूशन होने के बजाय कांग्रेस पार्टी के मुफाद में कोई रेजोल्यूशन इस पालियामेंन्ट में जेरे-बहसहै और उस पर तकरीर हो रही है। मुझे इस से कोई इतिलाफ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की एक सुनहरी तारीख है इस मुल्क के लिए कांग्रेस पार्टी की इखिदमात है लेकिन कौन सी कांग्रेस पार्टी, कब से कब तक इस मुल्क की खिदमत में लगी रही, कब से कब तक इस मुल्क के टुकड़े करने की तरफ अपने कदम बढ़ाती रही है—अब में इस के बारे में बतलाऊंगा।

इस मुल्क पर आर्यो का हमला हुआ, कुशकों क हमला हुआ, हुणों नें हमला किया,यूनानी आये मुहम्मद गजनवी आया, अंग्रेजों ने हमला किया, गर्जेकि किसी ने भी हमला किया हो, इस मुल्क केअवाम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इस मुल्क के अवाम इस मुल्क की हुकूमत में हिस्सेदार नहीं रहे है। यही वजह है कि आज 30–32 साल की आजादी के बाद भी हम एक कौम की हैसियत से उभर कर आगे नहीं आ सके है। इस की वजह यह है कि कुछ खास लोगों को इस मुल्क की जिम्मेदारी दे दी गई, चन्द खास लोग इस मुल्क का डिफेन्स करेंगे, नतीजा यह हुआ कि जो भी यहां आया उसने कब्जा कर लिया और हम लोग अपने आप को डिफेण्ड नहीं कर सके।

आज मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है यह बहुत सीरियस मामला है। इस पर पार्टी के मफादात से ऊपर उठ कर सोचना चाहिए। इस लिये कि यह सिर्फ खालिस्तान का मामला नहीं है, असम में एक तहरीक चल रही है, उडीसा में सन—आफ—दि सायल की तहरीक चली जिसके तहत मारवाड़ियों को वहां से निकालने की बात आई, उत्तर-प्रदेश और हरियाणा के लोगों पर भी जुल्म हुआ। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी जगहों पर यह बात चलने लगी है कि जब दूसरी जगहों पर सन-आफ-दि सविल की बात चलने लगी है तो उत्तर प्रदेश में भी जो बाहर के, दूसरी स्टेट्स के लोग बस गये हैं उन को भी यहां से निकाला जाय। इसी तरह से कुछ और नये मसले खड़ हो गये हैं—जाति को लेकर, हरिजनों के रिजर्वेशन को लेकर ऊंची जातियों और बैकवर्ड क्लासेज को लेकर, मुसलमानों या दूसरी ताकतों को मिला कर—इस तरह का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। इस तरह की लड़ाई को अगर हम ने सीरियसली नहीं लिया, इसके खिलाफ सोच-समझ कर कदम न उठाये गये तो इस के नतीजे इस मुल्क के लिये बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। यह सब इसलिए है कि हम लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी वाले हों या इधर के लोग हों अपने पार्टी मुफाद को इस मुल्क के मुफाद के मुकाबले, ज्यादा प्रिफरेंस देने की आदत में मुबतला हो गये हैं।

अभी जनाब जैनुल बशर साहब ने कहा कि इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मजहब के नाम पर जुबान और कल्चर के नाम पर हुकूमत कायम करना चाहते हैं। यकीनीतौर पर हम सब को ऐसे लोगों के खिलाफ, खवाह वे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों या मजहब के नाम पर हुकूमत कायम करना चाहते हों, या किसी खास बिरादरी के नाम पर हुकूमत कायम करना चाहते हों, या किसी वर्ग या क्लास के नाम पर हुकूमत कायम करना चाहते हों— उनकी गजमम्त करनी चाहिये, उन के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिये। लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहब, यह पालिसी समझ में नहीं आती है कि जब वही शख्स किसी खास पोलिटीकल पार्टी या सोशल आर्गेनिजेशन से मुताल्लिक होता है तो हमारे मेम्बर उसकी गजमम्त करते हैं, उस को कहते हैं कि यह मजहब की बात करता, हैजुबान की बात करता है, कल्चर की बात करता है, लेकिन मुझे बद किस्मती से कहना पड़ता है कि जब वही आदमी रूलिंग पार्टी के अन्दर आ जाता है, तो मैं नही समझता कि एक दिन के अन्दर या एक रात के अन्दर वह ट्रान्सफार्म हो जाता है। अगर किसी दुसरी प्रार्टी से आकर वह कांग्रेस (आई) कीपार्टी ज्वाइन्ड कर लेता है तो एकदम से बदल जाता है और सैकूलर हो जाता है।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा): गंगा में मिलने के बाद वह नाला नही रह जाता है।

श्री रशीद मसूद: यहां मैं कहता हूं कि गंगा में मिलने के बाद कोई नाला नहीं रहता है लेकिन हमारी गंगा हिन्दुस्तान है, हमारी गंगा कांग्रेस(आई) नहीं हैं हिन्दुस्तान की तहजीब जो है, वह गगा-यमुना का तमुद्दन है तहजीव है और उस में मिलने के बाद कोई अलग चीज नहीं रहतेहैं। एक पार्टी से निकल कर अगर कोई दूसरी पार्टी, में चला जाता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसी बात कही है कि वह सैकूलर हो जाता है या बिल्कुल बदल जाता है। मैं आप को बताता हूं। कि आप की गवर्नमेंट में वे लोग भी हैं, जो आर० एस० एस० में रहे हैं। पांच ऐसे मिनिस्टर हैं और एक मिनिस्टर तो ऐसे हैं जिन्होंने सन् 1971 में हैदराबाद में तकीरर करते हुए कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि मुसलमानों के कानों में सीसा पिघला कर डलवाया जाए क्योंकि रेडियो पाकिस्तान सुनते हैं।

श्री मनीराम कागड़ी: कौन लोग हैं वे ?

श्री रसीद मसूद: ऐसे लोग भी इसके अन्दर हैं लेकिन उन को सैकूलर कहा जाता है।

श्री मनीराम कागड़ी: नाम क्यों नहीं बताते, ताकि मामला साफ हो जाए।

श्री रसीद मसूद: मैं नाम सहीं-बताना चाहता हूं। आई० एम० नाट डिस्लोजिंग दि नेम। ···*(व्यवधान)*··· एक दिन में वे नहीं बदल जाते हैं। मैं आपे के सामने मसले रख रहा हूं।

इस में कोई शक नहीं है कि सिखों की ज्यादा तादाद और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो हिन्दुस्तान को अपना मुल्क समझती है। इसके लिए पता नहीं उन्होंने कितनी बड़ कुर्बानियां दी है। उन की देवांहें आज भी जिन्दा हैं और कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिन के बाप शहीद हो गये लड़ाइयों में और हिन्दुस्तान से उनको लगाव है और ताल्लुक है। तो में यह बात मानने के जिए तैयार नहीं हूं कि सारे सिखों की अलग सिख—लैंड की डिमान्ड है चन्द लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं, जिनके दिमाग में यह बात आती है और यही नहीं जैसा मनीराम बागडीजी ने कहा है कि कुछ लोगों के दिमाग में अछूतिस्तान की बात आती है हालांकि मैं इस से मुत्तफिक नहीं हूं क्यों कि पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ा सबक यह मिला है कि हिन्दुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान में मुहाजर हैं और यहां गद्दार है। बड़ें आराम से कह दिया जाता है।

जिसके दिमाग मेंआया उसने कह दिया चाहे उसने मुल्क के तई कोई खिदमत की हो, या न की हो मुल्क के साथ ईमानदार रहा हो या न रहा हो मुल्क के साथ बफादार हो या न हो लेकिन वह मुसलमान को गद्दार कहने में एक मिनट और एक सेकेन्ड भी नहीं लगाता और मैं तो दावे से कहता हूं कि बड़े से बड़ा आदमी मेरे सामने आए, जो अपने आप को मुल्क का वफादार कहता है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह मुझ से ज्यादा वफादार नहीं हो सकता लेकिन यह बात लोगों के दिमाग में क्यों पैदा होती है। इस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। यह इस लिये पैदा होती है कि हम यह महसूस करते हैं ये हैसियत एक हरिजन के, वेहैसियत एक मुसलमान के और वेहैसियत एक बैकवर्ड के, कि हमारे साथ इन्साफ नहीं हो रहा है और हमारे साथ ज्यादती हो रही है और वह हमें सब कुछ नहीं दिया जारहा जो वेहैसियत एक हिन्दुस्तानी होने के कारण हमें मिलना चहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं ,यहां पर मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। मुरादाबाद में जब फसाद हुए तो मिनिस्टर साहब ने बहुत जोर-शोर से कहा कि हम कुछ करगें।वहाँ पर पूलिस एक्शन हुआ, फसाद कहां हुआ। वहां पर जबर्दस्ती बयानात देने के लिए कांग्रेस (इ) के लोगों ने जोर डाला और उसको हिन्दू—मुस्लिम फसाद में तब्दील करने की कोशिश की और किसी हद तक वे कामयाब भी हुए लेकिन हुआ क्या ? कितने लोगों को सजा दीं गई जिन्होंने यह फसाद किया, कितने ऐसे लोग पकड़े गये। वे ही लोग पकड़े गये जो मुसलमान थे और जिन्होंने फसाद में कोई हिस्सा नहीं लिया।हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बड़े जोर-शोर के साथ यहां पर यह कहा था। कि जनता पार्टी वालों ने या लोक दल वलों ने या ओर दूसरी पार्टी वालों ने इस से सबक नहीं लिया कि हमने विनोद गुप्ता और कोई दूसरे गुप्ता, जो कि हमारी पार्टी में ट्रेजरार थे, उनको पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वे फसाद में मुलव्वस थे। तो उसके जवाब में तो मैं यह कहना चहाता हूं कि हमनें उन से पहले एक बहुत बेहतर मिसाल पेश की थी कि अलीगढ़ में जनता पार्टी का जो प्रेसीडेंट था, जो फसाद में मुलव्वस था, हम ने न सिर्फ उस को पार्टी से निकाला बल्कि उस की कुर्की कराई, उस को गिरफ्तार किया और सड़कों पर हथकड़ी डाल कर घुमाया। आप ने क्या किया कि एक विनोद गुप्ता को और एक दूसरे गुप्ता को, जिन को आप खुद जिम्मेदार समझते थे कि वह फसाद में मुलव्वस हैं। पार्टी से ही निकाला है लेकिन आज भी वे आजादी से घूम रहे हैं और आप ने उन को एन०एस०ओ में बन्द नहीं किता। आपने किन को किया जिन मुसलम-नों के

के ऊपर गोली चली थी, जिन मुसलमानों के रिश्तेदार और अजीज मारे जा रहे थे। बन्द उन को किया, जिन की औरतों के साथ रेप किया गया था पुलिस के जरिये। उन को आप ने बन्द किया। अब आप क्या समझते हैं कि इन बातों को लेकर मुल्क के अन्दर इन लोगों में फ्रस्टेशन नहीं आएगा। आप देखिये कि गुजरात में क्या हो रहा है।

हरिजन औरतों को ले जाकर के रेप किया जाता है, उनके मकानों को जलाया जाता है, उन पर गोलिया चलाई जाती हैं। ये सारे काम हुकूमत की तरफ से किए जाते में। मुझे तो ऐसी इतिला मिली है कि एक माननीय मन्त्री तो खतरे की बजह से अपने सारे परिवार को ही दिल्ली लेकर चले आये। जब आप ही बताईये कि ऐसी हालत में फ्रस्ट्रेशन नहीं जायेगा तो क्या आयेगा ?

आज स्कूलों में क्या तालीम दी जा रही ? स्कूलों में जो तालीम दी जाती है उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है कि शिवाजी और महाराणा प्रताप हिन्दुओं के हीरो थे। मुझे बताइए कि शिवाजी और महाराणा प्रताप जितने हिन्दुओं के हो सकते हैं उतने मुसलमानों के क्यों नहीं हो सकते। यह बात सही हो या गलत हो कि अकबर और महाराणा प्रताप में आपस में लडाई हुई। बादशाहों और राजाओं की लड़ाइयों को लेकर आज हम आपसी लड़ाई का सिलसिला क्यों बनाएं? मुझे मालूम है कि शिवाजी के तोपची एक मुसलमान थे और औरंगजेब की फौज में हिन्दू थे। कहां से यह मसाला लाकर कौन इसे इस मुल्क में इस्तेमाल कर रहा है ? क्यों नहीं इस पर सरकार पाबंदी लगाती है ? आप मुझे यह बताएं।

मैं समझता हूं कि आपको ऐसी नफरत पैदा करने चीजों को बेन करना चाहिये। डा० महावीर प्रसाद गुप्त ने 18 साल तक रिसर्च करके एक पेपर पेश किया जिसकी डा० जाकिर हुसैन साहब ने और गिरि साहब ने तारीफ की, उसे एप्रिसियेट किया। दुनिया के बहुत से लोगों ने उसे एप्रिशियेट किया। उन्होंने जो अपने पेपर में 6-7 प्वांइट दिये हैं उन्वे आप तालीम की किताबों में लाईये। वे बहुत सालों से भागे फिर रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। बहुत से लोगों से मिलते हैं लेकिन तवारीख की किताबों में हे बात नही आतीं। इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब ने हिन्दू मन्दिरों को गिराया, लिहाजा मुसलमानों से बदला लेने के बाद की उनमें आ जाती है। बच्चो को यह क्यों नहीं पढ़ाई जाती कि औरंगजेब ने मन्दिरों कों बहुत बड़ी जायदादें दीं, शिवाजी जहां हिन्दुओं की मदद करते थे, वहां वे मुसलमान आरती की भी मदद करते थे ? हिन्दू और मुसलमान बनकर रहने के लिए ही क्यो पढ़ाया जाता है ? उन्हें हिन्दुस्तानी के नाम पर रहने के लिए क्यों नहीं पढ़ाया जाता ? उन्हें अच्छे हिन्दुस्तानी बनने का लिट्रेचर क्यों नहीं दिया जाता ? इस लिट्रेचर को कौन लिखने वाला है, मैं तो नहीं हूं ?

जंगे आजादी की सबसे पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गयी जिसके अन्दर आदमी का इन्कोल्वमेंट हुआ। उसमें कोई हिन्दू या मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ा। उस लड़ाई में सभी को क्रेडिट जाता है। जब अंग्रेजों ने उस लड़ाई में आम आदमी का इन्वाल्वमेंट देखा और

हिन्दुस्तान में कौमी एकता देखी तो उनमें इससे हिन्दू मुसलमानों म नफरत के बीज डालने की कराफात पैदा हुई। उसके बाद महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई चलाई। कांग्रेस ने जो लड़ाई लड़ी उसमें भी हिन्दुस्तान के सभी धर्मों के लोगों का हिस्सा था। सभी को उसका क्रेडिट मिला है। उसका जितना क्रेडिट बशर साहब को पहुंचा है उतना ही मुझे भी पहुंचता है। जब अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में यह देखा कि सभी जातियां एक हो रही हैं तो उन्होंने यहां नफरत पैदा की। फिर इस मुल्क में आर० एस० एस० का मामला आया और जातियों के नाम पर बहुत कुछ होने लगा। लेकिन मैं एक बात यह जानना चाहता हूं, जैसा कि मनीराम बागड़ी जी बताया कि यह विदेशी दिमाग है जो कि यह लड़ाई कर रहा है, इस विदेशी दिमाग के पीछे खोपड़ी कौन सी है जिसके इशारे पर विदेशी दिमाग चल रहा है। उस खोपड़ी को कुचला क्यों नही जाता ? इसको कुचलने की जिम्मेदारी किस पर हे? वह होम मिनिस्टर पर है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुरादाबाद में कौन लोग थे जिन्होंने कि मुस्लिम होम लेण्ड की बात की ? क्यों नहीं उनके नाम पर बताए गये ?

आज मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि इस मुल्क का मुसलमान किसी कदर हिन्दुस्तान से अलग होने को तैयार नहीं है। इसमें वह बराबरी के साथ शरीक होकर इसके साथ आगे बढ़ना चाहता है। वह इन ज्यादातियों के खिलाफ एक साथ लड़ेगा और उसमें हम भी कामयाब होंगे।

मैं इतना कहकर मगीराम जी बागड़ी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि वे एजूकेशन मिनिस्टर साहब के सामने यह बात लाएं कि इस मुल्क के इतिहासों की किताबों में तबदीली की जाय। जब तक किताबों में तबदीली नहीं लाई जाएगी तब तक इस मुल्क में इस प्रकार की ज्यादतियां होती रहेंगी। इस मुल्क में हिन्दू, मुसलमान, सिख, हरिजन ट्राइबल सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। आज इतिहास की किताब में ऐसे फिकरे पडे है जो लोगों के दिमागों में जहर भर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके यहां कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह ऐसे शीशे उगते रहेंगे। इन शीशों को शोला बनने से पहले ही खत्म करना होगा।

मैं इतना कहकर मनीराम जी बागड़ी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अमरीन्द्र सिंह (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय सभा में और देश में जो लोग भारत को सुदृढ़ और एकताबद्ध देखना चाहते हैं वह इस प्रथकतावादी बात की निन्दा करेंगे जो कि देश के विभिन्न भागों में उठ खड़ी हुई हैं।

हाल ही में हमने पंजाब में पृथक खालिस्तान की बात अखबारों में पढ़ी हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सिख समुदाय के 1 प्रतिशत से भी काफी कम लोगों ने यह बात कहीं है जो कि निराश राजनीतिज्ञ हैं और जो इस अलग खालिस्तान के बारे से लाभ उठाना चाहते हैं। आज यह बात क्यों उठाई गई है। प्रेस के एक भाग द्वारा भी इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर उठाया गया है और उस पर अनावश्यक बल दिया गया है। यह गलत बताया गया है कि लोग

इसे चाहते हैं। यह तो उन लोगों द्वारा मामला उठाया गया है जिनकी राजनीतिज्ञ निष्ठा कहीं और हैं। राजनीतिज्ञ लाभ के लिये उन्होंने ये बातें कहीं है।

मेरे राज्य में एक समाचार पत्र है जिसने पिछले कुछ सप्ताहों में खालिस्तान आन्दोलन पर 17 सम्पादकीय लेख लिखें हैं। मैं यहां केवल कांग्रेस दल के एक संसद सदस्य के रुप में ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के एक प्रतिनिधि के रुप में भी बोल रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सिख सदा ही इस देश का अभिन्न अंग रहे हैं। और वे सदा ही देश का भाग रहेंगे। हमें सिखों के इतिहास के बारे में सोचना चाहिये। खालसा का जन्म उस समय हुआ था जब यहां नृशंस शासन था लोग स्वतंत्र रुप से पूजा नहीं कर सकते थे। बोल नहीं सकते थे। उस समय गुरु गोविन्द सिंह ने खालसा को जन्म दिया ताकि जुल्म के खिलाफ लड़ा जा सके। और सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र रुप से पूजा कर सके।

गुरु गोविन्द सिंह के समय से लेकर अब तक आप देखेंगे कि देश पर हमले के समय सिख सदैव ही आगे आकर हमले की रोकने के लिये लहु बहाते रहे हैं। जब भारत को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था तो उस समय इतिहास बताता है कि अंग्रेजों को अन्तिम अपनी जोरदार लड़ाई पंजाब में सिखों से लड़नी पड़ी और पंजाब को अंग्रेज बढ़िया हथियारों और अधिक सैनिकों के कारण ही जीत पाये तभी यहां विदेशी शासन स्थापित हुआ।

स्वतंत्रता संग्राम में भी सिखों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। उनमें हजारों शहीद हुए और हजारों की सम्पत्ति छीनी गई और आज वे शरणार्थी हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत कष्ट उठाये।

आजादी के बाद से इस समुदाय ने हमारी सीमाओं की रक्षा की है। सिखों ने युद्ध में अपने जीवन की आहुतियां दी हैं। हमने सदा देश का साथ दिया है।

किसी समुदाय के। प्रतिशत से कम लोगों की विचार धारा को समूचे समुदाय की विचार धारा नहीं मानना चाहिये। इस मामले को अनावश्यक उछाला जा रहा है।

आज रक्षा सेवाओं में अनेक सिख है। मेरे राज्य में ऐसा कोई घर या गांव नहीं हैं जिसने देश को सैनिक न दिया हो। आज यह सिख लड़के मातृ भूमि के रक्षार्थ खड़े हुए हैं।

यह समुदाय देश के दूर दराज इलाकों में यहां तक कि जंगलों में भी चाहे पूर्व में हों या दक्षिण में हो, जान के लिये तैयार हैं। वे तो हर स्थान पर जाने वाले हैं।

उनमें बहुत कम बातों में समानता है। उनकी कोई एक भाषा नहीं है। उनकी अलग-अलग प्रथाएं हैं। उनकी खाने की आदते अलग-अलग हैं। लेकिन उन सब में एक चीज है जो उन्हे बाध कर रखती है।

सभी सिख यह अनुभव करते हैं कि वे इस महान देश के नागरिक हैं तथा इस बात की ओर कि उनमें तथा अन्य लोगों में कोइ समानता है अथवा नहीं, ध्यान दिये बिना देश की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। हमेशा हमारे मन में यही विचार रहता है तथा यही भावना सिखों की इस देश के प्रति रही हैं।

इस समय हमारे सामने स्वायत्तता का प्रश्न है। यह प्रश्न पंजाब में भूतकाल में उठाया गया।

मैं आनन्दपुर साहिब संकल्प के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वही दल जो सन् 1977 में पंजाब में सत्ता में था वही आज 1981 में यह मामला उठा रहा है। वह दल इस बात का जवाब दे कि पिछले चार साल तक वह क्यों शांत रहा। उसने आर्थिक स्वयत्तता पर चर्चा के लिए चन्डीगढ़ में एक सम्मेलन बुलवाया, जिसमें इसी प्रकार के विचार रखने वाले अन्य राज्यों के लोगों को बुलवाया। सत्ता में रहते हुए उस सरकार ने इस सम्मेलन को रद्द क्यों किया? मेरे राज्य में से उस दल के संसद सदस्य इस सभा में तीन वर्ष रहे। उन 13 सदस्यों में से दो मन्त्री मंडल के सदस्य थे। तब उन्होंने ये मामले क्यों नहीं उठाये तथा इन्हें अब क्यों उठाया जा रहा है? क्या यह राजनीतिक लाभ उठाना नहीं है? मैं मात्र इतना ही कहना चाहता हूं कि पंजाब जैसे राज्य में जहां दो बड़े समुदाय रहते हो वहां यह देखना सभी राजनीतिक दलों, समाज के प्रत्येक वर्ग, समाचार पत्र और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और वक्तव्य जो साम्प्रदायिक असन्तोष और तनाव पैदा करते है, नहीं दिये जाने चाहिए क्योंकि इनसे अनावश्यक साम्प्रदायिकता फैलती है। प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि इस प्रकार का राजनीतिक लाभ उठाना एक निकृष्ट बात है।

श्री सी० टी० दण्ड पाणि (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस अवसर पर इस विषय के सम्बन्ध में अपनी पार्टी की ओर से कुछ कहना चाहता हूं।

सभा में यह संकल्प हाल ही में हुई कुछ घटनाओं, विशेष कर पंजाब में खालिस्तान की मांग के कारण लाया गया है।

तामेल साहित्य में पंजाब को पंचालम कहा गया है। तामेल साहित्य में पंजाब के लोगों के साहस तथा स्वतत्रता को बड़ा उच्च स्थान दिया गया है।

पूर्व वक्ता में पंजाब के लोगों और राष्ट्रीय मामलों में उनके योगदान के बारे में बताया मैं उस जाति को बधाई देता हूं तथा देश के प्रति की गई उसकी सेवा के लिये उसे धन्यवाद देता हूं।

ऐसा पृथकतावादी आन्दोलन उत्तर पूर्व क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब जैसे सीमा वर्ती राज्यों में उभर रहा है। इससे हमें बाहरी खतरे का आभास मिलता है। कुछ सदस्यों ने कहा हैं कि गृह मंत्री यह पता लगाए कि वे बाहरी ताकतें कौन सी है हमें इस प्रकार की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक राजनीतिज्ञ को यह पता होना चाहिए कि इस आन्दोलन को कौन लोग राह दे रहे हैं। जैसा कि गृहमन्त्री ने कहा इसे इसके शैशव में ही समाप्त कर देना चाहिए। ये आन्दोलन कई कारणों से भड़कते है। कुछ भी हो इस प्रकार के आन्दोलनों को पनपने नहीं देना चाहिए। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह एक मत हो और ऐसे आन्दोलन की निन्दा करें।

दूसरे पक्ष के कुछ सदस्यों ने तमिलनाडु आन्दोलन के बारे में कहा है। अपने इस आन्दोलन का इतिहास बताने के लिए मुझे दो तीन घन्टे चाहिए परन्तु मेरे पास समय बहुत कम है। हमारा आन्दोलन द्रविड़ आन्दोलन है जो 1924 में शुरु हुआ था। हमारे नेता और आन्दोलन के प्रणेता 'थडाई पेरियार' श्री ई० वी० रामास्वामी नायकर थे। 1924 में वे मद्रास कांग्रेस कमेटी जिसमें आन्ध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक शामिल थे, के अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी एक अनाथ आश्रम

को आर्थिक सहायता देती थी। पेरियार एक बार उसे देखने गये उनके प्रबन्धक एक सवर्ण थे। पेरियार नहीं जानते थे कि वहां छूतछात बरती जाती है। जब वे वहां गये तब उन्हें इसका पता चला आश्रम के छात्रों को अलग-अलग खाना खिलाया जाता था। सवर्ण छात्र अलग स्थान पर रहते थे और नीची जाति के छात्रों को अलग रखा जाता था तथा उन्हें अलग भोजन दिया जाता था। पेरियार ने पूछ कि इस प्रकार का भेद भाव क्यों? हम कांग्रेस पार्टी वाले व्यक्ति का सम्मान करते हैं। उस समय तमिलनाडु में राजा जी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। राजा जी पेरियार से सहमत नहीं थे, पेरियार कांग्रेस पार्टी से लड़े, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और आत्म सम्मान आन्दोलन नाम से एक अलग आन्दोलन का श्री गणेश किया। तब पेरियार ने जाति विहीन समाज का उपदेश दिया। लोगों ने बड़ी-बड़ी पत्रिकाओं और शक्ति सम्पन्न जातियों ने कहा कि पेरियार आर्य समुदाय का विरोध कर रहे हैं। इस पर पेरियार ने कहा कि यदि आप स्वयं को आर्य मानते है तो मैं अपने आपको द्रविड़ मानता हूं। कहा गया है कि पेरियार जाति प्रथा के विरुद्ध थे। पेरियार का तर्क था कि जातियां नहीं होनी चाहिए। तब पेरियार पर नास्तिक होने का आरोप लगाया गया। पेरियार ने कहा मैं नास्तिक नहीं जाति प्रथा विरोधी हूं। अन्य लोगों का कहना था कि जाति प्रथा ईश्वर ने बनाई है।

पेरियार का कथन था ईश्वर जाति प्रथा नहीं बना सकता क्यों वह इस सबसे पर है। कुछ लोगों ने वेद से उदाहरण देते हुए कहा जो मुख पैदा से हुए वे ब्राह्मण हैं वक्ष जो स्थल से वे क्षेत्रिय, जो जंघाओं से वे वैश्य ओर जो पैर से वे शूद्र आदि। पेरियार ने इसे असम्भव बता कर नकार दिया। यदि ईश्वर ने जातियां बनाई होती तो वह ईश्वर नहीं हो सकता था। तब सभी समाचार पत्रों ने उनकी आलोचना की, भला बुरा कहा। फिर परियार न पुराण आदि ओर तथा कथित भगवानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने फिर सोचा कि इससे कोई लाभ नहीं। उन्होंने तब समाज में सुधार की इच्छा व्यक्त की। इसी कारण उन्होंने अपने दल का नाम दविड़ कझ गझ रखा तथा इसकी स्थापना 1944 में हुई। 1924 से 1944 तक 20 वर्षों तक वे समाज सुधार का उपदेश ही देते रहे। वे हरिजनों को मुक्ति चाहते थे। उन दिनों दल को हरिजन पार्टी कहा जाता था क्यों कि इसके अधिकतर सदस्य हरिजन थे। वे चाहते थे कि महिलाओं कोस्वतंत्रता मिले मानव की सम्मान मिले, दहेज प्रथा समाप्त हो बाल विवाह बन्द हो, विधवा विवाह की अनुमति हो तथा परिवार नियोजन को प्रोत्साहन दिया जाए। हमारे दल और आन्दोलन के कार्यक्रम हैं। ये सब कार्य क्रम परम्परा वादियों को पसन्द नहीं परिवार नियोजन तक का भी विरोध किया गया। दहेज प्रथा का भी विरोध हुआ क्योंकि उनके अनुसार यह समय और हिन्दु धर्म का विधान है परियार का कहना था कि हिन्दु धर्म में समानता नही है, भगवान के सम्मुख भी समानता नहीं है जब कि कानून में सब समानता चाहते है भगवान के सामने भी क्योंकि समानता नही है इसी लिए मैं इन सब बातों का समर्थन करता हूं। 1944 में हमने राजनीतिक दल शुरु किया और हमने चुनाव न लड़ने का निर्णय किया। बाद में हमारे नेता अन्ना ने अलग होकर दविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी, जिसका मैं सदस्य हूं, की 1949 में स्थापना की। 1949 से 1956 तक हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा। तब कांग्रेस और द्रमुक में सम्पर्क छिड गया। मुझे कहते हुए खेद होता है कि कांग्रेसी लोगो ने यह कहकर कि द्रमुक को कोई समर्थन प्राप्त नही है, हमें चुनाव लडने के लिए बाध्य किया। आप चुनाव लड़ अपनी झाकी क्यों नहीं सिद्ध करते? नडे नेताओं ने भी यह कहा। तब हमने 1957 में चुनाव

लड़ने का निर्णय किया। उस बार विधान सभा में हमे केवल 15 स्थान मिले 1962 में हमें 50 स्थान मिले। 1967 में 134 और 1971 मे 234 मे से 184। 1967 मे हमने संसदीय पर चुनाव लड़ा और सभी जीते

द्रमुक का गठन करते समय जैसा मैंने कब कहा था, हम पृथक देन चाहते थे जिसमे केरल आन्ध्र, कर्नाटक, और तमिलनाडु शामिल है, इसका कारण में पहले ही बता चुका हूं। मै पांच मिनट मे समप्त करता हूं।

इसके दो कारण थे। पहला तो यह कि औद्योगीकरण दृष्टि से दक्षिण की पूरी उपेक्षा की गई थी दूसरे भाषा-हिन्दी—प्रश्न था। परन्तु 1952 में क्योंकि बाहरी खतरा पैदा हो गया हमारे नेता अन्ना ने कहा कि हमें द्रविडास्थान की माग को छोड़ते हैं। इसके बाद हम प्रथक देश की मांग नहीं करेंगे। उस समय हमने राज्य की स्वायत्तता की माग की। अर्थात राज्य को और अधिक अधिकार प्रदान किए जाए। हम इसी प्रकार की स्वायत्तता चाहते थे। अमेरिका और स्वीडन के संविधान में भी स्वायत्तता का अर्थ भिन्न है। हमारे मामले में स्वायत्तता का अर्थ सर्वथा भिन्न है। हम चाहत है कि राज्यों को धन का आवटन किया जाए और उन्हें अधिक प्रशासनिक अधिकार दिए जायें। इस सम्बन्ध में केन्द्र से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक आपसी समझ और बातचीत से इसे हल किया जाए।

जहां तक मेरे दल का प्रश्न है हमारा नारा है "सभी स्थान हमारे हैं तथा सभी हमारे साथी हैं।" हम राष्ट्रीय जीवन से सम्बध होना चाहते हैं। इसी कारण द्रमुक ने कांग्रेस से सहायोग किया है। प्रथकता की बात बहुत से कारणो से उठती है। नेतृत्व का बड़ा महत्व है।

उदाहरणतः जब लोक दल सत्ता में था, जब जनता पार्टी सत्ता में थी, उन्होंने कहा हिन्दी को सभी राज्यों म अनिवार्य भाषा बनाया जाएगा। ऐसी घोषणा श्री चरण सिंह और अन्य नेताओं ने की। तब हमने केन्द्र सरकार का विरोध आरम्भ किया। उस समय द्रमुक सत्ता में नहीं थी।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) . ऐसी घोषणा कभी नहीं की गई।

श्री सी० टी० दण्डपाणी : हमने तमिलनाडु में काली कमीज पहन कर एक बड़ा जुलूस निकाला। श्री फर्नांडीज ने कहा कि हमारा यह आशय नही था। यद्यपि वे ऐसा कह रहे थे पर वे उसे कर रहे थे। श्रीमती गाँधी ने सत्ता में आकर मद्रास जाकर यह स्पष्ट घोषणा की कि जब तक गैर-हिन्दी भाषी नहीं चाहेंगे उन पर हिन्दी नहीं लादी जाएगी।

जहां तक प्रशासनिक सत्ता का सम्बन्ध है, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें हैं, और यदि कोई कठिनाई है तो उस पर चर्चा हो सकती है भाषा सम्बन्धी समस्या के बारे में श्रीमती गांधी ने उसकी जाच करने को कहा है। ऐसा उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा।

अतः वर्तमान नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर ऊपर तक सभी जगह के लोगों का विश्वास हैं। अतः प्रथकता आन्दोलन अथवा केन्द्र के विरुद्ध आन्दोलन का प्रश्न ही नहीं है। अतः नेतृत्व अधिक महत्वपूर्ण है। अन्त में उनसे कहना चाहता हूं कि पृथकता आन्दोलन कभी हो नहीं कुछ लोगों का कहना है हिन्दी से एकता आएगी परन्तु मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तेलगाना नेओ आंध्र प्रदेश में झगड़े क्यों हुए। वे व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण हुए। वे सब एक ही समुदाय के लोग थे एक ही भाषा बोलते थे परन्तु फिर भी आन्दोलन हुआ। धर्म से भी एकता नहीं

आती। उदाहरणतः बंगला देश और पाकिस्तान के वे समान धर्म होते हुए भी वे झगडे क्योकि वे अपने अस्तित्व के लिए अपना स्थान चाहते थे। साम्यवादी देशों की एक ही विचार धारा होने पर भी कई अलग अलग देश हैं। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय अधिकार सम्बंधी अनुच्छेद दो को पढ़ता हूं :—

"सभी व्यक्ति घोषणा में उल्लिखित सभी अधिकारों और स्वतंत्रता को बिना किस जाति रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा विचारधारा, राष्ट्र अथवा सामाजिक उद्गम, सम्पत्ति, जन्म अथवा स्तर के भेद के पाने के अधिकारी हैं।"

इस आधार पर यदि नीतियों को स्वीकार किया जाए तो इस राष्ट्र को कोई खतरा नहीं होगा। इस प्रकार किसी भी पृथकता वादी आन्दोलन की एक स्तर में सभा द्वारा निन्दा की जानी चाहिए। इस कथन के साथ मैं श्री राम विलास पासवान द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री ए०के राय (धनबाद): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कुछ समय पहले एक माननीय सदस्य गणपूर्ति का प्रश्न उठाना चाहते थे ···

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं है।

श्री ए०के० राय: खालिस्तान के प्रश्न को इतना महत्व भले ही न दिया जाए परन्तु देश में सर उठा रही विखंडन कारी शक्तियों को महत्व दिया जाना चाहिए। इस प्रकार चर्चा करके हम इस गम्भीर मसले के साथ पूरा न्याय नहीं कर रहे हैं। मेरा यह भी सुझाव है कि इस वाद-विवाद को समाप्त किया जाए और यदि निश्चित कार्यसूची में आपके पास समय नहीं है तो आप इस सवेरे 9 से 11बजे तक इस पर अगले सप्ताह विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। यह एक सरल मामला नहीं है। आपके अनुमान के अनुसार पूरा न्याय करने के लिए यह चर्चा 10 बजे रात तक चल सकती है। इस लिए मेरा सुझाव हैं कि इसे अगले सप्ताह के लिए स्थगित किया जाए तथा सवेरे चर्चा की जाए। यदि आप मेरे सुझाव से सहमत नहीं तो मैं गण पूर्ति पर वल दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप ऐसा करते है तो गणपूर्ति कम ही बजाई जाएगी, वह बजाई जा रही है···

घन्टी बजाई जा चुकी है। गणपूर्ति का प्रश्न श्री ए० के० राय द्वारा उठाया गया है। सभा में गण पूर्ति नहीं है। अतः मैं कल मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए सभा को स्थगित करता हूं।

7·47 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 24 अप्रैल, 1981/4 वैशाख, 1903 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक—आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 में मुद्रित।